वार्षिक प्रतिवेदन
2020-21

राग्राविपंरास
NIRDPR
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
भारत सरकार
राजेंद्रनगर,
हैदराबाद - 500030, भारत

वार्षिक प्रतिवेदन
2020 - 2021

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, तेलंगाना, भारत

Website: www.nirdpr.org.in

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान,
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, तेलंगाना, भारत
द्वारा प्रकाशित

वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

कवर डिज़ाइन: **श्री वी.जी. भट्ट**

स्वरूप

एनआईआरडीपीआर का स्वरूप उन नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालना है जो ग्रामीण निर्धनों को लाभ पहुॅचाये,लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में उन्हें बल प्रदान करें, ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं की क्षमता और परिचालन को सुधारे, अपने सामाजिक प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिकी पार्क के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण को बढ़ावा दे तथा पर्यावरणात्मक चेतना जगाए ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ''विचार भंडार'' के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, ग्रामीण विकास पर ज्ञान संचयन का कार्य करते हुए मंत्रालय को नीति प्रतिपादन और ग्रामीण विकास के बदलते स्वरूप में विकल्पों का चयन करने में सहायता प्रदान करता है ।

मिशन

अनुसंधान, कार्य अनुसंधान, परामर्शी और प्रलेखन प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण निर्धन और अन्यं पिछडे समूहों पर प्रकाश डालते हुए सतत आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में, लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के सुधार में सहयोग देने वाले कारकों का विश्लेषण और परीक्षण करना ।

प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन कर ग्रामीण विकास से जुड़े सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों के ज्ञान, हुनर और दृष्टिकोण में सुधार द्वारा ग्रामीण गरीब पर विशेष जोर और फोकस करते हुए ग्रामीण विकास प्रयासों को सरलीकृत करना ।

विषय सूची

अध्याय	पृष्ठ संख्या
अध्याय – 1: प्रस्तावना	**5 - 9**
1.1. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	5
1.2. अनुसंधान और परामर्शी	7
1.3. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	7
1.4. अभिनव कौशल और आजीविकायें	7
1.5. शैक्षणिक कार्यक्रम	8
1.6 एनआईआरडीपीआर-पूर्वोत्तर केंद्र, गुवाहाटी	8
1.7. नीति समर्थन	8
1.8. प्रशासन और वित्त	9
1.9. प्रचार-प्रसार और प्रकाशन	9
अध्याय – 2: प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	**10 - 16**
2.1. उद्देश्य	10
2.2. ग्राहक समूह	10
2.3. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधन	10
2.4. प्रशिक्षण पद्धतियां	11
2.5. प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार उपाय समिति (टीक्यूआईएमसी)	11
2.6. प्रशिक्षण कार्यक्रम: 2020-21	11
2.7. प्रतिभागियों की रूपरेखा	11
2.8. राज्यवार सहभागिता	11
2.9. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जेंडर वितरण	13
2.10. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषय	14
2.11. कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण विषय	14
2.12. क्षेत्रीय ऑफ-कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम	14
2.13. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	14
2.14. गत वर्षों के दौरान प्रशिक्षण प्रदर्शन	15
2.15 प्रशिक्षण कार्य प्रदर्शन - स्कूल-वार	16
2.16. प्रशिक्षण फीड़बैक	16
अध्याय – 3: अनुसंधान और परामर्शी	**17 - 25**
3.1 अनुसंधान की श्रेणियाँ	17
3.2 2020-21 में आयोजित अनुसंधान अध्ययन	17
3.2.1: अनुसंधान विषय और फोकस क्षेत्र	18
3.2.2: अनुसंधान अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष	18
3.3 परामर्शी अध्ययन	25

अध्याय	पृष्ठ संख्या

अध्याय-4: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण **26 - 27**

अध्याय-5: नवोन्मेषी कौशल और आजीविकायें **28 - 41**

5.1 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विशेष परियोजनाएं (एसजीएसवाई-एसपी) 28

5.2. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 28

5.2.1. निगरानी और मूल्यांकन 28

5.2.1.1. मासिक परियोजना कार्य प्रदर्शन रिपोर्ट 32

5.2.1.2. विषयगत विश्लेषण और अध्ययन (अप्रैल 20-मार्च 21) 32

5.2.1.3. कौशल भारत कार्यान्वयन में समर्थन 32

5.2.2 नवोन्मेषण 33

5.2.2.1. एनआईआरडीपीआर ने कीट प्रबंधन को कौशल मानचित्र पर रखा 33

5.2.3 प्रशिक्षण एवं विकास 33

5.2.3.1. कौशल भारत प्रशिक्षण: 33

5.2.3.2 डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श 34

5.2.3.3 कौशल विकास प्रबंधन पाठ्यक्रम 35

5.2.3.4 प्रति वर्ष (व्यक्तिगत उन्नति और कैरियर में वृद्धि) - जीएपी द्वारा प्रशिक्षकों का सॉफ्ट-कौशल प्रशिक्षण 35

5.2.3.5 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) से जुड़ना 36

5.2.3.6 मोबाइल एप्लिकेशन का विकास 36

5.2.4. इ-एसओपी लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन पोर्टल 36

5.2.5 मूल्यांकन और वित्त 36

5.2.5.5 डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं की समवर्ती वित्तीय निगरानी 36

5.2.6 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) परियोजना 36

5.3. डीएवाई-एनआरएलएम आरसी, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद 38

5.3.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान क्षमता निर्माण कार्य 38

5.3.1.1.संस्था निर्माण और क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण 38

5.3.1.2. जेंडर विषय पर प्रशिक्षण 39

5.3.1.3. भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और डब्ल्यूएएसएच (एफएनएचडब्ल्यू) के विषय पर प्रशिक्षण 39

5.3.1.4. वित्तीय समावेशन विषय पर प्रशिक्षण 39

5.3.1.5. आजीविका विषय पर प्रशिक्षण 39

अध्याय-6: शैक्षणिक कार्यक्रम **42 - 46**

6.1 नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम 43

6.1.1 ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम) कार्यक्रम 43

6.1.2 प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा - ग्रामीण प्रबंधन (पीजीडीएम-आरएम) कार्यक्रम 43

6.2 दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम 45

6.2.1 सतत ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएसआरडी) 45

6.2.2 जनजातीय विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीटीडीएम) 46

6.2.3 ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीजीएआरडी) 46

6.2.4 हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से पंचायती राज शासन और ग्रामीण विकास (डीपी-पीआरजीआरडी) पर डिप्लोमा कार्यक्रम 46

अध्याय	पृष्ठ संख्या

अध्याय-7: उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर विशेष फोकस **47 - 55**

7.1 प्रस्तावना 47

7.2 प्रशिक्षण विशिष्टतायें 2020-21 47

7.2.1 होमस्टे पर फोकस के साथ ग्रामीण पर्यटन पर एक महीने का प्रमाण पत्र-पाठ्यक्रम 51

7.2.2 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला (ऑन-बोर्डिंग ई-ग्रामस्वराज - पीएफएमएस इंटरफेस) 51

7.3 2020-21 के दौरान अनुसंधान हस्तक्षेपों की मुख्य विशेषताएं 52

7.4 इंटर्नशिप 53

7.5 एनआरएलएम-संसाधन प्रकोष्ठ, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी की गतिविधियां 53

7.6. डीडीयू-जीकेवाई सेल, गुवाहाटी की गतिविधियां 55

अध्याय-8: एनआईआरडीपीआर दिल्ली की पहल **56 - 59**

8.1 प्रशासन एवं स्थापना प्रभाग 56

8.2 मार्केटिंग सेल 56

न्यू मोती बाग में पूर्वांचल सरस 58

8.3 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी विकल्प केंद्र (सीटीएआरए) - ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) अनुसंधान एवं विकास फैलोशिप 59

अध्याय-9: नीति समर्थन **60 - 62**

9.1 उपयोग और रखरखाव पर ध्यान देते हुए ओडीएफ स्थिति का पुन: सत्यापन: मध्य प्रदेश, भारत में एक प्रायोगिक जांच 60

9.2 आंध्र प्रदेश में निर्माण केंद्रों (भवन केंद्रों) का अध्ययन 60

9.3 प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन में सेवा वितरण शासन के मुद्दों और चुनौतियों का आकलन 60

9.4 स्त्री निधि-भारतीय सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में एक डिजिटल नवोन्मेषण 61

9.5 आय सहायता योजना का कार्यान्वयन और तेलंगाना में कृषि में निवेश पर इसका प्रभाव 61

9.6 उन्नत भारत अभियान का मूल्यांकन- उद्देश्यों की उपलब्धि को ट्रैक करने के लिए एक त्वरित गहन अध्ययन 62

9.7. ग्रामीण विकास के लिए डिजिटल मीडिया: सुदूर ग्रामीण तेलंगाना में एक संचार अध्ययन 62

9.8 मीडिया और प्रचार योजना का मूल्यांकन 62

अध्याय-10: कोविड -19 के दौरान पहल **63 - 68**

10.1. एनआईआरडीपीआर पहल/ नवोन्मेषण 63

10.2. कोरोना संकट के दौरान एनआईआरडीपीआर पहल और जोखिम संचार 63

10.3 कोविड-19 के दौरान पंचायती राज केंद्र, विकेंद्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा वितरण (सीपीआर-डीपी-एसएसडी) द्वारा की गई पहल 64

10.3.1. गांवों में कोविड-19 के बाद की स्थिति से निपटने के लिए एसआईआरडी और ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 64

10.3.2. प्रवासी कामगारों की निगरानी और उनके गांवों में फैले कोरोना वायरस को रोकने के लिए क्षमता निर्माण ग्राम पंचायतें (मार्च से मई 2020 तक) 64

अध्याय	पृष्ठ संख्या

10.4. डीडीयू-जीकेवाई सेल, एनआईआरडीपीआर द्वारा की गई गतिविधियां 65

10.4.1. ग्रामीण गरीब युवाओं का कल्याण और दिलचस्पी 65

10.4.2. वित्तीय साक्षरता 66

10.5. जून 2020 से जनवरी 2021 के दौरान कोविड-19 के प्रति जोखिम संचार और सामुदायिक जुड़ाव (आरसीसीई) प्रतिक्रिया पर ग्रामीण अवसंरचना केंद्र (सीआरआई) की पहल 67

10.5.1. कोविड-19 की रोकथाम के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों द्वारा मास्क के 100 प्रतिशत उपयोग के लिए एक अभियान 67

10.5.2 श्री सत्य साईं सेवा संगठन के सेवादल का कोविड-19 और जोखिम संचार और सामुदायिक जुड़ाव पर प्रशिक्षण 67

10.5.3. कोविड -विशिष्ट पोषण संदेशों के साथ 2020 के पोषण माह अभियान में डिजिटल सामग्री सहायता 67

10.5.4 ग्रामीण भारत में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए जोखिम संचार पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत कार्यरत राज्य नोडल टीमों, जिला और ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को टीओटी 68

अध्याय-11: प्रशासन **69 - 77**

11.1. प्रशासन 69

11.2. विकास प्रलेखन एवं संचार केन्द्र (सीडीसी) 70

अध्याय-12: वित्त और लेखा **78 - 80**

12.1. एनआईआरडीपीआर कॉर्पस निधि 79

12.2. कार्पस निधि प्रबंधन समिति का गठन 79

12.3. एनआईआरडीपीआर द्वारा अनुरक्षित अन्य निधियां 79

12.4. कल्याण गतिविधियों पर व्यय 79

12.5. 2020-21 के दौरान वित्त एवं लेखा अनुभाग की प्रमुख उपलब्धियां 80

अनुलग्नक I - XV **81 - 103**

संक्षिप्ताक्षर एवं परिवर्णी शब्द

एएआरडीओ	:	अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन
बीडीओ	:	प्रखंड विकास अधिकारी
सीएपीएआरटी	:	जनकार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नत परिषद टेक्नोलॉजी
सीबीओ	:	समुदाय आधारित संगठन
सीएफएमसी	:	संचित निधि प्रबंध समिति
सीएफटी	:	क्लस्टर सुविधा दल
सीआईसीटीएबी	:	कृषि बैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रशिक्षण केंद्र
सीआईआरडीएपी	:	एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र
सीआरपी	:	सामुदायिक संसाधन व्यक्ति
डीएवाई-एनआरएलएम	:	दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डीडीयू-जीकेवाई	:	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
डीएमएमयू	:	जिला मिशन निगरानी इकाई
डीआरडीए	:	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी
ईआर	:	निर्वाचित प्रतिनिधि
ईटीसी	:	विस्तार प्रशिक्षण केंद्र
ईडब्ल्यूआर	:	निर्वाचित महिला प्रतिनिधि
एफएफसी	:	चौदहवां वित्त आयोग
एफपीओ	:	किसान उत्पादक संगठन
जीआईएस	:	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीपी	:	ग्राम पंचायत
जीपीडीपी	:	ग्राम पंचायत विकास योजना
आईसीटी	:	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईईसी	:	सूचना, शिक्षा और संचार
इसरो	:	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आईटीईसी	:	भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग
एमजीएनआरईजीएस	:	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमआईएस	:	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओपीआर	:	पंचायती राज मंत्रालय
यामओआरडी	:	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमओयू	:	समझौता ज्ञापन
एमआरपी	:	मास्टर रिसोर्स पर्सन

संक्षिप्ताक्षर एवं परिवर्णी शब्द

एमएसडीई	:	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
नाबार्ड	:	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएबीसीओएनएस	:	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज
एनसीडब्ल्यू	:	राष्ट्रीय महिला आयोग
एनजीओ	:	गैर-सरकारी संगठन
एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी	:	एनआईआरडीपीआर-उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र
एनएमएमयू	:	राष्ट्रीय मिशन निगरानी इकाई
एनपीए	:	गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां
एनआरपी	:	राष्ट्रीय स्रोत व्यक्ति
एनएसएपी	:	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
ओडीएफ	:	खुले में शौच मुक्त
पीईएसए	:	पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार
पीजीडीएम- आरएम	:	प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा- ग्रामीण प्रबंधन
पीजीडीआरडीएम	:	ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
पीआईए	:	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी
पीएमजीएसवाई	:	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएमकेएसवाई	:	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पीआरआई	:	पंचायती राज संस्था
आरडी	:	ग्रामीण विकास
आरजीएसए	:	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
आरएसईटीआई	:	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
एसएजीवाई	:	सांसद आदर्श ग्राम योजना
एसबीएम	:	स्वच्छ भारत मिशन
एसएफसी	:	राज्य वित्त आयोग
एसएचजी	:	स्वयं सहायता समूह
एसआईआरडीपीआर	:	राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान
एसएलएसीसी	:	सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन
एसआरएलएम	:	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
टीओटी	:	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
यूनिसेफ	:	संयुक्त राष्ट्र बाल कोष
यूटी	:	केंद्र शासित प्रदेश

कार्यकारी सार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद, अपनी अतीत यात्रा के 63 वें वर्ष में, छह फोकस क्षेत्रों में लगा हुआ है, अर्थात् प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, अनुसंधान और परामर्श, नीति निरूपण और समर्थन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, शैक्षणिक कार्यक्रम और अभिनव कौशल और आजीविका।

वर्ष 2020-21 में, कोविड-19 स्थिति के कारण अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन पद्धति में आयोजित किए गए थे। वर्ष के दौरान, संस्थान ने कुल 1018 कार्यक्रम (ऑन-कैंपस और ऑफ-कैंपस), कार्यशालाओं और सेमिनारों, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नेटवर्किंग कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें एनआईआरडीपीआर एनईआरसी, गुवाहाटी के 104 कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में एनईआरसी, गुवाहाटी के 18,302, सरकारी संगठनों, वित्तीय संस्थानों, पीआरआई, एफपीओ, एनजीओ, सीबीओ, राष्ट्रीय और राज्य अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों सहित कुल 96,673 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें से नौ अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम थे जिनमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के 218 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) और गुगुल फॉर्म का उपयोग करके प्रशिक्षण डिजाइन, सामग्री, प्रशिक्षण विधियों, प्रशिक्षण सामग्री, वक्ताओं की प्रभावशीलता आदि जैसे घटकों के संदर्भ में पांच-बिंदु पैमाने पर ई-मूल्यांकन के माध्यम से किया गया । ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार के लिए कदम उठाए जा सकें। 2020-21 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कुल औसत स्कोर 83 प्रतिशत था। प्लेटफ़ॉर्म, विशेष रूप से व्हाट्सएप, का उपयोग प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम सामग्री और कार्यक्रम प्रदान करने, स्रोत व्यक्तियों की प्रस्तुति को साझा करने, प्रशिक्षण विषयों पर सूचना के प्रसार को अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में प्रसारित करने आदि के लिए किया गया है।

ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए अधिकांश विषयों को अनुमोदित प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार समान रखा गया । वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों में, जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ताओं के लिए कोविड -19 पर जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष के अंत तक, संस्थान ने ऑन-कैंपस और ऑफ-कैंपस कार्यक्रमों का मिश्रण दिया। वर्ष में लगभग 92 प्रतिशत कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए गए। पूरे देश में प्रतिभागियों तक पहुंचने के लिए ई-लर्निंग मॉड्यूल विकसित किए गए और व्यापक रूप से उपयोग किए गए। संस्थान द्वारा पेश किए गए पाठ्यक्रमों को ई-लर्निंग मॉड्यूल में परिवर्तित किया गया और ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया। भारत सरकार की एक पहल आई-जीओटी (मिशन कर्मयोगी) के लिए पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक संकाय से कम से कम एक पाठ्यक्रम विकसित किया जाए और आई-जीओटी प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाए।

इसके संपर्क संस्थानों, अर्थात् राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों (एसआईआरडीपीआर) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) की प्रशिक्षण क्षमताओं का निर्माण संस्थान के अधिदेश का अभिन्न अंग है। संस्थान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के संकाय के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इसके भाग के रूप में, वर्ष के दौरान इन संस्थानों में 56 ऑफ-कैंपस और नेटवर्किंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। संस्थान ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) और अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (एएआरडीओ) जैसे अन्य संगठनों के कहने पर नौ अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए। संस्थान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे सीआईसीटीएबी, सिडार्प, यूएनसीईएफ, आदि के साथ घनिष्ठ समन्वय में भी काम करता है।

संस्थान अनुसंधान अध्ययनों, कार्य अनुसंधान परियोजनाओं, मामला अध्ययनों और परामर्शी अध्ययनों के माध्यम से ग्रामीण गरीबों और अन्य वंचित समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण लोगों के सामाजिक कल्याण में योगदान करने वाले कारकों की जांच और विश्लेषण करता है। संस्थान द्वारा किए गए शोध अध्ययन क्षेत्र आधारित हैं और इन अध्ययनों के निष्कर्ष संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं और ग्रामीण विकास के लिए नीति निर्माण में उपयोगी होते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संस्थान द्वारा किए गए शोध अध्ययनों के माध्यम से प्रदान की गई प्रतिक्रिया पर महत्व बढ़ा दिया है। वर्ष 2020-21 के दौरान 15 नए परामर्शी अध्ययन किए गए। इसके अलावा, 2020-21 से पहले किए गए 28 चल रहे अध्ययनों के अलावा, 2020-21 में कुल 14 परामर्शी अध्ययन पूरे किए गए। डेटा संग्रह और डेटा विश्लेषण में मैन्युअल त्रुटियों को कम करने के लिए, संस्थान मोबाइल आधारित अनुसंधान डेटा संग्रह उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। वर्ष के दौरान, ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख विषयों पर कई अनुसंधान अध्ययनों के फील्ड डेटा को मोबाइल आधारित ओपन सोर्स टूल यानी ओपन डेटा किट (ओडीके) का उपयोग करके एकत्र किया गया ।

सतत ग्रामीण विकास के लिए उचित और किफायती प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यापक प्रसार में तेजी लाने के लिए, एनआईआरडीपीआर ने 1999 में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की। 2020-21 के दौरान, बड़ी संख्या में ग्रामीण युवाओं और एसएचजी महिलाओं (कुल 6366 प्रतिभागियों) को आजीविका को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर प्रदर्शन सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं माध्यम से प्रशिक्षित किया गया था ।

डीडीयू-जीकेवाई ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक कौशल प्रशिक्षण और पद स्थापन कार्यक्रम है जो देश के वंचित ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित है। संस्थान केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसियों (सीटीएसए) में से एक है और नीति समर्थन और डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के संचालन के लिए राष्ट्रीय स्तर की समन्वय एजेंसी है। एनआरएलएम आरसी गैर सरकारी संगठनों, बैंकरों, पीआईए, सरकारी अधिकारियों, सीबीओ आदि के लिए विभिन्न विषयगत कार्यक्षेत्रों जैसे संस्थान निर्माण और क्षमता निर्माण (आईबीसीबी), वित्तीय समावेशन (एफआई), जेंडर और आजीविका आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करता है। कौशल भारत को मार्च 2020 में शुरू किया गया था और महामारी के बावजूद, देश भर के प्रमुख हितधारकों के लिए इसके रोल-आउट के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया गया । ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्रों के साथ-साथ, एनआईआरडीपीआर ने वीडियो ट्यूटोरियल, पठन सामग्री और पहले से रिकॉर्ड किए गए सत्रों जैसी ऑनलाइन सामग्री तैयार की।

संस्थान दूरस्थ शिक्षा और परिसर में शैक्षणिक कार्यक्रम भी प्रदान करता है। कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए आवासीय कार्यक्रमों की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की गईं। वर्ष 2020-21 में पीजीडीआरडीएम का 17वां बैच, पीजीएसआरडी का 12वां बैच, पीजीटीडीएम का 9वां बैच और पीजीजीएआरडी का 5वां बैच पूरा हुआ। इन कार्यक्रमों के नए बैच वर्ष के दौरान शुरू किए गए थे और चल रहे हैं।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को उन्मुख करने की दृष्टि से एनआईआरडीपीआर का पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र 1983 में गुवाहाटी में स्थापित किया गया था। 2020-21 के दौरान, 46 एनआरएलएम कार्यक्रमों सहित 104 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 18,302 प्रतिभागी शामिल थे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एसआईआरडी और क्षेत्र के अन्य संस्थानों में ऑन-कैंपस और ऑफ-कैंपस कार्यक्रम शामिल थे।

संस्थान ने वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास के मुद्दों पर साहित्य प्रकाशित करने के अपने प्रयास जारी रखे। संस्थान द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक 'ग्रामीण विकास पत्रिका' ग्रामीण विकास और विकेन्द्रीकृत शासन पर प्रमुख अकादमिक पत्रिकाओं में गौरव का स्थान रखती है। 2020-21 के दौरान, संस्थान ने कुल 1,23,756 पुस्तकों के संग्रह में कुल 308 पुस्तकें और अन्य दस्तावेज जोड़े हैं। संस्थान प्रतिभागियों और कर्मचारियों के लाभ के लिए हिंदी पुस्तकों का एक अलग संग्रह भी रखता है। संस्थान का समाचार पत्र 'प्रगति' अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित किया जाता है ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार किया जा सके और संस्थान द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को उजागर किया जा सके। इसके अतिरिक्त, संस्थान शोध रिपोर्ट श्रृंखला और मामला अध्ययन श्रृंखला के तहत प्रकाशन निकालता है। संस्थान के पुस्तकालय ने ग्रामीण विकास पर अनुसंधान विशिष्टतायें, प्रशिक्षण/पठन सामग्री, और संकाय प्रकाशनों जैसे संस्थागत प्रकाशनों के डिजिटलीकरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

कपार्ट का मई, 2020 को एनआईआरडीपीआर में विलय कर दिया गया और एनआईआरडीपीआर, नई दिल्ली शाखा प्रारंभ हो गई। 1 मई, 2020 की तारीख तक, एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा में 90 कर्मचारी थे और उन्हें एनआईआरडीपीआर के रोल में 01.05.2020 लिया गया है। एनआईआरडीपीआर, दिल्ली शाखा के ग्रामीण उत्पादों के विपणन और संवर्धन केंद्र (विपणन प्रकोष्ठ), राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली में स्थित सरस गैलरी का प्रबंधन देख रहे हैं। यह गैलरी एसएचजी द्वारा बनाए गए उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए उनके विपणन आधार को व्यापक बनाने के लिए स्थापित की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा ने 14 से 17 जनवरी, 2021 तक नई मोती बाग, नई दिल्ली में 'पूर्वांचल सरस मेला' का आयोजन किया, जिसमें विशेष रूप से पूर्वांचल राज्य से डीएवाई-एनआरएलएम योजना के तहत समर्थित ग्रामीण महिला एसएचजी (कारीगरों) के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया।

कोविड -19 के प्रभाव और पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित संकेतकों की गिरावट की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, एनआईआरडीपीआर की संचार संसाधन इकाई (सीआरयू) ने कोविड -19 के निवारक उपायों, प्रसव पूर्व देखभाल और विभिन्न विषयों के साथ डिजिटल स्लाइड और देखभाल और सुरक्षा फ़्लायर विकसित किया। सुरक्षित प्रसव, नवजात शिशु की देखभाल और स्तनपान, टीकाकरण, आईवाईसीएफ और बच्चों की सुरक्षा। सीआरयू ने गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) बच्चों, किचन गार्डन को बढ़ावा देने, पोषण में पीआरआई सदस्यों की भूमिका और 1000 दिनों की देखभाल के लिए आवश्यक पहचान और अपेक्षित कार्रवाई को बढ़ावा देने वाले डिजिटल स्लाइड के पोषण माह 2020 अभियान थीम संदेशों, जीआईएफ वीडियो भी विकसित किए।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एनआईआरडीपीआर का व्यय रु. 327.85 करोड़ की राशि के अनुदान के विपरीत 80.43 करोड़ जारी किए गए। 31 मार्च, 2020 तक 263.21 करोड़ और रु. 31 मार्च, 2019 को 217.72 करोड़ की राशि की तुलना में 31 मार्च, 2021 को संचित निधि रू. 316.25 करोड़ रही ।

z

हमारी अब तक की यात्रा

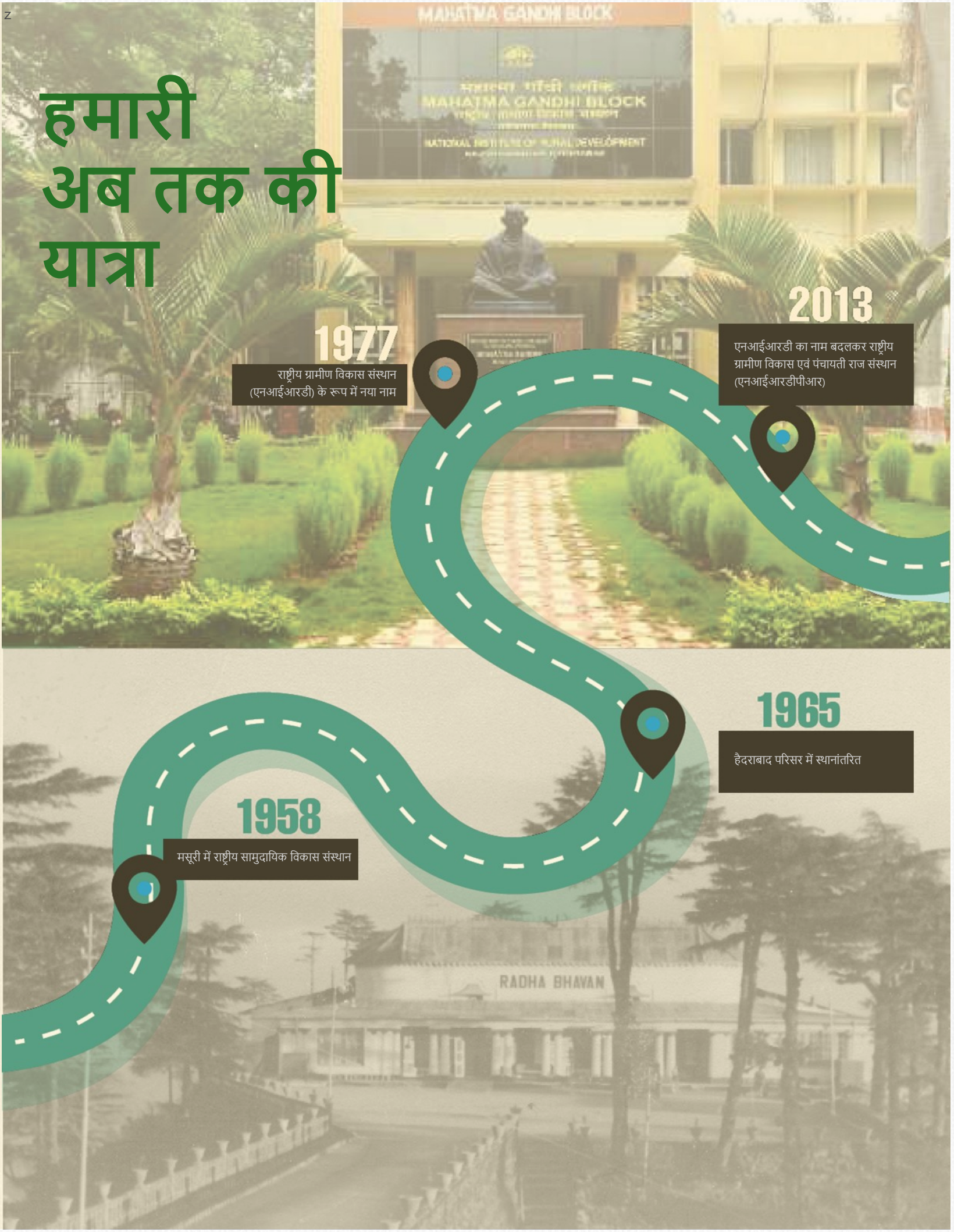

1958
मसूरी में राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान

1965
हैदराबाद परिसर में स्थानांतरित

1977
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) के रूप में नया नाम

2013
एनआईआरडी का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर)

हम क्या करते हैं?

1

वरिष्ठ स्तर के विकास पेशेवरों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना ।

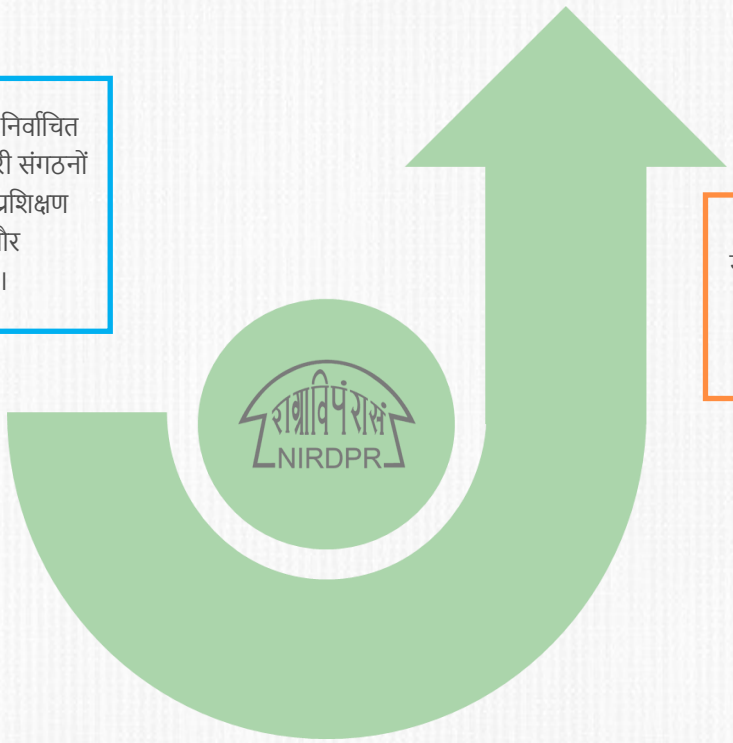

5

समय-समय पर, रिपोर्ट, ई-मॉड्यूल और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से सामग्री विकसित करना और सूचना का प्रसार करना ।

2

अनुसंधान शुरू करना, सहायता करना, बढ़ावा देना और समन्वय

3

राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कामकाज का अध्ययन ।

4

ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण और समाधान प्रस्तावित करना ।

अध्याय – 1

प्रस्तावना

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), ग्रामीण विकास मंत्रालय का स्वायत्त संस्थान है तथा ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में एक शीर्ष राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र है। यह प्रशिक्षण, अनुसंधान परामर्श और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ-साथ अंतर संबंधित क्रियाकलापों के माध्यम से ग्रामीण विकास पदाधिकारियों, चयनित प्रतिनिधियों तथा सामुदायिक संगठनों (सीबीओ), वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण करता है। सर्वप्रथम वर्ष 1958 में मसूरी में राष्ट्रीय समुदाय विकास संस्थान के रूप में स्थापित इस संस्थान को वर्ष 1965 में हैदराबाद परिसर में स्थानांतरित कर वर्ष 1977 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान रखा गया। पंचायती राज प्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा पंचायती राज संस्थानों के कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर अधिक बल देते हुए संस्थान की महापरिषद के निर्णयानुसार एनआईआरडी का नाम 4 दिसंबर, 2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) किया गया। भारत सरकार ने माना कि एनआईआरडीपीआर के उद्देश्य काफी हद तक लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रोद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) के सामान है जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, उसका 1 मई, 2020 को एनआईआरडीपीआर में विलय हो गया। संस्थान ऐतिहासिक शहर हैदराबाद के राजेन्द्रनगर के ग्रामीण वातावरण में 174.21 एकड़ में फैला हुआ है ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण पर फोकस करते हुए एनआईआरडीपीआर निम्नलिखित क्रियाकलाप करता है:

i) वरिष्ठ स्तर के विकास प्रबंधकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों, एनजीओ और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करना

ii) अनुसंधान को प्रारंभ, सहायता, समन्वयन और बढ़ावा देना

iii) विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना

iv) ग्रामीण विकास हेतु कार्यक्रमों के नियोजन और कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का समाधान और विश्लेषण करना।

v) आवधिक पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों, ई-मॉड्यूल व अन्य प्रकाशनों के माध्यम से सामग्री तैयार करना तथा सूचना का प्रचार-प्रसार करना

एनआईआरडीपीआर के अधिदेश में ग्रामीण निर्धनों का विकास और उनकी जीवन शैली में सुधार करना शामिल है। इस संबंध में अनुभव की गई व्यापक और विविध चुनौतियों पर विचार करते हुए एनआईआरडीपीआर, एक शीर्ष संस्थान होने के नाते बड़ी संख्या में ग्राहक समूह की प्रशिक्षण और क्षमता विकास आवश्यकताओं को पूरा करता है। नीति प्रतिपादन और कार्यक्रम कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने हेतु संपूर्ण ग्रामीण विकास प्रक्रिया में विकास कार्यकर्ताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण एक पूर्वापेक्षित कार्य है। संस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के मुद्दों पर विशेष ध्यान देते हुए भारत सरकार और राज्य सरकार के "विचार भंडार" के रूप में कार्य करता है तथा भारत सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर कार्य अनुसंधान सहित प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य करता है। संस्थान की सेवाएं ग्रामीण विकास से जुड़े केन्द्र और राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालय/ विभागों, बैंकिंग संस्थान, लोक तथा अन्य निजी क्षेत्र के संगठन, सिविल सोसायटी, पंचायती राज संस्थानों तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के लिए भी उपलब्ध है। अपने स्थापना के लगभग 60 दशकों से अधिक समय में एनआईआरडीपीआर अपने प्रशिक्षण, अनुसंधान, कार्य अनुसंधान, परामर्शी, सूचना का प्रचार-प्रसार तथा सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया द्वारा कार्यक्रम प्रबंधन में गुणात्मक परिवर्तन लाने में सामान्य परन्तु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के क्षेत्र में संस्थान राष्ट्रीय शीर्ष संस्थान के रूप में उभर कर आया है।

1983 में गुवाहाटी में स्थापित एनआईआरडीपीआर का उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (एनईआरसी) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करता है। अपने अस्तित्व के 38 वर्षों के दौरान, एनईआरसी ने क्षेत्र के विशिष्ट प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने में विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त किया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान कवरेज के प्रमुख क्षेत्रों पर संस्थान के कार्य निष्पादन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

1.1. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार आदि आयोजित करता रहा है। एनआईआरडीपीआर में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के नीति निर्माण, प्रबंधन और कार्यान्वयन से जुड़े वरिष्ठ और मध्यम स्तर के विकास अधिकारियों और समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ), वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, आदि को कवर

करने वाले ग्रामीण विकास के विभिन्न हितधारकों के प्रशिक्षण हेतु विशेषज्ञता और अत्याधुनिक आधारभूत संरचना उपलब्ध है।

इन कार्यक्रमों का फोकस प्रक्रिया पहलुओं के विशेष संदर्भ के साथ कार्यक्रम प्रबंधन के तरीकों और तंत्र पर है ,जो विकासात्मक पेशेवरों को अपेक्षित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य ज्ञान का आधार बनाना, कौशल विकसित करना और सही दृष्टिकोण और मूल्यों को बढ़ावा देना है। संस्थान हर वर्ष प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार कर रहा है और उन्हें अधिक आवश्यकता-आधारित और मांग–उन्मुख बनाने में सफल रहा है। यह निरंतर आधार पर नई प्रशिक्षण पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करके और अपनाकर प्रतिभागियों की संतुष्टि की उच्च दर प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, अनुसंधान अध्ययन और कार्य अनुसंधान के निष्कर्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में निरंतर आधार पर वृद्धि हुई है। आउटरीच कार्यक्रमों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा, संस्थान सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए विकासशील देशों के व्यावसायियों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा अपनी विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने का प्रयास करता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, देश में कोविड़ – 19 महामारी के कारण अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन मोड में आयोजित किए गए थे। वर्ष के दौरान कुल 96,673 प्रतिभागियों के साथ कुल 1018 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान, एनआईआरडीपीआर ने कई कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, गोष्ठियों और राष्ट्रीय परामर्शों और परिचर्चा का आयोजन किया जिन्हें रिपोर्ट, पुस्तकों और संस्थान के मासिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था।

इसके संपर्क संस्थानों, अर्थात् राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों (एसआईआरडीपीआर) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) की प्रशिक्षण क्षमताओं का निर्माण करना, संस्थान के जनादेश का अभिन्न अंग है। यह इन संस्थानों के प्रशिक्षण आधारभूत संरचना और संकाय के सुदृढीकरण हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की केंद्रीय योजना के तहत वित्तीय सहायता की सुविधा भी प्रदान करता है। संस्थान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के संकाय के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इसके भाग के रूप में, वर्ष के दौरान इन संस्थानों में 56 ऑफ -कैंपस और नेटवर्किंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। संस्थान ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) तथा अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (एएआरडीओ) जैसे अन्य संगठनों के सहयोग से 9 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए। संस्थान आर्डो, सीआईसीटीएबी, सिर्डाप, यूएन वूमेन इत्यादि जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ निकट समन्वय में कार्य करता है।

पंचायती राज कार्यकर्ताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, संस्थान ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रशिक्षण सामग्री और प्रशिक्षकों तथा स्त्रोत व्यक्तियों के विकास के रूप में विभिन्न पहल की हैं। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भू-संसूचना अनुप्रयोगों के उभरते अनुप्रयोग के महत्व को स्वीकारते हुए, संस्थान के ग्रामीण विकास में भू-संसूचना अनुप्रयोग केंद्र (सी-गार्ड) नवीनतम भू-संसूचना प्रौद्योगिकी और उपकरणों में कौशल प्रदान करने और ज्ञान के स्तर में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करता है।

1.2. अनुसंधान और परामर्श

उभरते विकासात्मक मुद्दों को समझने और ग्रामीण विकास में पद्धतियों से सीखने के लिए अनुसंधान संस्थान की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। इसके भाग के रूप में, संस्थान ग्रामीण गरीबों और अन्य वंचित समूहों पर अनुसंधान अध्ययन, कार्य अनुसंधान परियोजनाओं, मामला अध्ययन और परामर्श अध्ययन द्वारा ग्रामीण लोगों के सामाजिक कल्याण सुधार में योगदान करने वाले कारकों की जांच और विश्लेषण करता है। संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययन क्षेत्र आधारित स्वरूप के होते हैं और इन अध्ययनों के निष्कर्ष संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं और ग्रामीण विकास के लिए नीति निर्माण में उपयोगी होते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययनों के माध्यम से दी गई प्रतिक्रिया को महत्व दिया है। संस्थान स्थान-विशिष्ट कार्य अनुसंधान भी करता है जिसमें विषय या मॉडल का चरण-दर-चरण क्षेत्र-परीक्षण किया जाता है, और स्थान में प्रचलित स्थिति के अनुसार दिन-प्रतिदिन के हस्तक्षेपों को संशोधित किया जाता है। इसका मुख्य फोकस स्थानीय निर्णय–क्षमता और भागीदारी मूल्यांकन के साथ विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में एक जन-केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना है।

ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संस्थान की कार्योन्मुखी पहल को और मजबूत करने के लिए देश के विभिन्न भागों में दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के गांवों को अपनाकर 'ग्राम अभिग्रहण' पर जोर दिया गया है। यह एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्यों को जमीनी स्तर की वास्तविकताओं और विकासात्मक चुनौतियों से खुद को अवगत कराने का अनुभव देता है।

इसके अलावा, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों और अन्य नेटवर्किंग संस्थानों के सहयोग से अध्ययन किये जाते है। संस्थान विभिन्न विकास विषयों पर कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों को परामर्शी सहायता प्रदान करता है। संस्थान केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुरोध पर अनुसंधान अध्ययन भी आयोजित करता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 60 अनुसंधान अध्ययन आयोजित किए गए, जिसमें एसआईआरडीपीआर, ईटीसी और राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से किए गए अध्ययन शामिल हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान सत्ताईस अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए।

डेटा संग्रह और डेटा विश्लेषण में मैनुअल त्रुटि को कम करने के लिए, संस्थान मोबाइल आधारित अनुसंधान डेटा संग्रह उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देता है। वर्ष के दौरान, मोबाइल आधारित ओपन सोर्स टूल यानि ओपन डेटा किट (ओडीके) का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख विषयों पर कई अनुसंधान अध्ययनों के फील्ड डेटा एकत्र किए गए थे।

1.3. तकनीकी हस्तांतरण

सततयोग्य ग्रामीण विकास के लिए उचित और किफायती प्रौद्योगिकियों के व्यापक प्रसार और विकास में तेजी लाने के पहल के भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर ने 1999 में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) की स्थापना की। इसका उद्देश्य कौशल संवर्धन और उद्यमिता विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबों की आजीविका को बढ़ाना है। आरटीपी में राष्ट्रीय ग्रामीण भवन केंद्र 40 विभिन्न तकनीकों के साथ ग्रामीण घरों के लागत प्रभावी मॉडल प्रदर्शित करता है। व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों के मॉडल की बड़ी संख्या के साथ एक स्वच्छता पार्क भी स्थापित किया गया था, जो ग्रामीण जनता के लिए किफायती हैं। ग्रामीण प्रौद्योगिकियों, नवाचारों, ग्रामीण उत्पादों के विपणन आदि को बढ़ावा देने के लिए हर साल एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला आयोजित किया जाता है। महानिदेशक का बंगला उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके स्थायी आवास को बढ़ावा देने के लिए आरटीपी की एक स्थायी आवास पहल है और इसने वर्ष 2018 के दौरान अभिनव/ उभरते और आपदा प्रतिरोधी आवास सहित लागत प्रभावी ग्रामीण/ शहरी आवास के लिए हुडको पुरस्कार जीता।

2020-21 के दौरान, आजीविका को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण युवाओं और एसएचजी महिलाओं को विभिन्न तकनीकों पर परिचय-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

1.4. नवोन्मेषण कौशल और आजीविका

नवोंमेषण कौशल और आजीविका हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय की विशेष पहल को सुविधाजनक बनाने के लिए एनआईआरडीपीआर में विशेष परियोजनाओं और संसाधन प्रकोष्ठों की स्थापना की गई थी। इनमें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना का संसाधन कक्ष - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), ग्रामीण स्वरोजगार

प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) का परियोजना कक्ष और एस.आर. शंकरन चेयर शामिल हैं ।

डीडीयू-जीकेवाई ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक कौशल प्रशिक्षण और नियोजन कार्यक्रम है जो देश के वंचित ग्रामीण युवाओं पर फोकस देता है। संस्थान निति समर्थन के लिए केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसियों (सीटीएसए) और राष्ट्रीय स्तर की समन्वय एजेंसी में से एक है तथा डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को संचालित करता है। एनआईआरडीपीआर के डीडीयूजीकेवाई सेल से राज्यों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को प्रशिक्षण और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाने की उम्मीद की गई है।

डीएवाई-एनआरएलएम के लिए संसाधन सेल को 2012 में एनआईआरपीपीआर में विभिन्न ग्रामीण आजीविका पहल की सुविधा के लिए बनाया गया था साथ ही यह एसआरएलएम की क्षमता निर्माण की जरूरतों को पूरा करता है। एनआरएलएम आरसी गैर सरकारी संगठनों, बैंकरों, पीआईए, सरकारी अधिकारियों और सीबीओ आदि के लिए विभिन्न विषयगत कार्यक्षेत्रों जैसे संस्थान निर्माण और क्षमता निर्माण (आईबीसीबी), वित्तीय समावेशन (एफआई), जेंडर और आजीविका आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करता है।

संस्थान की आरसेटी परियोजना सेल बैंकों के साथ सहयोग से राज्यों में आरसेटी के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। इसके भाग के रूप में, संस्थान को आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए एमओआरडी द्वारा प्रदान की गई धनराशि जारी करने के लिए विभिन्न प्रायोजक बैंकों के प्रस्तावों को संसाधित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

संस्थान द्वारा ग्रामीण श्रम पर एस.आर. शंकरन चेयर की स्थापना 2012 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त पोषण समर्थन के साथ की गई थी। चेयर का मुख्य उद्देश्य उन मुद्दों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है जो ग्रामीण श्रमिकों के जीवन और काम करने की स्थिति में सुधार करने में जानकारी बढ़ाने में मदद करेंगे।

1.5. शैक्षणिक कार्यक्रम

समय-समय पर ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यों ने प्रभावी और कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए व्यवसायिकों की मांग की है। इसे ध्यान में रखते हुए, संस्थान ने 2008 में ग्रामीण विकास प्रबंधन (पीजीडीआरडीएम) में एक वर्षीय आवासीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा शुरू किया। कार्यक्रम का उद्देश्य पेशेवरों का एक बड़ा पूल बनाना और देश में युवा ग्रामीण विकास प्रबंधन पेशेवरों का एक संवर्ग विकसित करना है, जिनका समावेश ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

बदलते विकास परिदृश्य और प्रभावी प्रबंधन के लिए व्यापक समझ और दक्षता वाले पेशेवरों की आवश्यकता के संदर्भ में, लंबी अवधि के कार्यक्रम की आवश्यकता को महसूस किया गया। तदनुसार वर्ष 2018 में संस्थान ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली से अनुमोदन के साथ दो साल का पूर्णकालिक पीजीडीएम-आरएम कार्यक्रम शुरू किया।

व्यापक पहुंच के लिए संस्थान की पहल में, वर्ष 2010 में एक दूरस्थ शिक्षा सेल (डीईसी) की स्थापना की गई और सतत ग्रामीण विकास (पीजीडीएसआरडी) में एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा शुरू किया गया। विशेष जनजातीय विकास पेशेवरों के एक सुसज्जित प्रशिक्षित विकास आवश्यकता को पूरा करने के लिए, संस्थान ने जनवरी, 2013 में दूरस्थ मोड में जनजाति विकास में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीडीटीडीएम) भी शुरू किया। इसके अलावा, अगस्त, 2015 में ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग (पीजीडीजीएआरडी) पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण आवासीय कार्यक्रमों की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की गईं। वर्ष 2020-21 में पीजीडीआरडीएम का 17वां बैच, पीजीडीएसआरडी का 12वां बैच, पीजीटीडीएम का 9वां बैच और पीजीजीएआरडी का 5वां बैच पूरा हुआ। इन कार्यक्रमों के नए बैच वर्ष के दौरान शुरू किए गए थे और चल रहे हैं।

1.6. एनआईआरडीपीआर - उत्तर पूर्वी केंद्र, गुवाहाटी

एनआईआरडीपीआर का उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को उन्मुख करने की दृष्टि से गुवाहाटी में 1983 में स्थापित किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान, 46 एनआरएलएम कार्यक्रमों सहित 104 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 18302 प्रतिभागी शामिल थे, जिसमें एसआईआरडी और क्षेत्र के अन्य संस्थानों में ऑन-कैंपस और ऑफ-कैंपस कार्यक्रम शामिल थे। वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 9 अनुसंधान अध्ययन विभिन्न श्रेणियों जैसे अनुसंधान अध्ययन, मामला अध्ययन, सहयोगी अध्ययन और कार्य अनुसंधान तथा ग्राम अभिग्रहण के तहत किए गए। इनमें से पांच पूर्ण हो गए और चार का कार्य प्रगति पर है।

1.7. नीति समर्थन

एनआईआरडीपीआर, एक शीर्ष संस्थान के रूप में, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में 'विचार भंडार' के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है। इसके भाग के रूप में, संस्थान ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं और गतिशीलता पर कार्य अनुसंधान और अनुसंधान

अध्ययन, कार्यशालाएं, सेमिनार इत्यादि आयोजित करता है तथा विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के नीति निर्माण और प्रभावी प्रबंधन के लिए निवेश प्रदान करता है। ये केंद्र और राज्य सरकारों को विकास प्रशासन और प्रबंधन की बारीकियों पर फीडबैक देते है।

1.8. प्रशासन और वित्त

संस्थान का प्रशासन और वित्त प्रभाग प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियों को करने में संस्थान के संकाय सदस्यों को समर्थन और सहायता प्रदान करता हैं। संस्थान की नीतियां और रणनीतियों का निर्धारण महापरिषद (जीसी) द्वारा किया जाता हैं। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्री महापरिषद के अध्यक्ष होते हैं। संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन का कार्य कार्यकारी परिषद (ईसी) में निहित होता है, जिसके अध्यक्ष सचिव ,ग्रामीण विकास होते हैं। महानिदेशक संस्थान के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते है। शैक्षणिक और अनुसंधान सलाहकार समितियां प्रशिक्षण, अनुसंधान, कार्य अनुसंधान और परामर्श तथा शैक्षणिक गतिविधियों की योजना बनाने में मार्गदर्शक के रूप में संस्थान की मदद करती हैं। डॉ. वाई.के. अलघ समिति की सिफारिशों के आधार पर, संस्थान को प्रत्येक स्कूल के तहत केंद्रों सहित स्कूलों में पुनर्गठित किया गया है।

संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग के कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बजट तैयार करना, निधियों का आहरण, लेखांकन, प्राप्तियों और भुगतानों का वर्गीकरण, वार्षिक लेखा की तैयारी और संकलन, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों की मंत्रालय को प्रस्तुती, प्रस्तुत करने के अलावा प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रशासन/ प्रशिक्षण/ परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मामलों पर वित्तीय परामर्श देता है ।

1.9. प्रचार और प्रकाशन

एनआईआरडीपीआर के अधिदेश में ग्रामीण विकास पर सूचना का प्रचार–प्रसार करना शामिल है। संस्थान ने वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास के मुद्दों पर साहित्य प्रकाशित करने के अपने प्रयास जारी रखे। संस्थान द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक 'जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट' ग्रामीण विकास और विकेन्द्रीकृत शासन पर प्रमुख अकादमिक पत्रिकाओं में अग्रणी पत्रिका बनी हुई है। संस्थान के समाचार पत्र 'प्रगति' को अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित किया जाता है ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार किया जा सके और संस्थान द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को उजागर किया जा सके। इसके अतिरिक्त, संस्थान अनुसंधान रिपोर्ट श्रृंखला, मामला अध्ययन श्रृंखला और कार्य अनुसंधान श्रृंखला के तहत प्रकाशनों का प्रकाशन करता है। संस्थान के पुस्तकालय ने ग्रामीण विकास पर अनुसंधान विशिष्टतायें, प्रशिक्षण/ पाठ्य सामग्री, और संकाय प्रकाशनों जैसे संस्थागत प्रकाशनों के डिजिटलीकरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

अध्याय - 2
प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण संस्थान की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। एनआईआरडीपीआर में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के नीति निर्माण, प्रबंधन और कार्यान्वयन से जुड़े पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के विकास अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेषज्ञता और बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। कार्यक्रमों का उद्देश्य ज्ञान का आधार बनाना, कौशल विकसित करना और प्रतिभागियों में सही दृष्टिकोण और मूल्यों का संचार करना है। एनआईआरडीपीआर के कार्यक्रमों का बल ग्रामीण विकास में प्रचलित कार्यों के लिए देश के विकास पेशेवरों का क्षमता निर्माण पर प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्रबंधन करना है। प्रतिभागी उच्च स्तर की संतुष्टि की रिपोर्ट देते हैं क्योंकि संस्थान निरंतर नवोन्मेषण कार्य करता है और निरंतर आधार पर नई प्रशिक्षण विधियों और तकनीकों को अपनाता है। इससे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जबकि उन्हें अधिक आवश्यकता-आधारित और केंद्रित बनाया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसंधान, कार्य अनुसंधान, ग्राम अभिग्रहण और मामला अध्ययन के निष्कर्षों का भी उपयोग किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने दुनिया भर में विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों से अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों की एक बड़ी संख्या को आकर्षित किया है। एनआईआरडीपीआर राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों (एसआईआरडीपीआर) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) के क्षमता निर्माण में भी लगा हुआ है ताकि जानकारी को जमीनी स्तर पर क्रमिक पद्धति पर आगे बढ़ाया जा सके।

2.1. उद्देश्य

संस्थान के कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ विकसित किए गए हैं:

- प्रभावी कार्यक्रम योजना और कार्यान्वयन के लिए जागरूकता सृजन, कौशल में सुधार, सही दृष्टिकोण को बढ़ावा और विकास पदाधिकारियों के ज्ञान को व्यापक बनाना;
- कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और परामर्शों के माध्यम से ग्रामीण आबादी की उभरती जरूरतों पर रणनीति तैयार करना;
- सतत ग्रामीण विकास के लिए समर्पित योगदान की दिशा में विकास कर्मियों में व्यवहार परिवर्तन को सुगम बनाना;
- विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन में श्रेष्ठ पद्धतियों और सफलता की कहानियों से विकास कार्यकर्ताओं को अवगत कराना

2.2. ग्राहक समूह

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित और आधिकारिक सदस्यों और अन्य हितधारकों सहित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), शिक्षाविद, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

2.3. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधन:

वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर को संस्थान के विजन और मिशन के साथ-साथ ग्रामीण विकास में उभर रहे व्यापक रुझानों को दर्शाते हुए तैयार किया जाता है। समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (टीएनए) के परिणाम, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के विचार-विमर्श, अनुसंधान निष्कर्षों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया भी प्रशिक्षण कैलेंडर की तैयारी में शामिल हैं। ऑफ-कैंपस पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यकताओं की पहचान एसआईआरडीपीआर और राज्य सरकारों के परामर्श से की जाती है। वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, एनआईआरडीपीआर की गतिविधियों पर ग्रामीण प्रबंधन आनंद संस्थान (आईआरएमए) की प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतिक्रिया को भी प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड़ –19 ने दुनिया भर के लोगों के जीवन को प्रभावित किया था। महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करने के लिए, संस्थान को इसके प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण रणनीतियों को बदलना पड़ा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के वितरण को ऑनलाइन मोड में बदलकर प्रशिक्षण रणनीति में एक आदर्श बदलाव किया गया था। ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए अधिकांश विषयों को अनुमोदित प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार समान रखा गया था। वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों में, जमीनी स्तर तक कार्यकर्ताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए COVID-19 पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वर्ष के अंत तक, संस्थान ने ऑन-कैंपस और ऑफ-कैंपस कार्यक्रमों का मिश्रण प्रस्तुत किया। वर्ष में लगभग 92 प्रतिशत कार्यक्रम ऑनलाइन में आयोजित किए गए। संस्थान ने ऑनलाइन कार्यक्रमों के वितरण के लिए विभिन्न परीक्षण उपकरणों का उपयोग किया।

बड़ी संख्या में हितधारकों तक पहुंचने और राज्य तथा उप-राज्य स्तर पर पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए संस्थान के प्रयास के द्वारा, ऑफ-कैंपस और नेटवर्किंग कार्यक्रमों के रूप में कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, "प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी)" कार्यक्रमों की एक श्रृंखला भी एसआईआरडीपीआर/ ईटीसी के संकाय सदस्यों और राज्य तथा जिला स्तर के स्रोत व्यक्तियों और मास्टर प्रशिक्षकों के लिए "क्रमिकवार पद्धति" में क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए तैयार की गई थी।

2.4. प्रशिक्षण प्रविधियां

दिए गए प्रशिक्षण की विविध प्रकृति और प्रतिभागियों के भिन्न प्रोफाइल और प्रशिक्षण की ऑनलाइन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, विविध और उपयुक्त प्रशिक्षण विधियों का उपयोग किया गया था। इनमें से कुछ विधियों में व्याख्यान-सह-चर्चा, मामला अध्ययन, समूह चर्चा, पैनल चर्चा, अभ्यास और व्यावहारिक सत्र (प्रदर्शन), सफलता की कहानियां आदि शामिल हैं। प्रशिक्षण क्रियाविधि के भाग के रूप में स्रोत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुतियां, आंतरिक और बाहरी दोनों में, तथा प्रतिभागियों के साथ अनुभवों और बातचीत को साझा करने की सुविधा प्रदान की जाती है।

2.5. प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार उपाय समिति (टीक्यूआईएमसी)

प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के गुणात्मक पहलुओं में सुधार के उपाय करना हमेशा संस्थान की प्राथमिकता रही है। इस संबंध में, पाठ्यक्रम डिजाइन और सामग्री की जांच करने तथा कार्यक्रमों में सुधार के उपायों का सुझाव देने के लिए आंतरिक और बाहरी विषय विशेषज्ञों के सदस्यों के साथ प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार उपाय समिति (टीक्यूआईएमसी) का गठन किया गया था। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में लगातार सुधार करने के लिए स्कूल स्तर पर टीक्यूआईएमसी की तिमाही में एक बार बैठक होती है।

2.6. प्रशिक्षण कार्यक्रम: 2020-21

देश में कोविड-19 महामारी के कारण, अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान कुल 1018 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष में संस्थान के इतिहास में प्रतिभागियों की सबसे अधिक संख्या 96673 देखी गई। राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और एसआईआरडीपीआर, ईटीसी तथा अन्य आरडी एवं पीआर संस्थानों के संकाय सदस्यों का क्षमता विकास करने के लिए, एनआईआरडीपीआर और इसके क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा 54 ऑफ-कैंपस कार्यक्रम और 95 ऑफ़लाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। सीआईएटी एवं एसजे ने परामर्श सह मार्गदर्शन केंद्र (सीजीसी) वैशाली में 5 कार्यक्रम आयोजित किए। कुल 1018 कार्यक्रमों में से 85 कार्यक्रमों का आयोजन कोविड-19 पर जागरूकता सृजन करने पर केंद्रित थे। प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का औसत स्कोर 83 प्रतिशत था।

संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का श्रेणीवार विवरण नीचे सारणी - 2.1 में प्रस्तुत किया गया है:

सारणी - 2.1: 2020-21 में आयोजित कार्यक्रमों के प्रकार :

क्र.सं.	प्रकार	एनआईआरडी पीआर	एनआईआरडीपीआर - एनईआरसी	कुल
1	प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाईन)	549	85	634
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम ((ऑफलाईन))	91	4	95
3	प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑफ कैंपस)	49	5	54
4	कार्यशालायें और सेमिनार	217	7	224
5	अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम	6	3	9
6	नेटवर्किंग कार्यक्रम	2	0	2
	कुल	**914**	**104**	**1018**

2.7. प्रतिभागियों की रूपरेखा

जैसा कि तालिका 2.2 से देखा गया है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वालों में अधिकांश सहभागी सरकारी अधिकारी (28.96%) थे, जिसके बाद पीआरआई (28.39%) थे। आगे, अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) और अन्य जैसे स्वयं सहायता समूहों, किसानों और युवाओं के प्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या भी समूह में सम्मिलित थी, जो संगठन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए।

2.8. राज्यवार भागीदारी

नीचे दिए गए ग्राफ-1 में देखा जा सकता है कि तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों ने एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ उठाया है। उनके बाद छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र का स्थान है। संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कुल प्रतिभागियों का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा इन राज्यों से था ।अन्य राज्यों को एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है (ग्राफ 2.1)

सारणी - 2.2: प्रतिभागियों की रूपरेखा

क्र.सं.	श्रेणी	एनआईआरडीपीआर	एनईआरसी	कुल
1	सरकारी पदाधिकारी	23168	4833	28001
2	वित्तीय संस्थायें	155	4	159
3	पीआरआई	17570	9877	27447
4	एनजीओ एवं सीबीओ	4874	195	5069
5	राष्ट्रीय और राज्य अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	18504	320	18824
6	विश्वविद्यालय एवं कॉलेज	1251	1148	2399
7	अंतरराष्ट्रीय	381	107	488
8	अन्य हितधारक	12377	1818	14195
9	नेटवर्किंग कार्यक्रम	91	0	91
	कुल	**78371**	**18302**	**96673**

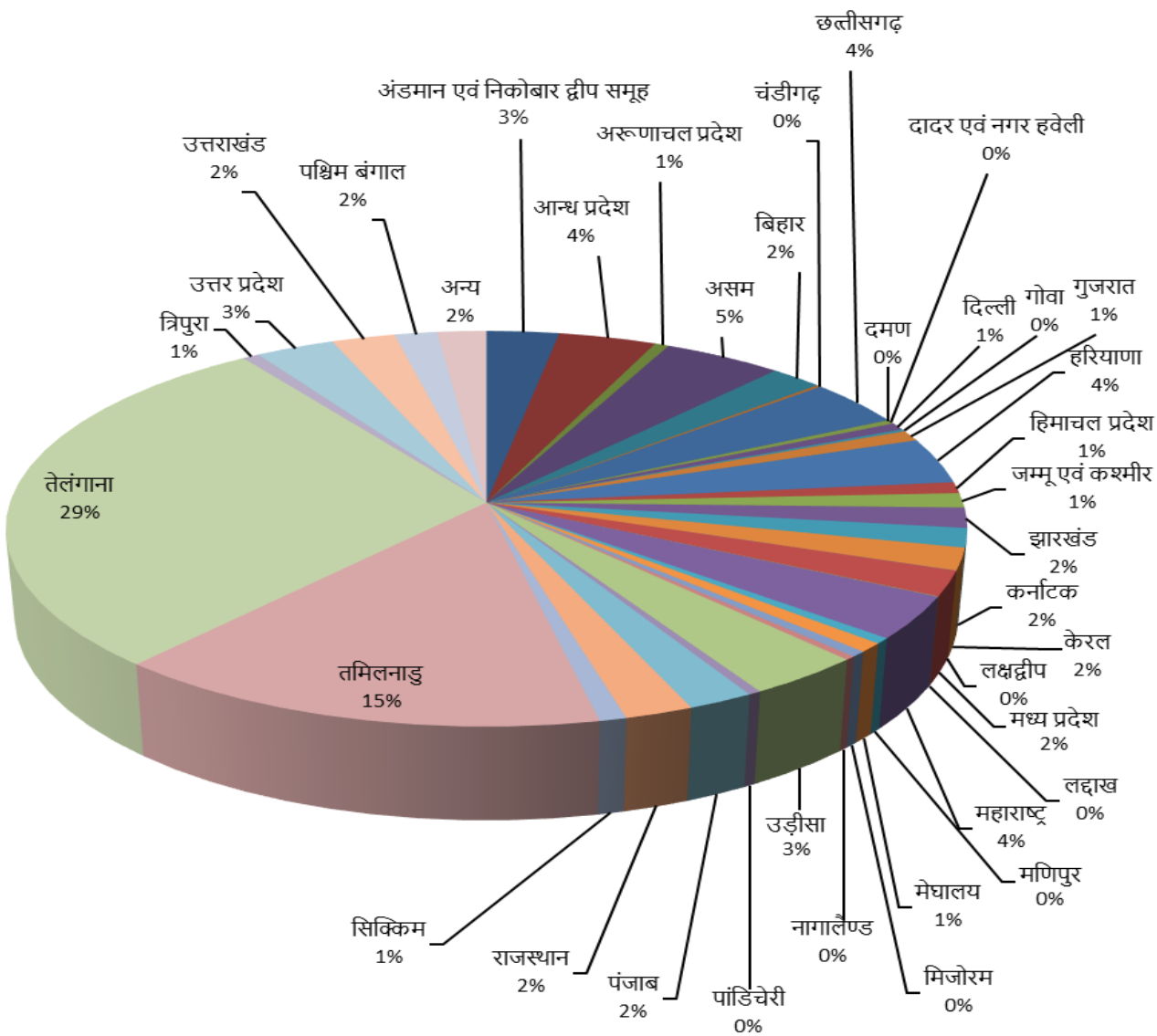

ग्राफ 2.1: एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राज्यवार सहभागिता

एनआईआरडीपीआर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा श्रेणीवार एवं महीनेवार एनआईआरडीपीआर मुख्यालय एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी दोनों के प्रतिभागियों की विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट - 1** में दी गयी है ।

2.9. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जेंडर संवितरण

एनआईआरडीपीआर ऐसे कार्यक्रमों को डिजाइन करने में ठोस प्रयास करता है जो प्रकृति में जेंडर-तटस्थ हैं। कार्यक्रम पुरुष और महिला दोनों प्रतिभागियों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए थे।

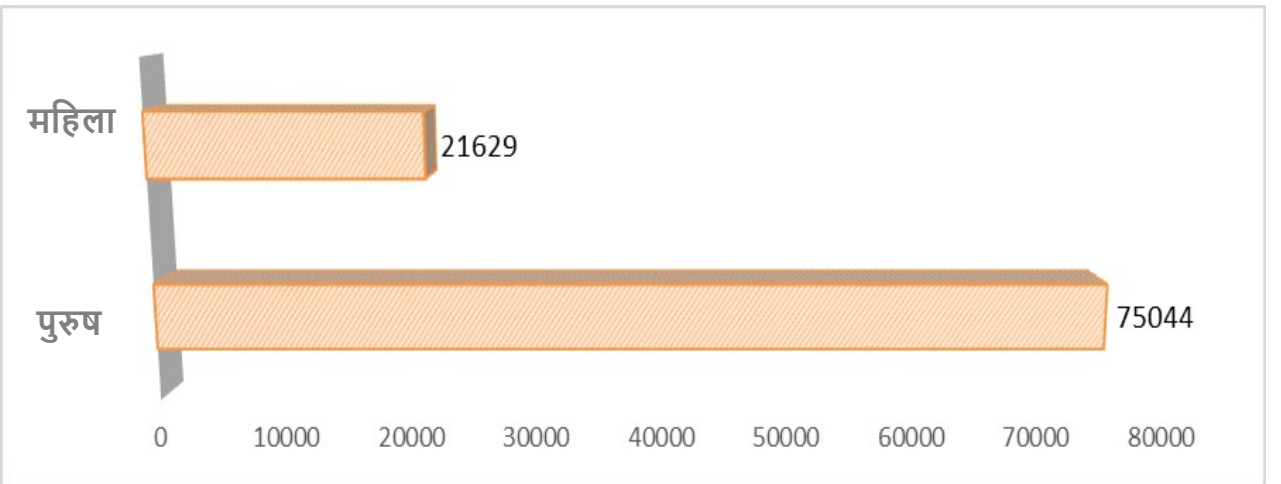

ग्राफ-2.2: प्रतिभागियों का जेंडर-वार विवरण

उपरोक्त ग्राफ-2.2 से पता चलता है कि पुरुषों की भागीदारी तुलनात्मक रूप से अधिक थी क्योंकि ऐसे कई विषयगत क्षेत्र हैं जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की उपस्थिति तुलनात्मक रूप से कम है।

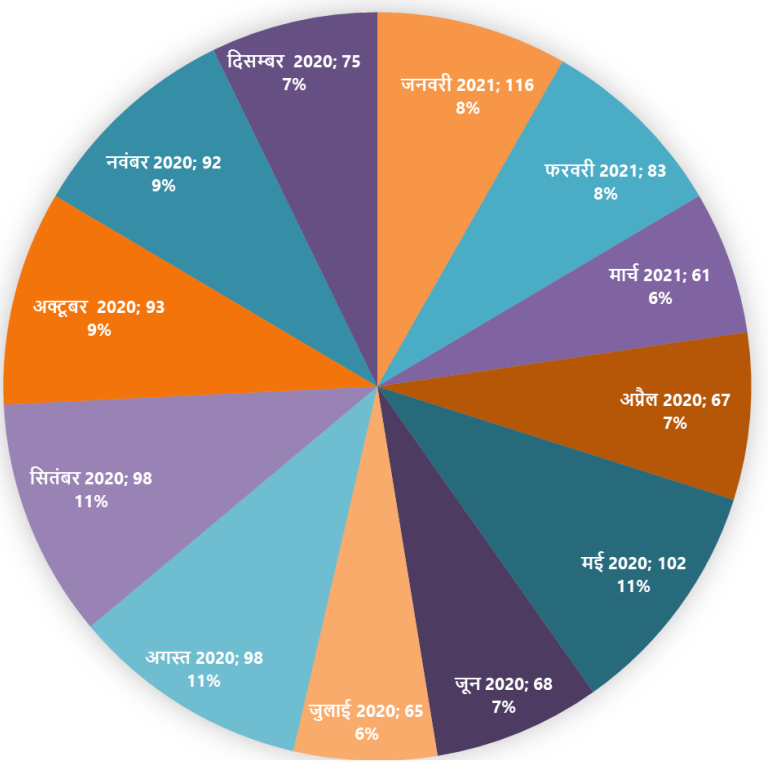

ग्राफ-2.3: एनआईआरडीपीआर के कार्यक्रमों का महीने-वार वितरण

2.10. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विषय-वस्तु

कार्यक्रमों का समग्र उद्देश्य ग्रामीण लोगों के सशक्तिकरण द्वारा आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को एकीकृत करते हुए सतत ग्रामीण विकास को सुगम बनाना है। उभरते ग्रामीण परिदृश्य के संदर्भ में विकास पेशेवरों के क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विषयों की योजना बनाई गई है। वर्तमान में चल रहे ग्रामीण विकास प्रमुख कार्यक्रमों की प्रभावी योजना और प्रबंधन तथा पीआरआई पदाधिकारियों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के मुख्य विषयों में ग्रामीण आजीविका और सूक्ष्म उद्यम, ग्राम पंचायत विकास योजना, अभिसरण, सामाजिक लेखापरीक्षा, सुशासन, ग्रामीण ऋण प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण विकास के लिए जीआईएस और आईसीटी प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग आदि शामिल हैं। डीडीयू जीकेवाई, डीएवाई-एनआरएलएम आदि जैसे प्रमुख कार्यक्रमों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने और समय-समय पर उभरने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विषयवार विस्तृत जानकारी को सारणी 2.3 में प्रस्तुत की गयी है:

सारणी - 2.3: विषयवार कार्यक्रम

क्र.सं.	विषय	कुल
1	निर्धनता कम करना और आजीविकायें	679
2	पीआरआई को प्रभावी बनाना	68
3	शासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता	106
4	प्राकृतिक संसाधन प्रबंध	40
5	जवाबदेही प्रशासन का निर्माण	45
6	ग्रामीण विकास में नवाचार एवं श्रेष्ठ पद्धतियां	43
7	सहभागी योजना एवं विकेन्द्रीकरण	2
8	जेंडर बजटिंग एवं जवाबदेही शासन	7
9	ग्रामीण सूक्ष्म उद्यम	9
10	समुदाय सशक्तिकरण	19
	कुल	**1018**

2.11. कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण विषय

वर्ष के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के महत्वपूर्ण विषयों का नमूना **परिशिष्ट - IX** में दिया गया है ।

2.12. क्षेत्रीय ऑफ-कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और एसआईआरडी, ईटीसी और अन्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थानों के संकाय सदस्यों की क्षमता का निर्माण करने के लिए, एनआईआरडीपीआर और इसके क्षेत्रीय केंद्र द्वारा 54 ऑफ-कैंपस कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

2.13. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

विकासशील देशों के लाभ के लिए भारतीय अनुभव साझा करने के प्रयासों के भाग के रूप में, संस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज के विभिन्न विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये कार्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) और अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (आरडो) के सहयोग से आयोजित किए गए थे।

एनआईआरडीपीआर के अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ऑनलाइन मोड में आयोजित किए गए थे, और कुल 488 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रतिभागी मुख्य रूप से अल्जीरिया, बांग्लादेश, मिस्र, लेबनान, घाना, मॉरीशस, मलेशिया, मोरक्को, नामीबिया, सूडान,

श्रीलंका, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, सीरिया जैसे एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी के विकासशील देशों से थे। कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रतिभागियों का विवरण ग्राफ 2.4 में प्रस्तुत किया गया है।

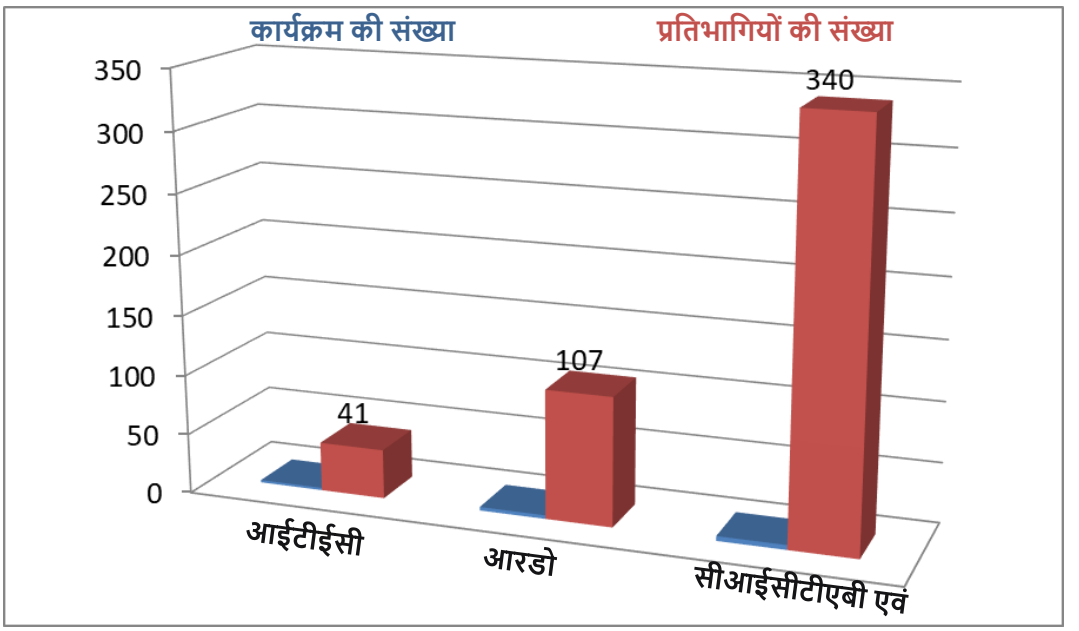

ग्राफ 2.4: अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (2020-21) : 9 कार्यक्रम / 488 प्रतिभागी

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के विषयों के विवरण को **परिशिष्ट-X** में दिया गया है।

2.14. गत वर्षों के दौरान प्रशिक्षण प्रदर्शन

2016-17 से शुरू होकर पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रशिक्षण प्रदर्शन को ग्राफ 2.3 में दर्शाया गया है। कोविड-19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण, अधिकांश कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए गए। हालांकि, पिछले सभी वर्षों की तुलना में प्रतिभागियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जैसा कि ग्राफ से स्पष्ट है, पिछले कुछ वर्षों में प्रदर्शन में लगातार सुधार हुआ है। यह वृद्धि मुख्य रूप से फ्लैगशिप कार्यक्रमों, विशेष रूप से डीएवाई-एनआरएलएम और डीडीयू-जीकेवाई पर प्रशिक्षण पर बढ़ते फोकस के कारण हुई है।

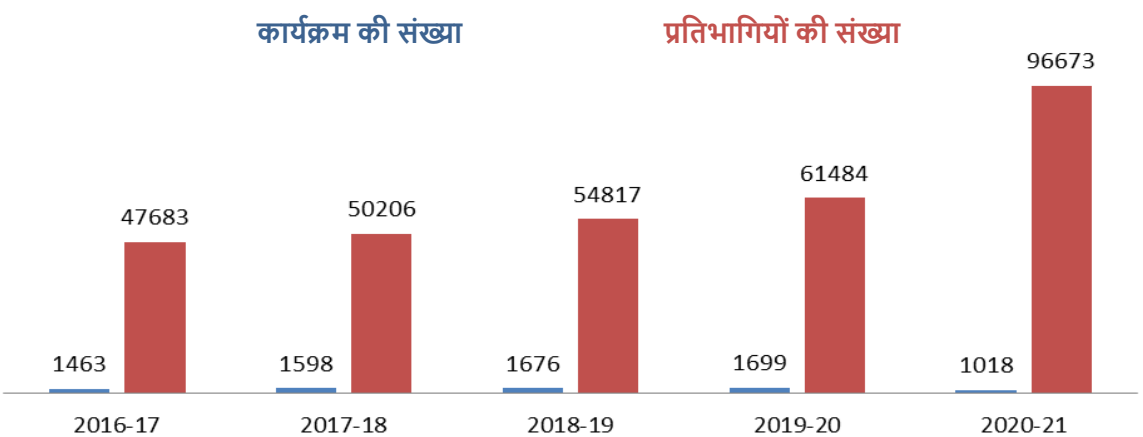

ग्राफ 2.5: पिछले 5 वर्षों के लिए प्रशिक्षण प्रदर्शन

2.15. प्रशिक्षण प्रदर्शन - स्कूल-वार

संस्थान के विभिन्न स्कूलों/ केंद्रों के प्रशिक्षण प्रदर्शन को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। यह देखा गया कि ग्रामीण आजीविका एवं आधारभूत संरचना स्कूल ने अन्य स्कूलों की तुलना में अधिक संख्या में कार्यक्रम आयोजित किए हैं। स्कूल-वार प्रदर्शन का विवरण सारणी 2.4 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 2.4: स्कूल-वार कार्यक्रम

क्र.सं.	स्कूल	कार्यक्रमों की संख्या
1	विकास अध्ययन एवं सामाजिक न्याय स्कूल	53
2	ग्रामीण आजीविकायें एवं अवसंरचना स्कूल	530
3	सततयोग्य विकास स्कूल	12
4	लोक नीति एवं सु-शासन स्कूल	88
5	स्थानीय शासन स्कूल	64
6	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान प्रणाली स्कूल	133
7	व्यावसायिक समर्थन केन्द्र	10
8	जवाबदेहिता और पारदर्शिता स्कूल	22
9	एनईआरसी	104
10	नेटवर्किंग	2
	कुल	**1018**

सारणी 2.4 से स्पष्ट है कि ग्रामीण आजीविका और अधारभूत संरचना स्कूल ने वित्त वर्ष 2020-21 में एनआईआरडीपीआर के कुल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आधे से अधिक का संचालन किया है।

2.16. प्रशिक्षण प्रतिक्रिया

प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) और गूगल फॉर्म का उपयोग करके पांच-बिंदु पैमाने पर ई-मूल्यांकन के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। इसका मूल्यांकन प्रशिक्षण डिजाइन, विषय, प्रशिक्षण विधियों, प्रशिक्षण सामग्री, वक्ताओं की प्रभावशीलता आदि जैसे घटकों के संदर्भ में किया जाता है ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा सकें। 2020-21 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कुल औसत स्कोर 83 प्रतिशत था।

अध्याय 3
अनुसंधान एवं परामर्शी

समय-समय पर उभर रहे ग्रामीण विकास के मुद्दों को समझने और ग्रामीण विकास की सर्वोत्तम पद्धतियों से सीखने के लिए अनुसंधान एनआईआरडीपीआर की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। संस्थान द्वारा की गई अनुसंधान गतिविधियां ग्रामीण विकास हस्तक्षेपों का एक डेटाबेस बनाने में भी मदद करती हैं और डेटा का विस्तृत विश्लेषण नीति हस्तक्षेपों के लिए उपयोगी है। अनुसंधान एनआईआरडीपीआर के क्षमता निर्माण प्रयासों का आधार भी है।

3.1 अनुसंधान की श्रेणियाँ

समाधान किए जाने वाले गुणात्मक और मात्रात्मक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, अनुसंधान गतिविधियों को अनुसंधान अध्ययन, मामला अध्ययन, सहयोगी अध्ययन, कार्य अनुसंधान एवं ग्राम अभिग्रहण और परामर्शी अध्ययन की व्यापक श्रेणियों में परिभाषित किया गया है। संस्थान के संकाय सदस्यों द्वारा ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित विषयों पर अनुसंधान गतिविधियां संचालित की जाती हैं। अनुसंधान अध्ययनों की व्यवहार्यता का परीक्षण करने और नीति सिफारिशों के परिणामों का आकलन करने के लिए कार्य अनुसंधान किया जाता है। मामला अध्ययन सफल ग्रामीण विकास पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करती है जिसमें विशिष्ट प्रशिक्षण मूल्य और पुनरावृति की गुंजाइश होती है। एसआईआरडीपीआर/ ईटीसी, राष्ट्रीय संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों आदि के साथ संकाय सदस्यों द्वारा सहयोगी अध्ययन किए जाते हैं। कार्य अनुसन्धान, ग्रामीण विकास प्रयासों को बढ़ावा देते हुए अनुसंधानकर्ताओं को जमीनी स्तर पर समस्याओं के निकट ले जाने का प्रयास करता है।

संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता और भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों, अन्य संगठनों द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को देखते हुए संस्थान द्वारा विभिन्न परामर्शी अध्ययन भी किए जाते हैं।

3.2 वर्ष 2020-21 में आयोजित अनुसंधान अध्ययन

2020-21 में विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 60 अनुसंधान अध्ययन (पिछले वर्षों के 58 चल रहे प्रस्तावों सहित) आयोजित किए गए। अनुसंधान अध्ययन, मामला अध्ययन और सहयोगी अध्ययन का विवरण **परिशिष्ट II-IV** में दिया गया है। चूंकि अनुसंधान अध्ययनों की अवधि वित्तीय वर्ष के दौरान होती है, इसलिए संदर्भाधीन वर्ष के दौरान संपूरित अध्ययनों में पिछले वर्षों के दौरान शुरू किए गए अध्ययनों के साथ-साथ वर्तमान वर्ष में किए गए कुछ अध्ययन शामिल हैं।

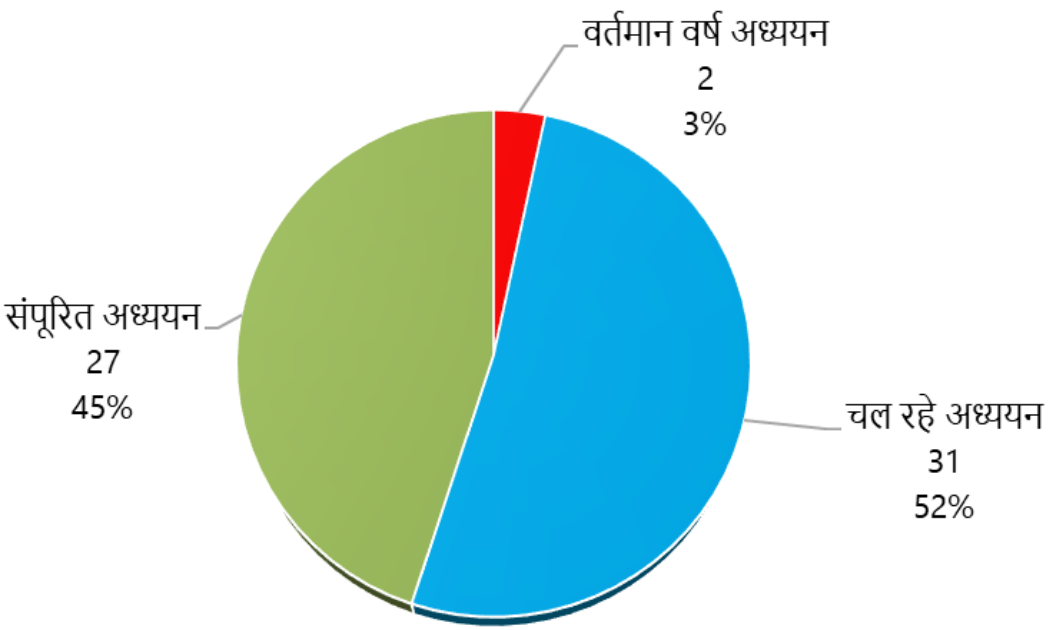

ग्राफ 3.1: 2020-21 में अनुसंधान अध्ययन की स्थिति

3.2.1 अनुसंधान विषय और फोकस क्षेत्र

अनुसंधान के मुख्य विषयगत क्षेत्र हैं - कृषि और विपणन, प्रशिक्षण दक्षता का मूल्यांकन, वित्तीय विकेंद्रीकरण, लिंग, सुशासन, शासन और नीति विश्लेषण, मानव संसाधन विकास, आईसीटी और स्थानीय शासन में ई-शासन, आजीविका, मनरेगा, मनरेगा फ्लैगशिप कार्यक्रम, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, ग्रामीण आजीविका, सामाजिक विकास, सतत ग्रामीण आजीविका, स्वच्छ भारत, आदिवासी विकास और पोषण।

3.2.2 अनुसंधान अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

क) ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी में स्थिति, प्रक्रियाएं, समस्याएं और पंचायत सेवा वितरण पर इसका प्रभाव और जीपीडीपी को और मजबूत करने के लिए भावी कार्य – डॉ. चिन्नादुरई

इस शोध का मुख्य उद्देश्य जीपीडीपी तैयार करते समय हस्तांतरण की स्थिति, लोगों की भागीदारी, अभिसरण के स्तर, प्रक्रियाओं और समस्याओं को समझना है। यह अध्ययन 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया था। अध्ययन के क्षेत्र आधारित साक्ष्य स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि, जीपीडीपी का मिशन अधिनियम के अनुसार नहीं हो रहा है। जीपीडीपी एक इच्छा सूची तैयार करने के लिए एक औपचारिक अभ्यास है और पंचायत की वार्षिक गतिविधियों को केवल केंद्रीय और राज्य वित्त आयोगों के तहत धन प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्रित किया गया था। इस संबंध में, यह अनुशंसा की जाती है कि चुने हुए प्रतिनिधियों, अधिकारियों और लोगों के लिए जीपीडीपी के महत्व, आवश्यकता और प्रासंगिकता पर सभी हितधारकों के लिए उपयुक्त संवेदीकरण की आवश्यकता है।

आंध्र प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और अंडमान - निकोबार में जीपी में पर्याप्त मानव संसाधन हैं, विशेषकर एपी और सिक्किम में विभिन्न विकास गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए विषय विशेषज्ञ हैं, इसलिए वे राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल एक व्यक्ति जिसे 'पंचायत सचिव' कहा जाता है, वह कई योजनाओं और नियमित प्रशासनिक कार्यों और नागरिक उन्मुख सेवाओं के साथ-साथ देखने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन, पंजाब, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में कई कार्यों को करने के लिए जनशक्ति नहीं है। कई मामलों में, एक व्यक्ति को एक से अधिक पंचायतों का प्रभार लेना पड़ता है। पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में एक पंचायत सचिव 10 से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यभार संभाल रहे हैं। मणिपुर के मामले में अधिकांश ग्राम पंचायतों और पंजाब में लगभग 50% के पास कार्यालय भवन नहीं है।

स्थानीय संस्थाओं को नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने में प्रोत्साहित करने और सक्षम बनाने की आवश्यकता है। पंचायत के भीतर कार्यरत स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, क्षेत्रीय विभागों, गैर सरकारी संगठनों, सीबीओ, युवा, महिला और किसान संघों आदि जैसे संस्थानों को जीपीडीपी की तैयारी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है।

ख) बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया: भारत में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बच्चों के अधिकारों और जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने के लिए रणनीतियों और दृष्टिकोणों को समझने के लिए एक अध्ययन - डॉ. एन. वी. माधुरी और सुश्री बिजिता देव शर्मा।

यह शोध कोविड-19 महामारी की स्थिति में बच्चों की जरूरतों और अधिकारों के लिए भारत की आपातकालीन प्रतिक्रिया के संबंध में स्थिति को समझने का प्रयास करता है। यह अध्ययन एक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करता है और (1) राज्य और राष्ट्रीय सरकारों द्वारा उन योजनाओं को लागू करने में उपयोग की जाने वाली रणनीतियों और दृष्टिकोणों को उजागर करने का प्रयास करता है जो विशेष रूप से बाल-विशिष्ट सेवाओं को संबोधित करने पर केंद्रित हैं और (2) आईएनजीओ, एनजीओ और सीएसओ द्वारा नियोजित आपातकालीन प्रतिक्रिया रणनीतियों की पहचान करना और उनका दस्तावेजीकरण करना जो बाल अधिकारों के मुद्दों पर विशेषकर ग्राम पंचायतों और बड़े पैमाने पर प्रवास के परिणामस्वरूप सामने आने वाली चिंताओं और उनकी प्रतिक्रिया के संदर्भ में काम करते हैं। यह आशा की जाती है कि इस तरह के दृष्टिकोणों के दस्तावेज़ीकरण से आगे की बिंदुओं में मदद मिलेगी जैसे (क) दृष्टिकोणों का एक भंडार बनाने में मदद मिलेगी जिसे संभवतः बच्चों के लिए किसी भी भविष्य के आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्य के लिए संदर्भित किया जा सकता है, (ख) बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य से आपातकालीन प्रतिक्रिया में अच्छी पद्धतियों को अपनाने में मदद करता है और (ग) ज्ञान साझा करने और निष्कर्षों के प्रसार के माध्यम से बाल अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वालों और अन्य संगठनों को लाभान्वित करता है।

अध्ययन प्राथमिक रूप से माध्यमिक शोध पर आधारित है और इस तरह साहित्य समीक्षा सूचना संग्रह के लिए मुख्य पद्धति रही है। हालांकि, साहित्य समीक्षा के अलावा, अध्ययन ने एनजीओ प्रमुखों और प्रमुख कर्मियों के साथ टेलीफोनिक साक्षात्कार के माध्यम से प्राथमिक डेटा संग्रह भी किया है ताकि भारत में कोविड-19 और उसके बाद के लॉकडाउन के दौरान बच्चों की सेवाओं के संबंध में सामना किए गए तत्काल चुनौतियों का जवाब देने के लिए उपयोग किए गए प्रमुख रणनीतियों का प्रत्यक्ष विवरण प्राप्त किया जा सके।

कोविड महामारी के सामने, भारत सरकार ने कुछ आपातकालीन कदम उठाने की कोशिश की, जो विशेष रूप से बच्चों पर केंद्रित थे ताकि यह

सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन की अवधि के दौरान और उसके बाद भी निर्बाध रूप से उपलब्ध हों। सरकार ने महामारी के दौरान उत्पन्न होने वाली आपातकालीन स्थिति में भाग लेने के लिए कई बाल-केंद्रित प्रतिक्रियाएं भी रखीं। बच्चों की तत्काल जरूरतों के संबंध में भारत में विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए आईसीडीएस के तहत भोजन और पोषण जैसे कुछ लॉकडाउन के दौरान और बाद में भी काम कर रहे थे। हालांकि मानव संपर्क को कम करने के लिए भोजन वितरण के पैटर्न को बदल दिया गया था। पके हुए भोजन के स्थान पर सूखे राशन जैसे गेहूं, दाल और चावल को घर-घर वितरण किया गया और 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता को राशन सौंपा गया।

मार्च में देशव्यापी लाकडाऊन की घोषणा के बाद स्कूलों और कॉलेजों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाने से शिक्षा और शिक्षण सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई। दीक्षा जैसे ई-पोर्टल जो छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए ई-सामग्री का भंडार है जिसे एनईसीआरटी पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा गया और सीबीएसई बोर्ड के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है; ई-पाठशाला, एनसीईआरटी द्वारा ग्रेड 1 से 12 के लिए कई भाषाओं में विकसित एक शिक्षण ऐप जिसमें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के उद्देश्य से किताबें, वीडियो, ऑडियो आदि शामिल हैं; स्वयं प्रभा जो एक पहल है जिसमें 32 डीटीएच टीवी चैनल 24 x 7 आधार पर शैक्षिक सामग्री प्रसारित कर रहे हैं। ये चैनल डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स और एंटीना का उपयोग करके पूरे देश में देखने के लिए उपलब्ध हैं। चैनल शेड्यूल और अन्य विवरण पोर्टल में उपलब्ध हैं। चैनल कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा और कृषि में स्कूली शिक्षा (कक्षा 9 से 12) और उच्च शिक्षा (स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग स्कूल से बाहर के बच्चे, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण) दोनों को कवर करते हैं ।

देश में बाल श्रम, बाल विवाह और बाल तस्करी के संबंध में मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, कई नागरिक समाज संगठन और कार्यकर्ता एक साथ आए और स्थिति को संबोधित करने में भारत सरकार को सामान्य के साथ-साथ विशिष्ट सिफारिशों के साथ एक नीति का संक्षिप्त विवरण दिया। सिफारिश में बाल संरक्षण पहल, चाइल्डकैअर सुविधाओं और आश्रय के लिए धन बढ़ाने की आवश्यकता पर नीति निर्देश थे ताकि कमजोर बच्चों की देखभाल की जा सके, सभी जिलों में मुख्य बाल संरक्षण सेवाओं को संस्थागत बनाना, बच्चों के प्रति हिंसा की रिपोर्ट करने के साथ-साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और देखभाल करने वालों की सुरक्षा और भलाई के लिए सिस्टम जिन्हें आईसीडीएस के तहत 'आवश्यक सेवा' के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

भारत ने अराजकता के बीच व्यवहार्यता को दर्शाया है और लगातार अनुकूलन और नवाचार करने की कोशिश की है। कुछ प्रथाएं जैसे यूनिसेफ इंडिया द्वारा साझा की गई केंद्रित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए 'बहुपक्षीय मंच दृष्टिकोण' का उपयोग करना, या भारत सरकार द्वारा ई-पाठशाला और स्वयं प्रभा जैसे अभिनव मीडिया के माध्यम से डिजिटल कक्षाओं की शुरुआत ऐसे कुछ अच्छी अनुकूली प्रथाए है जिन्हें अपनाया गया और इनको भविष्य में संस्थागत रूप दिया जा सकता है।

ग) एमजीएनआरईजीएस में सामाजिक लेखापरीक्षा के माध्यम से पहचानी गई अनियमितताओं का विश्लेषण

- डॉ. सी.धीरजा

यह अध्ययन यह समझने के लिए किया गया था कि सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन से किस प्रकार के मुद्दे/ अनियमितताएं/ दुरुपयोग/ भ्रष्टाचार प्रथाएं उभर रही हैं और उपचारात्मक उपाय कितने प्रभावी हैं और वे एमजीएनआरईजीएस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कैसे नेतृत्व कर रहे हैं। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए एमजीएनआरईजीएस के सामाजिक लेखापरीक्षा में पहचाने गए मुद्दों/ अनियमितताओं से संबंधित डेटा एसएयू और एमजीएनआरईजीएस एमआईएस से लिया गया है। प्रत्येक राज्य से 10-15 अनियमितताओं की पहचान सबसे अधिक हेराफेरी की गई राशि के आधार पर की गई थी और विभिन्न हितधारकों के साक्षात्कार के साथ-साथ कार्य स्थलों पर जाकर एक विस्तृत मामले का दस्तावेजीकरण किया गया था। एमजीएनआरईजीएस सामाजिक लेखापरीक्षा एमआईएस से सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का डेटा लेकर तीन साल (2017-2020) के ट्रेंड विश्लेषण को कैप्चर किया गया था।

अध्ययन 3 राज्यों में किया गया था जहां सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों द्वारा अच्छी संख्या में मुद्दों/अनियमितताओं की पहचान की गई थी। राज्य हैं 1) झारखंड, 2) तेलंगाना और 3) आंध्र प्रदेश। यह पाया गया कि वित्तीय हेराफेरी वित्त वर्ष 17-18 में 29% से घटकर वित्त वर्ष 19-20 में 21% हो गई थी। वित्त वर्ष 17-18 में शिकायतें भी 21% से घटकर वित्त वर्ष 19-20 में 14% हो गईं। वित्तीय विचलन वित्त वर्ष 17-18 में 18% से बढ़कर वित्त वर्ष 19-20 में 22% हो गया था और वित्त वर्ष 19-20 में प्रक्रिया उल्लंघन 32% से बढ़कर 43% हो गया था। प्रक्रिया उल्लंघन के तहत अक्सर रिपोर्ट किए गए मुद्दे हैं, रोजगार दिवस नियमित आधार पर आयोजित नहीं किया गया था, नागरिक सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए थे, श्रमिकों को वेतन पर्ची जारी नहीं की गई थी, कार्य आवेदन एकत्र करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी, कार्यस्थल सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थीं, मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था। विलंबित वेतन और बेरोजगारी भत्ता आदि के लिए।

शिकायतों के तहत बार-बार दोहराए जाने वाले मुद्दे मजदूरी भुगतान, जॉब कार्ड और कार्य स्थल सुविधाओं आदि से संबंधित हैं। वित्त वर्ष 17-20 के लिए रिपोर्ट किए गए 15,75,134 कुल मुद्दों में से 3, 53,536 मुद्दों को बंद कर दिया गया था और यह 22% था। वित्त वर्ष 2017-20 के लिए रिपोर्ट किए गए 3,69,606 वित्तीय हेराफेरी मुद्दों में से 60,287 मुद्दों

को बंद कर दिया गया और यह 16% हो गया।

निष्कर्षों के आधार पर, अध्ययन से पता चलता है कि सामाजिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। सामाजिक लेखापरीक्षा केवल वित्तीय अंकेक्षण तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, शिकायत निवारण के साथ-साथ हकदारिता और अधिकारों पर वेतन चाहने वालों के लिए जागरूकता पैदा करना भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। स्त्रोत व्यक्तियों को साक्ष्य संग्रह के साथ मुद्दों के उचित दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। कुछ मामलों में, स्त्रोत व्यक्तियों ने आंशिक जानकारी की सूचना दी है जिसके कारण पीठासीन अधिकारी द्वारा जन सुनवाई में इस मुद्दे को आसानी से छोड़ दिया जाता है। नीति के रूप में 5% लेखापरीक्षाओं की नमूना जांच की जानी है। इससे स्त्रोत व्यक्ति जागरूक होंगे और लेखापरीक्षा करेंगे। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को एक स्वतंत्र समिति बनानी चाहिए जिसमें आरडी के अधिकारी, एसएयू प्रतिनिधि, नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हों, ताकि फास्ट ट्रैक आधार पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की जा सके।

घ) भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसई द्वारा वित्त तक पहुंच और एमएसई क्षेत्र पर इसका प्रभाव - डॉ. एम. श्रीकांत

यदि किसान राष्ट्र को खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीपीडी), रोजगार और निर्यात में योगदान करते हैं। एमएसई को औपचारिक पंजीकरण की कमी, अपर्याप्त और असामयिक ऋण, विलंबित प्राप्य, तकनीकी अप्रचलन, नगण्य बाजार लिंकेज, निकास नीति की अनुपस्थिति आदि जैसे विरासत के मुद्दों का सामना करना पड़ता है। सभी चुनौतियों में से, वित्त तक पहुंच प्रमुख मुद्दा है जिसका एमएसई द्वारा सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, एमएसई ने अपनी बहियों पर प्राप्य राशियों में काफी देरी की है जो उनके कार्यशील पूंजी चक्र को बढ़ाते हैं और उनकी ब्याज लागत में काफी वृद्धि करते हैं। यद्यपि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 यह निर्धारित करता है कि खरीदार को 45 दिनों के भीतर इन फर्मों को भुगतान करना होगा, लगभग सभी एमएसई प्राप्त करने के अंत में हैं और उनके सौदेबाजी की शक्ति कम होने के कारण उनकी प्राप्य राशि एकत्र करने में अत्यधिक देरी का सामना करना पड़ता है। मार्च, 2020 में एसआईडीबीआई द्वारा वित्त पोषित उद्यमिता विकास एवं वित्तीय समावेशन केंद्र (सीईडीएफआई), एनआईआरडीपीआर, भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करते समय एमएसई द्वारा अनुभव किए जा रहे प्रमुख अवरोधों और औपचारिक संस्थाओं में परिवर्तित होने में इन फर्मों की बाधाओं की जांच करेगी।

प्रायोगिक अध्ययन करने के बाद, अनुसंधान विषय पर समग्र दृष्टिकोण लाने के लिए एमएसई से संबंधित प्राथमिक और साथ ही माध्यमिक डेटा एकत्र किया गया है। इसके अलावा, अध्ययन ने वित्त तक पहुंच की स्थिति को दर्शाते हुए एमएसई पर कुछ मामला अध्ययनो का दस्तावेजीकरण किया है। देश के चार अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्तर प्रदेश (उत्तर), पश्चिम बंगाल (पूर्व), महाराष्ट्र (पश्चिम) और तेलंगाना (दक्षिण) से प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए गए थे। 214 एमएसई उद्यमियों और 52 हितधारकों पर साक्षात्कार अनुसूचियां प्रशासित की गईं।

नमूने में 87.38 प्रतिशत पुरुष उद्यमी और 12.62 प्रतिशत महिला उद्यमी शामिल हैं। अधिकांश उद्यमों (51.40 प्रतिशत) का स्वामित्व सामान्य वर्ग के पास था और उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग (40.19 प्रतिशत) का स्वामित्व था। अधिकांश उद्यमियों (66 प्रतिशत) ने उच्च शिक्षा अर्थात डिग्री और उससे ऊपर की पढ़ाई अर्जित किए हुए थे। नमूने (73 प्रतिशत) का एक बड़ा हिस्सा पहली पीढ़ी के उद्यमी थे और अधिकांश उद्यमी (72 प्रतिशत) 5 साल से अधिक समय से अपना उद्यम चला रहे थे। जबकि नमूने के 64 प्रतिशत उद्यम विनिर्माण क्षेत्र में थे और 36 प्रतिशत उद्यम सेवाओं में लगे हुए थे। नमूने के कुल 13 प्रतिशत उद्यमी स्वयं सहायता समूह के सदस्य थे।

प्राथमिक आंकड़ों से, हमने पाया कि 10 एमएसई में से नौ कार्यशील पूंजी के साथ-साथ सावधि ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर थे। वास्तव में, ये ऋण उच्च लागत वाले फंड थे और उनकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। क्षेत्रीय सर्वेक्षण से यह देखा गया है कि नमूने में आधे से अधिक एमएसई अपंजीकृत संस्थाएं थीं और उन्होंने कभी भी ऋण की मंजूरी के लिए किसी बैंक/ वित्तीय संस्था से संपर्क नहीं किया था। एक तिहाई प्रतिदर्श उत्तरदाताओं ने कोई कर अदा नहीं किया है। हालांकि, नमूना उद्यमियों में से 57 प्रतिशत ने जीएसटी का भुगतान किया, 46 प्रतिशत ने आयकर का भुगतान किया। नमूने में मुख्य रूप से प्रोपराइटरशिप फर्म (72 फीसदी), और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां (15 फीसदी) शामिल थीं। नमूना किए गए एमएसई का केवल दसवां हिस्सा निर्यात में शामिल था। जबकि तीन-चौथाई एमएसई उत्तरदाताओं ने अपने व्यवसाय संचालन के लिए डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग किया, महाराष्ट्र के उद्यमी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक आर्थिक रूप से जानकार पाए गए। चार नमूना राज्यों में अधिकांश एमएसई ने औपचारिक बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से वित्त प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना किया है जैसे कि विभिन्न ऋण उत्पादों पर अपर्याप्त जानकारी, ऋण के लिए आवेदन करते समय क्रेडिट परामर्शदाताओं/ सलाहकारों की अनुपस्थिति, ऋण अधिकारियों का असहयोग, पर्याप्त ऋण की कमी, समय पर ऋण की अनुपलब्धता, संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थता, ऋणों पर उच्च ब्याज दर, और उस क्रम में ऋण स्वीकृत करते समय अपर्याप्त अधिस्थगन अवधि।

द्वितीयक आंकड़ों के अनुसार, सरकार द्वारा पिछले डेढ़ दशक के दौरान एमएसई के पंजीकरण की प्रक्रिया में तीन बार बदलाव किया गया, जिससे एमएसई भ्रमित हो गए। अध्ययन में पाया गया कि 2016 के बाद से शायद मुद्रा ऋण के तहत बढ़े हुए कवरेज के कारण ऋण के औसत आकार में एक धर्मनिरपेक्ष गिरावट आई है। 2015-16 से, यह घट रहा था और दिसंबर, 2020 तक 3,38,872 रुपये तक पहुंच गया था। यदि मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाए, तो ऋण के आकार में कमी, वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण है। 2015-16 में अनुमानित 6.34 करोड़ एमएसई में से, केवल 4.18 करोड़ (65.93 प्रतिशत) दिसंबर, 2020 तक औपचारिक संस्थागत वित्त का उपयोग कर सके। हालांकि, एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान एमएसई को एनबीएफसी क्रेडिट की उच्च वृद्धि दर है, यानी वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2020 के बीच 133 प्रतिशत। यह देखा गया है कि सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को ऋण की अपर्याप्तता का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें अन्य स्रोतों से 80 से 95 प्रतिशत तक धन की व्यवस्था करनी पड़ी, जो कि उच्च लागत वाले फंड हैं। इससे उनके प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ेगा।

यह भी देखा गया है कि वित्त वर्ष 2010 तक विनिर्माण क्षेत्र के अनुपात के रूप में सेवा क्षेत्र को ऋण 100 प्रतिशत से कम था और धीरे-धीरे यह वित्त वर्ष 2020 तक बढ़कर 220 प्रतिशत हो गया। हितधारकों, मुख्य रूप से बैंक अधिकारियों ने महसूस किया कि बैंक/ वित्तीय संस्थाएं एमएसई से ऋण आवेदनों को अस्वीकार कर देती हैं, जिसका मुख्य कारण एमएसई द्वारा कम नकदी प्रवाह उत्पन्न करना (78.85 प्रतिशत), संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थता (78.85 प्रतिशत), नहीं या कम क्रेडिट रेटिंग (75 प्रतिशत), उनके उत्पादों/ सेवाओं के लिए पर्याप्त बाजार संपर्क की कमी (75 प्रतिशत), मार्जिन मनी की आवश्यकता का अनुपालन न करना (73.08 प्रतिशत), औपचारिक पंजीकरण की अनुपस्थिति (73.08 प्रतिशत), प्रामाणिक अभिलेखों का रखरखाव (71.15 प्रतिशत) और निधियों का विचलन (69.23 प्रतिशत) न करना। हितधारकों ने अन्य संभावित कारणों को भी सूचीबद्ध किया जैसे खराब उत्तराधिकार योजना, तकनीकी अप्रचलन, वित्तीय/ डिजिटल साक्षरता की कमी, जो भारत में औपचारिक वित्तीय संस्थानों से वित्त प्राप्त करने में एमएसई के लिए वास्तविक बाधाएं हैं। हमारे क्षेत्रीय अध्ययन से पता चला है कि कुछ उद्यमी कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हुए थे और उनकी बचत समाप्त हो गई थी। इसलिए, महामारी के बाद की स्थिति के दौरान एमएसई के व्यवसायों को पुनर्जीवित करने के लिए तीन नीति समर्थन उपाय आवश्यक थे, अर्थात् पर्याप्त और समय पर ऋण, बेहतर विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी को अपनाना। आखिरकार, भारत की समावेशी विकास गाथा पर एक बड़ा प्रभाव डालने के लिए एक लचीला और स्वस्थ एमएसई क्षेत्र आवश्यक है।

ड.) निचले कावेरी डेल्टा में कृषि परिवर्तन की एक सदी: पालकुरिची गांव का एक अध्ययन (1918 - 2018) - डॉ. सुरजीत विक्रमन

तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र (वर्तमान नागपट्टिनम जिला) में पलाकुरिची गांव का अध्ययन इस तथ्य के साथ अद्वितीय है कि यह 1918 से अध्ययन किए गए 'स्लेटर गांवों' में से एक था, और 1918 से लगभग एक सदी तक हर दो दशकों में गांवों में कृषि संबंधों का अध्ययन किया गया है। अब तक, गाँव के पाँच अध्ययन हुए हैं, जो गाँव में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, कृषि संबंधों और गाँव में परिवारों की आजीविका के बारे में प्रख्यात विद्वानों द्वारा किए गए हैं। 1918 में हुई पहले अध्ययन के बाद से यह पलाकुरिची गांव का छठा अध्ययन है, इसके बाद 1918-2018 की अवधि में अध्ययन किया गया है। अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य थे: क) निचले कावेरी डेल्टा क्षेत्र के पलाकुरिची गांव में एक सदी (1918 - 2018) में कृषि संरचना और कृषि संबंधों और इसके परिवर्तनों की विशेषताएं। ख) गाँव में घरों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण, और एक सदी में यह कैसे बदल गया है, ग) यह समझने के लिए कि दलित परिवारों की स्थिति कैसे है- -इस अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के संदर्भ में अन्य परिवारों के तुलना में, और घ) पालकुरिची गांव में परिवारों के जीवन और आजीविका को बदलने में महत्वपूर्ण सार्वजनिक समर्थित कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की भूमिका का आकलन करना। 2019 के हालिया अध्ययन सहित पालकुरिची गांव के सभी छह अध्ययनों से बुने गए कृषि संबंधों और सामाजिक परिवर्तन के दीर्घकालिक विश्लेषण से सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1918 से 2003 तक की लंबी अवधि के लिए कृषि क्षेत्र में लगे कार्यबल के एक बड़े हिस्से के साथ पलाकुरिची गाँव की व्यावसायिक विविधता स्थिर रही है। हालाँकि, 2019 के अध्ययन के अनुसार, व्यावसायिक कार्यबल ने कृषि पर निर्भरता से गैर-कृषि क्षेत्र के लिए क्षेत्र धीमी गति से परिवर्तन किया। मनरेगा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से भी रोजगार सृजन द्वारा इस परिवर्तन का एक हद तक समर्थन किया गया था।

अलग-अलग समयों पर पालकुरिची पर किए गए अध्ययन में गाँव में दलितों के साथ किए गए अत्यंत दमनकारी और भेदभावपूर्ण व्यवहार और उनके द्वारा एकत्र होने और इस तरह के उत्पीड़न और बुनियादी मांगों के खिलाफ लड़ने से पहले लंबे समय तक उनके द्वारा सामना की जाने वाली दयनीय और कमजोर जीवन स्थितियों को चित्रित किया गया है। इन प्रयासों को बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) और प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और मनरेगा जैसे विभिन्न सार्वजनिक समर्थित कार्यक्रमों द्वारा पूरक बनाया गया, जिसका उद्देश्य कमजोर परिवारों के जीवन और आजीविका में सुधार करना है।

पालकुरिची में लैंड फॉर टिलर्स फ्रीडम (एलएएफटीआई) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से भू-स्वामित्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राप्त किया गया था। यह पालकुरिची में दलित परिवारों के जीवन में एक उल्लेखनीय परिवर्तन था जिसने उन्हें भूमि के स्वामित्व तक पहुंच प्रदान की और बेहतर सामाजिक संबंधों और आर्थिक अवसरों के मामले में एक बड़ा उत्थान किया। हालाँकि, यह तथ्य कि आधे से अधिक दलित भूमिहीन हैं, जो सामाजिक और आर्थिक विकास में समानता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ी बाधा है।

पालकुरिची गाँव में कृषि उत्पादन की स्थिति और कृषि संबंधों में परिवर्तन का विश्लेषण विशिष्ट नीति या कार्यक्रम की आवश्यकता को सबसे आगे लाता है जो कृषि क्षेत्र में ठहराव और गिरावट को संबोधित कर सकता है, विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद की अवधि के दौरान। फसलों के पैटर्न में बदलाव के माध्यम से कृषि क्षेत्र को व्यवहार्य बनाने के लिए नीतियां और कार्यक्रम बारहमासी और कम पानी सोखने वाली फसलों को क्षेत्र की कृषि-जलवायु विशेषताओं के लिए उपयुक्त बनाते हैं, पशुधन सहित संबद्ध क्षेत्रों में विविधीकरण, विशेषकर छोटे जुगाली करने वालों पर ध्यान केंद्रित करना अपरिहार्य है। गैर-कृषि क्षेत्र में कौशल विकास और उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों और नीतियों को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दलित परिवारों के विभिन्न प्रकार के अभावों को दूर करने के लिए विशिष्ट नीतियां भी तैयार की जानी चाहिए।

च. आंध्र प्रदेश राज्य में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन - डॉ. राधिका रानी

कृषि क्षेत्र आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण दोनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसान उत्पादक संगठन, किसान समूह की तीसरी पीढ़ी के संस्थागत मॉडल, देश में कृषि संकट के विकट मुद्दे के लिए आशा के अग्रदूत साबित हुए हैं। मूल्य श्रृंखला विकास गतिविधियों से संबंधित इनपुट से लेकर प्रसंस्करण और विपणन तक किसानों को कई मुद्दों और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एफपीओ, किसानों को उनके संबंधित कृषि सामानों की विशिष्ट मूल्य श्रृंखला विकास गतिविधियों के सामूहिकीकरण के बारे में मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे प्रत्यक्ष वृद्धिशील आय का सृतन हुआ है। उत्पाद एफपीओ एफपीओ का पहला बैच है जिसे नाबार्ड द्वारा बढ़ावा दिया गया है और उनका प्रदर्शन मूल्यांकन पीओडीएफ, ओडीओपी, सीबीबीओ जैसी बाद की योजनाओं की श्रृंखला के तहत नई पीढ़ी के एफपीओ केंद्रीय योजना "10,000 नए एफपीओ के गठन और संवर्धन" को आकार देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान अध्ययन आंध्र प्रदेश राज्य में अपने शेयरधारक सदस्यों के जीवन और आजीविका में उत्पाद एफपीओ द्वारा लाए गए प्रभाव के मूल्यांकन पर केंद्रित है। प्रचारित 95 उत्पाद एफपीओ में से, 20 एफपीओ को उद्देश्यपूर्ण और यादृच्छिक नमूनाकरण विधियों दोनों के माध्यम से चुना गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश के सभी 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया है, अर्थात रायलसीमा, दक्षिण तटीय और उत्तरी तटीय एपी।

अध्ययन से पता चला है कि कुल मिलाकर उत्पाद योजना अपने मिशन के उद्देश्यों को पूरा कर चुकी है और विभिन्न फसलों, वस्तुओं, जातीय समूहों, आजीविका और कृषि जलवायु परिस्थितियों में बहुत अच्छी तरह से निर्धारित की गई है। यह पाया गया है कि उत्पाद योजना का कार्यान्वयन इसकी योजना बनाने, पीओपीआई के चयन, योजना के परिव्यय और कार्यक्रम के घटकों को परिचालित करने और चालू करने के मामले में सावधानीपूर्वक था। वर्तमान अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों में से एक यह था कि सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर है और एफपीओ गठन और परिवर्तन के विशिष्ट मुद्दों और अंतराल को संबोधित करते हुए अधिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है। यह पाया गया है कि विभिन्न कृषि जलवायु और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए एक समान दृष्टिकोण रणनीतिक अंतराल को कम कर रहा है और राज्य के भीतर भी एक प्रासंगिक और क्षेत्र विशिष्ट परियोजना डिजाइन होना चाहिए। कमोडिटी केंद्रित एफपीओ को शेयरधारक किसानों द्वारा एक या दो वस्तुओं पर उनके दृष्टिकोण के लिए गंभीर रूप से चुनौती दी गई है और अध्ययन में पाया गया है कि एफपीओ को साल भर के रोजगार और आय सृजन के लिए आजीविका टोकरी को शामिल करते हुए अपनी मूल्य श्रृंखला विकास गतिविधियों को व्यापक आधार देना चाहिए। जब एफपीओ आंदोलन में शामिल होने की बात आती है तो छोटे और सीमांत किसान, आदिवासी किसान और महिला किसान अभी भी हाशिए पर हैं। अध्ययन में पाया गया है कि एसएचजी के रूप में मौजूदा सामाजिक आधारभूत संरचना का व्यापक रूप से सदस्यता आधार को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से लाभ उठाया जाना चाहिए। एफपीओ की सांविधिक लेखापरीक्षा चिंता का विषय है क्योंकि अधिकांश नमूना लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में तकनीकी खामियां पाई गई हैं और एफपीओ की आय और व्यय की पहचान के लिए वैधानिक लेखापरीक्षा प्रारूपों, मानदंडों को मानकीकृत करने की आवश्यकता है।

एफपीओ ने सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं और बैंक लिंकेज के साथ अभिसरण के लिए बहुत अच्छा स्वर निर्धारित किया है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एफपीओ की भागीदारी को गहरा करने की आवश्यकता है। जब छोटे जुगाली करने वालों, पशुधन और मत्स्य पालन आधारित एफपीओ जैसे क्षेत्र विशिष्ट एफपीओ की बात आती है, तो यह पहल किसानों के लिए स्वीकार्य पाई जाती है, लेकिन अभिसरण, प्रौद्योगिकी सहायता और प्रसंस्करण के क्षेत्र अभी भी चिंता का विषय हैं। बैंक लिंकेज अभी भी मायावी हैं और बैंकरों को एफपीओ के ऋणों के मूल्यांकन की तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाना है। अध्ययन से पता चला है कि उच्च प्रभाव के लिए लाइन विभागों, सेवा प्रदाताओं जैसे एटीएमए, आरएआरएस और केवीके के साथ अभिसरण को मजबूत करने की आवश्यकता है। अध्ययन वर्तमान अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों के आधार पर सिफारिशों की श्रृंखला के साथ सामने आया है जो नीति

निर्माताओं और हितधारकों को कार्यक्रम कार्यान्वयन रणनीतियों को फिर से डिजाइन करने में मदद कर सकता है।

छ. ग्राम पंचायत के लिए ई-गवर्नेंस तैयारी सूचकांक पर एक शोध अध्ययन - श्री राजेश्वर

डिजिटल इंडिया का लक्ष्य सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ना है। इसमें टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, ई-हेल्थ और ई-एंटरटेनमेंट शामिल हैं। जून 2021 तक, लगभग 1.56 लाख ग्राम पंचायतें कार्यरत थीं। जल्द ही इसे देश के अन्य गांवों में भी लागू किया जाएगा। सरकार ने भारत नेट के पीपीपी मॉडल में और अधिक 19,041 करोड़ रुपये निवेश करने पर सहमत हो गई है। यह भारतनेट को सभी ग्राम पंचायतों और कस्बों को जोड़ने में मदद करेगा। हालाँकि कई ऐप बनाए गए हैं, लेकिन वर्तमान परिवेश पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित नहीं करता है। हालाँकि, राज्य प्रत्येक ग्रामीण पंचायत में ई-गवर्नेंस स्थापित करने के लिए अलग-अलग उपाय करते हैं।

इस पृष्ठभूमि में, इस अध्ययन का उद्देश्य ई-गवर्नेंस को पूर्ण रूप से अपनाने के लिए ग्राम पंचायतों की क्षमता और तत्परता का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन दो राज्यों, केरल और मध्य प्रदेश पर केंद्रित है, जहां देश के विभिन्न राज्यों के बीच अपने स्वयं के अभिनव अनुप्रयोगों को अपनाने के माध्यम से ई-गवर्नेंस का प्रदर्शन बेहतर लगता है। चयनित राज्यों ने पहले ही ग्राम पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस कार्यान्वयन की सफलता यात्रा को सिद्ध और रिकॉर्ड किया है। प्रत्येक राज्य से, चार जिलों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था और प्रत्येक जिले से चार ग्राम पंचायतों को ई-गवर्नेंस से संबंधित विभिन्न संकेतकों जैसे पर्यावरण, तैयारी, उपयोग और प्रभाव पर प्राथमिक डेटा एकत्र करने के लिए संबंधित राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर यादृच्छिक रूप से चुना गया था। प्राथमिक डेटा को केरल के त्रिशूर, पलक्कड़, एर्नाकुलम और कोट्टायम जिलों से; और मध्य प्रदेश में मंडला, पन्ना, गुना और उज्जैन से एकत्र किया गया था। कुल मिलाकर, दोनों अध्ययन राज्यों में नमूना जिलों के सोलह ग्राम पंचायतों के 480 लाभार्थियों से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया था।

यह पाया गया है कि औसतन 91 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास डिजिटल डिवाइस का उपयोग करने की क्षमता है, हालांकि केवल 55.4 प्रतिशत और 42.5 प्रतिशत ही हर बार डिजिटल गैजेट को संभालने में सक्षम हैं। यह भी पता चला कि उनमें से केवल 57.5 प्रतिशत और 28.3 प्रतिशत ने ही डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम में भाग लिया था, जबकि 50 प्रतिशत से अधिक ने डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण में रुचि दिखाई थी। इसका मतलब है कि क्षमता विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जो ग्रामीण लोगों को ई-सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, को जमीनी स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश पीपीपी पद्धति में पंचायत स्तर पर बनाए गए सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) जहां केरल की सभी पंचायतों में अपने लोगों को डिजिटल सेवाओं की पेशकश करने के लिए व्यापक सुविधाएं हैं। केरल में सीएससी और जीपी कार्यालयों की सेवाओं से, लाभार्थी सेवाओं (95 प्रतिशत) और समय सीमा (&0 प्रतिशत) के संबंध में संतुष्ट हैं।

इसके अलावा, केरल में 73.33 प्रतिशत लोग अपने घर से कार्यस्थल तक 15 से 30 मिनट के लिए आने-जाने के लिए ई-सेवाओं का उपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश में, 64.58 प्रतिशत ने माना कि वे 30 मिनट से कम की यात्रा के समय के लिए ई-सेवाओं का उपयोग करते हैं। यह लोगों को पंचायत स्तर पर अपने हाथों में ई-सेवाओं और ई-गवर्नेंस का उपयोग करने के लिए अधिक सुलभ बनाता है।

ग्राम पंचायत ई-गवर्नेंस ऐप के संचालन को लागू करने के लिए मानव संसाधन की तत्परता संकेतक। जहां तक श्रमिकों को उनकी समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सिखाया जाता है, केरल राज्य के अधिकारियों ने 68.18 प्रतिशत बहुत बड़ा उत्तर दिया, और मध्य प्रदेश राज्य के अधिकारियों ने 75 प्रतिशत को बहुत अधिक और उच्च बताया। दोनों राज्यों के अधिकारियों के पास ग्राम पंचायत ई-गवर्नेंस ऐप से निपटने की क्षमता है। दोनों अध्ययन राज्यों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में श्रमिकों को शिक्षित किए जाने पर 63.63 प्रतिशत और 75 प्रतिशत अधिकारियों ने महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की। ग्राम पंचायत कार्यकर्ता केरल राज्य के साथ-साथ मध्य प्रदेश में एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में खामियों और दोषों का पता लगाने में सक्षम हैं। कार्यक्रम, योजनाओं की योजना बनाने और उनका प्रबंधन करने में मदद करता है, जैसा कि राज्य आईटी विभाग में कहा गया है, जो डेटा खनन और एकीकृत सेवा का भी समर्थन करता है, सेवाओं का उपयोग करने की लागत को कम करता है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकारी तंत्र और नागरिक दोनों के लिए जीत का परिदृश्य है।

ज. झारखंड की सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई (एसएयू) के साथ सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) का जुड़ाव: एक मामला अध्ययन - डॉ राजेश कुमार सिन्हा

नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) ने मनरेगा में सामाजिक लेखापरीक्षा की वकालत, संचालन और संस्थागत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। झारखंड उन अग्रणी राज्यों में से एक है जहां सीएसओ ने विभिन्न स्तरों पर एसएयू के साथ काम किया है। झारखंड में एसएयू के साथ दस्तावेज़ सीएसओ के जुड़ाव को संसाधित करने और सीएसओ प्रतिनिधियों और सामाजिक लेखापरीक्षा स्त्रोत व्यक्तियों की धारणाओं को अपनाने के लिए यह अध्ययन आयोजित किया गया है। एसएयू की संचालन समिति के कार्यवृत्त, एसएयू की मानव संसाधन नीति, सामाजिक लेखापरीक्षा पर विभिन्न सरकारी आदेशों से माध्यमिक जानकारी एकत्र की गई है। इसके अलावा, राज्य समन्वयक के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान, सीएसओ और सामाजिक लेखापरीक्षा

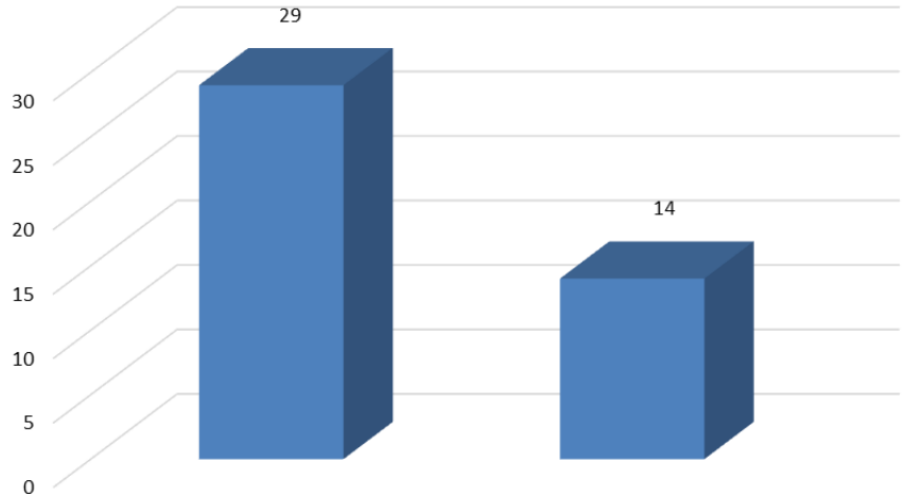

ग्राफ 3.2: 2020-21 में अनुसंधान अध्ययन की स्थिति

स्त्रोत व्यक्तियों के प्रतिनिधियों ने भी सीएसओ-एसएयू सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रक्रिया, फायदे, चुनौतियों और सुझावों के संबंध में जानकारी एकत्र की। एसएयू से जुड़े कुल 72 सीएसओ में से 47 सीएसओ प्रतिनिधियों का साक्षात्कार लिया गया है और कुल 240 सामाजिक लेखापरीक्षा स्त्रोत व्यक्तियों (डीआरपी और बीआरपी) में से 82 स्त्रोत व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया गया है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष हैं: नरेगा वॉच के संयोजक श्री जेम्स हेरेंज और प्रो. रमेश शरण (पूर्व-वीसी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय) को संचालन समिति में शामिल किया गया है जो एसएयू के लिए शासी बोर्ड के रूप में कार्य करती है। एसएयू सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया, डेटा संग्रह के प्रारूप और रिपोर्ट तैयार करने की समीक्षा के लिए सीएसओ के साथ समय-समय पर परामर्श बैठक आयोजित करता है। संचालन समिति ने एक स्वतंत्र कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) समीक्षा समिति का गठन किया है। इस समिति में तीन सीएसओ प्रतिनिधि हैं। एसएयू स्टाफ और स्त्रोत व्यक्तियों की भर्ती के लिए चयन समिति में सीएसओ प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। अधिकांश सीएसओ प्रतिनिधि (लगभग 62%) सामाजिक लेखापरीक्षा और निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की जन सुनवाई में जूरी पैनल के सदस्य के रूप में एसएयू के साथ जुड़े हुए हैं। साक्षात्कार किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा स्त्रोत व्यक्तियों में से सत्तर प्रतिशत ने बताया कि उन्हें सामाजिक लेखापरीक्षा में भाग लेने के लिए समुदाय को संगठित करने में सीएसओ या उनके प्रतिनिधियों से समर्थन मिलता है। सामाजिक लेखापरीक्षा स्त्रोत व्यक्तियों ने सीएसओ के जुड़ाव से कई लाभ साझा किए हैं।

उनमें से महत्वपूर्ण हैं सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि, उचित निर्णय और पहचाने गए मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई, और सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को रसद समर्थन।

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर सुझाव दिये गये। राज्य विधायिका सभी विकास योजनाओं/ कार्यक्रमों को शामिल करते हुए पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक लेखापरीक्षा पर एक कानून बना सकती है। ऐसा अधिनियम सीएसओ को भूमिका प्रदान कर सकता है। एसएयू झारखंड के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों पर काम कर रहे सीएसओ पर एक डाटा-बेस तैयार कर सकता है। हितों के टकराव वाले सीएसओ सामाजिक लेखापरीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर सीएसओ प्रतिनिधियों के साथ एसएयू की आवधिक समन्वय बैठक आयोजित की जा सकती है। एसएयू पर कार्यान्वयन एजेंसी के नियंत्रण के बिना एसएयू को अधिक स्वतंत्रता। एक विभाग जो किसी योजना को लागू नहीं कर रहा है, उसके भीतर सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई लगाने के लिए नोडल विभाग होना चाहिए। जनसुनवाई के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ताकि असामाजिक तत्व सामाजिक लेखापरीक्षा टीम द्वारा चिन्हित मुद्दों पर निर्णय लेने में हस्तक्षेप न करें। ग्राम सभा में भागीदारी को और मजबूत करने के लिए, मजदूरी चाहने वालों को ग्राम सभा में भाग लेने के लिए एक दिन का वेतन दिया जा सकता है। दुरूपयोग की गई राशि की वसूली शीघ्र और पर्याप्त होनी चाहिए। की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी राज्य स्तर से लेकर वीआरपी तक सभी स्त्रोत व्यक्तियों के साथ साझा करने की आवश्यकता है। सरकार सामाजिक लेखापरीक्षा में सीएसओ की भूमिका के बारे में अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को संवेदनशील बनाने की जरूरत है। सामाजिक लेखापरीक्षा स्त्रोत व्यक्तियों को अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा के लिए उन्हें सक्षम बनाने के लिए गहरी समझ के लिए प्रशिक्षण अधिक गहन होना चाहिए। सीएसओ को लोकतंत्र को गहरा करने की प्रक्रिया के रूप में पारदर्शिता और जवाबदेही के सैद्धांतिक/ वैचारिक आधार पर उन्मुख होने की आवश्यकता है। एसएयू द्वारा भाग लेने वाले सीएसओ प्रतिनिधियों को मानदेय, यात्रा और आवास लागत की प्रतिपूर्ति, और अन्य रसद सहायता का प्रावधान किया जा सकता है।

नीति वकालत अध्याय में कुछ पूर्ण किए गए परामर्शी अध्ययनों के परिणामों का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

3.3 परामर्शी अध्ययन

संकाय सदस्यों के पास उपलब्ध विशेषज्ञता और संस्थान द्वारा प्राप्त व्यापक ध्यान को देखते हुए, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, राज्य सरकारें और कॉर्पोरेट क्षेत्र के संगठन अक्सर विशिष्ट उद्देश्य-उन्मुख शोध अध्ययन, मूल्यांकन अध्ययन आदि करने के लिए एनआईआरडीपीआर से संपर्क करते हैं। इन अध्ययनों को परामर्शी अध्ययन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में कुछ ग्राहक समूह हैं

i) अंडमान - निकोबार प्रशासन,

ii) सीआईसीटीएबी,

iii) पीआर एंड आरडी विभाग,

iv) जम्मू-कश्मीर सरकार

v) आंध्र प्रदेश सरकार

vi) नाबार्ड,

vii) आईसीएसएसआर,

viii) कृषि मंत्रालय,

ix) उत्तराखंड सरकार

x) एमओपीआर-आरजीएसए,

xi) एमओपीआर,

xii) एमओआरडी,

xiii) एमओई

xiv) एसआईडीबीआई

xv) विश्व बैंक,

xvi) यूनिसेफ,

xvii) आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड, आन्ध्र प्रदेश सरकार

xviii) जीबीपीआईएचईएसडी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड,

xix) यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, यूके, जीसीआरएफ।

वर्ष 2020-21 के दौरान 28 चल रहे अध्ययनों के अलावा 15 नए परामर्श अध्ययन किए गए जो 2020-21 से पहले किए गए थे। 2020-21 में कुल 14 परामर्शी अध्ययन पूरे किए गए। अध्ययनों का विवरण **परिशिष्ट-VI, परिशिष्ट-VII,** और **परिशिष्ट-VIII** में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2020-21 के कार्य अनुसंधान अध्ययन का विवरण **परिशिष्ट-V** में प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय – 4
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

नवोंमेषण को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकियों का प्रसार, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आजीविका में सुधार, जीवन स्तर को बढ़ाने और आय सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 1991 में, एनआईआरडीपीआर ने ग्रामीण क्षेत्रों के रूपांतरण के लिए प्रासंगिक नवोंमेषण और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के प्रति ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) नामक एक नवोन्मेषण संकल्पना की शुरुआत की है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए संभावित प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए सफल उद्यमियों की मदद से आरटीपी को संचालित किया जाता है। 65 एकड़ में स्थापित आरटीपी, प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण या कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नवोंमेषण एवं ज्ञान के प्रदर्शन और प्रसार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

आरटीपी का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को उत्पादकता बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपयुक्त तथा किफायती प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला को गति देने वाले उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है, जिससे समुदायों को सतत विकास की दिशा में सक्षम बनाया जा सके। आरटीपी में सृजित प्रशिक्षण-सह-उत्पादन सुविधाओं के द्वारा विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर 40 से अधिक प्रकार के क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हर वर्ष विभिन्न ग्रामीण प्रौद्योगिकियों पर प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में ग्रामीण युवाओं तथा एसएचजी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है।

आरटीपी में राष्ट्रीय ग्रामीण भवन निर्माण केंद्र (एनआरबीसी) 40 विभिन्न प्रोद्योगिकी के साथ ग्रामीण घरों के लागत प्रभावी मॉडल प्रदर्शित करता है। ग्रामीण जनता के लिए किफायती व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों के कई मॉडलों के साथ एक स्वच्छता पार्क भी स्थापित किया गया था। महानिदेशक का बंगला उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करते हुए स्थायी आवास को बढ़ावा देने के लिए एक स्थायी आवास पहल है।

तकनीकी समर्थन सेवाएँ :

- वर्ष के दौरान, भुवनेश्वर के कौशलगंगा में एनएफएफबीबी (नेशनल फ्रेशवाटर फिश ब्रूड बैंक), पर सौर प्रतिष्ठानों को बहाल करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) को परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी, जो अम्फान चक्रवात के कारण बाढ़ से प्रभावित थे।
- पूरे राज्य में डिजाइन की प्रतिकृति के लिए तेलंगाना राज्य महिला एवं बाल विभाग के लिए दो मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों के विकास की सुविधा।
- पश्चिम बंगाल सरकार के उक्त संगठनों द्वारा प्रवर्तित स्वयं सहायता समूहों के लाभ के लिए आइस ब्लॉक बनाने की मशीन, कोल्ड रूम, सोलर डीहाइड्रेटर जैसी प्रोद्योगिकियां डब्ल्यूबीएसआरएलएम, डब्ल्यूबीसीएडीसी, पश्चिम बंगाल को स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान की।

सोलार डीहाइड्रेटर टेक्नोलॉजी

सोलार आइस ब्लॉक निर्माण यूनिट

किसानों के उत्पादन के लिए सोलार शीत रूम भंडारण

परामर्श:

आंध्र प्रदेश में निर्माण केंद्रों की वर्तमान स्थिति पर और प्रबंधन, उत्पादन, प्रशिक्षण, वित्तीय प्रबंधन और विपणन आदि पहलुओं को कवर करते हुए उनके प्रभावी कामकाज के लिए पुनरुद्धार रणनीति का सुझाव देने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड, विजयवाड़ा के लिए एक अध्ययन किया गया था। अध्ययन पूरा हो गया था और रिपोर्ट को विचार के लिए आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड को भी प्रस्तुत किया गया था।

कोविड-19 के संबंध में विशेष पहल:

दो प्रकार के हैंड सैनिटाइजर अर्थात सैनिटाइज़र (सामान्य) और दूसरा आवश्यक तेलों वाला सैनिटाइजर के उत्पादन पर अपने आप स्वयं करें एक वीडियो बनाया गया था। इन्हें व्यापक प्रसार के लिए एनआईआरडीपीआर यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था।

सूती कपड़े का उपयोग करके सस्ते सूती मास्क बनाने पर एक स्वयं करें वीडियो बनाया गया था और इसे व्यापक प्रसार के लिए एनआईआरडीपीआर यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था।

नई प्रौद्योगिकियां स्थापित:

1) मिश्रित मिटटी से बनाई गयी दीवार जिसे प्रदर्शन हेतु रखा गया
2) सिविल इंजीनियर आदि सहित निर्माण श्रमिकों को उक्त प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से बनाई गयी दीवार।

पुरस्कार:

इंडियन ग्रीन लिविंग काउंसिल ने स्थायी वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के साथ एनआईआरडीपीआर परिसर में निर्मित महानिदेशक बंगले को प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की।

समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर:

ज्ञान साझा करने, कार्यशालाओं/ सेमिनारों का आयोजन करने, संयुक्त शोध करने, छात्रों के आदान-प्रदान की सुविधा आदि जैसे व्यापक पहलुओं पर संयुक्त पहल करने के लिए 15 सितंबर, 2020 को आईआईटी, जोधपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम:

कोविड-19 महामारी से जुड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, ऑनलाइन/ वास्तविक प्रशिक्षण कार्यक्रम इस तरह से बनाए गए थे कि ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभाव व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तरह ही हो।

जहां भी संभव हो, उत्पादों को बनाने के लिए कच्चे माल का विवरण प्रतिभागियों के साथ अग्रिम में साझा किया गया ताकि वे इसे खरीद सकें और इसे तैयार रख सकें। एनआईआरडीपीआर के स्रोत व्यक्ति ने उत्पाद निर्माण को प्रदर्शित किया दूसरी ओर जिसका अनुसरण प्रशिक्षुओं ने किया, इस प्रकार व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभाव सृजित किया।

हालांकि, प्रदर्शन दौरों को प्रोत्साहित करने के अलावा ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रदर्शन-सह-अभिमुखीकरण भी आयोजित किए गए। रिपोर्टिंग के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्थायी आवास प्रौद्योगिकियां, जैव-कीटनाशक और उर्वरक, कृमि-खाद और वानस्पतिक नीम कीटनाशक, मशरूम की खेती, हर्बल उत्पाद, हस्तनिर्मित कागज रूपांतरण, हाइब्रिड (सौर और पवन) प्रौद्योगिकी, जैविक खेती और मृदा स्वास्थ्य, सौर निर्जलीकरण सस्टेनेबल बायो-एनर्जी सॉल्यूशन, क्ले ज्वैलरी मेकिंग, लीफ प्लेट और कप मेकिंग, कृषि उत्पादों के लिए कोल्ड रूम प्रौद्योगिकी, होम बेस्ड प्रोडक्ट्स, पर्ल ज्वैलरी मेकिंग, कृषि उपकरणों के लिए इलेक्ट्रो स्पार्क कोटिंग, सोया और बाजरा प्रसंस्कृत उत्पाद और सुगंधित फसल की खेती तथा बाष्पशील तेल का निष्कर्षण शामिल हैं।

सारणी 4.1: 2020-21 के दौरान आरटीपी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रकार	वास्तविक/ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	प्रदर्शन सह अभिविन्यास	2	13	392
2	प्रदर्शन दौरे	0	84	2393
3	प्रशिक्षण	47	240	3581
	कुल	49	337	6366

अध्याय - 5
नवोन्मेषी कौशल और आजीविका

भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त है, जिसकी 1.3 बिलियन की आबादी का 62 प्रतिशत से अधिक लोग कामकाजी आयु वर्ग में है और इसकी 54 प्रतिशत से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है। वर्तमान में, 55 मिलियन कामकाजी उम्र की आबादी सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के कारण काम के अवसरों तक पहुंचने में असमर्थ है और इसलिए अधिक उत्पादकता के लिए अनुभवात्मक पारंपरिक कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता है। एक कुशल कार्यबल वास्तव में भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) अभियान की नींव रख सकता है। कोविड-19 महामारी ने गंभीर रूप से आत्मनिर्भर और स्व-पर्याप्तता होने के महत्व पर प्रकाश डाला है, जिसे केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब नागरिक, विशेष रूप से युवा, विभिन्न क्षेत्रों में कुशल और अच्छी तरह से प्रशिक्षित हों। इस संदर्भ में, एनआईआरडीपीआर ग्रामीण भारत के लिए स्थायी आजीविका विकल्प उत्पन्न करने के लिए सक्रिय रूप से नवीन कौशल अवसरों की खोज कर रहा है। अभिनव कौशल और आजीविका एक उभरती हुई प्रक्रिया है और बाजार की स्थितियों, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रवास में बदलाव के कारण गतिशील है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक प्रमुख कार्यक्रम स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अनुभवों के आधार पर देश में ग्रामीण गरीबी को खत्म करने के लिए आजीविका दृष्टिकोण अपनाया गया था, जिसे 1999 से एक दशक से अधिक समय तक लागू किया गया था। एसजीएसवाई योजना का पुनर्गठन किया गया और यह 2010-11 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में कार्यान्वित है। एसजीएसवाई का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के ग्रामीण परिवारों को आय-सृजन संपत्ति/आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से स्थायी आय प्रदान करना था ताकि उन्हें गरीबी से बाहर लाया जा सके।

5.1. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विशेष परियोजनाएं (एसजीएसवाई-एसपी)

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विशेष परियोजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) की कौशल और प्लेसमेंट पहल है। यह ग्रामीण गरीबों की आय में विविधता लाने और देश में युवाओं की व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता से विकसित हुआ है। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार से जुड़े कौशल विकास विशेष परियोजनाओं का उद्देश्य कौशल हासिल करना और संगठित क्षेत्र में मजदूरी रोजगार प्राप्त करना है।

2007 से, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने समन्वय और निगरानी एजेंसी के रूप में परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए एनआईआरडीपीआर को 87 एसजीएसवाई (एसपी) परियोजनाएं सौंपी हैं। इन 87 परियोजनाओं में से 21 परियोजनाओं को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया है। शेष 66 लंबित परियोजनाओं को व्यवस्थित रूप से बंद करने के लिए मंत्रालय और एनआईआरडीपीआर प्रयास कर रहे हैं।

एसजीएसवाई विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन से एक महत्वपूर्ण सीख, अन्य बातों के साथ, अपर्याप्तता या स्पष्ट परिचालन प्रोटोकॉल की कमी थी। इससे परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को बहुत असुविधा हुई, जिनकी परियोजना के लिए नकदी प्रवाह अक्सर बाधित नहीं होता था। इस तरह के विशिष्ट अंतराल को भरने के लिए, एक नया कार्यक्रम, अर्थात दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) को अच्छी तरह से परिभाषित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के साथ वर्ष 2014 में इसके स्थान पर प्रारंभ किया गया था।

5.2. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

डीडीयू-जीकेवाई देश के वंचित ग्रामीण युवाओं के लिए प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ भागीदारी द्वारा परियोजना मोड में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। डीडीयू-जीकेवाई ग्रामीण युवाओं को देश या विदेश में एक अच्छी नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने में विश्वास रखता है ताकि कैरियर की प्रगति की गुंजाइश हो।

एनआईआरडीपीआर में डीडीयू-जीकेवाई सेल एमओआरडी की केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़ी मुख्य गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। एक सीटीएसए के रूप में, एनआईआरडीपीआर देश के 13 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में रोशनी (वामपंथी चरमपंथी जिलों में), हिमायत (जम्मू और कश्मीर में) और देश के बाकी हिस्सों में डीडीयू-जीकेवाई के बैनर तले कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।

एनआईआरडीपीआर द्वारा सीटीएसए के रूप में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं जिसमें निगरानी और मूल्यांकन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, मजबूत एमआईएस का विकास और रखरखाव शामिल

है। इसके अलावा, एनआईआरडीपीआर डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं के लिए एक मूल्यांकन एजेंसी भी है।

5.2.1. निगरानी और मूल्यांकन

कार्यक्रम और नीति की प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए डीडीयू-जीकेवाई पारिस्थितिकी तंत्र में निगरानी और मूल्यांकन (एम एंड ई) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एम एंड ई में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:

1. एक वर्ष में प्रत्येक सक्रिय प्रशिक्षण केंद्र का कम से कम तीन निरीक्षण
2. किस्त जारी करने के लिए रखे गए उम्मीदवारों का भौतिक/आभासी सत्यापन (2/3/4)
3. हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
4. राज्यों को मानव संसाधन सहायता प्रदान करना
5. ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से एसआरएलएम/एसडीएम से अपेक्षित परिचालन डेटा/सूचना एकत्र करना
6. राज्य में प्रदर्शन/गैर-निष्पादन और सुधार के क्षेत्रों को उजागर करना और एमओआरडी तक बढ़ाना
7. देश भर में सभी हितधारकों के लिए ईआरपी और दिए गए अनुभव (कौशल भारत) के कार्यान्वयन की देखरेख करना
8. कौशल भारत के लिए तकनीकी सहायता

इसके अलावा, एम एंड ई में निम्नलिखित सहायक लेकिन महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल हैं:

1. एसओपी और दिशानिर्देश संशोधन
2. शिकायतें/शिकायत जांच
3. डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों का अनुभव दिलाना और सलाह देना
4. प्रत्येक राज्य के लिए मासिक परियोजना प्रदर्शन डैशबोर्ड
5. विषयगत विश्लेषण और अध्ययन

इनमें से कुछ क्षेत्रों में वर्ष 2020-21 (31 मार्च-2021 तक) के दौरान सीटीएसए की उपलब्धि का सारांश निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है:

1. एनआईआरडीपीआर द्वारा सीटीएसए - 317 के रूप में आयोजित प्रशिक्षण केंद्रों के निरीक्षण की संख्या (कौशल भारत के माध्यम से - 119)
2. आयोजित किए गए प्लेसमेंट सत्यापनों की संख्या - 1,036
3. राज्यों/पीआईए की निष्पादन समीक्षा में भाग लिया/आयोजित - 102

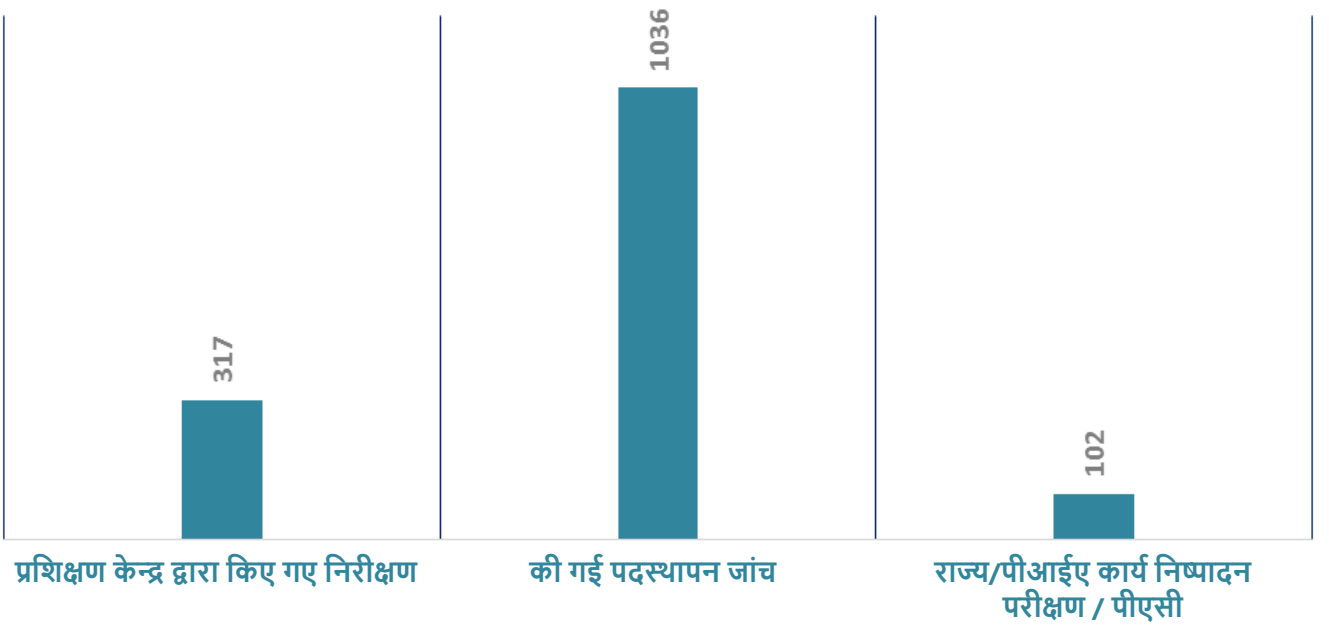

ग्राफ 5.1: वर्ष 2020-21 में डीडीयू-जीकेवाई सेल, एनआईआरडीपीआर द्वारा एम एवं ई के क्रियाकलाप

पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 की तुलना में, देश में कोविड़-19 महामारी की स्थिति के कारण चालू वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 में किए गए निरीक्षण कम हैं। अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान, देशव्यापी लॉकडाऊन के कारण देश भर में सभी प्रशिक्षण केंद्र (टीसी) बंद कर दिए गए थे। अपर्याप्त निधि और जनशक्ति की अनुपलब्धता के कारण टीसी को फिर से खोलने में कार्यान्वयन एजेंसियों ने समय लिया। हालांकि राज्य सरकार और सीटीएसए ने अक्टूबर 2020 से टीसी को क्रियाशील बनाने की पहल की है; सिक्किम, पश्चिम बंगाल आदि जैसे कुछ राज्यों में टीसी को अभी तक चालू नहीं किया गया है। अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक, एनआईआरडीपीआर द्वारा केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में कुल 317 प्रशिक्षण केंद्र निरीक्षण किए गए, जिनमें से 119 टीसी निरीक्षण कौशल भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए गए।

अप्रैल, 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान प्रशिक्षण केंद्रों के सीटीएसए निरीक्षणों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण इस प्रकार है।

सारणी -5.1: वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान प्रशिक्षण केंद्र का सीटीएसए निरीक्षण

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रगति में परियोजनाओं की संख्या	सक्रिय टीसी की संख्या	निरीक्षणों की संख्या		
				शेष	किया हुआ	%
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0%
2	आंध्र प्रदेश	82	144	68	67	98.5%
3	असम	90	102	3	3	100%
4	बिहार	75	93	24	23	99%
5	गुजरात	43	37	2	2	100%
6	हरियाणा	21	14	11	11	100%
7	जम्मू एवं कश्मीर	39	56	39	30	77%
8	झारखंड	68	85	4	4	100%
9	कर्नाटक	39	65	17	17	100%
10	केरल	189	144	68	67	99%
11	मेघालय	14	13	2	2	100%
12	पंजाब	59	57	21	20	95%
13	पुडुचेरी	6	0	0	0	0%
14	राजस्थान	95	112	19	19	100%
15	सिक्किम	5	4	0	0	0%
16	तमिलनाडु	83	76	15	14	93%
17	तेलंगाना	93	94	41	38	93%
18	पश्चिम बंगाल	62	78	0	0	0%
कुल		**1,063**	**1,174**	**334**	**317**	

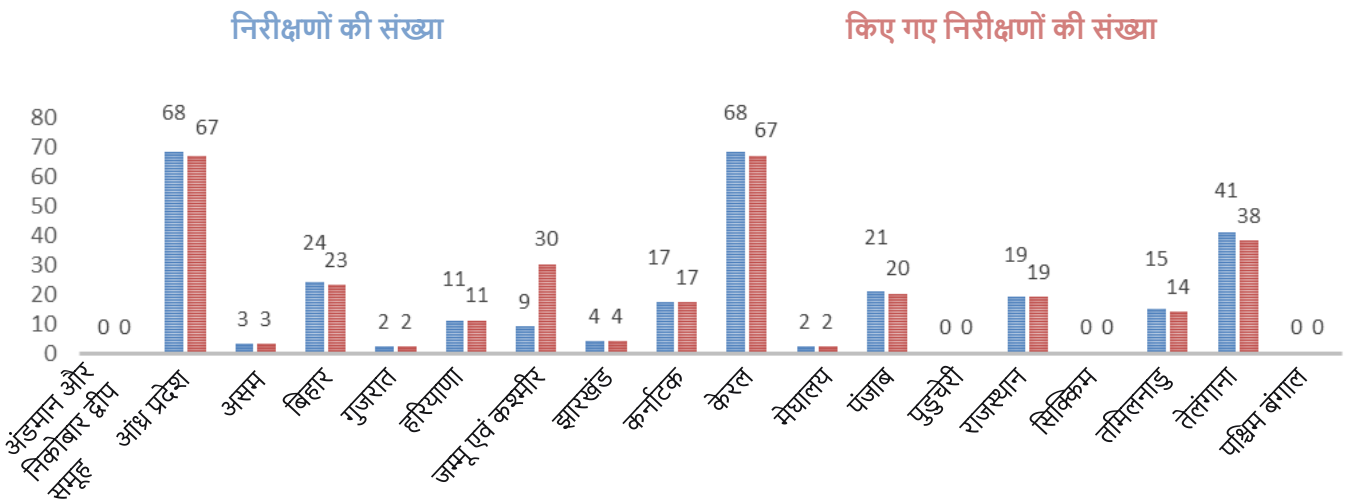

ग्राफ 5.2: वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान प्रशिक्षण केंद्र का सीटीएसए निरीक्षण

नियुक्त उम्मीदवारों का भौतिक सत्यापन

सारणी-5.2: वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान एनआईआरडीपीआर द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों का भौतिक सत्यापन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सत्यापित नमूनों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	0
3.	असम	68
4.	बिहार	341
5.	गुजरात	42
6.	हरियाणा	11
7.	जम्मू एवं कश्मीर	45
8.	झारखंड	95
9.	कर्नाटक	20
10.	केरल	199
11.	मेघालय	2
12.	पंजाब	19
13.	पुडुचेरी	0
14.	राजस्थान	69
15.	सिक्किम	5
16.	तमिलनाडु	97
17.	तेलंगाना	1
18.	पश्चिम बंगाल	22
कुल		**1,036**

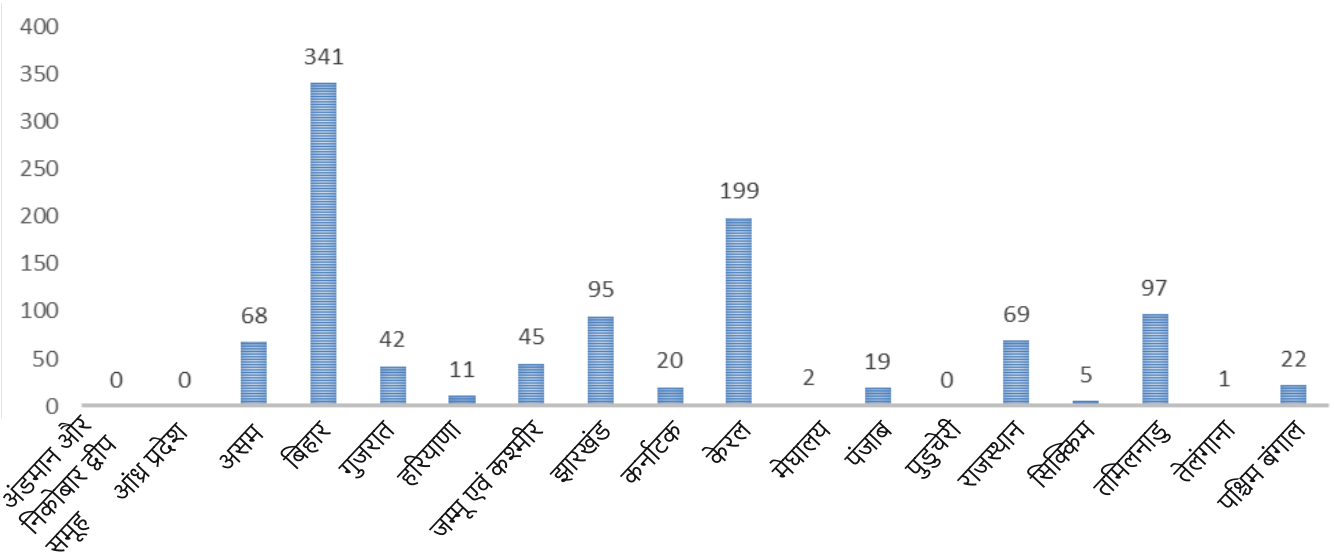

ग्राफ 5.3: 2020-21 में सत्यापित किए गए नियुक्ति नमूनों की संख्या

महामारी की स्थिति के कारण, एमओआरडी ने वस्तुतः पदस्थापन सत्यापन करने की अनुमति दी। सत्यापन के इस वर्चुअल मोड ने वास्तव में नियोक्ता के स्थान पर भौतिक सत्यापन की तुलना में प्रतिदर्शों को बहुत तेजी से कवर करने में मदद की। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में एनआईआरडीपीआर द्वारा अब तक कुल 1,036 प्लेसमेंट सत्यापित किए जा चुके हैं।

प्रदर्शन पुनरीक्षण में सहभागिता

अवधि के दौरान एमओआरडी और राज्य सरकार द्वारा की गई 102 प्रदर्शन समीक्षा में एनआईआरडीपीआर के डीडीयूजीकेवाई सेल ने भाग लिया इस तरह की प्रदर्शन समीक्षाओं की सबसे अधिक संख्या जम्मू - कश्मीर राज्य (22) में थी।

5.2.1.1. मासिक परियोजना प्रदर्शन रिपोर्ट

एनआईआरडीपीआर सीटीएसए के रूप में इसके द्वारा कवर किए गए प्रत्येक राज्य में परियोजनाओं के प्रदर्शन पर एक मासिक डैशबोर्ड प्रकाशित कर रहा है। डैशबोर्ड राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की ताकत को प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों जैसे प्रशिक्षण प्राप्त, प्राप्त पदस्थापन, जारी की गई किश्तों, डीडीयू-जीकेवाई मानकों का पालन करने आदि के संदर्भ में दर्शाता है। इससे राज्य सरकारों को आवश्यक और समय पर आवश्यक कार्रवाई और उपाय पहल करने में मदद मिली है जहां प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है।

5.2.1.2. विषयगत विश्लेषण और अध्ययन (अप्रैल'20-मार्च'21)

डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों के मूल कारणों को निर्धारित करने के लिए संस्थान ने अप्रैल '20 - मार्च'21 के दौरान निम्नलिखित विश्लेषणात्मक अध्ययन किए हैं। अध्ययन रिपोर्ट को एमओआरडी के साथ भी साझा किया गया है:

क. कोविड-19 के बाद डीडीयू-जीकेवाई के कार्यान्वयन पर एक त्वरित अध्ययन रिपोर्ट
ख. उच्च गंभीरता गैर-अनुपालन विश्लेषण
ग. राज्यों में एचआर उपलब्धता की स्थिति
घ. डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षण केंद्रों पर एमओएच एवं एफडब्ल्यू द्वारा जारी किए गए कोविड-19 प्रोटोकॉल को पकड़ने के लिए एक टेम्प्लेट तैयार किया गया ।

5.2.1.3. कौशल भारत कार्यान्वयन में समर्थन

एनआईआरडीपीआर अपने रोल आउट से पहले निरीक्षण ऐप सहित कौशल भारत प्लेटफॉर्म के परीक्षण के लिए उत्तरदायी एवं कार्यरत है। इसके अलावा, इसे कौशल भारत के कार्यान्वयन के लिए पीआईए और राज्यों की टीमों को प्रशिक्षण, हैंड-होल्डिंग और मुद्दों के समाधान समर्थन प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सीटीएसए की भूमिका में संस्थान ने एसओपी के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियां संपन्न की हैं:

क. पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और असम राज्य में कौशल भारत (केबी) पोर्टल (नवंबर 2020 से) के माध्यम से टीसी निरीक्षण आयोजित किया।
ख. प्रत्येक राज्य के लिए सभी स्वीकृति आदेशों को कौशल भारत पोर्टल में अद्यतन करना सुनिश्चित किया
ग. कौशल भारत पोर्टल के माध्यम से टीसी निरीक्षण शुरू किया

5.2.2 नवोन्मेषण

एनआईआरडीपीआर में एक कौशल नवोन्मेषण केन्द्र है जो उन क्षेत्रों की पहचान करना चाहता है जिनके लिए कौशल और सततयोग्य आजीविका के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसमें विभिन्न उद्योग भागीदारों को ग्रामीण विकास के हितधारकों के साथ जोड़ना शामिल है। यह भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ सक्रिय जुड़ाव और उनके विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, ग्रामीण कौशल प्रभाग ने 'सुविधा प्रबंधन' पर सीआईआई सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उद्योग भागीदारों को डीडीयू-जीकेवाई के माध्यम से किराए पर लेने के लिए उपलब्ध कुशल कार्यबल से अवगत कराया। श्री चरणजीत सिंह, संयुक्त सचिव (कौशल), ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्री के.वी. सत्यनारायण, कार्यकारी निदेशक (डीडीयू-जीकेवाई, एनआईआरडीपीआर) ने इस विषय पर वेबिनार में सीआईआई दर्शकों को संबोधित किया।

5.2.2.1 एनआईआरडीपीआर ने कीट प्रबंधन को कौशल मानचित्र पर रखा

एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसे एनआईआरडीपीआर ने कौशल में नए कार्य के लिए पहचाना वह कीट प्रबंधन था। एनआईआरडीपीआर का कौशल नवोन्मेषण केन्द्र ऐसे सभी क्षेत्रों से संबंधित है जो कौशल और रोजगार वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हब ने ग्रामीण और शहरी दोनों युवाओं के लिए उच्च रोजगार क्षमता वाले कीट प्रबंधन क्षेत्र को अपनाया है और इसके तहत आठ योग्यताएं विकसित की हैं। वे हैं (i) सामान्य कीट प्रबंधन तकनीशियन, (ii) सामान्य कीट प्रबंधन पर्यवेक्षक, (iii) सामान्य कीट प्रबंधन प्रबंधक, (iv) रोगवाहक नियंत्रण तकनीशियन - स्थानीय निकाय, (v) रोगवाहक नियंत्रण पर्यवेक्षक - स्थानीय निकाय, (vi) कीट प्रबंधन तकनीशियन - कुक्कुट, एक्वा और पशुधन, (vii) धूमन तकनीशियन और (viii) धूमन पर्यवेक्षक।

इन योग्यताओं को वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ जोड़ा गया था और इसे राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर पोर्टल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इस संरेखण के साथ, योग्यताएं सरकार द्वारा वित्त पोषित कौशल विकास योजनाओं के लिए पात्र हैं। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि कुशल कार्यबल की तलाश करने वाले उद्योग को भी फायदा होगा। इनोवेशन हब ने निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में संभावित प्रशिक्षण भागीदारों के साथ-साथ उद्योग भागीदारों के साथ योग्यता के बारे में सत्र आयोजित किए।

पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की गई थी और एनएसक्यूएफ संरेखण को उद्योग के कीट प्रबंधन विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों के समर्थन से संभव बनाया गया था। संस्थान ने विभिन्न हितधारकों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के कार्यान्वयन और मूल्यांकन एजेंसी सह पुरस्कार निकाय के रूप में एनआईआरडीपीआर के साथ उनके संबंधों के लिए ऑपरेशन मैनुअल भी प्रकाशित किया है। संचालन नियमावली में निर्धारित अनुसार विभिन्न गुणात्मक गतिविधियों को करने के लिए मास्टर ट्रेनर ऑन-बोर्डिंग चल रहा है। इसके लिए विशेषज्ञों से आवेदन मांगे गए हैं।

5.2.3 प्रशिक्षण एवं विकास

डीडीयू-जीकेवाई एनआईआरडीपीआर का मानना है कि विकास के लिए सीखना महत्वपूर्ण तत्व है और इसे प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण चैनलों में से एक है। महामारी के बावजूद, प्रशिक्षण के माध्यम से सीखना प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि एनआईआरडीपीआर वित्तीय वर्ष के लिए हितधारकों के लिए ग्राम स्वराज पोर्टल (www.gramswaraj.nirdpr.in) सहित कई शिक्षण चैनलों के माध्यम से नियोजित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए तैयार था। एसआरएलएम और पीआईए के प्रतिभागियों ने देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान इन शिक्षण चैनलों के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

सारणी 5.3: प्रदर्शित प्रशिक्षण कार्यक्रम (2020 - 21)

कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम	206
प्रतिभागियों की संख्या	7001

सारणी 5.3 वितरित किए गए प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वित्त वर्ष 2020 -21 में दिए गए प्रत्येक विषय पर कार्यक्रमों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या और लक्षित दर्शकों की जानकारी प्रदान करती है।

5.2.3.1. कौशल भारत प्रशिक्षण:

कौशल भारत को मार्च 2020 में शुरू किया गया था और महामारी के बावजूद, देश भर में प्रमुख हितधारकों के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से इसके रोल-आउट के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण किया गया था। ऑनलाइन प्रशिक्षण के साथ-साथ, एनआईआरडीपीआर ने वीडियो ट्यूटोरियल, पठन सामग्री और पूर्व-रिकॉर्डेड सत्र जैसी ऑनलाइन सामग्री तैयार की।

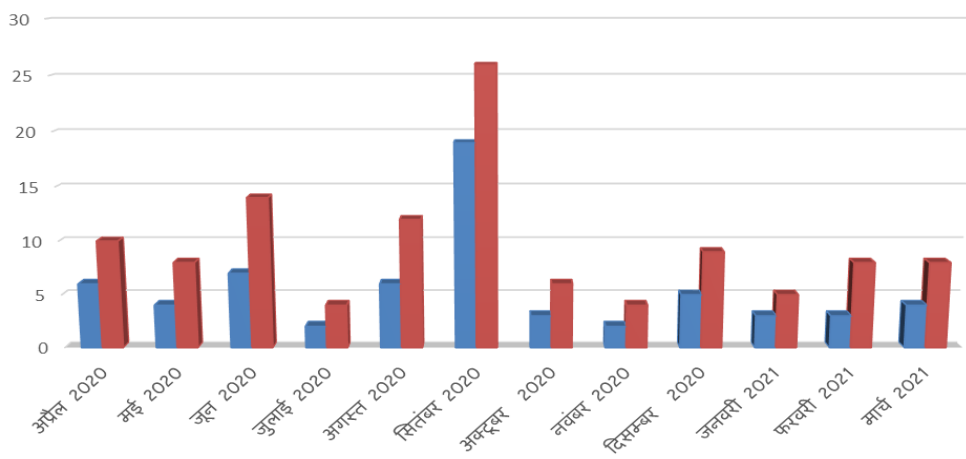

	अप्रैल 2020	मई 2020	जून 2020	जुलाई 2020	अगस्त 2020	सितंबर 2020	अक्टूबर 2020	नवंबर 2020	दिसम्बर 2020	जनवरी 2021	फरवरी 2021	मार्च 2021
कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम / बैच	6	4	7	2	6	19	3	2	5	3	3	4
कुल प्रशिक्षण दिवस / सत्र	10	8	14	4	12	26	6	4	9	5	8	8

ग्राफ 5.4: 2020-21 के दौरान आयोजित माहवार प्रशिक्षण (31 मार्च, 2021 तक)

5.2.3.2 डीडीयू-जीकेवाई के उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श

संस्थान ने हितधारकों के साथ फोकस समूह चर्चा (एफडीजी) के माध्यम से डीडीयू-जीकेवाई के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श की पहचान की है। व्यावसायिक परामर्शदाताओं के प्रशिक्षण के लिए सामग्री विकसित करने के अलावा, डीडीयू-जीकेवाई सेल ने 'कौशल आष्टी' को डिजाइन और प्रारंभ किया, जो उम्मीदवारों की रुचि और योग्यता को समझकर उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम आबंटित करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कौशल आष्टी जॉन हॉलैंड इंटरेस्ट इन्वेंटरी को प्रशासित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी सक्षम ऑडियो-विजुअल आधारित एप्लिकेशन है। यह ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के व्यवहार और दृष्टिकोण को मापने में मदद करता है ताकि कुशल नौकरी की भूमिकाओं में उनकी रुचि का आकलन किया जा सके। कौशल आष्टी के तीन मॉड्यूल हैं:

1. **ब्याज सूची** - उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया को प्राप्त किया जाता है और हॉलैंड कोड के अनुसार उनकी कौशल रुचि प्रोफाइल तैयार की जाती है।
2. **इंग्लिश, न्यूमरेसी, पैटर्न और रंग पहचान** - यह इंग्लिश, न्यूमरेसी, पैटर्न और रंग पहचान कौशल तक पहुंचने के लिए एक समयबद्ध परीक्षा है।
3. **काउंसलर फॉलो-अप** - केवल वेब एप्लिकेशन संस्करण में उपलब्ध है। काउंसलर को एक प्रश्नावली प्रदान की जाएगी और उम्मीदवार के जवाब ऑनलाइन फॉर्म में दर्ज किए जाएंगे।

उम्मीदवार की प्रतिक्रियाओं के आधार पर, हॉलैंड कोड के अनुसार उम्मीदवार के लिए उपयुक्त नौकरी की भूमिकाओं के लिए सुझावों के साथ एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। कौशल आष्टी की तकनीकी और कार्यात्मक शक्ति का आकलन करने के लिए एक उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) आयोजित किया गया था।

सारणी-5.4: 31 मार्च, 2021 को कौशल आष्टी पर पंजीकरण की स्थिति

पंजीकृत उम्मीदवार	6357
संपूरित ब्याज सूची मॉड्यूल	4233
संपूरित ईएनपीसीमॉड्यूल	3747
काउंसलर का पालन करना	188

5.2.3.3 कौशल विकास प्रबंधन पाठ्यक्रम

पिछले वित्तीय वर्ष में झारखंड के लिए कौशल नामा की सफलता के बाद, एनआईआरडीपीआर ने विश्वविद्यालय के स्नातकों के लिए कौशल विकास प्रबंधन पाठ्यक्रम नामक एक नौकरी-एकीकृत अल्पकालिक पाठ्यक्रम तैयार किया है ताकि उन्हें कौशल में करियर बनाने में मदद मिल सके। यह सैद्धांतिक पक्ष के साथ 10-सप्ताह का कोर्स है और व्यावहारिक शिक्षा पर अत्यधिक जोर देता है। इस कोर्स को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) के सहयोग से शुरू किया गया था और स्किल डीड (डिस्कवर, एक्सप्लोर, एंगेज डिलीवर) नामक एक कार्यान्वयन मॉडल को डिजाइन किया गया था और केंद्र के मार्गदर्शन में तैनात एनआईआरडीपीआर ने पाठ्यक्रम चलाने के लिए तीसरे पक्ष के लिए मामूली शुल्क पर कोर्सवेयर पूरी तरह से उपलब्ध कराया है।

5.2.3.4 पी.ए.सी.ई (व्यक्तिगत उन्नति और कैरियर में वृद्धि) - जीएपी इंक द्वारा प्रशिक्षकों का सॉफ्ट-कौशल प्रशिक्षण

पीएसीई (पर्सनल एडवांसमेंट एंड करियर एन्हांसमेंट) जीएपी इंक द्वारा तैयार किया एक नवोन्मेषी पाठ्यक्रम-आधारित शिक्षण कार्यक्रम है, जो प्रशिक्षकों को उनके व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए मूलभूत जीवन कौशल की भागीदारी सीखने का समर्थन करता है। पीएसीई कार्यक्रम में जीवन और तकनीकी कौशल शामिल हैं।तकनीकी कौशल प्रशिक्षण प्रतिभागियों की विशिष्ट नौकरी से संबंधित जरूरतों का समर्थन करने के लिए केंद्रित है। डीडीयू-जीकेवाई के लिए एक समान सॉफ्ट-स्किल पाठ्यक्रम रखने के उद्देश्य से, एमओआरडी ने 2019 में केरल और छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम का संचालन किया। परिणाम सफल रहे, कार्यक्रम को नवंबर 2020 से बाकी राज्यों में पेश किया गया।

टीओटी का पहला चरण नवंबर, 2020 में शुरू हुआ; अब तक कुल 5 बैचों को प्रशिक्षित किया गया है जिसमें लगभग 110 प्रशिक्षकों ने भाग लिया। टीओटी उद्देश्य पी.ए.सी.ईटीम द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के पूल में से मास्टर ट्रेनर पूल बनाना है।

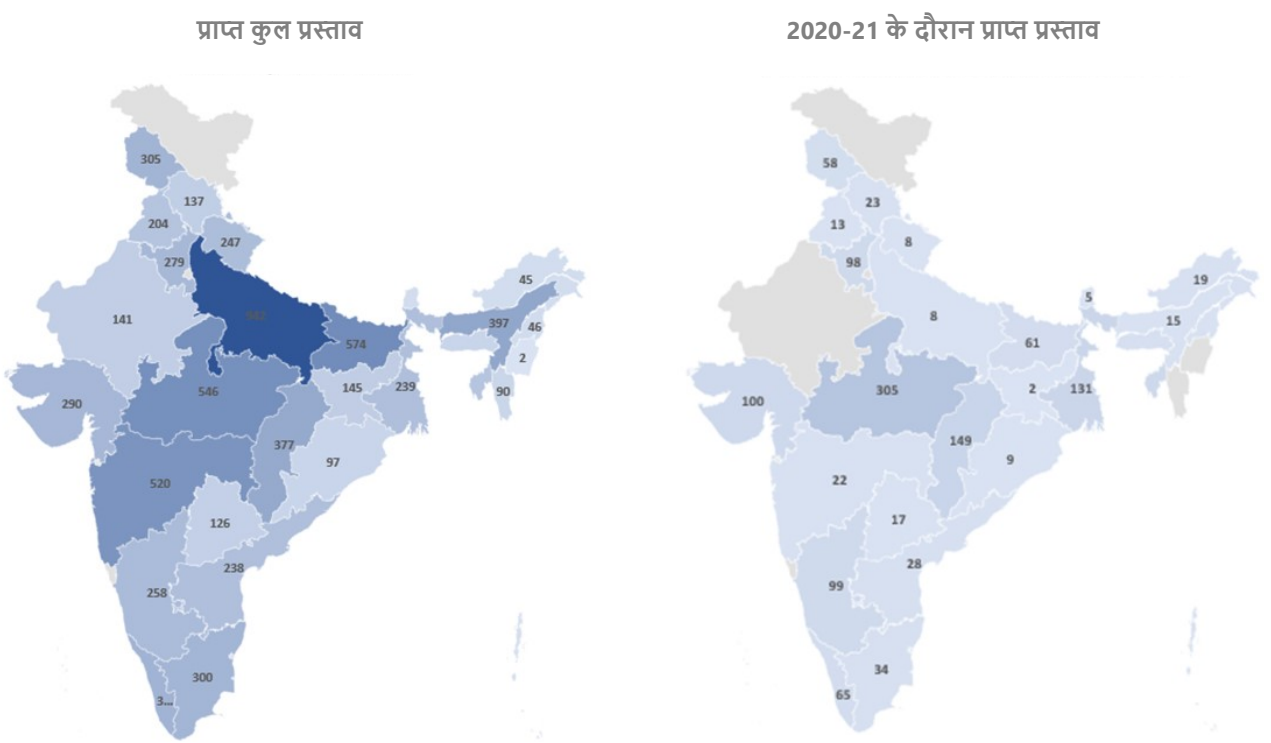

चित्र 5.1: मूल्यांकन प्रणाली में प्राप्त राज्य-वार प्रस्ताव (31 मार्च, 2021 तक)

5.2.3.5 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) से जुड़ना

महामारी की अवधि के दौरान संस्थान ने सेक्टर स्किल काउंसिल के सहयोग से विषयगत वेबिनार आयोजित किए। इन्हें निम्नलिखित उद्देश्य से आयोजित किए गए थे:

- विशेष रूप से प्लेसमेंट के नजरिए से डीडीयू-जीकेवाई से एसएससी और हितधारकों के बीच कार्य संबंध/सहयोग को मजबूत करना ।
- डीडीयू-जीकेवाई के तहत एसएससी और हितधारकों के बीच अधिक मजबूत कार्रवाई के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा करें ।
- नए सामान्य में क्षेत्र की बदलती मांगे और भावी दिशा
- डीडीयू-जीकेवाई में विकलांगों को काम पर रखने के लिए उद्योग के हित का लाभ उठाना ।
- अधिक प्रशिक्षण भागीदारों को आकर्षित करना जिनके पास डीडीयू-जीकेवाई में दिव्यांगों को कौशल प्रदान करने का अनुभव है ।

भाग लेने वाले एसएससी बैंकिंग, वित्त सेवा और बीमा (बीएफएसआई), विकलांग व्यक्ति के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) और रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (आरएएससीआई) थे।

5.2.3.6 मोबाइल एप्लिकेशन का विकास

मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी को बढ़ाने के लिए, एनआईआरडीपीआर ने जियो-टैगिंग सुविधाओं के साथ दो मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए और विभिन्न हितधारकों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं।

I. प्रशिक्षण केंद्र निरीक्षण ऐप
II. कैंडिडेट सेल्फ वेरिफिकेशन ऐप

5.2.4. ईएसओपी लर्निंग एवं सर्टिफिकेशन पोर्टल

एमओआरडी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 63/2015 के अनुसार, डीडीयू-जीकेवाई के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सीधे शामिल सभी हितधारकों के लिए एसओपी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षित, मूल्यांकन और प्रमाणित होना अनिवार्य है। पोर्टल का रखरखाव एनआईआरडीपीआर द्वारा किया जाता है।

समग्र स्थिति

- **पंजीकृत उपयोगकर्ता - 40060**
- **पंजीकृत संगठन - 3017**
- **ईएसओपी परीक्षा केन्द्र - 647**
- **बुक किए गए स्लाट - 103647**
- **जारी प्रमाणपत्र - 28494**

2020-21

- **बुक किए गए स्लाट - 20494**
- **जारी प्रमाणपत्र - 6083**

18 मई, 2021 को ईएसओपी लर्निंग एंव सर्टिफिकेशन पोर्टल की स्थिति

5.2.5 मूल्यांकन और वित्त

डीडीयू-जीकेवाई के लिए एक मूल्यांकन एजेंसी के रूप में एनआईआरडीपीआर पूरे देश में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों और समवर्ती निगरानी बनने के लिए मानदंडों के अनुसार उपयुक्त संगठनों का चयन करता है। एमओआरडी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार ग्यारह राज्यों की डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं (रोशनी, हिमायत और सागरमाला सहित) के लिए आवेदनों का मूल्यांकन किया जाता है। एनआईआरडीपीआर हर तिमाही में पीआईए द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट के क्रॉस-सत्यापन को शामिल करते हुए समवर्ती निगरानी करता है। इसे पूरा करने के लिए, वित्त टीम वार्षिक कार्य योजना (एएपी) राज्यों में परियोजनाओं के त्रैमासिक यादृच्छिक सत्यापन करने के लिए एसआरएलएम का समय-समय पर दौरा करती है। वर्ष के दौरान प्राप्त 279 प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया। कोविड की स्थिति के बावजूद 193 सीटीएसए निरीक्षण किए गए।

5.2.5.5 डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं की समवर्ती वित्तीय निगरानी

एसओपी भाग- II अध्याय 8, खंड 8.10.2 के अनुसार, एनआईआरडीपीआर को राज्यों में परियोजनाओं का त्रैमासिक यादृच्छिक ऑडिट करना है। यह 16 राज्यों के त्रैमासिक यादृच्छिक लेखापरीक्षा सत्यापन के माध्यम से वित्तीय समवर्ती निगरानी करता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, एनआईआरडीपीआर ने कोविड स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन मोड के माध्यम से वित्तीय सत्यापन किया।

5.2.6 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) परियोजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की आरसेटी परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी की समस्या, कृषि

मजदूरों की अल्प-रोजगार और शहरी केंद्रों को ग्रामीण आबादी का प्रवास जैसी कई सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को कम करना है। ग्रामीण बेरोजगार बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) युवाओं को अच्छी गुणवत्ता का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एमओआरडी का विजन और मिशन प्रत्येक जिले में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में एक आरसेटी भवन बनाना है ताकि स्थानीय बैंकों से क्रेडिट लिंकेज की सहायता से स्व-रोजगार गतिविधियों को शुरू करके उन्हें उद्यमी बनने में सक्षम बनाना है।

एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के तहत आरसेटी आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। एनआईआरडीपीआर को विभिन्न आरसेटी प्रायोजक बैंकों से सहायता अनुदान प्रस्तावों को प्राप्त करने और संसाधित करने, मंजूरी के लिए एमओआरडी को प्रस्तावों की सिफारिश करने, बैंकों को मंत्रालय की मंजूरी से अवगत कराने और आरसेटी भवनों के निर्माण के लिए प्रायोजक बैंकों को धन जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है। एनआईआरडीपीआर आरसेटी को भवनों के निर्माण के लिए भूमि का निर्विवाद कब्जा प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करता है, आरसेटी के प्रायोजक बैंकों को जिला या राज्य के अधिकारियों द्वारा भूमि के आबंटन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने में मदद करता है और भवनों के निर्माण के लिए विभिन्न मंजूरी या अनुमोदन प्राप्त करने में भी मदद करता है। आरसेटी परियोजना प्रभाग, एमओआरडी के दिशानिर्देशों और एसओपी के अनुसार आरसेटी भवनों के निर्माण को पूरा करने में प्रायोजक बैंकों का मार्गदर्शन करता है।

उपलब्धि की प्रगति

31 मार्च, 2021 तक देश में विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित 586 चालू आरसेटी थे। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 18 आरसेटी के लिए रु.7.03 करोड़ जारी किए गए। 31 मार्च, 2021 तक, एनआईआरडीपीआर ने देश भर में स्थित 493 आरसेटी के लिए कुल 383.93 करोड़ रूपए जारी किया हैं। 285 जिलों में आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

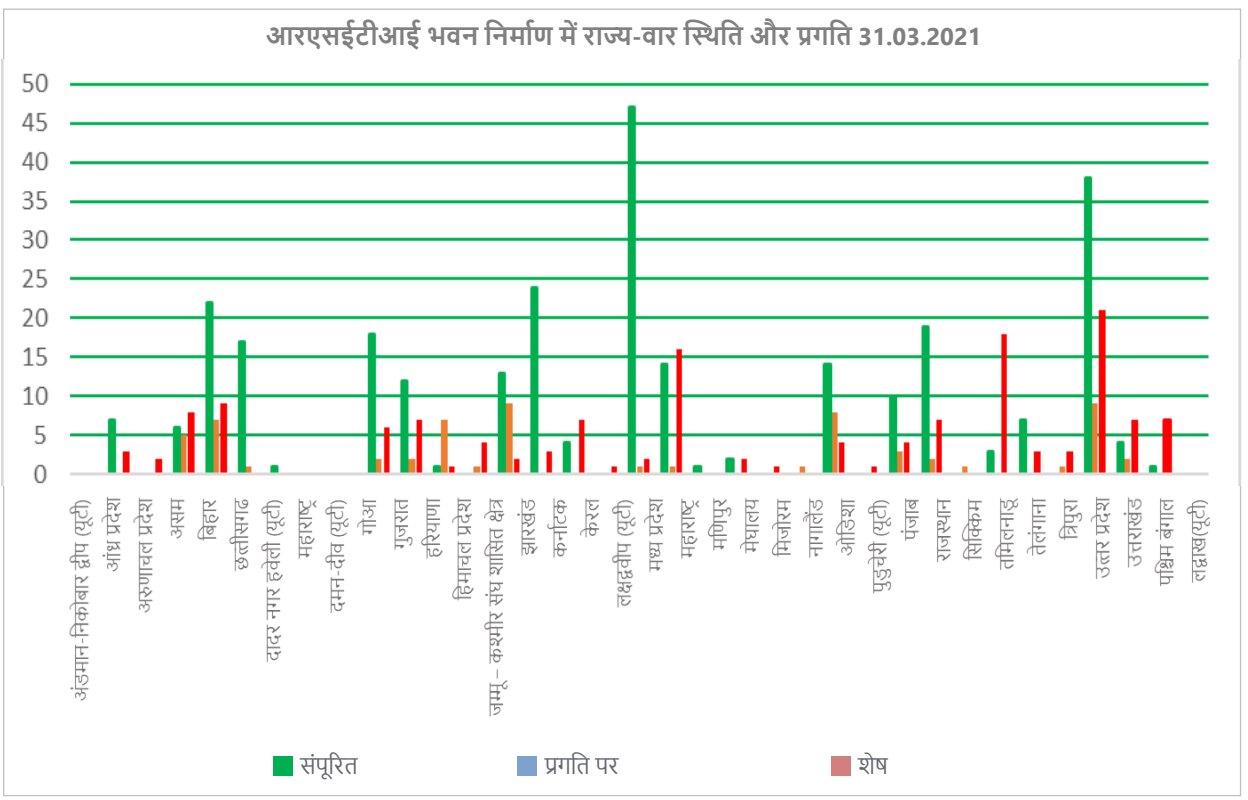

ग्राफ 5.5: आरएसईटीआई भवन निर्माण में राज्य-वार स्थिति और प्रगति

ग्राफ 5.5 यह सूचित करता है कि मध्य प्रदेश राज्य में निर्माण किए गए आरसेटी भवनों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और कर्नाटक हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा प्रायोजित आरसेटी की संख्या व्यापक रूप से भिन्न होती है। जबकि कुछ बैंकों जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, मेघालय ग्रामीण बैंक और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने पांच या उससे कम आरसेटी को प्रायोजित किया है, भारतीय स्टेट बैंक जैसे अन्य बैंकों ने पूरे देश में 150 से अधिक आरसेटी को प्रायोजित किया है।

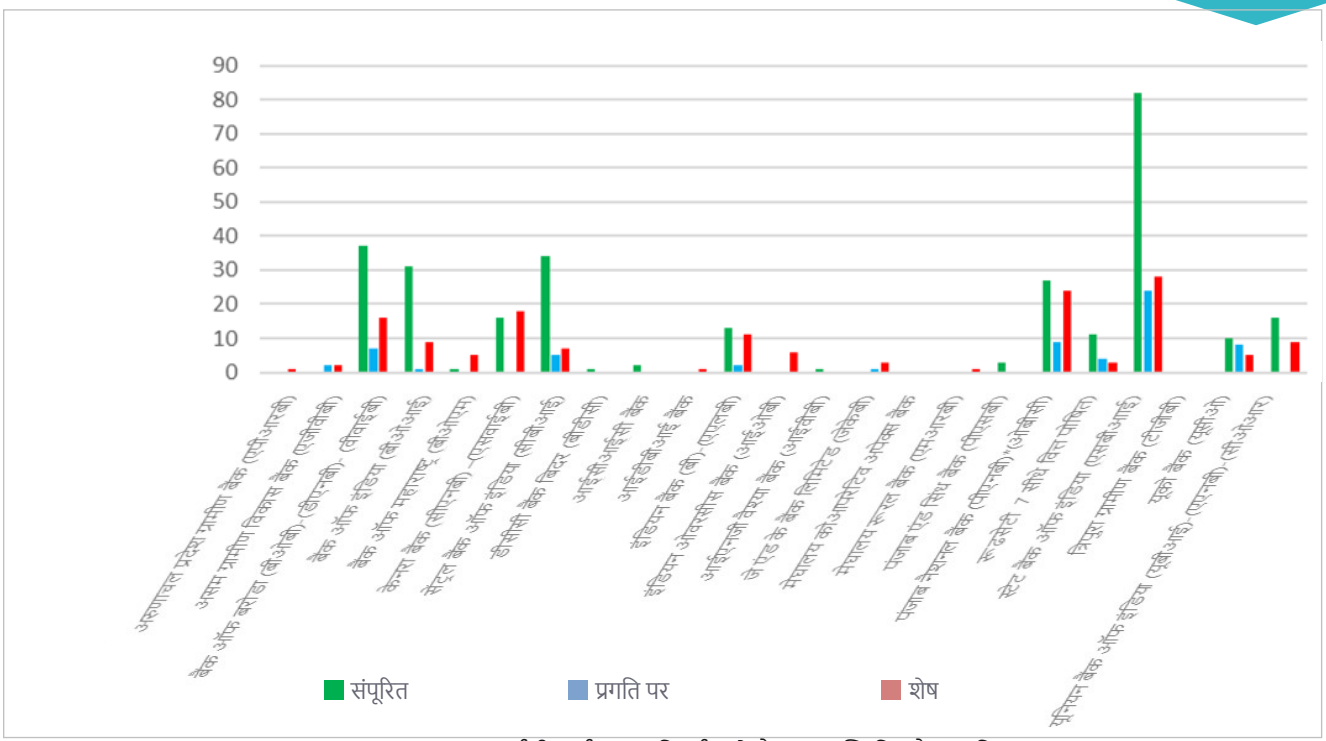

ग्राफ 5.6: आरएसईटीआई भवन निर्माण में बैंक-वार स्थिति और प्रगति

5.3. डीएवाई-एनआरएलएम आरसी, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद

आजीविका- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) को ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार द्वारा जून 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के पुनर्गठित संस्करण के रूप में शुरू किया गया था। मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है जिससे वे स्थायी आजीविका संवर्द्धन और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि कर सकें। नवंबर 2015 में, कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम) कर दिया गया। विभिन्न ग्रामीण आजीविका कार्यों को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ एसआरएलएम की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनआईआरडीपीआर में 2012 में एक संसाधन सेल बनाया गया था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, एनआरएलएम-आरसी ने जेंडर एकीकरण, बुजुर्गों और विशेषकर कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का समावेशन, पंचायती राज संस्थाओं के साथ अभिसरण, एसआरएलएम के नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण; सभी कार्यक्षेत्रों में संवर्गों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण; एसओपी प्रशिक्षण, बैंकरों का उन्मुखीकरण; बैंक सखी प्रशिक्षण; एसएचजी के ऑनलाइन ऋण आवेदन पर प्रशिक्षण; कृषि पारिस्थितिक पद्धतियों (एईपी) और पशुधन पर एसआरपी और एसआरएलएम कर्मचारियों को प्रशिक्षण, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसएचजी समूहों को राष्ट्रीय सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों (एनसीआरपी) द्वारा प्रशिक्षण, एकीकृत कृषि क्लस्टर, मॉड्यूल विकास कार्यशाला, जेंडर संचालन रणनीतियाँ, राष्ट्रीय स्त्रोत व्यक्तियों (एनआरपी) का पैनल बनाना और प्रशिक्षण, लेयरिंग गतिविधियों में एसआरएलएम को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एनआरपी को टीओआर जारी करना, जैसे विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित करने वाली गतिविधियों को प्रारंभ किया।

5.3.1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान क्षमता निर्माण पहल

2020-21 के दौरान, एनआरएलएम आरसी, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद ने विभिन्न ऑनलाइन और ऑफ-कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशालाएं/ समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए और एमओआरडी कार्यक्रमों का समन्वय किया। ऑनलाइन कार्यक्रमों के अलावा एनआरएलएम आरसी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से कर्मचारियों, संवर्ग और अन्य हितधारकों के लिए आवश्यकता-आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए विभिन्न एसआरएलएम को समर्थन भी दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संस्थान निर्माण और क्षमता निर्माण (आईबीसीबी), वित्तीय समावेशन (एफआई), जेंडर, आजीविका जैसे विभिन्न विषयगत कार्यक्षेत्रों के तहत क्षमता निर्माण एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, बैंकरों, पीआईए, सरकारी अधिकारियों और सीबीओ आदि को एनआरएलएम आरसी ने प्रशिक्षित किया है।

5.3.1.1. संस्थागत निर्माण और क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण

संस्थागत निर्माण और क्षमता निर्माण डीएवाई-एनआरएलएम संसाधन सेल का एक प्रमुख घटक है जो एसआरएलएम को मौजूदा कर्मचारियों

के साथ-साथ नए भर्तीयों के क्षमता निर्माण में मदद करती है ताकि कार्यान्वयन में सभी एसआरएलएम में एकमत का सृजन और नई पहल प्रारंभ किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, एनआरएलएम आरसी ने विभिन्न क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जिसमें एसआरएलएम स्टाफ प्रेरण; संघों के शासन और प्रबंधन पर एसओपी प्रशिक्षण; और 'विजन बिल्डिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट प्लान' पर कार्यशाला, एसआरएलएम को एनआरपी को अनुभव समर्थन देने के लिए एसआरएलएम को एनआरपी की नियुक्ति आदि शामिल है। वर्ष के दौरान, आईबीसीबी थीम के तहत 1,121 प्रतिभागियों के लिए कुल 17 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रेरण और समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से 838 महिलाएं थीं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 17 राज्यों यथा असम, बिहार, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड और ओडिशा के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

5.3.1.2. जेंडर विषय पर प्रशिक्षण

जेंडर विषय के तहत, एनआरएलएम आरसी ने 109 ऑनलाइन और ऑफ-कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, कार्यशालाओं में 5,163 प्रतिभागियों को शामिल किया गया, जिनमें से 2,150 प्रतिभागी 19 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और जम्मू-कश्मीरमहिलाएं उपस्थित हुई। कर्मचारियों, संवर्गों, नेताओं और सीबीओ के सदस्यों के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण गतिविधियों की योजना बनाने और संचालन में सहायता के लिए एसआरएलएम को एनआरपी प्रतिनियुक्त किया गया था।

5.3.1.3. भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और वॉश (एफएनएचडब्ल्यू) जैसे विषयों पर प्रशिक्षण

कुपोषण के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को पहचानते हुए, एनआरएलएम उपायों को व्यवस्थित रूप से चयनित स्वास्थ्य-पोषण-स्वच्छता पहल से जोड़ा जा रहा है। चल रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और प्रायोगिक पायलट परियोजनाओं के साक्ष्य यह प्रदर्शित करते हैं कि स्वैच्छिक संगठन (वीओ) विभिन्न मौजूदा सरकारी योजनाओं के प्रति एसएचजी महिलाओं में उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्नत कृषि/बागवानी, पानी और स्वच्छता से संबंधित कार्यों के लिए बहु-क्षेत्रीय मांगों का सृजन करने पर भी प्रभावी केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं। मिशन बेहतर पोषण को आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक इनपुट के रूप में मान्यता देता है और गरीबी को सार्थक रूप से कम करने के लिए इसे संबोधित करने की अनिवार्यता को पहचानता है। खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य, वाश (एफएनएचडब्ल्यू) हस्तक्षेपों को मुख्यधारा में लाना गरीबी के कुछ अंतर्निहित कारणों को दूर करने के लिए आवश्यक है और डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा अपनाई गई दशसूत्र रणनीति की प्राप्ति के एक आवश्यक और महत्वपूर्ण पहलू के रूप में बने रहना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, एनआरएलएम आरसी ने सात ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के 350 प्रतिभागियों को कवर किया गया।

5.3.1.4. वित्तीय समावेशन विषय पर प्रशिक्षण

वित्त वर्ष 2020-21 में, वित्तीय समावेशन विषय के तहत, ऑनलाइन बैंकर्स अभिमुखीकरण कार्यक्रम, बैंक सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम, एसएचजी बैंक लिंकेज, एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करना आदि विभिन्न गतिविधियां प्रारंभ की गईं, जिसमें 60 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ कार्यशालाओं में सात राज्यों यथा तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी और ओडिशा से 4,738 प्रतिभागियों को कवर किया गया।

5.3.1.5. आजीविका विषय पर प्रशिक्षण

वर्ष के दौरान, डीएवाई-एनआरएलएम आरसी ने कृषि आजीविका (एफएल) के साथ-साथ गैर-कृषि आजीविका (एनएफएल) गतिविधियों में एसआरएलएम की प्रशिक्षण आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न क्षमता निर्माण गतिविधियां प्रारंभ कीं। एनआरएलएम आरसी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), मॉड्यूल तैयारी, अध्ययन और सर्व श्रेष्ठ नियम पद्धतियों के प्रलेखन के विकास में एसआरएलएम और राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई (एनएमएमयू) का भी समर्थन करता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, डीएवाई-एनआरएलएम आरसी ने कृषि-पारिस्थितिकी पद्धतियों, कृषि, पशुधन, मूल्य श्रृंखला, किसान उत्पादक समूहों और किसान उत्पादक संगठनों, श्रेष्ठ नियम पद्धतियों के प्रलेखन के लिए एनआरपी को तैनात करना, कर्मचारियों का प्रेरण आदि विषयों में एफएल घटक के तहत सीआरपी के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में एसआरएलएम का समर्थन किया। वर्ष के दौरान, सात प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के 403 प्रतिभागियों को कवर किया गया।

गैर-कृषि आजीविका के तहत, एनआईआरडीपीआर के डीएवाई-एनएलआरएलएम आरसी ने गैर-कृषि आजीविका के तहत नए पैनल में शामिल एनआरपी के लिए कार्योन्मुख कार्यशाला का आयोजन किया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, एनआरएलएम आरसी ने 235 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, समीक्षाएं आयोजित कीं, जिसमें 28 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 13,733 प्रतिभागियों को कवर किया गया। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान डीएवाई एनआरएलएम सेल द्वारा 13 नवंबर, 2020 को क्रमिकवार पद्धतिपर राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक के एसआरएलएम कर्मचारियों से कोविड-19 पर आयुर्वेद, डेयरी फीडिंग एवं जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कोविड-19 के नियंत्रण पर वेबिनार और आयुर्वेद दिवस भी आयोजित किए गए थे।

सारणी 5.5: डीएवाई-एनआरएलएमआरसी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण और कार्यशालाएं

विषय	कैम्पस प्रशिक्षण	कैम्पस कार्यशालाएं	ऑफ-कैम्पस प्रशिक्षण	ऑफ-कैम्पस कार्यशालाएं	कुल
आईबीसीबी	5	1	9	2	17
जेंडर	94	2	13	0	109
एसआई-एसडी	14	5	1	0	20
एफएनएचडब्ल्यू	2	1	2	2	7
अभिसरण	3	0	0	0	3
वित्तीय समावेशन	46	1	13	0	60
कृषि आजीविका	5	1	1	0	7
गैर-कृषि आजीविका	0	0	0	1	1
एचआर	3	7	1	0	11
कुल	**172**	**18**	**40**	**5**	**235**

सारणी 5.5 से यह स्पष्ट है कि एनआरएलएमआरसी 2020-21 के दौरान जेंडर और वित्तीय समावेशन विषयों पर प्रशिक्षण आयात करता है।

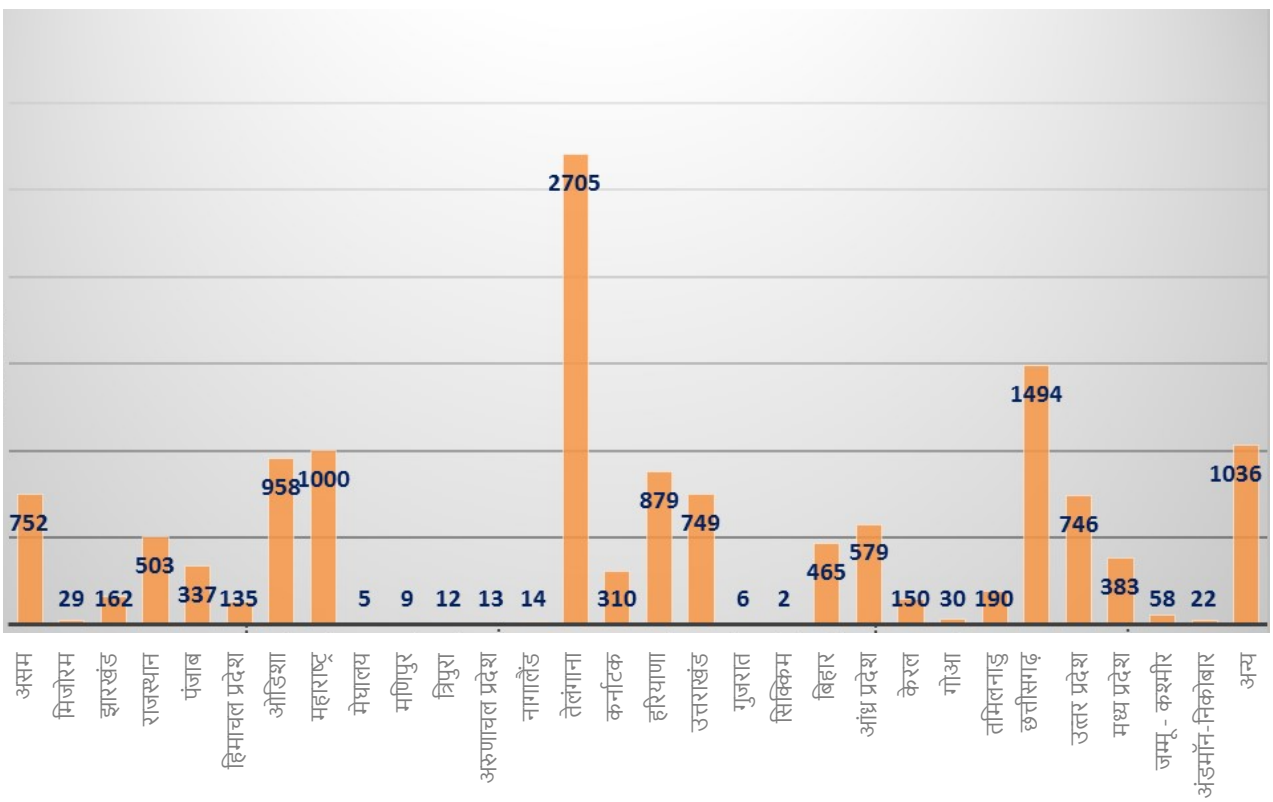

ग्राफ 5.7: डीएवाई-एनआरएलएम आरसी प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में भाग लिए राज्य-वार प्रतिभागियां

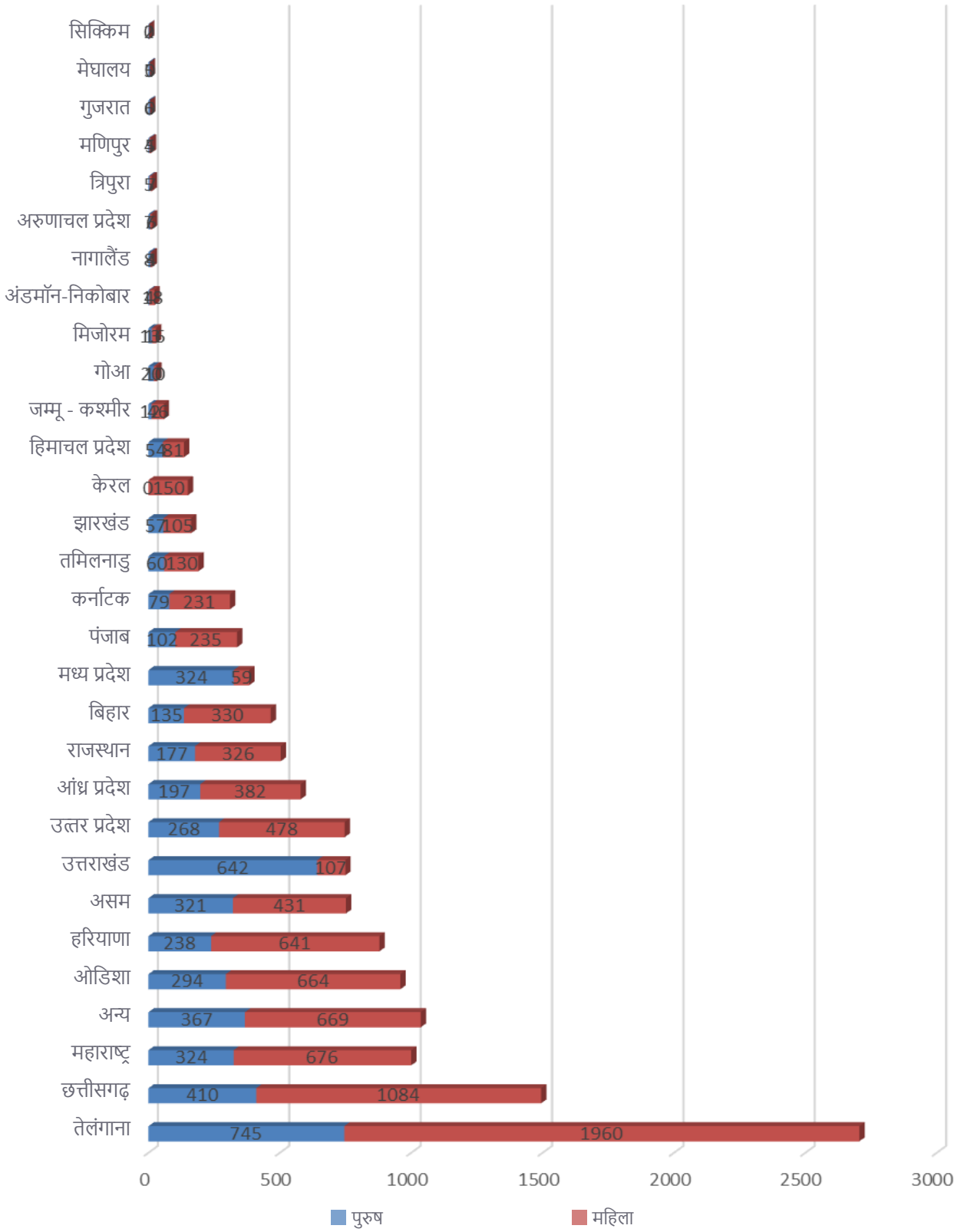

ग्राफ 5.8: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में पुरुष-महिलाओं की भागीदारी।

अध्याय - 6
शैक्षणिक कार्यक्रम

देश में युवा ग्रामीण विकास प्रबंधन विशेषज्ञों का एक संवर्ग तैयार करने के लिए एनआईआरडीपीआर ने शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीडीआरडीएम) को वर्ष 2008 में प्रति बैच 50 छात्रों की क्षमता के साथ शुरू किया गया था। वर्ष 2018 में, संस्थान ने एआईसीटीई, नई दिल्ली के अनुमोदन से विकास प्रबंधन-ग्रामीण प्रबंधन कार्यक्रम में दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएम-आरएम) प्रारंभ किया।

संस्थान ने 2010 में हैदराबाद विश्वविद्यालय (यूओएच) के सहयोग से सतत ग्रामीण विकास में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीडी-एसआरडी) में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके बाद, संस्थान ने 2012 में जनजातीय विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा(पीजीडी-टीडीएम) और अगस्त, 2014 में ग्रामीण विकास में भू -स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडी-गार्ड) प्रारंभ किया। वर्तमान में, उपरोक्त तीन कार्यक्रम 18 महीने की अवधि के साथ एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित हैं। वर्ष 2018 में, संस्थान ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से 'पंचायती राज शासन और ग्रामीण विकास' पर एक और डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया।

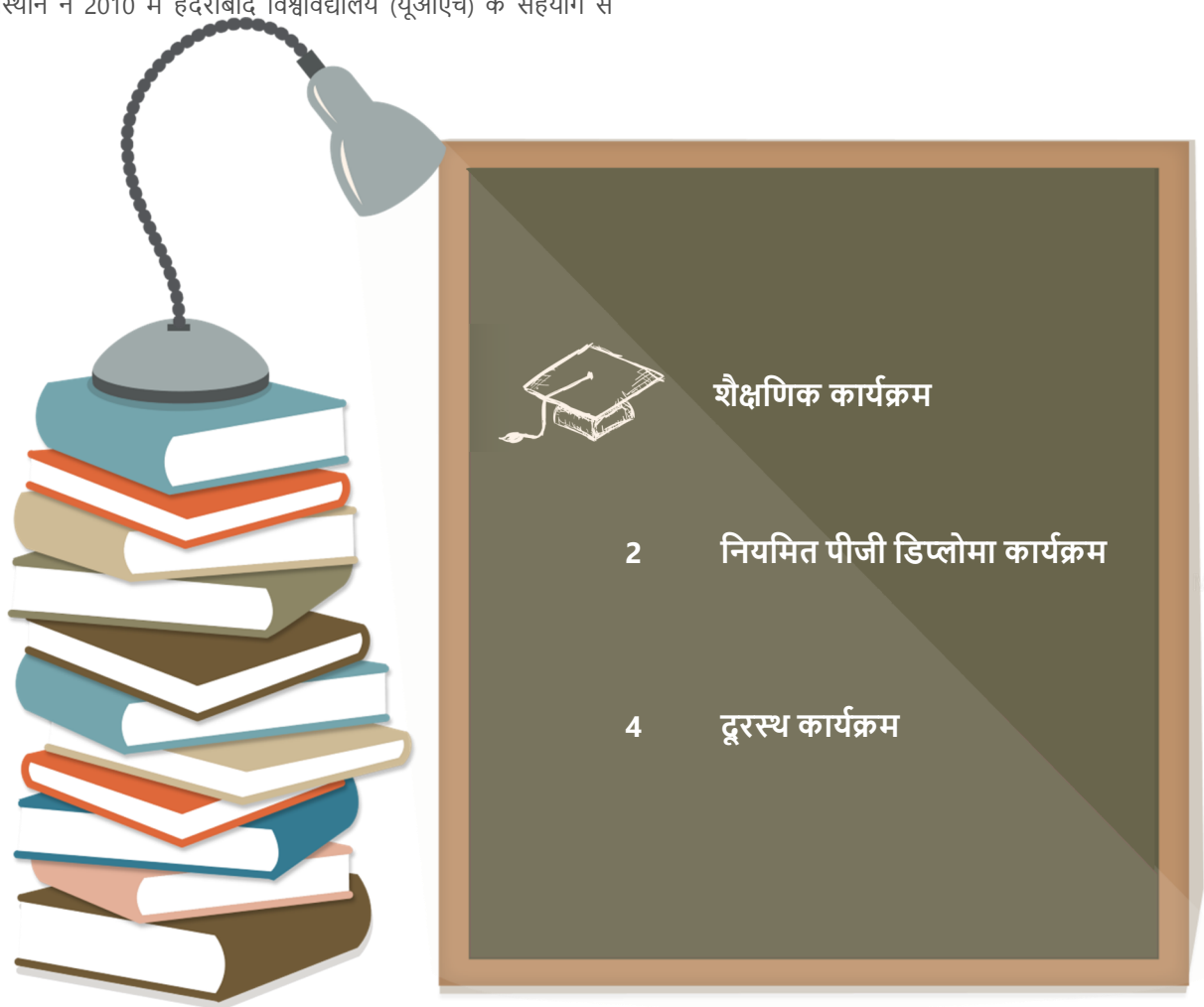

चित्र 6: एनआईआरडीपीआर द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रकार

6.1 नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम

6.1.1 ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम) कार्यक्रम

एक वर्षीय पीजीडीआरडीएम का 18वां बैच 17 अगस्त 2020 से शुरू हुआ, जिसमें कुल 30 छात्रों का नामांकन हुआ। योग्यता और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर छात्रों का चयन किया गया। ये छात्र भारत के विभिन्न क्षेत्रों से थे, अर्थात चार छात्र मध्य भारत, 9 दक्षिणी भारत, एक उत्तरी भारत, 12 पूर्वी भारत, और एक उत्तर पूर्व से है। म्यांनमार से सिर्डाप द्वारा प्रायोजित तीन अंतरराष्ट्रीय सेवाकालीन छात्रों ने इस कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया । 8 मार्च, 2021 को, पहले दो ट्रायमेस्टर पूर्ण हो चुके हैं और तीसरा ट्रायमेस्टर जुलाई 2021 तक पूर्ण हो जाएगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की गईं।

6.1.2 प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा - ग्रामीण प्रबंधन (पीजीडीएम-आरएम) कार्यक्रम

पीजीडीएम-आरएम का तीसरा बैच 17 अगस्त, 2020 से 27 छात्रों के साथ शुरू हुआ। छात्रों का चयन योग्यता के आधार पर अर्थात अखिल भारतीय प्रबंधन योग्यता परीक्षा में उनके प्रदर्शन और तत्पश्चात व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया गया। प्रवेश प्राप्त लगभग 22 प्रतिशत छात्र कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान से हैं, 11 प्रतिशत छात्र विज्ञान के अन्य स्ट्रीम के, 30 प्रतिशत छात्र कला से, 33 प्रतिशत इंजीनियरिंग, बीसीए आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और शेष 1.4 प्रतिशत प्रबंधन से है। वर्तमान में, सभी छात्र संगठनात्मक इंटर्नशिप कर रहे हैं। पहले दो ट्रायमेस्टर पूरे हो चुके हैं और शेष चार ट्रायमेस्टर जून 2022 तक पूरे हो जाएंगे। पीजीडीएम-आरएम का दूसरा बैच, जो अगस्त 2019 में 21 छात्रों के साथ शुरू हुआ था, वर्तमान में प्रगति पर है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की गईं।

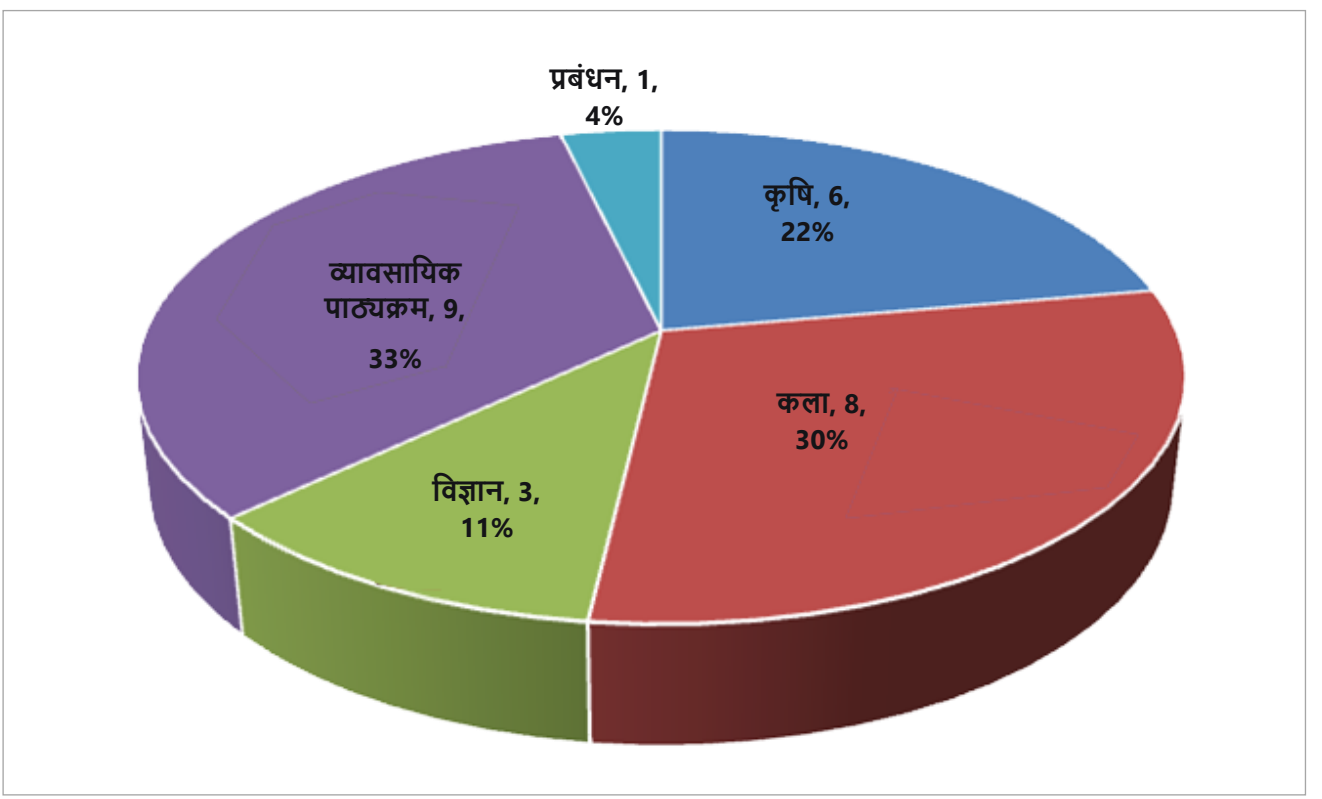

ग्राफ 6.1: बैच 17 पीजीडीएम-आरएम कार्यक्रम की संरचना

क. आवासीय कार्यक्रम के लिए ग्रामीण संगठनात्मक इंटर्नशिप

मार्च 2021 में पीजीडीआरडीएम बैच-18 और पीजीडीएम-आरएम बैच-3 के छात्रों के लिए आठ सप्ताह के ग्रामीण संगठनात्मक इंटर्नशिप का आयोजन किया गया ताकि छात्रों को ग्रामीण समाज की मूल समस्याओं और इसकी गतिशीलता के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। फील्ड अटैचमेंट घटक संस्थानों, संगठनात्मक संरचनाओं, संगठनात्मक संस्कृति, प्रबंधन प्रणाली, मानव संसाधन विकास, वित्त, उत्पादन प्रक्रियाओं, विपणन, मूल्य संवर्धन, आदि पर केंद्रित है। संगठनात्मक घटक के साथ फील्डवर्क आरम्भ किया गया (i) एपी सामाजिक लेखापरीक्षा, (ii) बीआरएलपीएस , (iii) कोल इंडिया, (iv) एफएसएल इंडिया, (v) ग्रामालय, (vi) आईसीआईसीआई फाउंडेशन, (vii) झारखंड एसआरएलएम, (viii) कुदुम्बश्री, (ix) मेघालय सामाजिक लेखापरीक्षा, (x) एमपीएसआरएलएम, (xi) मुइकानूर सहकारी समिति, (xii) म्यांनमार सैमौलउंडोंग परियोजना, (xiii) पंजाब एसआरएलएम, (xiv) राजस्थान एसआरएलएम, (xv) सहयोगी बिहार, (xvi) सेवक ओडिशा, (xvii) यूपीएसआरएलएम, (xviii) वासन झारखंड के लिए किया गया।

ख. बैच-17 पीजीडीआरडीएम कार्यक्रम का कैंपस प्लेसमेंट

जुलाई 2020 में संस्थान से स्नातक करने वाले पीजीडीआरडीएम- बैच 17 के 90% छात्रों को प्लेसमेंट कराने का श्रेय संस्थान को प्राप्त है। निम्नलिखित सात संगठनों में सभी 27 छात्रों को प्लेसमेंट दिया गया था: (i) झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाईटी (ii) ग्राम उन्नति, (iii) एपीएमएएस, (iv) कर्नाटक एसआरएलएम (v) पंजाब एसआईआरडी, (vi) गुजरात एसआरएलएमऔर (vii) राजस्थान एसआरएलएम।

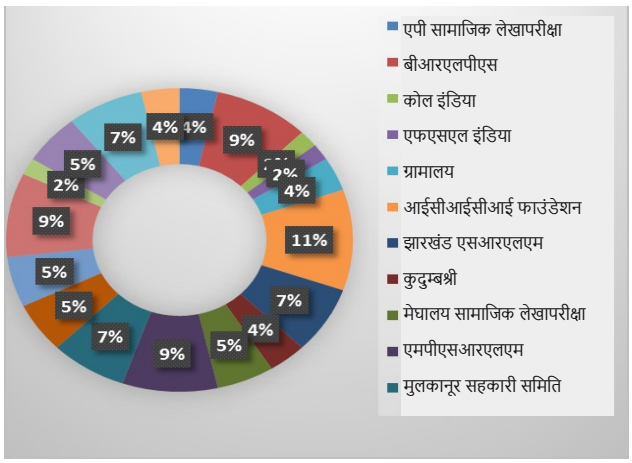

ग्राफ 6.2: ग्रामीण संगठनात्मक इंटर्नशिप: पीजीडीआरडीएम बैच-18 और पीजी डीएम-आरएम बैच-3

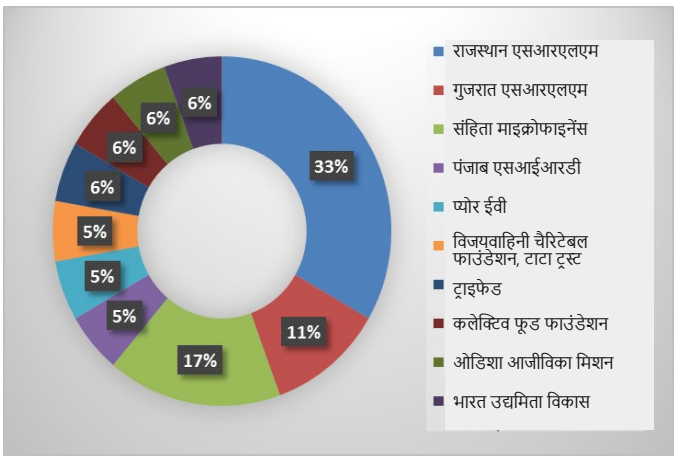

ग्राफ 6.3: पीजीडीआरएम-आरएम बैच-1 का कैंपस प्लेसमेंट

जुलाई 2020 में संस्थान से स्नातक करने वाले पीजीडीएम-आरएम - बैच 1 के छात्रों के लिए 100 प्रतिशत प्लेसमेंट दिलाने का श्रेय संस्थान को प्राप्त है। निम्नलिखित दस संगठनों में सभी 18 छात्रों को प्लेसमेंट दिया गया था: (i) राजस्थान एसआरएलएम (ii) गुजरात एसआरएलएम, (iii) संहिता माइक्रोफाइनेंस, (iv) पंजाब एसआईआरडी, (v) प्योर ईवी, (vi) विजयवाहिनी चैरिटेबल फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट (vii) ट्राइफेड, (viii) कलेक्टिव फूड फाउंडेशन, (ix) ओडिशा आजीविका मिशन और (x) भारत उद्यमिता विकास।

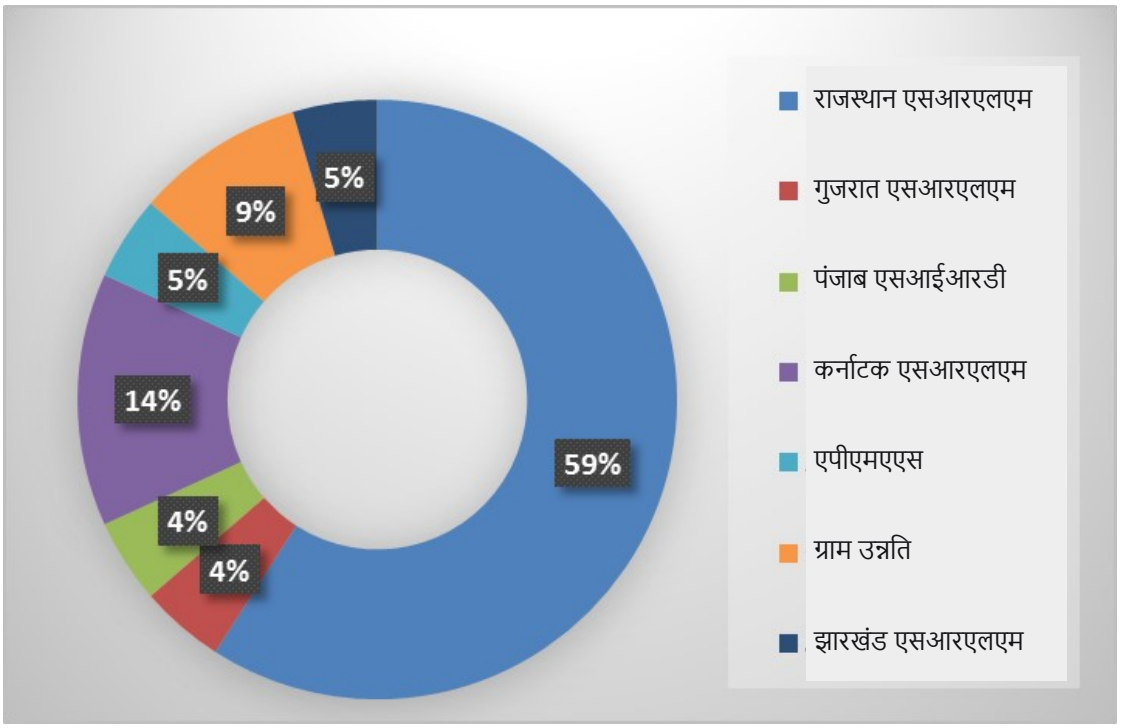

ग्राफ 6.4: पीजीडीआरडीएम बैच-18 का कैंपस प्लेसमेंट

6.2 दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

6.2.1 सतत ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएसआरडी)

18 महीने का एआईसीटीई-अनुमोदित पीजीडीएसआरडी बैच -12 कार्यक्रम (दूरस्थ मोड) 174 छात्रों के साथ प्रगति पर है। इस कार्यक्रम की अवधि जनवरी 2020 से जून 2021 तक है। पहले सेमेस्टर की ऑनलाइन संपर्क कक्षाएं 10 से 13 अगस्त, 2020 तक आयोजित की गईं और प्रथम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा 17 से 20 अक्तूबर, 2020 तक आयोजित की गई और दूसरे सेमेस्टर की ऑनलाइन संपर्क कक्षाएं 14 से 16 दिसंबर, 2020 तक आयोजित की गईंऔर दूसरे सेमेस्टर की अंतिम परीक्षाएं25 से 28 जनवरी, 2021 तक आयोजित की गई थी। वर्तमान में, छात्र तीसरे सेमेस्टर का परियोजना कार्य कर रहे हैं। पीजीडीएसआरडी का बैच-13 28 फरवरी, 2021 को 189 छात्रों के प्रवेश के साथ शुरू हुआ ।

इसके अलावा, संस्थान पाठ्यक्रम के लिए अफगानिस्तान से भी छात्रों को प्रवेश प्रदान करता है और इसके लिए अफगानिस्तान ग्रामीण विकास संस्थान

(एआईआरडी), काबुल के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाती है। कार्यक्रम एक वर्ष की अवधि का है। पीजीडीएसआरडी कार्यक्रम का 11वां बैच जनवरी, 2020 में शुरू हुआ। कार्यक्रम में अठारह छात्र शामिल हुए। प्रथम सेमेस्टर की ऑनलाइन संपर्क कक्षाएं 10-13 अगस्त, 2020 तक आयोजित की गईं और प्रथम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा 17 -20 अक्तूबर, 2020 तक आयोजित की गई और कोविड-19 महामारी के कारण द्वितीय सेमेस्टर ऑनलाइन संपर्क कक्षाएं 14 से 16 दिसंबर, 2020 तक और दूसरे सेमेस्टर की अंतिम परीक्षाएँ 25 -28 जनवरी, 2021 तक आयोजित की गईं।

6.2.2 जनजातीय विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीटीडीएम)

18 महीने का एआईसीटीई-अनुमोदित पीजीडीटीडीएम बैच-9 जनवरी 2020 से शुरू हुआ। इस बैच में 45 छात्र हैं। प्रथम सेमेस्टर की ऑनलाइन संपर्क कक्षाएं 11 -14 अगस्त, 2020 तक आयोजित की गईं और प्रथम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा 13 -16 अक्तूबर, 2020 तक आयोजित की गई और द्वितीय सेमेस्टर की ऑनलाइन संपर्क कक्षाएं 14 -16 दिसंबर, 2020 तक और दूसरे सेमेस्टर की अंतिम परीक्षाएं 25 -28 जनवरी, 2021 तक आयोजित की गयी । वर्तमान में, छात्र तीसरे सेमेस्टर का परियोजना कार्य कर रहे हैं। पीजीडीटीडीएम बैच -10 28 फरवरी, 2021 को 42 छात्रों के प्रवेश के साथ शुरू हुआ।

6.2.3 ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीजीएआरडी)

जनवरी, 2020 से प्रारंभ 18 महीने का एआईसीटीई अनुमोदित पीजीडीजीएआरडी बैच-5 वर्तमान में प्रगति पर है। इस बैच में 103 विद्यार्थी हैं। प्रथम सेमेस्टर की ऑनलाइन संपर्क कक्षाएं 11 मई से 11 जून, 2020 तक आयोजित की गईं और प्रथम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा 12 -17 अक्तूबर, 2020 तक आयोजित की गई और द्वितीय सेमेस्टर की ऑनलाइन संपर्क कक्षाएं 21 - 24 दिसंबर, 2020 तक और दूसरे सेमेस्टर की अंतिम परिक्षाएं 29 जनवरी से 2 फरवरी, 2021 तक आयोजित की गई थीं। वर्तमान में, छात्र तीसरे सेमेस्टर का परियोजना कार्य कर रहे हैं। पीजीडीजीएआरडी का बैच -6 28 फरवरी, 2021 में 118 छात्रों के प्रवेश के साथ शुरू हुआ था।

6.2.4 हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से पंचायती राज शासन और ग्रामीण विकास पर डिप्लोमा कार्यक्रम (डीपी-पीआरजीआरडी)

एक वर्षीय डीपी-पीआरजीआरडी कार्यक्रम का दूसरा बैच जनवरी 2020 में शुरू हुआ। इस बैच में 47 छात्र थे। प्रथम सेमेस्टर की ऑनलाइन संपर्क कक्षाएं 10 से 12 अगस्त, 2020 तक और दूसरे सेमेस्टर की संपर्क कक्षाएं 16-18 दिसंबर, 2020 तक आयोजित की गईं। वर्तमान में, छात्र अपने परियोजना कार्य में व्यस्त हैं। डीपी-पीआरजीआरडी का तीसरा बैच 28 फरवरी, 2021 से 72 छात्रों के नामांकन के साथ प्रारंभ हुआ ।

पीजीडीएसआरडी बैच-11

पीजीडीटीडीएम बैच-9

पीजीडीजीएआरडी बैच-5

अध्याय - 7
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर विशेष फोकस

एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी परिसर

7.1 परिचय

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान का उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी) जुलाई, 1983 में गुवाहाटी में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं और क्षमताओं के लिए अपने प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को कर्योंमुख करना था।

एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी का अधिदेश

- वरिष्ठ विकास अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना।
- स्वयं या अन्य एजेंसियों के माध्यम से अनुसंधान में सहायता, प्रचार और संयोजन करना।
- ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, विकेंद्रीकृत शासन, आईटी अनुप्रयोगों, पंचायती राज और संबंधित मुद्दों के लिए कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण और समाधान प्रदान करना।
- संस्थान के मूल उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए पत्रिकाओं, रिपोर्टों और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से सूचना का प्रचार-प्रसार करना।

7.2 प्रशिक्षण विशिष्टताएँ 2020-21

एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी द्वारा 2020-21 के दौरान प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और संगोष्ठी सहित कुल 58 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रति कार्यक्रम 60 प्रतिभागियों की औसत भागीदारी के साथ 14961 प्रतिभागी शामिल हुए थे (एक ऑनलाइन कार्यक्रम को छोड़कर जिसमें 11,433 प्रतिभागियों ने भाग लिया)। इन कार्यक्रमों में 49 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, चार कार्यशालाएं/राईटशॉप, चार संगोष्ठियां/सम्मेलन और एक महीने की अवधि का एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शामिल था। कुल महिला प्रतिभागी 6,457 थीं। आयोजित किए गए कुल ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रम क्रमशः 48 और 10 थे। एसआईआरडी और

क्षेत्र के अन्य संस्थानों और संगठनों में नौ ऑफ-कैंपस कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी कार्यक्रमों में से चार कार्यक्रम प्रायोजित/ सहयोगी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी के एनआरएलएम-आरसी ने भी 46 कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 3,341 प्रतिभागियों को शामिल किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वालों के ग्राहक विवरण सारणी 7.1 में प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी 7.1: ग्राहकों/प्रतिभागियों के प्रकार

क्र.सं.	प्रतिभागियों की श्रेणियां	प्रत्येक श्रेणी में प्रतिभागियों की संख्या
1	सरकारी अधिकारी	1417
2	जिला परिषद/ पंचायती राज संस्थाएं/ वीडीबी/ वीसी कार्यकर्ता	9821
3	स्वैच्छिक संगठन / गैर सरकारी संगठन	195
4	राष्ट्रीय/राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	320
5	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय	955
6	अंतर्राष्ट्रीय	107
7	अन्य (बैंकर+ पीएसयू +व्यक्तिगत या कोई अन्य)	1808
कुल		**14961**

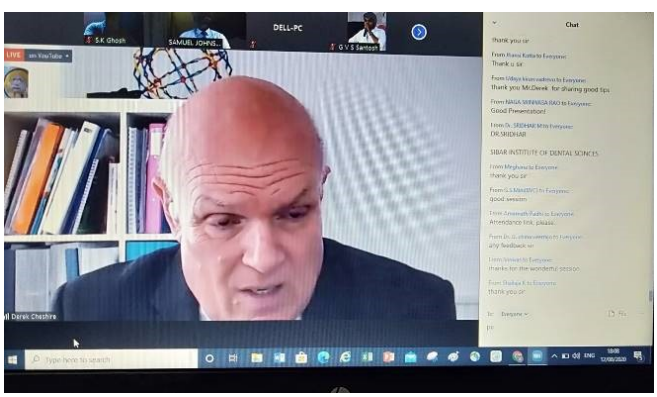

एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी द्वारा संचालित कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की झलक

एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी में प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ बातचीत

2020-21 के दौरान एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी कार्यक्रमों के प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं:

- कोविड-19 महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य का प्रबंधन
- एकीकृत आपदा प्रबंधन
- ग्रामीण विकास में भू-आईसीटी अनुप्रयोग
- किसान उत्पादक संगठन का प्रबंधन
- ई-ग्राम स्वराज पोर्टल
- ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र उद्यम को बढ़ावा देना
- ग्राम विकास योजना तैयार करना
- ई-गवर्नेंस और डिजिटल भुगतान प्रणाली
- सतत कृषि क्षेत्र आजीविका और उद्यमों को बढ़ावा देना
- जीपीडीपी, **XV**-एफसी अनुदान
- ओपन सोर्स आईसीटी एप्लिकेशन और डिजिटल मार्केटिंग
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
- ग्रामीण विकास परियोजना प्रबंधन
- सामाजिक उद्यम विकास और प्रबंधन
- ग्रामीण विकास में अनुसंधान के तरीके

एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी गुवाहाटी के विभिन्न कार्यक्रमों के राज्यवार प्रतिभागियों का विवरण सारणी - 7.2 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.2: भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रतिभागी

क्र.सं.	राज्य	प्रतिभागियों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	161
2	असम	534
3	मणिपुर	130
4	मेघालय	247
5	मिजोरम	159
6	नागालैंड	63
7	सिक्किम	261
8	त्रिपुरा	258
कुल		**1813**

भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अलावा अन्य राज्य-वार प्रतिभागियों का विवरण सारणी-7.3 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.3: उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अलावा अन्य राज्यों से प्रतिभागी

क्र.सं.	राज्य	प्रतिभागियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	125
2	बिहार	85
3	चंडीगढ़	4
4	छत्तीसगढ़	20
5	दिल्ली	76
6	गोआ	3
7	गुजरात	36
8	हरियाणा	42
9	हिमाचल प्रदेश	26
10	जम्मू और कश्मीर	40
11	झारखंड	106
12	कर्नाटक	57
13	केरल	34
14	मध्य प्रदेश	48
15	महाराष्ट्र	134
16	ओडिशा	55
17	पांडिचेरी	1
18	पंजाब	40
19	राजस्थान	38
20	तमिलनाडु	232
21	तेलंगाना	11591
22	उत्तर प्रदेश	139
23	उत्तराखंड	57
24	पश्चिम बंगाल	159
कुल		**13148**

वर्ष के दौरान एनईआरसी द्वारा प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में 107 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भाग लिया।

7.2.1 होमस्टे पर फोकस के साथ ग्रामीण पर्यटन पर एक महीने का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

22 फरवरी से 20 मार्च, 2021 तक एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी में मेघालय राज्य के लिए होमस्टे पर फोकस के साथ ग्रामीण पर्यटन पर एक महीने की अवधि का एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। यह पाठ्यक्रम उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय (डोनर) भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। इस पाठ्यक्रम में मेघालय के 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो मेघालय राज्य ग्रामीण आजीविका सोसायटी (एमएसआरएलएस) के तहत स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं। ग्रामीण होमस्टे पर्यटन पर एनआईआरडीपीआर द्वारा विकसित पाठ्यक्रम मॉड्यूल का पालन करते हुए एक महीने के पाठ्यक्रम के तकनीकी सत्रों को सावधानीपूर्वक डिजाइन और नियोजित किया गया था। एक महीने का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम 20 मार्च, 2021 को समाप्त हुआ।

सिक्किम के लिए क्षेत्र परिचयात्मक दौरा

मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता: अमृत महोत्सव समारोह

अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में, मासिक धर्म स्वच्छता और जेंडर सशक्तिकरण पर एक सत्र आयोजित किया गया था। इसके बाद मेघालय की 16 महिला प्रतिभागियों के लिए कपास सेनेटरी पैड बनाने पर एक व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इसके अलावा, मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए, प्रतिभागियों को पुन: प्रयोज्य सूती सैनिटरी पैड बनाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया।

7.2.2. उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला (ऑन-बोर्डिंग ई-ग्रामस्वराज - पीएफएमएस इंटरफेस)

ई-शासन संचालन पर जोर देने के साथ, पंचायती राज मंत्रालय ने आंतरिक प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों के लिए कार्य प्रवाह आधारित लेखा प्रणाली ई-ग्रामस्वराज की स्थापना की है। ई-ग्रामस्वराज (https://egramswaraj.gov.in/) पोर्टल पंचायतों में किए गए कार्यों की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक एकीकृत उपकरण है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल, 2020 को लॉन्च किया गया था।

इसे देखते हुए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर पहला प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला 15-19 मार्च, 2021 के दौरान एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के लिए आयोजित किया गया था। कुल मिलाकर, आरडी, पीआरआई, एसएमपीयू, डीएनओ, राज्य एनआईसी, एसआईपीडीपीआर और पीएफएमएस नोडल अधिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी पूर्वोत्तर राज्यों (त्रिपुरा को छोड़कर) के 77 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस पांच दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला में सभी घटक ई -ग्रामस्वराज में प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

स्त्रोत व्यक्तियों के साथ प्रतिभागीगण

विचार-विमर्श सत्र प्रगति पर

7.3 2020-21 के दौरान अनुसंधान हस्तक्षेप की मुख्य विशेषताएं

एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की क्षेत्र-विशिष्ट समस्याओं पर अनुसंधान और इस क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में दोनों यानि नैदानिक और कार्यक्रम-उन्मुख अनुसंधान अध्ययन करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी ने एनआईआरडीपीआर द्वारा स्वीकृत एक कार्य अनुसंधान परियोजना सहित नौ परामर्शी अध्ययन किए हैं। नौ अनुसन्धान अध्ययनों में से पांच पूरे हो चुके हैं और चार पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। 2020-21 की अवधि के दौरान किए गए अनुसन्धान अध्ययनों के प्रमुख फोकस क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि
- पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-संसूचना विज्ञान
- पीएमकेएसवाई
- समय और गति अध्ययन
- ग्राम अभिग्रहण अध्ययन
- किसान आय, पोषाहार और सतत आर्थिक विकास
- पारिस्थितिकी बहाली और स्मार्ट जलवायु दृष्टिकोण

7.4 इंटर्नशिप

एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी के संकाय सदस्यों ने देश भर के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से अच्छी संख्या में एम.एससी/एम.टेक/एमएसडब्ल्यू/एमए छात्रों का मार्गदर्शन किया है। कुछ विश्वविद्यालयों का विवरण निम्नलिखित है, जहां से छात्रों ने वर्ष 2020-21 के दौरान एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी के सी-गार्ड में अपना शोध प्रबंध कार्य और इंटर्नशिप पूरा किया।

1. भू-संसूचना विज्ञान विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड के एम.टेक छात्र
2. केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय
3. तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय
4. कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय

उपरोक्त विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षुओं ने उपकरण, तकनीक सीखा और जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और जीपीएस में अपने तकनीकी कौशल को बढ़ाया और फील्ड डेटा शेड्यूल, फील्ड डेटा संग्रह, विश्लेषण, परियोजना योजना और रिपोर्ट लेखन आदि के डिजाइन में अपने कौशल को बढ़ाया।

7.5 एनआरएलएम-संसाधन सेल, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी की गतिविधियां

वर्ष 2020-21 में, एनआरएलएम संसाधन सेल, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी ने कुल 3,341 प्रतिभागियों को कवर करते हुए 46 कार्यक्रम पूरे किए हैं, जिसमें अप्रैल, 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान कुल 1321 महिला प्रतिभागियों ने सहभाग किया। इन 46 पूर्ण कार्यक्रमों में से, 40 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं (1257 महिलाओं के साथ 3199 प्रतिभागी) और 6 ऑफ़लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं (64 महिलाओं के साथ 142 प्रतिभागी) जिसमें सभी पूर्वोत्तर एसआरएलएम के प्रतिभागी शामिल हुए। आयोजित कार्यक्रमों के विषयगत विषयों में आईबीसीबी-एसआईएसडी-जेंडर-एफएनएचडब्ल्यू (18 कार्यक्रम), वित्तीय समावेशन (6 कार्यक्रम), आजीविका-कृषि और गैर-कृषि (13 कार्यक्रम), मानव संसाधन प्रशिक्षण (7 कार्यक्रम) और एमआईएस (2 कार्यक्रम) शामिल हैं। विषयवार प्रशिक्षण कार्यक्रमों और राज्यवार प्रतिभागियों का विवरण सारणी-7.4 और 7.5 एवं ग्राफ 7.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 7.4: प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषयगत विषयों का विवरण

क्र.सं.	विषय	प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	आईबीसीबी प्रशिक्षण और बैठकें	10	446
2	जेंडर प्रशिक्षण	3	1164
3	एफएनएचडब्ल्यू प्रशिक्षण	3	360
4	एसआईएसडी प्रशिक्षण	2	77
5	एफआई प्रशिक्षण	6	235
6	आजीविका - कृषि प्रशिक्षण	9	321
7	आजीविका - गैर कृषि प्रशिक्षण	4	197
8	एचआर	7	426
9	एमआईएस	2	115
कुल		46	3341

सारणी 7.5: एसआरएलएम-वार प्रतिभागियों का विवरण

एसआरएलएम	संख्या
अरुणाचल प्रदेश	702
असम	758
मणिपुर	134
मेघालय	534
मिजोरम	192
नागालैंड	369
सिक्किम	386
त्रिपुरा	266
कुल	3341

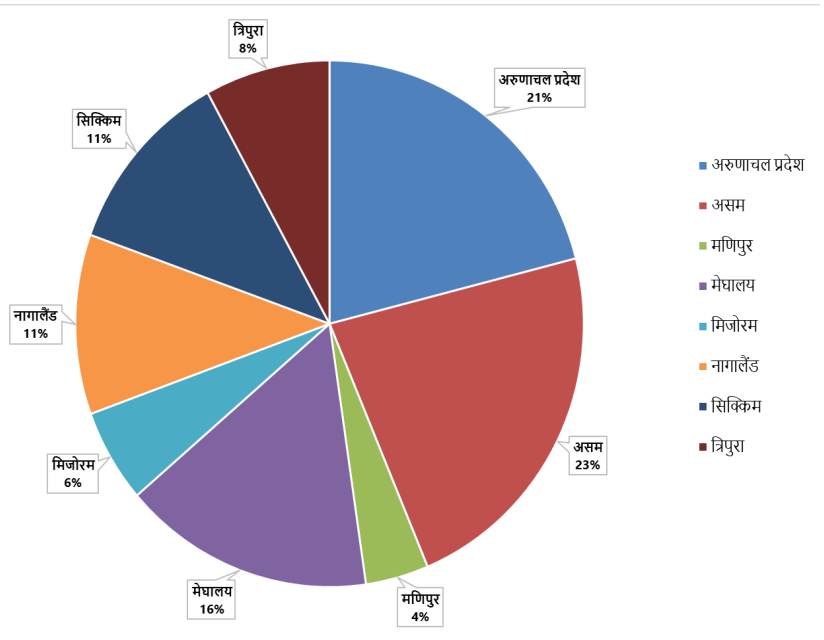

ग्राफ 7.1: एसआरएलएम वार प्रतिभागियों की संख्या

नागालैंड एसआरएलएम के कर्मचारियों के लिए जैविक खेती पर प्रशिक्षण सत्र

स्प्रेड एनई, सोनापुर, कामरूप, असम में जैविक खेती प्रशिक्षण के दौरान क्षेत्र दौरा

मेघालय एसआरएलएम के कर्मचारियों के लिए वीओ गठन और प्रबंधन पर प्रशिक्षण के दौरान क्षेत्र दौरा

7.6. डीडीयू-जीकेवाई सेल, गुवाहाटी की गतिविधियां

- **डीडीयू जीकेवाई के तहत परियोजनाओं की मानिटरिंग:** अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी टीम ने निम्नलिखित निरीक्षण किए:

राज्य	किए गए निरीक्षणों की संख्या
असम	32
मेघालय	3

- **पदस्थापित अभ्यर्थियों का सत्यापन:**

राज्य	किए गए भौतिक सत्यापनों की संख्या
असम	75
मेघालय	0

अध्याय - 8
एनआईआरडीपीआर - दिल्ली की पहल

भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक सोसायटी के रूप में लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) के विघटन और एनआईआरडीपीआर के साथ विलय के लिए उचित कदम उठाने के लिए अधिकृत किया। यह विलय 1 मई, 2020 से प्रभावी हुआ जब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कपार्ट के विघटन और एनआईआरडीपीआर के साथ उसके बाद के विलय को अधिसूचित किया।

राजपत्र अधिसूचना (सं. एसओ 1255 (ई) दिनांक 13 अप्रैल, 2020) के दिशानिर्देशों के अनुसार, एनआईआरडीपीआर के साथ कपार्ट के विलय के बाद, कपार्ट के सभी मौजूदा कर्मचारियों की सेवाएं एनआईआरडीपीआर में स्थानांतरित हो जाएंगी और वे सभी उद्देश्यों के लिए 1 मई, 2020 से एनआईआरडीपीआर के कर्मचारी माने जाएंगे।

विलय के बाद, कपार्ट की सभी गतिविधियों, संपत्तियों और देनदारियों को एनआईआरडीपीआर द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है। नई दिल्ली में पूर्व कपार्ट कार्यालय को एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा के रूप में नामित किया गया है।

एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा में प्रमुख प्रभाग और उनकी गतिविधियां निम्नलिखित हैं।

8.1 प्रशासन और स्थापना प्रभाग

1 मई, 2020 की तिथि के अनुसार, एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा में 90 कर्मचारी हैं और दिनांक 01.05.2020 से उन्हें एनआईआरडीपीआर के रोल में लिया गया है। कर्मचारियों की समूह-वार संख्या का विवरण इस प्रकार है:

सारणी 8.1: प्रशासन और स्थापना प्रभाग

क्रम सं.	समूह	कर्मचारियों की संख्या
1.	समूह - ए	11
2.	समूह - बी	30
3.	समूह - सी (पुनर्वर्गीकृत समूह डी सहित)	49
कुल		**90**

8.2 विपणन सेल

एनआईआरडीपीआर, दिल्ली शाखा के ग्रामीण उत्पादों का विपणन और संवर्धन केंद्र (विपणन प्रकोष्ठ), राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली में स्थित सरस गैलरी का प्रबंधन देख रहा हैं। यह गैलरी एसएचजी द्वारा बनाए गए उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए उनके विपणन आधार को व्यापक बनाने के लिए स्थापित की गई थी। एसएचजी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री पूरे वर्ष आयोजित की जाती है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से, एनआईआरडीपीआर का विपणन कक्ष हर साल 14 से 27 नवंबर, 2021 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में सामान की बिक्री और ग्रामीण कामगार सोसायटी (सरस) मेले का आयोजन करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, एनआईआरडीपीआर और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 26

फरवरी से 14 मार्च, 2021 तक नोएडा हाट, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 'सरस आजीविका मेला - 2021' का आयोजन करके एक नया कदम उठाया, जिसमें लगभग 150 महिला स्वयं सहायता समूह ने देश के 27 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री में भाग लिया। 'सरस' के ब्रांड नाम से इस प्रदर्शनी-सह-बिक्री ने देश भर से डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा प्रचारित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के ग्रामीण कारीगरों, शिल्पकारों और लाभार्थियों द्वारा दस्तकार उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला अपने दर्शकों के लिए प्रस्तुत की है। 'सरस आजीविका मेला' में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों और विशिष्ट हस्तियों ने दौरा किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव/ अन्य वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, विदेशी, संसद सदस्य, विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति आदि शामिल हैं। बिक्री मेला के दौरान इंडिया फूड कोर्ट सहित सभी स्टालों से कुल 3.83 करोड़ की बिक्री की सूचना मिली।

नोएडा हॉट में सरस आजीविका मेले का मुख्य द्वार

समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री

उद्घाटन समारोह में डॉ. जी. नरेन्द्र कुमार, महानिदेशक एनआईआरडीपीआर द्वारा दीप प्रज्ज्वलन

न्यू मोती बाग में पूर्वांचल सरस

ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा ने 14 से 17 जनवरी, 2021 तक न्यू मोती बाग, नई दिल्ली में 'पूर्वांचल सरस मेला' का आयोजन किया, जिसमें विशेष रूप से पूर्वांचल राज्यों से डीएवाई-एनआरएलएम योजना के तहत समर्थित ग्रामीण महिला एसएचजी (कारीगरों) के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इसका उद्घाटन श्री यू.पी.सिंह, सचिव, जल शक्ति मंत्रालय ने 14 जनवरी, 2021 को श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रीमती अलका उपाध्याय, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और अपर सचिव, एमओआरडी, श्री चरणजीत सिंह, संयुक्त सचिव (आरएल), एमओआरडी, और एमओआरडी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में किया ।

12 राज्यों के कुल 36 एसएचजी (उत्तर प्रदेश के सरस गैलरी के 6 एसएचजी सहित) ने पूर्वांचल सरस मेले में 26 स्टालों में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। मंत्रालय ने न्यू मोती बाग में पूर्वांचल सरस मेले के परिसर में डिजाइन और पैकेजिंग पर निफ्ट द्वारा एक कार्यशाला का भी आयोजन किया। चार दिवसीय मेले में कुल रू. 14.75 लाख (चौदह लाख पचहत्तर हजार) की बिक्री दर्ज की ।

मेले में श्री अमरजीत सिंहा, पूर्व सचिव (ग्रा.वि) एवं प्रधान मंत्री के सलाहकार

परियोजना प्रभाग

तत्कालीन कपार्ट की योजनाओं के तहत परियोजना कार्यों के लिए अनुदान को 2009 से रोक दिया गया था और सभी परियोजनाओं को समाप्त कर दिया गया था। पुराना योजना प्रभाग (ओएसडी) को कपार्ट की पुरानी योजनाएं, अर्थात् त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (एआरडब्ल्यूएसपी), केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास (डीडब्ल्यूसीआरए), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), सामाजिक एनिमेटर प्रशिक्षण (एसएटी) और प्रौद्योगिकी मिशन (टीएम) से निपटने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा, नोडल एनजीओ/ ग्रामीण युवा पेशेवरों (आरवाईपी)/ अन्य संबंधित उप-योजनाओं, वाटरशेड विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूएसडी), आवास/ अभिनव ग्रामीण आवास (आईआरएच), जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) से संबंधित स्वीकृत परियोजनाओं की चल रही फाइलें, ग्रामीण विकास आंदोलन (जीवीए)/निर्मल ग्राम अभियान (एनजीए), वर्मीकम्पोस्टिंग और अन्य बंद योजनाओं को भी वर्ष 2012 में ओएसडी को स्थानांतरित कर दिया गया था ।

वर्ष 2020-21 के दौरान (31.01.2021 तक), तत्कालीन कपार्ट मुख्यालय की सभी 1128 परियोजना फाइलों और क्षेत्रीय केंद्रों की 2028 फाइलों की जांच की गई। सभी परियोजना फाइलों को बंद करने की प्रक्रिया को पूरा करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

8.3 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी विकल्प केंद्र (सीटीएआरए) - ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) अनुसंधान और विकास फैलोशिप

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मुंबई (आईआईटी-बी) के साथ शुरू किए गए सीटीएआरए - एमओआरडी अनुसंधान और विकास फेलोशिप कार्यक्रम का समर्थन करना जारी रखा है। एमओआरडी द्वारा दी गई निधियों से एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा (तत्कालीन कपार्ट) द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

आईआईटी-बी के एम.टेक अंतिम वर्ष के बैच से चुने गए छात्रों ने सीटीएआरए, आईआईटी-बी में अपने संबंधित गाइडों की देखरेख में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के प्रमुख कार्यक्रमों के चयनित विषयों पर काम किया। दूसरे वर्ष के दौरान, छात्र को ग्रामीण विकास मंत्रालय के संबंधित विभागों जैसे मनरेगा, पीएमजीएसवाई, एनआरएलएम, एनएसएपी और रूरबन में नोडल अधिकारियों से जोड़ा गया।

क. सीटीएआरए बैच V (जुलाई 2018 - जून 2020): रिपोर्टिंग वर्ष 2020-21 के दौरान, बैच V के तीन सीटीएआरए – एमओआरडी अधिसदस्यों ने जून 2020 में अपना दो साल का कार्यकाल पूरा किया।

अध्याय - 9
नीति परामर्श

एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज डोमेन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए नीतियां तैयार करने में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों की सहायता के लिए एक विचार भंडार के रूप में कार्य करता है। एनआईआरडीपीआर, शिक्षाविदों और अनुसंधानकर्ताओं की एक बहुत मजबूत टीम के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए एक विकास क्षेत्र बनाने का प्रयास करता है। संस्थान के अधिदेश में अनुसंधान और कार्य अनुसंधान अध्ययन करने तथा विभिन्न ग्रामीण विषयों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करना शामिल है। संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययनों के निष्कर्ष और जानकारी विभिन्न पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और अध्ययन के परिणाम विभिन्न विकास कार्यक्रमों के नीति निर्माण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण हैं।

वर्ष 2019-20 में आयोजित कार्यक्रम और आयोजित अध्ययन, प्रभावी नीति निर्माण और ग्रामीण जनता के जीवन में सुधार के लिए उपयोगी इनपुट और सुझाव प्रदान करते हैं।

9.1. उपयोग और रखरखाव पर ध्यान देने के साथ ओडीएफ स्थिति का पुन: अवलोकन: मध्य प्रदेश, भारत में एक अनुभवपरक जांच

संस्थान ने भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित शौचालयों के उपयोग और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के साथ मध्यप्रदेश में ओडीएफ स्थिति पर एक अनुभवपरक अध्ययन किया है। अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि सतना जिले में खुले में शौच बड़े पैमाने पर है। अध्ययन से पता चलता है कि 41% परिवार नियमित रूप से खुले में शौच करते हैं, और लगभग 12% शौचालय के अनियमित उपयोगकर्ता हैं, जिससे 53% परिवार खुले में शौच करते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि 17% घरों में शौचालय की सुविधा ही नहीं है। यह अध्ययन राज्यों को ओडीएफ दावों का पुन: सत्यापन करने की आवश्यकता को दृढ़ता से इंगित करता है।

9.2. आंध्र प्रदेश में निर्मिति केंद्रों (भवन केंद्रों) का अध्ययन

आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड (एपीएसएचसीएल) के अनुरोध पर एनआईआरडीपीआर ने आंध्र प्रदेश राज्य में मौजूदा निर्मिति केंद्रों (एनके) का अध्ययन किया है। वर्ष 1985 (एमओयूडी, 1993) के दौरान केरल के कोल्लम जिले के तटीय क्षेत्रों में आई विनाशकारी बाढ़ के पश्चात आरंभ की गई पुनर्वास पहल के परिणामस्वरूप देश में भवन निर्माण को लोकप्रिय रूप से निर्मिति केंद्र (एनके) अभियान के रूप में जाना जाता है। हालांकि, पूरे देश में अधिकांश निर्मिति केंद्रों के लिए परिकल्पित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति में उनके प्रबंधन, स्थिरता और प्रभावशीलता सम्बन्धी समस्याएँ हैं। आंध्र प्रदेश में, तीन अलग-अलग प्रकार के कुल **49** निर्मिति केंद्र हैं, अर्थात जिला स्तर पर **13** मुख्य निर्मिति केंद्र (एमएनके), **27** उप-जिला निर्मिति केंद्र (एसएनके) और **9** चक्रवात निर्मिति केंद्र (सीएनके)। राज्य में स्थापित एनके का मुख्य फोकस निर्माण सामग्री की मांग को पूरा करने और निर्माण की लागत को कम करने पर रहा है। वर्तमान में, राज्य में अधिकांश निर्मिति केंद्र निष्क्रिय हो गए हैं और प्रमुख आवास योजनाओं के अभाव में पर्याप्त काम की कमी के कारण निर्मिति केंद्र के अधिकांश बुनियादी ढांचे और मशीनरी अनुपयोगी स्थिति में हैं।

अध्ययन में पाया गया कि एपीएसएचसीएल और जिला स्तर के प्रशासन से पर्याप्त समर्थन के साथ निर्मिति केंद्र आत्मनिर्भरता की क्षमता को साकार करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं और राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं, हालांकि, उपयुक्त भवन निर्माण तकनीकों को बढ़ावा देने के संदर्भ में निर्मिति केंद्रमें बड़े उद्देश्य द्वारा राज्य के निर्माण क्षेत्र को समान महत्व दिया जाना चाहिए। अध्ययन ने केरल और कर्नाटक राज्य के सफल निर्मिति केंद्र द्वारा अपनाई जा रही निर्माण सामग्री और परिचालन रणनीतियों का उत्पादन करने के लिए राज्य में निर्मिति केंद्र की अंतर्निहित ताकत के आधार पर निर्मिति केंद्र के पुनरुद्धार के लिए व्यापक रणनीतियों और दृष्टिकोणों का प्रस्ताव दिया। अध्ययन ने सुझाव दिया कि राज्य, जिला और निर्मिति केंद्र स्तर के संदर्भ में निर्मिति केंद्र के प्रबंधन ढांचे में बदलाव लाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। अध्ययन ने प्रस्ताव किया कि निर्माण सामग्री की आपूर्ति के लिए निजी उद्यमियों और फर्मों की नियुक्ति, निर्मिति केंद्र में निर्माण सामग्री के उत्पादन को सुव्यवस्थित करना, निर्मिति केंद्र द्वारा परामर्श और अनुबंध कार्य करना, प्रभावी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और लेखापरीक्षा, आदि प्रमुख नीतिगत परिवर्तन हैं जो निर्मिति केंद्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है ।

9.3. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन में सेवा वितरण शासन के मुद्दों और चुनौतियों का आकलन

यह अध्ययन पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में कार्यात्मक और व्यय अंतराल का पता लगाने का एक प्रयास है। अध्ययन ने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सिफारिशों का प्रस्ताव किया:

- अध्ययन में बताया गया है कि पीएमएवाई-जी जमीन की अनुपलब्धता के कारण मकान का कार्य लंबित हैं। इसलिए, गृह निर्माण शुरू करने के लिए भूमि के उचित आबंटन/ पहचान के बाद पीएमएवाई-जी लाभार्थी का चयन किया जाना है।

- हालांकि पीएमएवाई-जी दिशानिर्देशों के अनुसार लागत को साझा किया जा रहा है, केंद्रीय अंश पर विशिष्ट मानक जैसे जारी की गई किस्त-वार राशि, प्राप्त निधि की तारीख और संवितरण, आदि पर डेटा आंशिक रूप से उपलब्ध था जबकि राज्य का डेटा प्रकट नहीं किया गया। जारी की गई राशि और तारीख पर सही निधि संवितरण से संबंधित डेटा तक पहुंच, निधि प्रवाह में देरी की पहचान विशेष रूप से की जा सकती है जहां समस्या हो रही है और तदनुसार, लक्षित पीएमएवाई-जी घरों को समय पर पूरा करने के मुख्य उद्देश्य के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं।

- कार्यक्रम की सम्पूर्ण सफलता के लिए जमीनी स्तर (ग्राम और ग्राम पंचायत स्तर) पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

- योजना को ई-गवर्नेंस पहल के रूप में तैयार किया गया है, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और अधिकारियों को इस बुनियादी ढांचे का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना अनिवार्य है।

9.4. स्त्री निधि-भारतीय सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में एक डिजिटल नवोन्मेषण

संस्थान ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सौंपे गए स्त्री निधि के व्यवसाय मॉडल पर एक परामर्श अध्ययन किया है। आंध्र प्रदेश की तत्कालीन सरकार (एपी) ने सितंबर, 2011 में एसएचजी को कम लागत पर त्वरित, समय पर और उपयोगकर्ता के अनुकूल ऋण की पेशकश करने के लिए स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की। स्त्री निधि ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी (एसईआरपी), शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन मिशन (एमईपीएमए), गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और राज्य सरकार के अन्य उन संबंधित विभागों के साथ समन्वय करती है जो आजीविका और सहवर्ती ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने से जुड़े हैं। जबकि गरीबी उन्मूलन में सूक्ष्म वित्तपोषण की भूमिका पर व्यापक रूप से शोध किया गया है, सरकार द्वारा प्रचारित सूक्ष्म वित्तपोषण कार्यक्रमों जैसे स्त्री निधि का प्रभाव, विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूक्ष्म वित्त प्रदान करने में इसकी प्रभाविता और व्यापार मॉडल की स्थिरता अब तक नहीं की गई है।

अध्ययन ने पाया किएसएचजी सदस्यों की वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता में महत्वपूर्ण सकारात्मक संबंध है; उसके बाद उनकी आय और संपत्ति मद आते है। ये सहसंबंध दर्शाते हैं कि वित्तीय और डिजिटल साक्षरता एसएचजी परिवारों द्वारा संपत्ति जमा करते समय परस्पर एक दूसरे को सुदृढ़ करती है। निष्कर्षों से यह भी स्पष्ट होता है कि ऋण और आय में महत्वपूर्ण सकारात्मक सहसंबंध है जो इंगित करता है कि एसएचजी परिवारों की आय में वृद्धि होगी यदि उन्हें लगातार अंतराल पर ऋण स्वीकृत किया जाता है। इसके अलावा, अध्ययन में पाया गया कि 95 प्रतिशत से अधिक हितधारकों (एसएचजी संघों के पदाधिकारियों, बैंक अधिकारियों, आदि) का विचार है कि स्त्री निधि ने उधारकर्ताओं को वित्तीय रूप से साक्षर बनाया और उन्हें प्रोत्साहित करके एसएचजी परिवारों की आजीविका के अवसरों को बढ़ाया। इसने एसएचजी परिवारों को छोटे व्यवसाय उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करके आजीविका के अवसरों को बढ़ाया, जिससे एपी और तेलंगाना में समय पर और पर्याप्त ऋण की आपूर्ति के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ।

स्त्री निधि के हितधारकों ने आगे कहा कि सरकार के बाहरी समर्थन, उत्तरदायी एसएचजी समुदाय के साथ-साथ एसईआरपी/ एमईएमपीए, तकनीकी कौशल और लागत नेतृत्व के कारण स्त्री निधि के व्यापार मॉडल की स्थिरता मजबूत है। कुल मिलाकर, अध्ययन में पाया गया कि पिछले आठ वर्षों के दौरान स्त्री निधि व्यवसाय मॉडल में जमा, ऋण, पूंजीगत संसाधनों और एसएचजी उधारकर्ताओं की संख्या के मामले में शानदार वृद्धि देखी गई है। जैसे, स्त्री निधि का व्यवसाय मॉडल टिकाऊ है और ग्रामीण भारत के अन्य हिस्सों में इसकी ग्राहक केंद्रित सुविधाओं, डिजिटल बैंकिंग, समावेशी और जिम्मेदार वित्त मॉडल को देखते हुए दोहराया जा सकता है, बशर्ते इसे प्रासंगिक जमीनी वास्तविकताओं के अनुसार अनुकूलित किया गया हो।

9.5. आय सहायता योजना का कार्यान्वयन और तेलंगाना में कृषि में निवेश पर इसका प्रभाव

संस्थान ने तेलंगाना राज्य की किसान निवेश सहायता योजना (रायथु बंधु योजना-आरबीएस) पर एक अध्ययन किया है। यह योजना लंबे समय से राज्य में कृषि संकट की समस्या से निपटने के लिए पुनर्निर्देशन में एक क्रांतिकारी पहल है। तेलंगाना सरकार ने 2018 के खरीफ मौसम के दौरान किसानों को शुरू में प्रति एकड़ 8,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की थी। 2019 के बाद से, इसे एक वर्ष में दो मौसमों के लिए बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया। कार्यक्रम के डिजाइन, लाभार्थियों के लिए इसकी पर्याप्तता, राशि के उपयोग के उद्देश्य, कार्यान्वयन की प्रक्रिया और किसानों की संतुष्टि की जांच करने के लिए तेलंगाना के दो गांवों में रबी 2019 के दौरान अध्ययन किया गया था।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- यह योजना फसल और भूमि का आकार तटस्थ है, और इसके लिए भूमि के स्वामित्व के आधार पर कृषक की परिभाषा की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से काश्तकार किसानों को इस आधार पर योजना में शामिल नहीं किया है कि काश्तकारी की सीमा बहुत कम है।

- अध्ययन में पाया गया कि अध्ययन गांवों में काश्तकारी की सीमा 2018-19 में खेती वाले क्षेत्र के 15.97 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 16.66 प्रतिशत हो गई है।

- यह देखा गया था कि न तो पट्टे की शर्तों में कोई परिवर्तन हुआ था और न ही आरबीएस के तहत हस्तांतरित राशि को मालिकों द्वारा अपने पट्टेदारों को साझा किया गया था।

- लॉन्च की अवधि के दौरान लाभार्थियों को योजना का कवरेज यानी खरीफ 2018 में 86 प्रतिशत था और रबी, 2019 तक इसे घटाकर 61 प्रतिशत कर दिया गया था। उनमें से केवल 67 प्रतिशत ने बताया कि वे कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संतुष्ट थे और कुछ ने कहा कि उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, सभी नमूना उत्तरदाता चाहते थे कि राज्य सरकार आरबीएस के कार्यान्वयन को जारी रखे।

- अनुभवजन्य निष्कर्षों से पता चलता है कि फसलों के उत्पादन की लागत को पूरा करने के लिए योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता की पर्याप्तता हर फसल में 3.9 प्रतिशत से 39.9 प्रतिशत तक भिन्न होती है।

- अध्ययन से पता चला कि वित्तीय सहायता का लगभग 20 प्रतिशत गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था, 13 प्रतिशत गैर-कृषक कार्यक्रम से लाभान्वित हुए थे, और 16 प्रतिशत भूमि जिसके लिए आरबीएस के तहत राशि हस्तांतरित की गई थी अध्ययन क्षेत्र में काश्तकारों द्वारा पट्टे पर दिये गये हैं।

अध्ययन ने प्रस्तावित किया कि कृषि में काश्तकारी की भूमिका और सीमांत किसानों और भूमिहीन परिवारों की बढ़ती जरूरतों को स्पष्ट रूप से पहचानने की आवश्यकता है ताकि भूमि पट्टे के संचालन के साथ उनके उत्पादन आधार को बढ़ाया जा सके। अध्ययन ने यह भी प्रस्तावित किया कि समावेश और बहिष्करण दोनों त्रुटियों को समाप्त करने के लिए 'केवल किसान' के रूप में राशि के हस्तांतरण के लिए शर्तों को रखकर कार्यक्रम को फिर से डिजाइन करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसने संकेत दिया कि कृषि कार्यों के साथ मेल खाने वाली राशि को समय पर जारी करने के परिणामस्वरूप केवल कृषि कार्यों के लिए राशि का उपयोग किया जा सकता है।

9.6. उन्नत भारत अभियान योजना का मूल्यांकन - उद्देश्यों की उपलब्धि का पता लगाने हेतु एक त्वरित गहन अध्ययन

एनआईआरडीपीआर को उन्नत भारत अभियान गतिविधियों का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। आउटपुट वितरण की प्राप्ति और इच्छित परिणाम (परिणाम और प्रभाव) प्राप्त करने के दायरे का आकलन करने में योजना कार्यान्वयन की दिशा जानने और जांचने की दृष्टि से मूल्यांकन किया गया था। इस अध्ययन का उद्देश्य यूबीए के प्रदर्शन के आधार पर योजना के पुनर्गठन में आवश्यक परिवर्तनों की भविष्यवाणी करना था, क्योंकि यह योजना अवधि के अंत के करीब थी। इसका उद्देश्य उन कारकों की पहचान करना है जो योजना के उद्देश्यों की उपलब्धि को सुगम या बाधित करते हैं और योजना के मूल्यांकन के साथ सामने आते हैं। अध्ययन ने उन्नत भारत अभियान के बेहतर कामकाज के लिए सिफारिशें कीं।

9.7. ग्रामीण विकास के लिए डिजिटल मीडिया: सुदूर ग्रामीण तेलंगाना में एक संचार अध्ययन

तेलंगाना के दो जिलों में किए गए अध्ययन से पता चला है कि लगभग 30% लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं हैं और जिनके पास है वह ज्यादातर फीचर फोन हैं। यह सुझाव दिया गया है कि स्थानीय और राज्य सरकार को अपनी दूरसंचार नियामक, कर और ग्रामीण विकास नीतियों को एकीकृत करने और देश भर में मोबाइल सेवाओं को शुरू करने के लिए अधिक प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। मोबाइल उद्योग को ग्रामीण समुदायों में मोबाइल कनेक्टिविटी के सामाजिक और विकास प्रभाव को समझने और इसे उनके लिए अधिक सुलभ बनाने की आवश्यकता है। यह सीएसआर और गैर सरकारी संगठनों के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। एक बार जब मोबाइल कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं, तो एआई के उपयोग के साथ योजनाओं तक पहुंचने के लिए एक इनबिल्ट ऐप उपयोग और विकास को बहुत सुविधाजनक बना सकता है। उपयोग को मजबूत करने के लिए, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन सीख स्थानीय भाषा में लोकप्रिय माध्यम पाया गया। सूचना अधिभार को कम करने के लिए ऐप्स और लिंक की एक निर्देशिका आवश्यक है।

मोबाइल के उपयोग को डिजिटल साक्षरता और सरकारी वेबसाइटों के संग्रह और हर नीति से संबंधित लिंक के प्रावधान द्वारा लोकप्रिय बनाया जा सकता है, चाहे वह केंद्रीय हो, राज्य और संस्थागत जानकारी के अनुसार अनुकूलित हो। योजनाओं, लाभार्थियों की पात्रता आदि से संबंधित अन्य प्रासंगिक सूचनाओं के लिंक के साथ एक मंच विकसित किया जा सकता है। इसे गांवों में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए कियोस्क के रखरखाव और उपयोग के लिए सीएसआर और गैर सरकारी संगठनों के साथ जुड़ाव द्वारा सुगम बनाया जा सकता है। डिजिटल साक्षरता के लिए काम करने वाले एनजीओ, मोबाइल व्यवसाय में कंपनियां, मोबाइल साक्षरता अभियानों पर सीएसआर से युक्त एक फोकस समूह, मंत्रालय स्तर पर सुविधा के साथ एक प्रोजेक्ट मोड में मोबाइल साक्षरता की सहायता कर सकता है।

9.8 मीडिया और प्रचार योजना का मूल्यांकन

मंत्रालय की मीडिया और प्रचार योजना पर तीसरे पक्ष के मूल्यांकनकर्ता अध्ययन के लिए एमओपीआर ने एनआईआरडीपीआर से संपर्क किया था। अध्ययन का उद्देश्य यह आकलन करना है कि मौजूदा योजना किस हद तक अपनी अवधारणा के उद्देश्य को पूरा करती है और योजना प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्यों और गंतव्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन को किस हद तक संबोधित करती है जिसके लिए भारत हस्ताक्षरकर्ता है। एमओपीआर से दो संकेतकों पर विचार किया गया (क) गरीबी/साक्षरता/स्वास्थ्य आदि के स्तर सहित पंचायत का प्रोफाइल और (ख) अंत्योदय पीडीएस कार्डों की संख्या (2007-2020) । इसके आधार पर, दिशानिर्देशों के अनुसार परिणामों की उपलब्धि में अंतराल योजना की पहचान की गई और भविष्य के लिए एक विजन के साथ लक्षित समूहों तक पहुंचने में सुधार के लिए एक संचार रणनीति का सुझाव दिया गया। इसमें प्रसार योजनाओं के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर एक विशेष भाग शामिल था।

अध्याय -10
कोविड -19 के दौरान पहल

कोविड-19 महामारी ने शिक्षा और प्रशिक्षण सहित सभी क्षेत्रों में गतिविधियों को बाधित कर दिया है। कोविड-19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन ने पारंपरिक शिक्षण और अधिगम पद्धतियों को बाधित कर दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान, दूरस्थ शिक्षा ने शिक्षा निरंतरता को कुछ राहत दी, जबकि विशेष रूप से अकादमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण इस संकट से प्रभावित थे। सामान्य कार्यक्रमों की तुलना में, तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों को सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं और संस्थानों को बंद करने के रूप में दो गुना नुकसान हुआ।

10.1. एनआईआरडीपीआर पहल/नवाचार

वर्ष 2020-21 के दौरान, एनआईआरडीपीआर की अधिकांश गतिविधियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से अंजाम दिया गया। विभिन्न केंद्रों द्वारा सैद्धांतिक ज्ञान हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए गए:

1. 'फिजिकल डिस्टेंसिंग' नामक नए शब्द के उद्भव के साथ, संस्थान के कई प्रशिक्षण कार्यक्रम को विभिन्न आधुनिक तकनीकी उपकरणों, विशेषकर सिस्को वेबएक्स, जूम, गूगल मीट आदि जैसे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अध्ययन निष्कर्षों पर व्याख्यान और प्रस्तुतीकरण देकर आयोजित किए गए थे। ये विधियां भौतिक कक्षाओं के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प बन गई हैं, बिना किसी रुकावट के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जारी रखने का मार्ग प्रशस्त किया है।
2. संकाय सदस्यों ने इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने शोध अध्ययन के निष्कर्षों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया। महामारी के दौरान, संकाय मंचों को ऑनलाइन आयोजित किया गया था, जिसने बदले में, देश भर के प्रतिष्ठित विद्वानों को आमंत्रित करने का अवसर प्रदान किया। इससे शोधकर्ताओं को अधिकार क्षेत्रों में प्रतिष्ठित विद्वानों से बहुमूल्य प्रतिक्रिया/सुझाव प्राप्त करने में मदद मिली।
3. संस्थान के संकाय सदस्यों ने शिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों के लिए मोबाइल उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया और संकाय सदस्यों द्वारा मोबाइल प्रौद्योगिकियों के उपयोग ने कोविड-19 अवधि के दौरान वृद्धि को चिह्नित किया। उन्होंने ओडीके, गूगल फॉर्म आदि जैसे ऑनलाइन डेटा संग्रह टूल का उपयोग करके शोध अध्ययन के लिए डेटा एकत्रीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम पर फीडबैक प्राप्त किए और व्याख्यान प्रस्तुत किए।
4. प्लेटफॉर्म, विशेषकर व्हाट्सएप का उपयोग प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम सामग्री और कार्यक्रम अनुसूची प्रदान करने, स्त्रोत व्यक्तियों की प्रस्तुति साझा करने, प्रशिक्षण विषयों पर सूचना के प्रसार के रूप में अनुवर्ती कार्रवाई आदि के लिए किया गया है।
5. ई-लर्निंग मॉड्यूल विकसित किए गए और व्यापक रूप से देश भर में जनता तक पहुंचने के लिए उपयोग किए गए। संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए पाठ्यक्रमों को ई-लर्निंग मॉड्यूल में परिवर्तित किया गया और ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया सम्बन्धी भारत सरकार की एक पहल आई-जीओटी (मिशन कर्मयोगी) प्रक्रियाधीन है।। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक संकाय से कम से कम एक पाठ्यक्रम विकसित किया जाए और आई-जीओटी प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाए।

सीआरयू-एनआईआरडीपीआर द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए सामुदायिक जुड़ाव पर आयोजित हितधारक-वार टीओटी में, लगभग 11,028 हितधारकों को अप्रैल 2020 में जूम कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रति बैच औसतन 245 प्रतिभागियों को 45 बैचों में प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। देश भर में प्रशिक्षित प्रमुख हितधारक ग्रामीण विकास और पंचायती राज, एसईआरपी, एमईपीएमए, पीएचसीऔर आयुष चिकित्सा अधिकारी, एनएसएस हितधारक, ट्राईफेड, पंचायत अध्यक्ष, खंड विकास अधिकारी और सिक्किम के एसआरएलएम टीम, एनआईआरडीपीआर के संकाय, एसआईआरडी, ईटीसी और कई राज्यों से डीडीयू-जीकेवाई के मास्टर ट्रेनर एवं केंद्र प्रबंधक थे। कोविड-19 अवधि के दौरान एनआईआरडीपीआर द्वारा की गई पहलों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित अनुच्छेद में प्रस्तुत किया गया है।

10.2. कोरोना संकट के दौरान एनआईआरडीपीआर पहल और जोखिम संचार

अप्रैल 2020 में, एनआईआरडीपीआर ने यूनिसेफ, हैदराबाद के सहयोग से गांवों में कोविड-19 मामलों के प्रसारण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सामाजिक व्यवहारों का अभ्यास करने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षित किया। दो घंटे तक चली अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, लगभग 500 प्रतिभागी सक्रिय रूप से शामिल होने और भाग लेने में सक्षम थे। स्त्रोत व्यक्तियों के लिए तैयार इन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) स्वयंसेवकों और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की भूमिका पर क्षमता निर्माण के लिए एक विस्तृत जोखिम संचार योजना शामिल है ताकि वे अपने समूहों और ग्राम समुदायों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने में कर्य कर सकें। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुल 28,33,744 हितधारकों को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली प्रमुख पद्धतियों के बारे में जानकारी दी गई। बदले में, प्रतिभागियों ने संदेशों को पंचायत स्तर के नीचे तक पहुँचाया।

एनआईआरडीपीआर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 'कोविड-19 महामारी के दौरान स्थानीय सरकारों के रूप में ग्राम पंचायतें क्या कर सकती हैं**?** पर एक विस्तृत सलाहकार नोट जारी किया। विस्तृत सलाहकार नोट **परिशिष्ट - I में** संलग्न है।

इसके अलावा, एनआईआरडीपीआर ने अप्रैल-मई 2020 के दौरान निम्नलिखित वीडियो फिल्में भी विकसित की हैं, जिन्हें यूट्यूब, 'एनआईआरडीपीआर कनेक्ट' मैसेजिंग ऐप, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ग्रामस्वराज ई-लर्निंग पोर्टल और एनआईआरडीपीआर वेबसाइट के माध्यम से व्यापक रूप से प्रकाशित किया गया था, जिससे ग्राम पंचायतों तक समय पर और अधिकतम पहुंच सुनिश्चित हुई। (सभी वीडियो http://nirdpr.org.in/caronamat.aspx से देखे जा सकते हैं)।

1) कोरोना वायरस को रोकने और प्रवासी कामगारों के प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायतें क्या कर सकती हैं?
2) थोक उपयोग के लिए ग्राम पंचायतों में हैंड सैनिटाइज़र कैसे बनाया जाए?
3) कपड़े से बने मास्क कैसे बनाते हैं? -एक महिला एसएचजी द्वारा प्रदर्शन
4) कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या है और यह कोविड -19 को रोकने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
5) कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार
6) गांव में पालन किए जाने वाले सोशल डिस्टेंसिंग उपाय
7) गाँवों में सब्जी और किराना सामान खरीदते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

10.3 कोविड-19 के दौरान पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा वितरण केंद्र (सीपीआर-डीपी-एसएसडी) द्वारा की गई पहल

जब कोविड -19 के फैलने के जोखिम का अनुमान लगाया गया था, एनआईआरडीपीआर ने अपने सभी कर्मचारियों, संकाय सदस्यों और निवासियों को निवारक व्यवहार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने के महत्व और लॉकडाउन मानदंडों पर सतर्क किया। निर्धारित सभी व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वर्चुअल/ऑनलाइन मोड में बदल दिया गया। एनआईआरडीपीआर के छात्रावासों को कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों को अलग-थलग रखने के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग को दे दिया गया था।

10.3.1. गांवों में कोविड-19 पश्चात की स्थिति से निपटने के लिए एसआईआरडी और ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने सभी राज्यों को 14वें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग और 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संबंध में परामर्श जारी किया। पंचायतों को दृढ़ता से सलाह दी गई कि वे अपनी योजनाओं पर फिर से विचार करें और स्वच्छता, जलापूर्ति, सामुदायिक संपत्ति के रखरखाव, खाद्य आश्रयों, सामुदायिक रसोई आदि से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता दें। जल्द ही जारी किए जाने वाले 15वें वित्त आयोग के अनुदान में कहा गया है कि पंचायतों के निर्धारित अनुदान राशि का 50 प्रतिशत स्वच्छता, ओडीएफ स्थिति के रखरखाव, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण पर खर्च करना चाहिए। इन पर विचार करते हुए पंचायतों को सलाह दी जा रही है कि वे 2020-21 के लिए अपनी योजना पर फिर से विचार करें और उसके अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करें।

इस पृष्ठभूमि में, पंचायती राज विकेंद्रीकृत योजना एवं सामाजिक सेवा वितरण केंद्र (सीपीआरडीपीएसएसडी) ने गांवों में कोविड-19 स्थिति से निपटने के लिए एसआईआरडी और ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान करने के लिए दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

i. पहला ऑनलाइन प्रशिक्षण (वेबेक्स प्लेटफॉर्म) 13 से 14 मई 2020 तक आयोजित किया गया था, जिसमें 100 सदस्यों ने भाग लिया था, जो एसआईआरडीपीआर के संकाय सदस्य और राज्य, ईटीसी, डीपीआरसी और पीआरसी के जीपीडीपी नोडल अधिकारी थे।
ii. दूसरा ऑनलाइन (वेबेक्स प्लेटफॉर्म) अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से तमिलनाडु के लिए 15 मई 2020 को आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 1150 पंचायत अध्यक्षों, बीडीओ, पंचायत सचिवों, एसएचजी सदस्यों और अन्य आरडी विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया था।

10.3.2. प्रवासी कामगारों की निगरानी और उनके गांवों में कोरोना वायरस फैलने से रोकने पर ग्राम पंचायतों का क्षमता निर्माण (मार्च से मई 2020 तक)

एनआईआरडीपीआर मार्च 2020 के दूसरे सप्ताह से कोरोनावायरस के प्रकोप पर देशव्यापी विकास की लगातार निगरानी कर रहा है, और दैनिक आधार पर प्रासंगिक एवं समय पर जानकारी के साथ ग्राम पंचायतों की क्षमता निर्माण में सक्रिय रूप से विभिन्न उपायों की पहल किया है। एनआईआरडीपीआर द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहल निम्नलिखित हैं।

i. **प्रिंट मीडिया के माध्यम से राष्ट्रव्यापी पहुंच:** 31 मार्च 2020 को, महानिदेशक ने एक लेख प्रस्तुत किया जिसमें कैसे ग्राम पंचायतें प्रवासी श्रमिकों की निगरानी कर सकते हैं और कोविड-19 के प्रसार को रोक सकते हैं के बारे में बताया गया। यह लेख भारत भर के 14 समाचार पत्रों में अंग्रेजी और हिंदी में व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ था। 16 अप्रैल, 2020 को एनआईआरडीपीआर और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अद्यतन करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी।

ii. **पंचायती राज संस्थानों के लिए जागरूकता वीडियो:** पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा वितरण (सीपीआर-डीपी-एसएसडी), एनआईआरडीपीआर लगातार कोरोना वायरस की रोकथाम और कोविड संकट के दौरान ग्राम पंचायतों की भूमिका से संबंधित जागरूकता वीडियो विकसित कर रहा है। ये वीडियो (वीडियो के लिए लिंक http://nirdpr.org.in/caronamat.aspx) यूट्यूब, 'एनआईआरडीपीआर कनेक्ट' मेसेजिंग ऐप, व्हाट्सएप ग्रुप, ग्रामस्वराज ई-लर्निंग पोर्टल और एनआईआरडीपीआर वेबसाइट के माध्यम से व्यापक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है और ग्राम पंचायतों तक समय पर अधिकतम पहुंच सुनिश्चित हुई है।

iii. **कोरोना वायरस महामारी के प्रबंधन में पीआरआई की भूमिका पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम:** ग्राम पंचायत स्तर पर कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित प्रासंगिक जानकारी और प्रशिक्षण मॉड्यूल एनआईआरडीपीआर ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म (ग्राम स्वराज का नाम बदलकर ग्राम प्रशिक्षण) में एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम के रूप में उपलब्ध कराया गया है(http://gramswaraj.nirdpr.in/)। कुल 36 विषयों को अपलोड किया गया है जिसमें ग्राम पंचायतों द्वारा अपनाई गई श्रेष्ठ पद्धतियों को भी शामिल किया गया है। इस पाठ्यक्रम की सामग्री को दैनिक आधार पर अद्यतन किया जा रहा है और जनता के लिए आसान पहुंच के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है।

iv. **एनआईआरडीपीआर मैसेजिंग ऐप:** सीपीआर, डीपी और एसएसडी केन्द्र पूरे भारत में लगभग 2.6 लाख ग्राम पंचायतों के संपर्क विवरण (सरपंच और पंचायत सचिव) को एकत्र करने में सफल रहे हैं। लगभग 29,000 सरपंचों और पंचायत सचिवों ने ऐप डाउनलोड किया है और एनआईआरडीपीआर से भेजी गई जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया है। संदेशों में मुख्य रूप से कोविड-19 संकट के प्रबंधन में पंचायतों की भूमिका और कोविड-19 प्रकोप के प्रबंधन और प्रवासी श्रमिकों का समर्थन करने में पंचायत नेताओं द्वारा अपनाई गई श्रेष्ठ पद्धतियों से संबंधित जानकारी होती है। इस ऐप में टू-वे इंटरेक्शन का भी विकल्प है। संकाय सदस्य सरपंचों और पंचायत सचिवों द्वारा पोस्ट किए गए सवालों का जवाब आवश्यक जानकारी के साथ दे रहे हैं।

v. एनआईआरडीपीआर ने देश भर में ग्राम पंचायतों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण किया और एमओपीआर को प्रस्तुत किया।

10.4 डीडीयू-जीकेवाई सेल, एनआईआरडीपीआर द्वारा की गई गतिविधियां

1 जून, 2020 से महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए डीडीयू-जीकेवाई सेल, एनआईआरडीपीआर द्वारा निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां प्रारंभ की गई हैं:

1. टेलीफोन मित्रता और डेटा प्रस्तुत करने वाले सोल्यूशनों का समाधान, जिसमें ग्रामीण युवा परामर्श के लिए संरचित तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और एमओआरडी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है।
2. डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों के लिए आपदा प्रबंधन पर मॉड्यूल तैयार करना
3. डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों के लिए एफएएमई - वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल - का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद

10.4.1. ग्रामीण गरीब युवाओं की भलाई और इच्छा:

टेलीफोन मित्रता: 'टेलीफोन मित्रता' 1 जून, 2020 से 30 जून, 2020 तक टेली-कॉल श्रृंखला के माध्यम से 19 राज्यों में ग्रामीण गरीब युवाओं तक पहुंचने के लिए डीडीयू-जीकेवाई द्वारा प्रारंभ की गई एक गतिविधि थी। यह टीम डीडीयू-जीकेवाई के तहत 19 राज्यों में 405 परियोजनाओं में 1,08,491 ग्रामीण युवाओं तक पहुंची, जिन्हें या तो महामारी के दौरान नियुक्त/ प्रशिक्षित या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।कौशल प्रशिक्षण भागीदारों को महामारी के दौरान उम्मीदवारों के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वित्तीय और भौतिक कल्याण को अधिकृत करने में मदद करने के लिए यह एक सरल संरचित बातचीत थी। इसने उन उम्मीदवारों के सामने आने वाले किसी भी उभरते मुद्दों और चिंताओं को देखने और पहचानने का अवसर दिया जो या तो अपने कार्यस्थल पर या अपने गांवों में हैं। यद्यपि प्रशिक्षण भागीदार विभिन्न चैनलों के माध्यम से उम्मीदवारों के साथ जुड़े हुए थे, इस संरचित गतिविधि ने कोविड -19 अवधि के दौरान सहायक तंत्र के समान कार्यान्वयन के लिए एक गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टिकोण की पेशकश की। इस पहल के मुख्य उद्देश्य थे:

- ग्रामीण युवाओं के सामाजिक अलगाव को कम करना
- ग्रामीण युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना
- स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई में सुधार (स्वयं और परिवार)
- सुनने की क्षमता रखना

इस गतिविधि से एकत्र किए गए डेटा (गुणात्मक और मात्रात्मक) का विश्लेषण महामारी के दौरान उम्मीदवार के लिए प्रमुख तनावों को मापने और तदनुसार उनका समर्थन करने के लिए किया गया था। अध्ययन ने दो सूचकांकों के माध्यम से डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दी: कल्याण और इच्छा। उम्मीदवारों के कल्याण को निम्नलिखित चार श्रेणियों में माना जाता था: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक/ भावनात्मक स्वास्थ्य, पारिवारिक और वित्तीय भलाई। इच्छा प्रशिक्षण/ ओजेटी/पदस्थता में जारी रहने के उम्मीदवारों की रुचि से संबंधित है।

अध्ययन के प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं:

चित्र (10.1): राज्यों में गतिविधियों का कवरेज

- ग्रामीण युवाओं पर महामारी के प्रभाव का मात्रात्मक रूप से अनुमान लगाया जा सकता है जिससे डीडीयू-जीकेवाई के तहत ग्रामीण गरीब युवाओं के कल्याण सूचकांक और इच्छा सूचकांक को प्रस्तावित करने में मदद मिली।
- इस गतिविधि ने प्रभाग को एक संरचित, वैज्ञानिक और बहु-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण युवा परामर्श को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है जो विश्लेषण रिपोर्ट में निर्धारित किया गया था।

10.4.2. वित्तीय साक्षरता:

महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई थी। डिवीजन ने डीडीयू-जीकेवाई में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ग्रामीण युवाओं की वित्तीय साक्षरता में सुधार की आवश्यकता को पहचाना। तदनुसार, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी) केंद्रीय कार्यालय द्वारा 'वित्तीय जागरूकता संदेशों' पर जारी मॉड्यूल का 18 सितंबर, 2020 तक हिंदी, तेलुगु, गुजराती और मलयालम में अनुवाद किया गया ताकि देश के ग्रामीण युवाओं को इसे आसानी से समझा जा सके।

10.5. जून 2020 से जनवरी 2021 के दौरान कोविड - 19 के प्रति जोखिम संचार और सामुदायिक कार्य (आरसीसीई) प्रतिक्रिया पर ग्रामीण आधारभूत संरचना केन्द्र (सीआरआई) की पहल

यूनिसेफ द्वारा समर्थित एनआईआरडीपीआर की संचार संसाधन इकाई (सीआरयू), प्राथमिक रूप से पोषण अभियान और बेटी बचाओ और बेटी पढाओ जैसे अभियानों पर सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) में शामिल थी। राष्ट्र पर केन्द्रित जोखिम का संज्ञान लेते हुए, सीआरयू ने अपने संचार को जोखिम संचार और समुदाय जुडाव (आरसीसीई) प्रतिक्रिया की ओर मोड़ दिया। सीआरयू ने आरसीसीई पर विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ना जारी रखा ताकि कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई में समुदाय में कोविड-19 के उचित व्यवहार को बनाए

रखा जा सके। सीआरयू ने कोविड-19 के लिए एसबीसीसी अभियानों और तेलुगु और कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए राष्ट्रीय सामग्री के समय पर अनुकूलन और डिजाइनिंग के साथ राज्य सरकारों का समर्थन किया।

कोविड-19 प्रतिक्रिया पर सीआरयू द्वारा जून 2020 से जनवरी 2021 तक निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईं।

10.5.1 कोविड-19 की रोकथाम के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों द्वारा मास्क के 100 प्रतिशत उपयोग के लिए अभियान

जैसे-जैसे अधिक से अधिक व्यवसाय और कार्यक्षेत्र फिर से चालू होते हैं, शारीरिक दूरी के रखरखाव से संबंधित प्रमुख व्यवहारों का अधिक से अधिक अनुपालन, सभी महत्वपूर्ण समय पर मास्क का उचित उपयोग, श्वसन और हाथ की स्वच्छता सभी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस संदर्भ में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से सीआरयू-एनआईआरडीपीआर और यूनिसेफ हैदराबाद कार्यालय ने उचित तरीके से मास्क के उपयोग और कोविड-19 से सुरक्षित पर जोर देते हुए 'मास्के कवचम' (मास्क इज द शील्ड) अभियान डिजाईन किया।

सभी महत्वपूर्ण समयों में मास्क के उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए छह प्राथमिक व्यवहारों की पहचान की गई। इन्हें शारीरिक दूरी और साबुन से बार-बार हाथ धोने के अन्य दो महत्वपूर्ण व्यवहारों के साथ पूरक किया गया था।

मास्के कवचम अभियान को 360-डिग्री अभियान के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसे हर ग्रामीण गांव और शहरी वार्ड में स्थित समुदायों तक पहुंचने के लिए राज्यों में लागू किया गया था। एक सुसंगत संदेश के साथ कई चैनलों और प्लेटफार्मों के माध्यम से लक्षित दर्शकों तक पहुंचने के लिए गहन 360-डिग्री अभियान के दौरान निम्नलिखित हस्तक्षेप किए गए थे।

- **अंतर-व्यक्तिगत संचार:** एसएचजी, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एनएसएस और ग्राम स्वयंसेवकों द्वारा (पत्रक और वीडियो के समर्थन से)
- **पोस्टर प्रदर्शन:** शहरी मलिन बस्तियों में दुकानों और बाजार क्षेत्रों में, आरडब्ल्यूए, जीपी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बस स्टैंड, कार्यालय और कार्य स्थल, अन्य उच्च स्पर्श बिंदु
- **होर्डिंग्स:** जिला और मंडल मुख्यालय में महत्वपूर्ण स्थानों पर
- **माइकिंग:** शहरी मलिन बस्तियों/बाजारों और ग्रामीण ग्राम पंचायतों में
- **मोबाइल वैन:** शहरी क्षेत्रों, विशेषकर मलिन बस्तियों को कवर करने के लिए जिला स्तर पर ब्रांडेड वैन
- **रेडियो:** आकाशवाणी और निजी एफएम चैनलों के साथ-साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर ऑडियो स्पॉट/पीएसए विशेषज्ञों के साथ साक्षात्कार, फोन-इन कार्यक्रमों और अभियान के साथ प्रचार।
- **टीवी:** दूरदर्शन और अन्य चैनलों पर फिल्म/पीएसए के साथ साक्षात्कार और विशेषज्ञों के साथ पैनल चर्चा, फोन-इन कार्यक्रम, अभियान का प्रचार
- **सोशल मीडिया:** फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आरोग्य सेतु ऐप, व्हाट्सएप पर डिजिटल कार्ड/इन्फोग्राफिक और वीडियो का प्रसार
- **डिजिटल मीडिया:** विभिन्न हितधारकों के व्हाट्सएप समूहों पर डिजिटल कार्ड/इन्फोग्राफिक और वीडियो का प्रसार, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के माध्यम से मोबाइल कॉलर ट्यून

पोस्टर, होर्डिंग, लीफलेट और रेडियो/ऑडियो जिंगल से युक्त अभियान पैकेज का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया गया और सभी जिलों में सफलतापूर्वक शुरू किया गया। इसे तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी और खम्मम जिलों में भी अनुकूलित और शुरू किया गया था।

10.5.2 कोविड-19 और जोखिम संचार और सामुदायिक जुड़ाव पर श्री सत्य साईं सेवा संगठन के सेवादल का प्रशिक्षण

सीआरयू-एनआईआरडीपीआर और यूनिसेफ हैदराबाद फील्ड कार्यालय ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के सेवादल स्वयंसेवकों को 'जोखिम संचार और सामुदायिक जुड़ाव' पर प्रशिक्षित करने के लिए 'सत्य साई सेवा ट्रस्ट' के साथ भागीदारी की। सत्य साईं सेवादल के स्वयंसेवकों की राज्यों में बड़ी उपस्थिति और पहुंच है। सेवादल की टीमें सामाजिक रूप से अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी सूचनाओं का प्रसार करती हैं और यहां तक कि भक्तजन भी कोविड-19 राहत और समर्थन के लिए उनकी ओर देखते हैं। आठ बैचों में कुल 2681 सेवादल स्वयंसेवकों को टीओटी दृष्टिकोण के माध्यम से तीन राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से प्रशिक्षित किया गया था। प्रशिक्षित टीमों ने इन प्रयासों को आगे बढ़ाने और अपने संबंधित केंद्रों के सेवादल सदस्यों को आरसीसीई-विशिष्ट कोविड-19 प्रशिक्षण प्रदान करने की उम्मीद की, जो आगे समुदाय के सदस्यों तक पहुंचे।

10.5.3. कोविड-विशिष्ट पोषण संदेशों के साथ 2020 के पोषण माह अभियान में डिजिटल सामग्री का समर्थन:

कोविड-19 के प्रभाव और पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित संकेतकों की गिरावट की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, एनआईआरडीपीआर के सीआरयू ने कोविड-19 के निवारक उपायों, प्रसव पूर्व देखभाल और सुरक्षित प्रसव, नवजात देखभाल और स्तनपान, टीकाकरण, आईवाईसीएफ और बच्चों की सुरक्षा जैसे विभिन्न विषयों के साथ डिजिटल स्लाइड और देखभाल और सुरक्षा फ़्लायर विकसित किया।

सीआरयू ने गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण वाले एमएएम बच्चों, किचन गार्डन को बढ़ावा देने, पोषण में पीआरआई सदस्यों की भूमिका और 1000 दिवसों की देखभाल के लिए आवश्यक पहचान और कार्रवाई पर पोषण माह 2020 अभियान थीम संदेशों को बढ़ावा देने वाले जीआईएफ वीडियो भी विकसित किया। इन सभी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अर्थात् ट्विटर, फेसबुक और सीडीपीओ के व्हाट्सएप ग्रुप, पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी शिक्षकों और गर्भवती महिलाओं के माध्यम से प्रसारित किया गया।

कोविड योद्धाओं को धन्यवाद देने वाले पोस्टर:

एनआईआरडीपीआर के सीआरयू ने कोविड योद्धाओं, विशेषकर अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की बहादुरी का धन्यवाद करते हुए सात आभार पोस्टर विकसित किए। पोस्टरों को तेलुगू, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं में विकसित किए गए थे, जो पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के काम पर केंद्रित था। इन सभी पोस्टरों को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों के संबंधित विभागों के साथ साझा किया गया था।

10.5.4 ग्रामीण भारत में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए जोखिम संचार पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत कार्यरत राज्य नोडल टीमों, जिला और ब्लॉक स्त्रोत व्यक्तियों को टीओटी

ग्रामीण क्षेत्रों में पाए गए मामलों का कारण शहरी क्षेत्रों से गांवों में रिवर्स माइग्रेशन देखा गया। स्थानीय स्तर पर वायरस के प्रसार को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण कारक नागरिकों को सही जानकारी के साथ सशक्त बनाना और जारी की जा रही सलाह के अनुसार सावधानी बरतना था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा इस संदर्भ में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) ने सीआरयू-एनआईआरडीपीआर के सहयोग से कोविड-19 रोकथाम संदेशों के साथ ग्रामीण समुदायों तक पहुंचने की रणनीति विकसित की। लोगों में कोविड -19 निवारक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए बहुत आवश्यक नवीन एसबीसीसी सामग्री के साथ समुदायों को जोड़ने के लिए एक विस्तृत रणनीति पर काम किया गया। साथ में, चिंता प्रबंधन, कोविड -19 के बारे में प्रमुख तथ्य, कोविड से खुद को बचाने के लिए सभी द्वारा अपनाए जाने वाले प्रमुख व्यवहार, कोविड -19 से संबंधित कलंक को रोकना, निवारक व्यवहारों को बढ़ावा देने में प्रमुख हितधारकों की भूमिका, प्रशिक्षण को अगले स्तर तक ले जाना, सबसे कमजोर समुदायों तक पहुंचने के लिए कार्य योजना तैयार करना और क्रमिक रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम पर रिपोर्टिंग करनाजैसे विषयों पर ज़ूम एप्लिकेशन के माध्यम से ब्लॉक, जिला और ग्राम स्तर के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए दो घंटे का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित किया गया था।

ग्रामीण स्तर पर एसएचजी सदस्य आसानी से ग्रामीण समुदायों तक कोविड-19 की जानकारी के साथ पहुंच सकते हैं और उन लोगों के बीच निवारक व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं जिनके साथ अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और उन्हें सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुरोध के आधार पर, एनआईआरडीपीआर के सीआरयू और एनआईआरडीपीआर के एनआरएलएम सेल ने राज्य नोडल टीमों और 12 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और केरल के जिला और ब्लॉक स्त्रोत व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। जून, 2020 की पहली छमाही के दौरान नौ बैचों में कुल 2,950 मास्टर स्त्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षुक जून, 2020 के अंत तक सभी सीआरपी, एसएचजी सदस्यों तक क्रमिक पद्धति में पहुंचने की उम्मीद थी।

विभिन्न भाषाओं में तैयार किए गए कोविड योद्धाओं को धन्यवाद देने वाले पोस्टर

अध्याय - 11
प्रशासन

11.1. प्रशासन

एनआईआरडीपीआर का प्रशासन विंग संस्थान के प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियों और संस्थान के दिन-प्रतिदिन के कामकाज से संबंधित सभी मामलों में संकाय सदस्यों का समर्थन और सुविधा प्रदान करता है। नीति, निष्पादन और शैक्षणिक मामलों पर क्रमशः मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए संस्थान की अपनी सामान्य परिषद, कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद है। संस्थान की नीतियां और रणनीतियां सामान्य परिषद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सामान्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं। संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन कार्यकारी परिषद में निहित है जिसमें सचिव, ग्रामीण विकास इसके अध्यक्ष और महानिदेशक सदस्य सचिव के रूप में होते हैं।

संस्थान के अध्यक्ष महानिदेशक, अखिल भारतीय सेवाओं के एक अधिकारी होते है जो उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड स्केल/ शीर्ष वेतनमान वाले अपर सचिव/ सचिव के श्रेणी के होते है। महानिदेशक संस्थान के प्रशासनिक मामलों के लिए जिम्मेदार होते है और कार्यकारी परिषद के निर्देशन और मार्गदर्शन में शक्तियों का प्रयोग करते है। महानिदेशक, उप महानिदेशक, निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) और वित्तीय सलाहकार, और रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशासन) को सहायक रजिस्ट्रार (स्थापना और प्रशिक्षण), सहायक वित्तीय सलाहकार और वेतन एवं लेखा अधिकारी सहायता करते है। संगठन ढांचे को निम्नलिखित चार्ट-11.1 में दर्शाया गया है।

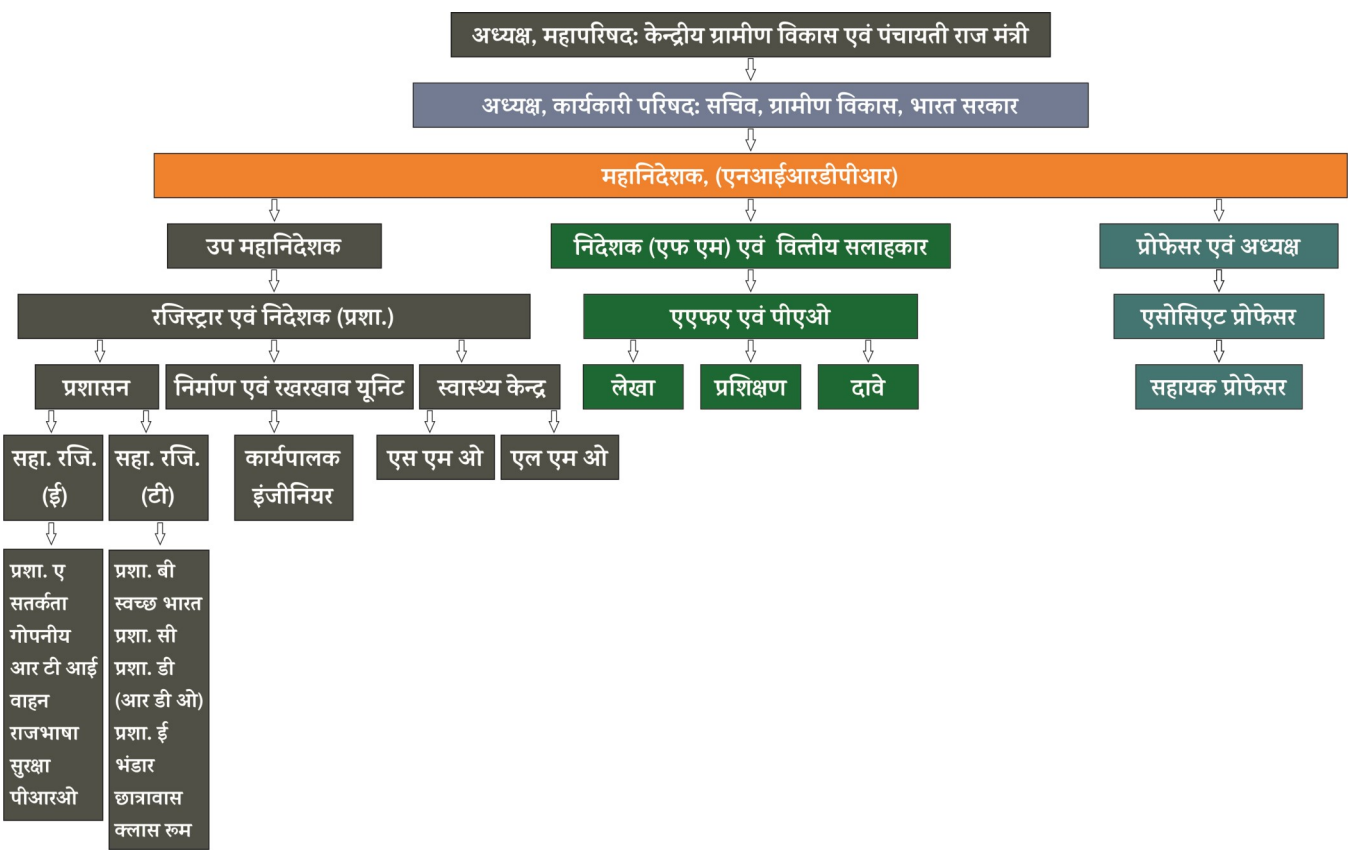

चार्ट-11.1: एनआईआरडीपीआर का ऑर्गेनोग्राम

महा परिषद

महा परिषद की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार करते है। महा परिषद संस्थान के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों, विभाग में भारत सरकार के नियमों और निर्देशों का पालन करने, सामान्य नियंत्रण का प्रयोग करने और संस्थान के मामलों के कुशल प्रबंधन और प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने, कार्यकारी परिषद के सदस्यों को नामित करने आदि के लिए जिम्मेदार है। 31 मार्च, 2021 को वर्ष 2020-21 के लिए गठित महा परिषद को **परिशिष्ट - XII** में दिया गया है।

कार्यकारी परिषद

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष होते है। संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन महा परिषद द्वारा जारी किए गए सामान्य नियंत्रण और निर्देशों के अधीन कार्यकारी परिषद की जिम्मेदारी है। 31 मार्च, 2021 तक वर्ष 2020-21 के लिए कार्यकारी परिषद का गठन **परिशिष्ट - XIII** में प्रदर्शित है।

शैक्षणिक परिषद

शैक्षणिक परिषद संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए वार्षिक कैलेंडर को अंतिम रूप देने सहित अनुसंधान और प्रशिक्षण से संबंधित मामलों का निपटान करती है। शैक्षणिक परिषद की संरचना को **परिशिष्ट - XIV** में दर्शाया गया है।

एनआईआरडीपीआर के कार्यात्मक केंद्र

ग्रामीण विकास के लिए क्षमता निर्माण की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए, संस्थान के पास 7 स्कूलों के अंतर्गत आने वाले 17 केंद्र हैं जो समग्र ग्रामीण विकास के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों को पूरा करते हैं। इसके अलावा, संस्थान के पास 3 व्यावसायिक सहायता केंद्र भी हैं, अर्थात, प्रलेखन और प्रकाशन मामलों के संचालन के लिए विकास प्रलेखन एवं संचार केन्द्र; आईटी सोल्युशन प्रदान करने और आईटी अवसंरचना को बनाए रखने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी केंद्र; जबकि अनुसंधान और प्रशिक्षण समन्वय और नेटवर्किंग केंद्र जो विभिन्न राज्य-स्तरीय संस्थानों के साथ अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों के समन्वय, भागीदारी और नेटवर्किंग के लिए जिम्मेदार है।

सारणी 11.1: एनआईआरडीपीआर के स्कूल और केंद्र

क्र. सं.	स्कूल	स्कूल के अंतर्गत केंद्र
1.	विकास अध्ययन और सामाजिक न्याय	मानव संसाधन विकास केंद्र (सीएचआरडी) जेंडर अध्ययन एवं विकास केन्द्र (सीजीएसडी) समता एवं सामाजिक विकास केन्द्र (सीईएसडी) कृषि अध्ययन केंद्र (सीएएस) स्नातकोत्तर अध्ययन और दूरस्थ शिक्षा केंद्र
2.	ग्रामीण आजीविका और आधारभूत संरचना	मजदूरी रोजगार और आजीविका केंद्र (सीडब्ल्यूई एवं एल) ग्रामीण आधारभूत संरचना केन्द्र (सीआरआई) उद्यमिता विकास और वित्तीय समावेशन केंद्र (सीईडी एवं एफआई)
3.	सततयोग्य विकास	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण केंद्र (सीएनआरएम, सीसी एवं डीएम)
4.	जन नीति और सुशासन	योजना, निगरानी और मूल्यांकन केंद्र (सीपीएमई) सीएसआर, सरकारी निजी भागीदारी और जन कार्रवाई केंद्र (सीसी, पीपीपी एवं पीए) सुशासन और नीति विश्लेषण केंद्र (सीजीजी एवं पीए)
5.	स्थानीय शासन	पंचायती राज विकेंद्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा वितरण केंद्र (सीपीआरडीपी एवं एसएसडी)
6.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ज्ञान प्रणाली	ग्रामीण विकास में भू-संसूचना विज्ञान अनुप्रयोग केंद्र (सीजीएआरडी) कौशल और नौकरियों के लिए नवाचार और उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईएटी एंड एसजे)
7.	जवाबदेही और पारदर्शिता (एएवंटी)	सामाजिक लेखापरीक्षा केन्द्र (सीएसए) ग्रामीण विकास में आंतरिक लेखापरीक्षा केंद्र (सीआईएआरडी)
व्यावसायिक सहायता केंद्र		विकास प्रलेखन एवं संचार केन्द्र (सीडीसी) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईसीटी) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण समन्वय एवं नेटवर्किंग केन्द्र (सीआरटीसीएन)

उपरोक्त केंद्रों के अलावा, एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा में जुलाई, 2020 के दौरान ग्रामीण उत्पादों का विपणन और संवर्धन केंद्र गठित किया गया ।

सामान्य प्रशासन

महानिदेशक, संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते है जो संस्थान के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं और कार्यकारी परिषद के निर्देशन और मार्गदर्शन में शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संस्थान का प्रशासन समन्वय, सांविधिक बैठकों का आयोजन, स्थापना और कर्मिक प्रबंधन, अतिथि गृहों का प्रबंधन, परिसर, सहायता सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और कर्मचारियों का कल्याण के लिए जिम्मेदार है।

सांविधिक बैठकें

वर्ष 2020-21 के दौरान संपन्न **सांविधिक** बैठकें निम्नलिखित हैं:

बैठक	तिथि	स्थान
130वीं कार्यकारी परिषद	22.05.2020	वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से
131वीं कार्यकारी परिषद	31.03.2021	वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से

आधारभूत संरचना सुविधाएं

संस्थान 174.21 एकड़ क्षेत्र में स्थित है जिसमें आधारभूत संरचना सुविधाओं जैसे संकाय भवन, प्रशासनिक भवन, सुसज्जित पुस्तकालय, 223 अतिथि कमरों के साथ चार अतिथि गृह, 11 सम्मेलन हॉल, 357 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला सभागार, सामुदायिक हॉल, स्वास्थ्य केंद्र, खेल परिसर, 219 आवासीय क्वार्टर, स्टाफ कैंटीन, क्रेच, यूथ क्लब, योग और व्यायामशाला सुविधाएं आदि उपलब्ध है।

संस्थान के पास इंटरनेट और इंट्रानेट की समर्पित कनेक्टिविटी वाले कंप्यूटर केंद्र के साथ एक उत्कृष्ट आईटी अवसंरचना है। संस्थान को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। एनआईआरडीपीआर नेटवर्क प्रभावी शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों, ई-ऑफिस, ई-जर्नल्स, भारतीय पंचायत ज्ञान नेटवर्क (आईपीकेएन) के साथ ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। राज्यों, जिलों, एसआईआरडी/ ईटीसी, राष्ट्रीय संस्थानों, अनुसंधान संगठनों आदि और भारत सरकार, मंत्रालयों और विभागों के साथ अपने नेटवर्क रेंज में 1000-ऑड होस्ट हैं। संस्थान अपने राष्ट्रीय ज्ञान के माध्यम से निर्बाध इंटरनेट सेवाएं प्राप्त करता है। 1 जीबीपीएस की नेटवर्क (एनकेएन) कनेक्टिविटी और 55 एमबीपीएस की अतिरेक के साथ समर्पित लिंक मेसर्स बीएसएनएल से प्राप्त किया गया। परिसर, कार्यालय भवनों और अतिथि गृह में वाई-फाई सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण, मूल्यांकन, अनुभव गतिविधियों आदि के संचालन के लिए संस्थान में दो सुसज्जित कंप्यूटर लैब और एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्रयोगशाला उपलब्ध है। ये प्रयोगशालाएं संस्थान के प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को पूरा करती हैं और संस्थान की उभरती जरूरतों को पूरा करती हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के अनुसार, संस्थान में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ महिला संकाय सदस्य करती हैं। इस दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

संस्थान ने सूचना प्रदान करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। एनआईआरडीपीआर वेबसाइट आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्रदान किए गए अनिवार्य प्रकटीकरण का विवरण प्रदान करती है। संस्थान ने आरटीआई आवेदकों द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण, जन सूचना अधिकारी, दो सहायक जन सूचना अधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी नामित किए हैं और उनके नाम भी एनआईआरडीपीआर वेबसाइट प्रदर्शित किए गए हैं। संस्थान के पास गुवाहाटी और एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा में अपने उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (एनईआरसी) के लिए एक अलग अपीलीय प्राधिकरण और जन सूचना अधिकारी भी है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, नागरिकों से विभिन्न मुद्दों पर 80 आरटीआई आवेदन और अपील प्राप्त हुई और प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटारा किया गया। संस्थान ने प्रक्रिया के अनुसार अनिवार्य ऑनलाइन त्रैमासिक रिटर्न भी जमा किया। प्राप्त आरटीआई आवेदन परियोजनाओं, शैक्षिक कार्यक्रमों, सेवा मामलों, अदालती मामलों, भर्ती, प्रकाशनों और अपीलों आदि से संबंधित हैं।

संकाय विकास

संकाय विकास और अभिवृद्धि प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, संस्थान के संकाय और गैर-संकाय सदस्यों को भारत और विदेशों में विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित आधार पर प्रतिनियुक्त किया जाता है। 2020-21 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में संकाय और गैर-संकाय भागीदारी का विवरण **परिशिष्ट - XV** में दिया गया है

कर्मचारियों का विवरण

शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की कुल संख्या सारणी 11.2 में दी गई है:

सारणी 11.2: शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या

I.	शैक्षणिक पद						
वर्ग	अनु. जाति	अनु. जनजाति	ओबीसी	अन्य	कुल	पूर्व सैनिक	कुल संख्या में से महिलाएं
ग्रूप -ए	6	3	14	32	55	-	15
ग्रूप -बी	-	-	-	1	1	-	-
कुल	**6**	**3**	**14**	**33**	**56**	**-**	**15**
II.	गैर-शैक्षणिक पद						
वर्ग	अनु. जाति	अनु. जनजाति	ओबीसी	अन्य	कुल	पूर्व सैनिक	कॉलम 6 में से महिलाएं
ग्रूप -ए	5	2	-	13	20	-	5
ग्रूप -बी	13	3	9	21	46	-	13
ग्रूप -सी	14	7	32	61	114	4	30
ग्रूप -सी (पुन: वर्गीकृत)	31	6	48	30	115	1	34
कुल	**63**	**18**	**89**	**125**	**295**	**5**	**82**

बड़ी संख्या में ग्रूप सी और पुन: वर्गीकृत ग्रूप सी कर्मचारियों को संस्थान की हितकारी निधि से बहुत कम ब्याज दरों पर बच्चों की उच्च शिक्षा/ बच्चों की शादी के लिए ऋण जैसे लाभ दिए गए है।

गरीब महिला समूहों का समर्थन करने के प्रयास के रूप में, संस्थान के कैंटीन प्रबंधन को एक स्वयं सहायता समूह को सौंपा गया है। संस्थान परिसर में स्थित भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम (बीवीबीवी) को भी सहायता प्रदान करता है।

नियुक्तियां

अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 की अवधि के दौरान, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से महानिदेशक और रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशासन) के पदों को भरा गया। संस्थान समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती भी करता है।

2020-21 में संस्थान द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

संस्थान हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाता है। मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसी कई गतिविधियां बीवीबीवी छात्रों द्वारा की जाती हैं और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए खेलों का आयोजन किया गया था। अन्य देशों के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम के रूप में, संस्थान अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को भी सुविधा प्रदान करता है जो संस्थान के विभिन्न केंद्रों के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा हैं। महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे महात्मा गांधी, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की जयंती आदि को एनआईआरडीपीआर के कर्मचारियों द्वारा उनके परिवार के सदस्यों के साथ मनाया जाता है। 2 अक्तूबर, 2020 को संस्थान में गांधी जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया था। श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने हिंदी + अंग्रेजी में "स्वच्छता की शपथ" दिलाई।

11.2. विकास प्रलेखन और संचार केंद्र (सीडीसी)

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता, अन्य बातों के अलावा, सूचना तक पहुंच पर निर्भर करती है जो ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण इनपुट में से एक है। विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों को समय पर और प्रासंगिक जानकारी का प्रावधान महत्वपूर्ण है। संस्थान के अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों और विकास समुदाय के अन्य सदस्यों को सूचना सहायता प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास साहित्य की पहचान करने और एकत्र करने और व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकरण करने के लिए स्वयं को संलग्न कर रहा है। प्रभावी और व्यापक प्रसार के लिए समान मुद्रित और गैर-मुद्रित के रूप में सूचना संसाधनों का एक समृद्ध संग्रह जैसे किताबें, पत्रिकाएं, सीडी/ डीवीडी, ई -पुस्तकें, और ग्रामीण विकास पर ई-डेटाबेस और वर्षों से एकत्र किए गए संबद्ध पहलू एनआईआरडीपीआर की ताकत है और सूचना भंडार का प्रसार करने के लिए मजबूत गठन करते हैं। संस्थान विभिन्न प्रकाशनों को प्रकाशित करता है और हितधारकों को ग्रामीण विकास की जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के अपने प्रयास में सूचना सेवाएं प्रदान करता है। सीडीसी में पांच उप-प्रभाग हैं, अर्थात प्रलेखन, पुस्तकालय, प्रकाशन, राजभाषा और दृश्य-श्रव्य।

i) प्रलेखन केंद्र

सूचना की गुणवत्ता किसी भी संस्थान की रीढ़ और अनिवार्य पहलू होती है। एनआईआरडीपीआर का प्रलेखन केंद्र विभिन्न स्रोतों से महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे हमारे संकाय सदस्यों और शोध कर्मचारियों को उपलब्ध कराता है। प्रलेखन केंद्र विभिन्न विषयों की 1400 से अधिक सीडी/डीवीडी रखता है। प्रलेखन केंद्र भी डीएमएस (प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली) का रखरखाव करता है और हमारे संकाय सदस्यों को उनकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मांग पर ग्रंथ सूची प्रदान करता है।

प्रलेख प्रबन्धन प्रणाली

डिजिटल प्रारूप में दस्तावेजों के व्यवस्थित प्रबंधन को लागू करने और सूचना सुरक्षा नीति को बनाए रखने के लिए, एनआईआरडीपीआर ने एक वेब-आधारित दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) स्थापित की है। डीएमएस एक प्रणाली है जिसका उपयोग दस्तावेजों को ट्रैक करने, प्रबंधित करने और संग्रहीत करने और संस्थान में कागज के उपयोग को कम करने के लिए किया जाता है। यह आपकी व्यावसायिक फ़ाइलों के साथ कार्यों को व्यवस्थित करने, सुरक्षित करने, कैप्चर करने, डिजिटाइज़ करने, टैग करने, स्वीकृत करने और कार्यों को पूरा करने का एक स्वचालित तरीका है। 31.03.2021 तक, डीएमएस में कुल 601 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का दस्तावेजीकरण किया गया है, जिसमें पॉवरपॉइंट प्रस्तुतियाँ, आयोजित कार्यक्रमों की अध्ययन सामग्री, शोध पत्र, वार्षिक रिपोर्ट आदिशामिल हैं।

मांग पर ग्रंथ सूची और साहित्य समीक्षा सेवा

सीडीसी का प्रलेखन केंद्र विभिन्न शोध विषयों पर काम कर रहे संकाय सदस्यों के लिए एक विशेष ग्रंथ सूची और साहित्य समीक्षा सेवा प्रदान करता है। दस्तावेज़ीकरण केंद्र ने 12-14 अगस्त, 2020 के दौरान अनुसंधान उत्पादकता, डेटा माइनिंग, ज़ोटेरो-संदर्भ प्रबंधन और कॉपीराइट मुद्दों पर संस्थान के संकाय सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

ii) पुस्तकालय

2020-21 के दौरान, संस्थान ने कुल 1,23,756 पुस्तकों के संग्रह में कुल 308 पुस्तकें और अन्य दस्तावेज जोड़े हैं। संस्थान प्रतिभागियों और कर्मचारियों के लाभ के लिए हिंदी पुस्तकों का एक अलग संग्रह भी रखता है। संस्थान ने नए आगमन, अवधि के दौरान प्राप्त पत्रिकाओं, ई-संसाधनों और केंद्र में नवीनतम घटनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए वर्ष 2020 में एक ई-बुलेटिन, द्विमासिक समाचार पत्र भी शुरू किया है।

ई-संसाधन

रिमोटएक्स सर्वर के माध्यम से एनआईआरडीपीआर पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं (छात्रों, संकाय और कर्मचारियों) द्वारा सभी इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को दूरस्थ रूप से एक्सेस किया जा सकता है। उपयोगकर्ता अपने में ईमेल आईडी को यूजर आईडी के रूप में प्रस्तुत करके एनआईआरडीपीआर पोर्टल में सूचीबद्ध ई-संसाधनों जैसे ई-पुस्तकों, ई-पत्रिकाओं और ई-डेटाबेस आदि विभिन्न रूपों तक पहुंच सकते हैं।

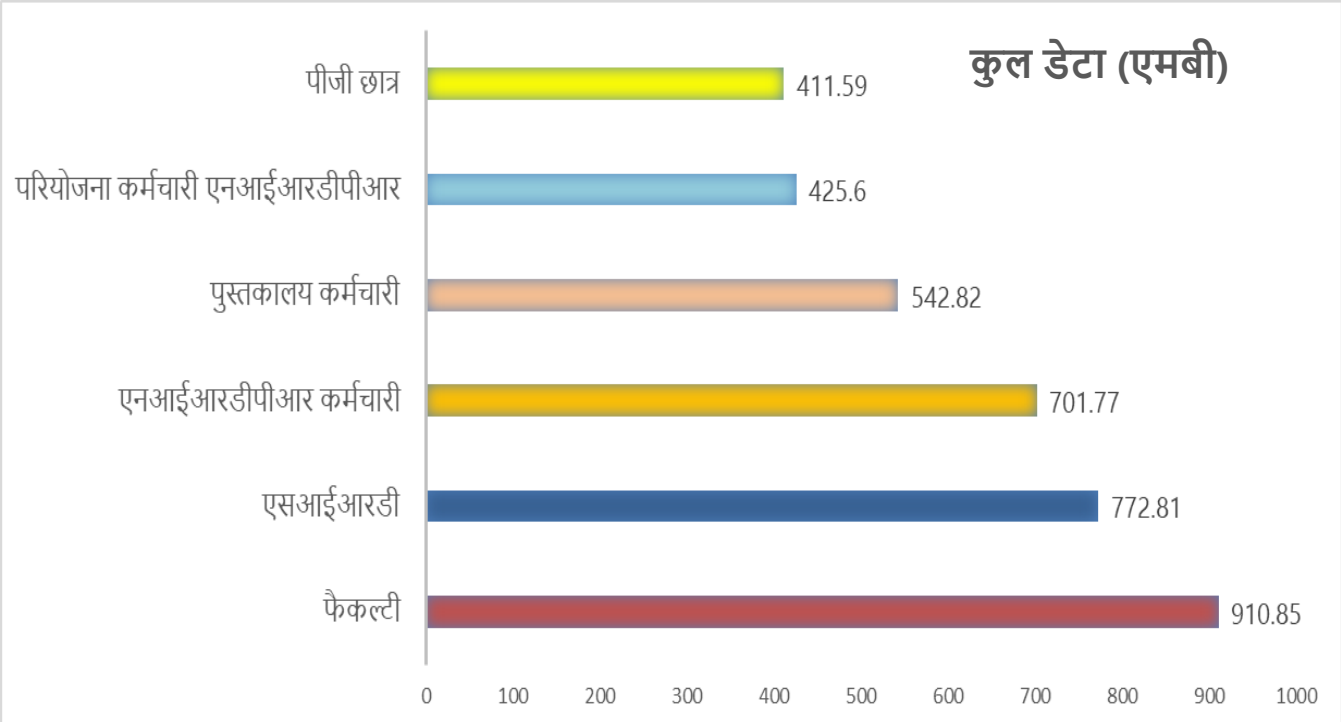

ग्राफ 11.1: 2020-21 की अवधि के दौरान ई-संसाधनों का उपयोग (उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणी द्वारा)

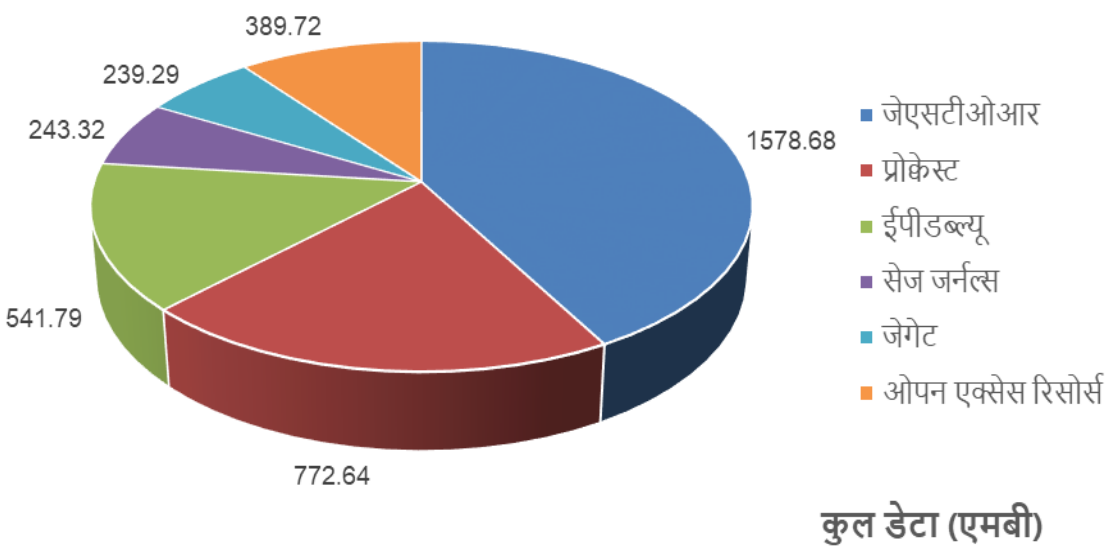

ग्राफ 11.2: 2020-21 की अवधि के दौरान ई-संसाधनों का उपयोग

iii) प्रकाशन विभाग

संस्थान को ग्रामीण विकास पर सूचना प्रसारित करने का अधिदेश है। अधिदेश को पूरा करने में, संस्थान नियमित रूप से एक त्रैमासिक पत्रिका और एक मासिक समाचार पत्र के साथ-साथ अनुसंधान विशेषताएं, अनुसंधान रिपोर्ट, ग्रामीण विकास सांख्यिकी, आदि सहित अन्य प्रकाशनों को प्रकाशित करता है। भारत में ग्रामीण विकास साहित्य के एक प्रमुख प्रकाशक के रूप में, एनआईआरडीपीआर अपने नियमित प्रकाशनों, सामयिक पत्रों आदि के माध्यम से नीति नियोजकों, शिक्षाविदों और अन्य लोगों के साथ वर्तमान सामयिक महत्व के मुद्दों पर अपने शोध निष्कर्षों, प्रेक्षित क्षेत्र की वास्तविकताओं और विचारों को साझा करने का प्रयास करता है।

एनआईआरडीपीआर के प्रकाशन नीति निर्माताओं को जमीनी स्तर की वास्तविकताओं की प्रतिक्रिया प्रदान करने, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की बेहतर योजना और प्रबंधन के लिए सुझाव और दिशानिर्देश प्रदान करने के मामले में सेवा प्रदान करते हैं। अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 की अवधि के दौरान प्रकाशनों का विवरण निम्नलिखित रूप में इस प्रकार है।

क. ग्रामीण विकास पत्रिका

ग्रामीण विकास की त्रैमासिक पत्रिका एनआईआरडीपीआर का एक प्रमुख प्रकाशन है और ग्रामीण विकास और विकेन्द्रीकृत प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी अकादमिक पत्रिकाओं में से एक है। देश के भीतर और बाहर प्रभावशाली प्रसार के साथ, यह अकादमिक समुदाय, ग्रामीण विकास प्रशासकों और योजनाकारों द्वारा सबसे अधिक मांग वाली पत्रिकाओं में से एक है। वर्ष के दौरान जेआरडी के दो अंक (खंड 39 नंबर 2 और 3) सामने आए, जिसमें 16 लेख और एक पुस्तक समीक्षा थी।

ख. एनआईआरडीपीआर समाचार पत्र

एनआईआरडीपीआर समाचार पत्र 'प्रगति' एक मासिक प्रकाशन है, जो विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं की सिफारिशों और एनआईआरडीपीआर द्वारा नियमित रूप से किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर प्रकाश डालता है। समाचार पत्र में संस्थान में संकाय विकास, मामला अध्ययन, ग्रामीण विकास व्यवसायियों के साक्षात्कार, सफलता की कहानियां, दौरे और प्रतिनिधिमंडल - भारत और विदेशी दोनों - की खबरें शामिल हैं, ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर कहानियों को कवर करती हैं, आदि। इस माध्यम से, एनआईआरडीपीआर अपने हितधारकों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखता है, जिसमें एसआईआरडी, ईटीसी, डीआरडीए आदि शामिल हैं। प्रगति के बारह अंक (समाचार पत्र संख्या 299 से 310) अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान प्रकाशित किए गए थे।

ग. वर्ष 2020-21 के दौरान के अन्य प्रकाशन

अनुसंधान रिपोर्ट:

- ग्रामीण विकास में सर्वोत्तम पद्धतियों और केस-शिक्षण सामग्री पर मामला अध्ययनों का संग्रह
- 'ग्राम पंचायत संगठन विकास' परियोजना के अभ्यास पर एक मामला अध्ध्यन एक मॉडल ग्राम पंचायत का विकास, कर्नाटक - सिडलघट्टा तालुका, चिक्कबल्लापुर जिला, कर्नाटक में डिब्बुरहल्ली ग्राम पंचायत (ई-कॉपी)
- आंध्र प्रदेश राज्य में वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा कार्यान्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में स्नातक मॉडल का प्रभाव (ई-कॉपी)
- एमजीएनआरईजीएस के तहत कमजोर समूहों (अलग-अलग विकलांग) का आजीविका विश्लेषण (ई-कॉपी)
- ग्रामीण पेयजल की संवितरण इक्विटी: समावेशी सेवा वितरण पर एक अध्ययन (ई-कॉपी)
- एक आदर्श गांव के घटक: गुजरात राज्य, भारत में पंसारी ग्राम पंचायत का एक मामला अध्ययन (ई-कॉपी)
- सी-डैक विनिर्देशों और डेटा मानकों के अनुरूप ग्रामीण सड़कों पर भू-डेटाबेस का निर्माण दक्षिण भोलागांव पंचायत, रानी सी एंड आरडी ब्लॉक, कामरूप जिला, असम का एक मामला (ई-कॉपी)
- महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के तहत कृषि आधारित सतत आजीविका अभ्यास: दो चयनित राज्यों में एक अध्ययन (ई-कॉपी)
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस लेनदेन की प्रभावशीलता का आकलन (आंध्र प्रदेश राज्य का अध्ययन) (ई-कॉपी)
- एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया दस्तावेजीकरण: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक मामला अध्ययन (ई-कॉपी)
- आईसीडीएस कार्यक्रम का आकलन: नागरिक रिपोर्ट कार्ड दृष्टिकोण (ई-कॉपी)
- चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदानों की सामाजिक लेखा परीक्षा: झारखंड का मामला अध्ययन (ई-कॉपी)
- असम के ग्रामीण क्षेत्रों की सफल महिला सूक्ष्म उद्यमीकर्ता (ई-कॉपी)
- पारंपरिक ग्रामीण हस्तशिल्प गतिविधियां: माजुली में मास्क बनाने का एक मामला अध्ययन और सार्थेबारी, असम में बेल और पीतल धातु का काम (ई-कॉपी)
- स्त्री निधि: भारतीय सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में एक डिजिटल नवाचार

अन्य प्रकाशन:

- प्रशिक्षक मैनुअल - मातृ, बाल स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण
- बाल अधिकार प्रशिक्षण नियमावली
- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और सतत आजीविका
- ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए मॉडल प्रशिक्षण मॉड्यूल
- ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए मॉडल प्रशिक्षण मॉड्यूल
- ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए आदर्श शिक्षण सामग्री
- ग्रामीण विकास सांख्यिकी 2018-19
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की कार्यवाही और सिफारिशें (वित्त वर्ष 2019-20 में शुरू की गई और वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुद्रण और वितरण पूरा हुआ)
- कोविड-19 के बीच ग्रामीण आजीविका का पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण: नीति प्रतिक्रियाएं, अवसर और भावी मार्ग (एस. आर. शंकरन चेयर पॉलिसी पेपर: ई-कॉपी)
- आदिवासियों के वन अधिकार और आजीविका की सुरक्षा: चुनौतियां और भावी दिशाएँ (एस. आर. शंकरन चेयर पॉलिसी पेपर: ई-कॉपी)
- ग्रामीण भारत में काम से महिलाओं की वापसी: रुझान, कारण और नीतिगत निहितार्थ (एस. आर. शंकरन चेयर वर्किंग पेपर: ई-कॉपी)
- संचालनात्मक रूप से टिकाऊ किसान उत्पादक संगठन का निर्माण: एफपीओ में व्यवसाय विकास योजना के लिए अभ्यासकर्ता मार्गदर्शिका (ई-कॉपी)
- अनुसंधान विशिष्टताएँ 2016-17
- अनुसंधान विशिष्टताएँ 2017-19
- एनआईआरडीपीआर-नाबार्ड सहयोगी क्षेत्रीय कार्यशाला (पुन:मुद्रण) के लिए 11 बहीखातों का एक सेट
- वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20
- वार्षिक लेखा 2019-20
- प्रशिक्षण कैलेंडर (ई-कॉपी)

iv) राजभाषा

आलोच्य अवधि के दौरान, राजभाषा (हिंदी) के कार्यान्वयन में संस्थान का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार की राजभाषा नीति के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

1. संस्थान के हिंदी ई-प्रकाशन और प्रकाशन

(i) एनआईआरडीपीआर समाचार पत्र प्रगति - 12 अंक
(ii) वार्षिक प्रतिवेदन - 2019-20 (मुद्रित)
(iii) वार्षिक लेखा - 2019-20 (मुद्रित)
(iv) प्रशिक्षण कैलेंडर - 2019-20
(v) डिजिटल भुगतान पुस्तिका - अंक 01
(vi) ग्रामीण विकास समीक्षा (महात्मा गांधी विशेषांक)
(vii) महापरिषद की बैठक की कार्यसूची - भाग - II
(viii) क्लस्टर-मॉडल ग्राम पंचायत
(ix) आरआईएससी कार्यवाही

2. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन

संस्थान राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के पूर्ण अनुपालन का प्रयास कर रहा है। मुख्य द्वार पर संस्थान का नाम तेलुगु + हिंदी + अंग्रेजी में प्रदर्शित किया गया है। संस्थान के सभी नाम बोर्ड, नोटिस बोर्ड, साइन बोर्ड द्विभाषी रूप में हैं। धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कई दस्तावेज हिंदी + अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी किए गए । इसके अलावा संस्थान में प्रचलित 20 प्रपत्रों को भी द्विभाषी बना दिया गया और इन सभी प्रपत्रों को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

3. संस्थान में हिंदी अनुवाद कार्य

विवेच्य अवधि के दौरान प्रशिक्षण और अनुसंधान में हिंदी का प्रयोग बढ़ा। लॉकडाउन की स्थिति के दौरान "वर्क फ्रॉम होम" के दौरान हिंदी में 34 ऑडियो फाइलों के 1000 से अधिक पृष्ठों को सुनकर अंग्रेजी सामग्री की तुलना की गई और पूरे काम को सुनकर सामग्री को सही किया गया। इसके अलावा, राजभाषा अनुभाग ने बड़ी संख्या में पृष्ठों का अनुवाद भी किया है जिसमें संकाय अनुसूचियां, संकाय पाठ्यक्रम सामग्री, आरटीआई पत्र, पावर प्वाइंट प्रस्तुतियां, आदेश, परिपत्र, एनआईआरडी समाचार पत्र प्रगति, प्रशिक्षण ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा, डिजिटल भुगतान पुस्तक, प्रशिक्षण कैलेंडर आदि।

4. हिंदी पखवाड़ा समारोह

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं भारत सरकार की राजभाषा नीति को बढ़ावा देने के लिए संस्थान में 14-28 सितंबर, 2020 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन

किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ-साथ पीजी डिप्लोमा छात्रों के लिए ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय "कोविड -19 महामारी के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका" था। प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 25 अधिकारियों/ कर्मचारियों और 35 छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन हिंदी और गैर-हिंदी भाषी कर्मचारियों/ छात्रों के लिए अलग-अलग किया गया था।

5. संस्थान में प्रबोध, प्रवीण कक्षाएं

आलोच्य अवधि के दौरान, हिंदी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित 14 सितंबर, 2020 से 16 नवंबर, 2020 तक आयोजित प्रबोध हिंदी प्रशिक्षण के लिए संस्थान के 6 अधिकारियों/ कर्मचारियों को नामित किया गया था। संस्थान में ही आयोजित प्रबोध की परीक्षा में सभी छह अधिकारियों/ कर्मचारियों ने प्रबोध प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया तथा उन्हें प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गयी। "प्रबोध" परीक्षा को प्रशिक्षण के दूसरे चरण, "प्रवीण" पाठ्यक्रम में नामांकित किया गया था। ये सभी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जा रही हैं।

6. संस्थान में आयोजित हिन्दी टाइपिंग कक्षाएं

संस्थान ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से जनवरी 2021 से जून 2021 के दौरान हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आयोजित हिंदी टंकण कक्षाओं के लिए चार कर्मचारियों को नामित किया है।

7. यूनिकोड पर ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला

संस्थान में दिनांक 29.12.2020 को यूनिकोड पर एक ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉ. जयशंकर तिवारी, अतिथि वक्ता ने यूनिकोड, टास्क बार पर हिंदी आइकन लाने के लिए भाषाइंडिया डॉट कॉम पर गूगल और इंडिक भाषा इनपुट टूल से इस सॉफ्टवेयर को लोड करने के बारे में विस्तार से बताया । इसके अलावा अपने दो घंटे के भाषण में उन्होंने गूगल ट्रांसलेशन, वॉयस टाइपिंग और क्षेत्रीय भाषाओं यानी हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया भाषाओं में मेल भेजने के बारे में भी व्यापक जानकारी दी। इस ऑनलाइन कार्यशाला में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहाटी और एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा सहित संस्थान से कुल मिलाकर 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

8. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति – 2 की बैठक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-2 हैदराबाद की बैठक 16 दिसंबर, 2020 को अपराह्न 3.30 बजे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद में आयोजित की गई। बैठक ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता श्रीमती अलका उपाध्याय, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने की थी। इस अवसर पर संस्थान की उप महानिदेशक श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, एनआईआरडीपीआर और लेफ्टिनेंट कर्नल आशुतोष कुमार, रजिस्ट्रार और निदेशक (प्रशासन), डॉ आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सीडीसी) प्रभारी, डॉ. के.पी. शर्मा, उप निदेशक (राजभाषा), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलूरू, डॉ. नरेश बाला, सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, सिकंदराबाद, विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी और अन्य हिंदी अधिकारी बैठक के दौरान उपस्थित थे।

श्रीमती अलका उपाध्याय, महानिदेशक एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजभाषा के रूप में हिंदी को आधिकारिक कार्यों में वरीयता दी जानी चाहिए। अधिकांश टॉलिक कार्यालयों ने त्रैमासिक रिपोर्ट नहीं भेजी थी, इसलिए उन्हें नियमित रहने के लिए कहा गया ताकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले संस्थान का वस्तुनिष्ठ चयन हो सके। इस अवसर पर डॉ. अशोक तिवारी ने "कोरोना काल के दौरान भोजन की आदतें" पर एक प्रस्तुति दी। सहायक निदेशक (राजभाषा), एनआईआरडीपीआर और समिति के सदस्य सचिव ने टॉलिक-2 की गतिविधियों को उजागर किया।

9. कार्यालय परिसर के सभी नोटिस बोर्ड पर प्रतिदिन **एक हिन्दी शब्द सीखिए'** का प्रदर्शन अर्थ सहित तथा 'हिंदी कोटेशन' को नियमित रूप से प्रदर्शित किए जा रहे है ।

अध्याय - 12
वित्त एवं लेखा

एनआईआरडीपीआर अपने सभी गतिविधियों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय है। हर साल, अनुमोदित बजट के अनुसार, मंत्रालय वेतन/ सामान्य शीर्षों के तहत अनुदान जारी करता है। एनआईआरडीपीआर के प्रस्तावों और आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान भी जारी किया जाता है। संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग को बजट, भुगतान और निधियों के लेखांकन, वार्षिक लेखा की तैयारी आदि के कार्य सौंपे जाते हैं। संस्थान प्रति वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होनेवाले और 31 मार्च को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। संस्थान के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए सीएजी द्वारा अनुमोदित निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए संस्थान के लेखों को यथोचित तैयार किया जाता है। संस्थान के लेखों पर सीएजी की संपरीक्षा रिपोर्ट हर साल वार्षिक लेखों में शामिल की जाती है और संसद को प्रस्तुत की जाती है।

संस्थान की मुख्य गतिविधियों जैसे क्षमता निर्माण, अनुसंधान, विकास, सेमिनार और सम्मेलन, ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, प्रकाशन, पत्रिकाओं की सदस्यता, पुस्तकालय, रखरखाव और अन्य आवर्ती एवं गैर-आवर्ती व्यय पर व्ययों को पूरा करने के लिए वेतन/ सामान्य शीर्षों के तहत जारी अनुदानों का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त के अलावा, एनआईआरडीपीआर को ग्रामीण क्षेत्र में भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों जैसे दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई), सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई), रूर्बन मिशन, मनरेगा, सामाजिक लेखापरीक्षा के तहत क्षमता निर्माण, एनआरएलएम, आरसेटी, आदि के लिए एमओआरडी के विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों से निधियां भी प्राप्त होती हैं। विभिन्न अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय निकायों से भी अनुसंधान, प्रभाव मूल्यांकन और क्षमता निर्माण के लिए निधियां प्राप्त होती हैं जो कि वित्त पोषण एजेंसियों की आवश्यकता के लिए विशिष्ट हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय कपार्ट को दिनांक 13-04-2020 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा समाप्त कर दिया गया और दिनांक 01-05-2020 से एनआईआरडीपीआर के साथ विलय कर दिया गया। अधिसूचना के अनुसार, पूर्ववर्ती कपार्ट की स्वीकृत कर्मचारी की संख्या, सभी आस्तियां और देनदारियां एनआईआरडीपीआर को स्थानांतरित कर दी गई हैं। पूर्ववर्ती कपार्ट, नई दिल्ली को एनआईआरडीपीआर के दिल्ली केंद्र के रूप में नामित किया गया है। पूर्ववर्ती कपार्ट के 01-05-2020 तक के प्रारंभिक शेष को प्रधान कार्यालय (एचओ) और एनईआरसी के आंकड़ों के साथ एकीकृत किया गया और वार्षिक लेखों में प्रदर्शित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, जारी किए गए 80.43 करोड़ रु. अनुदान के मुकाबले 327.85 करोड़ रुपये संस्थान का व्यय है। पिछले 5 वर्षों के लिए किए गए अनुदान और व्यय के संबंध में दर्शाता एक आरेख निम्नलिखित रूप में इस प्रकार है।

सारणी 12.1: पिछले पाँच वर्षों में संस्थान का व्यय

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	कुल अनुदान	व्यय
2016-17	58.83	62.25
2017-18	50.00	70.88
2018-19	72.17	79.32
2019-20	80.42	80.00
2020-21	80.43	327.85*

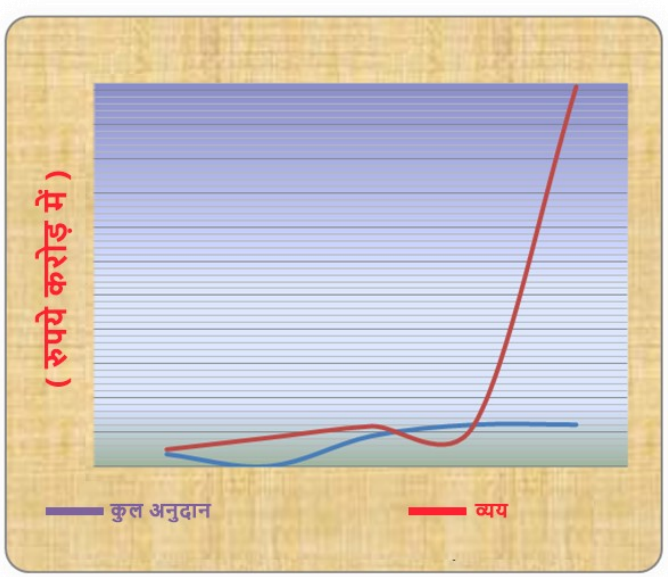

ग्राफ 12.1: 2016-17 से 2020-21 तक अनुदान एवं व्यय

12.1. एनआईआरडीपीआर की संचित निधि

21 अगस्त, 2008 को आयोजित कार्यकारी परिषद की 105 वीं बैठक के अनुमोदन से वर्ष 2008-09 में एनआईआरडीपीआर की संचित निधि को स्थापित किया गया। निधि के संचालन और प्रबंधन हेतु कॉर्पस निधि नियम, निधि के उद्देश्यों, स्रोतों, अनुप्रयोगों, प्रबंधन आदि को निर्दिष्ट करते हैं। निधि का प्राथमिक उद्देश्य संस्थान की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। 31 मार्च, 2021 को संचित निधि रु.316.25 करोड़ था, जबकि 31 मार्च, 2020 को यह 263.21 करोड़ रूपए और 31 मार्च, 2019 को 217.72 करोड़ रूपए था। यह संस्थान की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और आत्मनिर्भरता के जनादेश को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है, इसे देखते हुए संस्थान ने 2019-20 के दौरान लगभग 80 करोड़ रुपये और 2020-21 के दौरान लगभग 327.85 का व्यय किया है, जिसमें सेवानिवृत्ति लाभों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रावधान शामिल है (अधिक भर्तियां और संस्थान की गतिविधियों में तेजी से वृद्धि के कारण इसके अतिरिक्त बढ़ने की उम्मीद है)।

12.2. संचित निधि प्रबंधन समिति का गठन

संचालन की देखरेख के लिए संचित निधि प्रबंधन समिति (सीएफएमसी) का गठन ईसी द्वारा किया गया है और निधि के प्रबंधन की परिकल्पना ईसी अनुमोदित समग्र निधि नियमों में की गई है। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

i. महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (समिति के अध्यक्ष)
ii. उप-महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर
iii. निदेशक (एफएम) एवं एफए, एनआईआरडीपीआर
iv. रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशा.), एनआईआरडीपीआर
v. ईसी द्वारा नामित एक सदस्य
vi. निवेश बैंकिंग में अनुभव रखनेवाले एक विशेषज्ञ
vii. ईसी द्वारा नामित निवेश बैंकिंग में अनुभव रखनेवाले एक विशेषज्ञ

संचित निधि नियमों के अनुसार, समिति को जितनी बार फंड से संबंधित व्यवसाय के लेन-देन के लिए आवश्यक समझा जाता है उतनी बार बैठक करनी होती है। निधि का परिचालन प्रबंधन ईसी द्वारा सीएफएमसी को सौंपा गया है।

तदनुसार, एनआईआरडीपीआर सीएफएमसी में एक सदस्य को नामित करने के संस्थान के अनुरोध के जवाब में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने डॉ. सुपर्णा पचौरी, संयुक्त सचिव (वित्त), एमओआरडी को नामित किया। निवेश बैंकिंग में विशेषज्ञों की पहचान के लिए अनुभव, योग्यता और उम्र के आधार पर कई उम्मीदवारों पर विचार किया गया। श्री माधवन शेखर और श्री राजगोपाल कृष्णस्वामी, दोनों सेवानिवृत्त बैंकर, जिन्हें ट्रेजरी, क्रेडिट और सामान्य बैंकिंग सहित वित्तीय बाजारों में 30 से अधिक वर्षों का प्रासंगिक अनुभव है, को समिति में नामित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

12.3. एनआईआरडीपीआरद्वारा अनुरक्षित अन्य निधियां

इसके अलावा, संस्थान ने विकास निधि, हितकारी निधि, भविष्य निधि, भवन निधि और चिकित्सा संचित निधि की भी स्थापना की, जो एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ प्रयोजन-उन्मुख हैं।निधियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

एनआईआरडीपीआर के प्रतिभाशाली कर्मचारी/अधिकारियों की उच्चतम शिक्षा, संस्थान के वित्त विशिष्ट विकासात्मक परियोजनाओं आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 04 अक्तूबर 1982 को आयोजित 47 वीं ईसी बैठक में विकास निधि को मंजूरी दी गई थी। कर्मचारियों के कल्याण के उपाय जैसे ग्रुप सी कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा और विवाह के लिए ऋण, मृतक कर्मचारियों के परिवारों को एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 47 वीं ईसी बैठक में हितकारी निधि को भी मंजूरी दी गई थी।

उपरोक्त दो निधियों का मुख्य स्रोत परामर्श परियोजनाओं से संस्थान की शुद्ध बचत आय और निधि पर अर्जित ब्याज का एक निश्चित भाग है। 31 मार्च, 2021 को निधियों की शेष राशि क्रमशः 10.06 करोड़ और 6.12 करोड़ रुपये है।

20 अप्रैल 1989 को आयोजित 63 वीं ईसी बैठक में मुख्य रूप से उसी के लिए निर्धारित धन से संस्थान के ढांचागत विकास के लिए भवन **निर्माण निधि** को मंजूरी दी गई थी। 31 मार्च 2021 को निधि की शेष राशि रू. 19.11 करोड़ थी।
संस्थान के कर्मचारियों के सभी पीएफ से संबंधित लेनदेन के लिए **भविष्य निधि** की स्थापना की गई थी। 31 मार्च 2021 को निधि की शेष राशि रू. 34.77 करोड़ थी।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए 2009 में **चिकित्सा समग्र निधि** की स्थापना की गई थी। इस निधि के स्रोत कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान और निधि पर अर्जित ब्याज हैं। 31 मार्च, 2021 को निधि की शेष राशि रु. 2.03 करोड़ थी।

12.4. कल्याण गतिविधियों पर व्यय

एनआईआरडीपीआर ने वर्ष 2020-21 के दौरान एनआईआरडीपीआर स्टाफ कैंटीन के लिए 1,89,670 रुपये की राशि का वित्त पोषण किया गया है।

12.5. 2020-21 के दौरान वित्त एवं लेखा अनुभाग की प्रमुख उपलब्धियां

- वित्त और लेखा नियमावली को 1 जुलाई, 2020 से लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया था।
- लेखा बहियों के लिए लेखा संहिताओं को संशोधित किया गया और विस्तृत नई लेखा बही संहिताओं को अपनाया गया।
- टैली सॉफ्टवेयर को लेन-देन के सत्यापन और प्राधिकरण, बैंक भुगतान विवरण, अग्रिम, आदि के निर्माण के लिए अनुकूलित किया गया था।
- वित्त विंग में प्राप्त सभी भौतिक अभिलेखों को रिकॉर्ड करने और निपटाने के लिए कम्प्यूटरीकृत वित्तीय रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली (एफआरएमएस) जुलाई 2020 में शुरू की गई थी।
- एनआईआरडीपीआर सरकारी निधियों की प्राप्ति और भुगतान के लिए पीएफएमएस पोर्टल का उपयोग कर रहा है। 11 फरवरी, 2021 को एनआरएलएम आरसी परियोजना पीएफएमएस योजना और संबंधित बैंक खाते में 1.00 लाख रुपये का अनधिकृत भुगतान देखा गया। तुरंत लेन-देन की जांच की गई और पीएफएमएस के उल्लंघन की पुष्टि की गई। तेलंगाना पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज की गई थी। तेलंगाना पुलिस ने बिहार में अपराधी को पकड़कर राशि की वसूली कर एनआरएलएम आरसी परियोजना बैंक खाते में जमा कराने की व्यवस्था की।

परिशिष्ट - I

वर्ष 2020-21 के दौरान एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों में उपस्थित प्रतिभागियों का श्रेणी-वार वितरण

माह	सरकारी अधिकारी	वित्तीय संस्थान	जेडपीसी और पीआरआई	एनजीओ	अनु. और प्रशि. एवं एसआरएलएम के लिए राष्ट्रीय/ राज्य संस्थानें	विश्व-विद्यालय/ महाविद्यालय	अंतरराष्ट्रीय	(एसएचजी, किसान, बीएफटी, बेरोज़गार युवा)	कुल	महिला	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या
क) हैदराबाद											
अप्रैल	6242	0	0	2897	0	0	0	0	9139	0	35
मई	2132	0	645	517	53	48	59	335	3789	495	22
जून	5712	0	5	143	14	44	0	47	5965	485	27
जुलाई	819	0	7903	57	61	13	0	58	8911	149	33
अगस्त	1510	9	7389	228	253	163	4	241	9797	500	52
सितंबर	2396	34	1267	178	364	127	36	308	4710	545	40
अक्तूबर	1312	28	180	342	194	240	75	114	2485	410	28
नवंबर	1278	13	91	93	89	76	4	231	1875	536	24
दिसंबर	604	59	15	200	60	247	29	63	1277	201	14
जनवरी	404	0	45	4	23	1	57	33	567	141	11
फरवरी	395	0	9	1	17	69	70	16	577	134	12
मार्च	364	12	21	214	123	223	47	278	1282	270	22
कुल	23168	155	17570	4874	1251	1251	381	1724	50374	3866	320
आरटीपी								3652	3652	979	113
नेटवर्किंग									91	48	2
एनआरएलएम आरसी					17253				17253	7552	273
एमजीनरेगा											
डीडीयू-जीकेवाई								7001	7001	1406	206
कुल	**23168**	**155**	**17570**	**4874**	**18504**	**1251**	**381**	**12377**	**78371**	**13851**	**914**
ख) एनईआरसी											
अप्रैल	66	0	48	0	0	170	0	14	298	104	2
मई	184	2	9805	16	60	231	17	1712	12027	5558	7
जून	245	2	0	39	34	153	30	5	508	165	7
जुलाई	170	0	6	10	41	105	3	5	340	96	5
अगस्त	33	0	0	19	21	219	29	27	348	141	4
सितंबर	146	0	0	2	63	6	0	6	223	60	4
अक्तूबर	103	0	0	12	26	78	0	16	235	47	6
नवंबर	158	0	0	20	17	112	4	30	341	82	6
दिसंबर	62	0	4	0	11	35	24	2	138	27	3
जनवरी	13	0	0	0	23	2	0	1	39	11	1
फरवरी	127	0	9	58	0	0	0	0	194	83	5
मार्च	185	0	5	19	24	37	0	0	270	83	8
एनआरएलएम एनईआरसी	3281	25	0	0	0	0	0	35	3341	1321	46
कुल	4773	29	9877	195	320	1148	107	1853	18302	7778	104
कुल योग (क+ख)	**27941**	**184**	**27447**	**5069**	**18824**	**2399**	**488**	**14230**	**96673**	**21629**	**1018**

परिशिष्ट - II

वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए अनुसंधान अध्ययन

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
क.	**सहयोगात्मक अध्ययन**		
1.	ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी में स्थिति, प्रक्रियाएं, समस्याएं और पंचायत सेवा वितरण पर इसका प्रभाव और जीपीडीपी को और मजबूत करने के लिए आगे की दिशा	डॉ. आर. चिन्नादुरै	01-06-2020
2.	एनआरएलएम के कार्यान्वयन और सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्लेषण - ओडिशा के कालाहांडी जिले का एक मामला अध्ययन	ईटीसी, भवानीपटना	01-03-2021

परिशिष्ट - III

वर्ष 2020-21 के दौरान पूर्ण किए गए अनुसंधान अध्ययन

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
क.	एनआईआरडीपीआर अनुसंधान		
1	ग्रामीण स्व सहायता समूह महिलाओं का स्वास्थ्य इच्छुक व्यवहार	डॉ. सुचरिता पुजारी, डॉ. टी विजय कुमार	2017-18
2	कृषि पर सतत और अनुकरणीय मॉडल विकसित करना : बेहतर पोषाहार परिणामों के लिए पोषण लिंकेज	डॉ. सुरजीत विक्रमन, डॉ. आर. मुरूगेसन	2017-18
3	बिहार में महिला प्रधान ग्राम पंचायतों का प्रदर्शन: अधिकार, प्रतिरोध, बातचीत और परिवर्तन पर विश्लेषण	डॉ मुकेश कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती स्मिता सिन्हा, बीआईपीएआरडी	2017-18
4	आय सहायता योजना का कार्यान्वयन और तेलंगाना में कृषि में निवेश पर इसका प्रभाव	डॉ. सी. एच. राधिका रानी, डॉ. नित्या वी.जी.	2019-20
5	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की भूमिका - पुरस्कार विजेता राज्यों का अध्ययन	डॉ. आर. अरुणा जयमनि	2019-20
6	प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन में सेवा वितरण शासन के मुद्दों और चुनौतियों का आकलन	डॉ. के. प्रभाकर, डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, श्री के. राजेश्वर, सुश्री सुरक्षा राय (सहायक निदेशक, एसआईआरडीपीआर सिक्किम)	2019-20
7	वित्त के विशेष संदर्भ में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आई एच एल) के निर्माण के लिए अपनाया गया सुविधा तंत्र: चार राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन (जी) पर एक अध्ययन	डॉ. आर. रमेश, प्रो. पी. शिवराम	2017-18
8	विमुद्रीकरण और कृषि पर इसके पश्चात प्रभाव: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण	डॉ के कृष्णा रेड्डी, डॉ मारम श्रीकांत, डॉ रवींद्र एस गवली, डॉ विनीत जे कल्लूर, डॉ श्रीकांत वी. मुके	2017-18
9	भारत में विकेंद्रीकृत योजना और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सेवा: बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का कार्यान्वयन	डॉ वानीश्री जोसेफ, डॉ वाई भास्कर राव	2017-18
10	प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण में सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता	डॉ. श्रीनिवास सज्जा, डॉ. सी. धीरजा, श्री करुणा मुथैया	2018-19
11	उन्नत भारत अभियान योजना का मूल्यांकन - उद्देश्यों की उपलब्धि को ट्रैक करने के लिए एक त्वरित गहन अध्ययन	डॉ जी वेंकट राजू, डॉ वानीश्री जोसेफ	2019-20

जारी...

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
ख.	**मामला अध्ययन**		
12	मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की आजीविका पहल और जीवन स्तर पर एक मामला अध्ययन	डॉ. आर. मुरुगेसन	2015-16
13	एमजीएनआरईजीएस के सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सतर्कता प्रणाली की भूमिका - आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मामला	डॉ. श्रीनिवास सज्जा, डॉ. सी. धीरजा, श्री करुणा मुथैया	2018-19
14	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का सामाजिक लेखापरीक्षा - आंध्र प्रदेश का एक मामला अध्ययन	डॉ सज्जा श्रीनिवास, डॉ राजेश के सिन्हा, डॉ सी धीरजा	2018-19
15	जीपीडीपी के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में सरपंच का प्रदर्शन	डॉ. अंजन कुमार भंज	2018-19
16	जिला कांगरा, हिमाचल प्रदेश में ई-जिला अनुप्रयोग के कार्यान्वयन का अध्ययन	श्री के. राजेश्वर, श्री मनु महाजन	2019-20
17	ग्रामीण विकास के लिए डिजिटल मीडिया: सुदूर ग्रामीण तेलंगाना में संचार अध्ययन	डॉ आकांक्षा शुक्ला	2019-20
ग.	**सहयोगात्मक अध्ययन**		
18	फसल उत्पादन और संभावित अधिशेष श्रम में वर्तमान श्रम उपयोग	सीएएस, एनआईआरडीपीआर और फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज	2019-20
19	पंचायती राज प्रणाली - केरल में महिला प्रधान पंचायतों पर एक अध्ययन	डॉ ओमन जॉन, श्रीमती शेरिन चाको, केआईएलए, केरल	2018-19
20	अट्टापड्डी में अनुसूचित जनजातियों में बहुआयामी गरीबी आकलन	डॉ. जिबिनी वी. कुरियन, डॉ. ओमन जॉन केआईएलए, केरल	2018-19
21	कोलासिब जिला, मिजोरम राज्य, भारत में झूम कृषि और नल फार्मिंग (नदी तट पर मौसमी खेती) की उत्पादकता के बीच तुलनात्मक अध्ययन	जेड. आर. थफाला, डॉ. लल्हरुएतलुआंगी, सैलो, ललथनमाविया राल्ते, एसआईआरडीपीआर, मिजोरम	2016-17
22	सूखा प्रभावित क्षेत्रों की आजीविका पर एमजीएनआरईजीएस का प्रभाव आकलन: आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले का एक मामला अध्ययन	टीएसआईआरडी, तेलंगाना	2012-13
23	हथकरघा गतिविधि के माध्यम से स्वरोजगार: मुख्यमंत्री जीवन ज्योति स्वनियोजन का एक मामला अध्ययन	नकीब सैकिया, प्राचार्य फुलेश्वर सहरिया, सुश्री गीताश्री दास, डॉ. चंदन ठाकुरी, ईटीसी, काहिकुची, कामरूप, असम	2016-17

जारी...

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
24	सामुदायिक स्वच्छता में पुकपुई गांव के अभिग्रहण के लिए कार्य अनुसंधान	डॉ. एम. एस. डांगलियानी, प्राचार्य, आर. लालमिंगमाविया, एफ. वनलालज़ामा, सैमुअल लालज़ानचुहा, जॉन लालमुहांकिमा ईटीसी, पुकपुई, मिजोरम	2016-17
25	कोलासिब जिले के विशेष संदर्भ में मिजोरम में पाम ऑयल उत्पादन की समस्याएं और संभावनाएं	श्री खलसियामथांगा खालह्रिंग, डॉ मार्गरेट लालबीकथांगी, एसआईआरडीपीआर, मिजोरम	2017-18
26	तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के रासापेट्टई गांव में ग्राम आपदा जोखिम प्रबंधन योजना (वीडीआरएमपी) पर कार्य अनुसंधान परियोजना	एम. माधवी, डॉ. ए. अर्पुथराज, एस. सीतालक्ष्मी, एसआईआरडी, तमिलनाडु	2015-16
27	चेंचुओं में प्रमुख आजीविका स्रोत (पीटीजी) - महबूब नगर जिला, आन्ध्र प्रदेश का एक मामला अध्ययन	टीएसआईआरडी, तेलंगाना	2012-13
28	मनरेगा में अभिसरण पहल: राजौरी जिले (जम्मू - कश्मीर) का एक मामला अध्ययन	प्रो. रेवा शर्मा, जावीद अहमद, जेकेआईएमपीए एवं आरडी, जम्मू - कश्मीर	2017-18

परिशिष्ट - IV

वर्ष 2020-21 के दौरान चल रहे अनुसंधान अध्ययन

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
क.	**एनआईआरडीपीआर अनुसंधान**		
1	एससीएसपी/ टीएसपी का मूल्यांकन - आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक अध्ययन	डॉ. एस. एन. राव	01-09-2016
2	एनएसएपी और राज्य पेंशन योजनाएं और डीबीटी का विस्तार - 8 राज्यों का अध्ययन	डॉ. एस. एन. राव	07-06-2017
3	किन्नर लोगों के सामाजिक-आर्थिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन और उन्हें मुख्यधारा में लाने की रणनीतियाँ (2 राज्यों का अध्ययन)	डॉ. एस. एन. राव	07-06-2017
4	एमजीएनआरईजीएस के तहत आजीविका संवर्धन और स्थिरता (प्रभाव)	डॉ. यू. हेमंत कुमार, डॉ. जी.वी.के. लोहिदास, डॉ. राज कुमार पम्मी, डॉ. पी. शिवराम	07-06-2017
5	भारत में ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थानों का निष्पादन: एक मूल्यांकन अध्ययन	डॉ टी विजय कुमार, डॉ लखन सिंह, डॉ सोनल मोबर रॉय	01-02-2018
6	सतत आजीविका और वंचित समुदाय: कर्नाटक के चुनिंदा जिले में डब्ल्यूएडीआई कार्यक्रम का एक अध्ययन	डॉ. राज कुमार पम्मी	01-02-2018
7	उपयोग और रखरखाव पर ध्यान के साथ ओडीएफ स्थिति का पुन: सत्यापन: एक अनुभवजन्य जांच	डॉ. आर. रमेश, डॉ. पी. शिवराम	01-11-2018
8	एमजीएनआरईजीएस के सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों में प्रवृत्तियों का अध्ययन और राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई और इसके प्रभाव	डॉ. सी. धीरजा, डॉ. एस. श्रीनिवास, श्री करुणा मुथैया	01-11-2018
9	ग्राम पंचायतों के लिए राजस्व के अपने स्रोत (ओएसआर) बढ़ाने की पहल और विकास में इसकी भूमिका - चयनित राज्यों में एक अध्ययन	डॉ. आर. चिन्नदुरै	08-01-2019
10	ए सेंचुरी ऑफ एग्रेरियन चेंज इन लोअर कावेरी डेल्टा: पालाकुरिची विलेज, का एक अध्ययन 1918-2018	डॉ. सुरजीत विक्रमन, डॉ. आर. मुरुगेसन	01-07-2019
11	ग्रामीण युवाओं के कौशल और रोजगार सृजन में आरएसईटीआई की दक्षता पर एक अध्ययन	डॉ. आर. अरुणा जयमनि, एस. चंपकवल्ली, निदेशक, आरएसईटीआई	01-08-2019
12	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में क्लस्टर शासन	डॉ. एस. के. सत्यप्रभा, श्री नागराज राव, मिशन प्रबंधक, एनआरएलएम	01-08-2019
13	ग्राम पंचायत के लिए ई-गवर्नेंस तत्परता सूचकांकका विकास	श्री के. राजेश्वर	01-08-2019
14	एमजीएनआरईजीएस न्यूनतम मजदूरी और ग्रामीण मजदूरी में रुझान	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, डॉ. दिगंबर ए., डॉ. पी. अनुराधा	01-08-2019
15	महिलाओं के पोषण/स्वच्छता प्रथाओं के सुधार में एसईआरपी तेलंगाना के स्वास्थ्य/पोषण हस्तक्षेप की प्रभावशीलता	डॉ रुचिरा भट्टाचार्य	08-01-2020

जारी...

ख.	**मामला अध्ययन**		
16	ग्रामीण सामुदायिक रेडियो (आरसीआर) की सफलता की कहानी का मानचित्रण - एक मामला अध्ययन	डॉ आकांक्षा शुक्ला	01-08-2019
ग.	**सहयोगात्मक अध्ययन**		
17	पोषण के लिए खाद्य प्रणाली	डॉ. एन. वी. माधुरी, डॉ रुचिरा भट्टाचार्य	07-08-2019
18	पापुमपारे जिले के राग सीडी ब्लॉक और एसआईआरडी के आसपास के गांवों में एसएचजी के माध्यम से आजीविका परियोजनाएं/सूक्ष्म उद्यम	श्रीमती लिखा किरण कबक, श्री एस.डब्ल्यू. बगांग एसआईआरडी, अरुणाचल प्रदेश	27-01-2015
19	तेलंगाना राज्य में प्राथमिक शिक्षा में छात्रों के नामांकन और प्रतिधारण को प्रभावित करने वाले कारक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में)	श्री पी. वेंकटराम रेड्डी, डॉ. के. नागेश्वर राव टीएसआईआरडी, तेलंगाना	01-05-2016
20	त्रिपुरा में महिलाओं के व्यवहार परिवर्तन पर स्वच्छता अभियान का प्रभाव	डॉ एलिजाबेथ एल संगलियाना, श्रीमती अर्पिता चौधरी एसआईआरडी, त्रिपुरा	01-08-2016
21	शिक्षा एवं महिला अधिकारिता और जेंडर न्याय के बीच संबंध की खोज: पश्चिम बंगाल, केरल और मिजोरम के मध्य एक तुलनात्मक विश्लेषण	डॉ सुपर्णा गांगुली, डॉ ओमन जॉन, श्री वी. राल्ते, बीआरएआईपीआरडी, पश्चिम बंगाल	01-02-2017
22	झारखंड में आदिवासी महिला पीआरआई सदस्यों को सशक्त बनाना लेकिन क्या यह पेसा के संदर्भ में है? - झारखंड के दस (10) पेसा जिलों में एक अध्ययन	एसआईआरडी, झारखंड	01-02-2017
23	झारखंड में ई-पंचायत - चुनौतियां और प्रस्तावित समाधान	एसआईआरडी, झारखंड	01-02-2017
24	पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया और अली के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (लोढ़ा, बिरहोर और टोटो) से संबंधित प्राथमिक स्कूली बच्चों के पोषण और शैक्षिक स्थिति पर पके हुए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक क्रॉस-अनुभागीय अध्ययन	डॉ अनिर्बान मजूमदार, श्री मोनाज कुमार पहारी, डॉ सुपर्णा गांगुली, श्रीमती गायत्री बसु, श्री स्नेहासिस दत्ता बिआरएआईपीआरडी, पश्चिम बंगाल	01-04-2017
25	मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत सदस्यों के कार्यों के अधिरोपण के संबंध में मानसिकता और संस्थागत संरचनात्मक स्थितियों का निर्धारण करने के लिए विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन	डॉ. संजय कुमार राजपूत एमजीएसआईआरडी, एमपी	
26	ग्राम सभा के संस्थानीकरण और कामकाज का आकलन तथा ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी	श्री सुरेंद्र प्रजापति एमजीएसआईआरडी, एमपी	01-02-2019
27	पंचायत दर्पण में की जा रही ऑनलाइन प्रविष्टियों में आ रही कठिनाइयों का अध्ययन	श्री आशीष दुबे एमजीएसआईआरडी, एमपी	01-02-2019
28	एमजीएनआरईजीएस योजना के संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण का प्रभाव (कुंडम ब्लॉक, जबलपुर, एमपी में 2 जनपद पंचायत)	श्री जयकुमार श्रीवास्तव एमजीएसआईआरडी, एमपी	01-02-2019
29	ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के प्रवास को रोकने में मनरेगा योजना की भूमिका	श्री नीलेश कुमार रॉय एमजीएसआईआरडी, एमपी	01-02-2019
30	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति – कुंडम प्रखंड, जबलपुर, एमपी में ग्रामीण	श्री पंकज राय एमजीएसआईआरडी, एमपी	01-02-2019
31	एसएचजी के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमियों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण: जम्मू - कश्मीर में उम्मीद का एक अध्ययन	डॉ. जावेद अहमद तेली, प्रो. रेवा शर्मा जेकेआईएमपीए एवं आरडी, जम्मू और कश्मीर	01-08-2019

परिशिष्ट - V

वर्ष 2020-21के दौरान कार्य अनुसंधान अध्ययन

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
क.	**प्रारंभ किए गए**		
1	पूरे भारत में 250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने की परियोजना	डॉ. अंजन कुमार भंज, श्री दिलीप कुमार पॉल	01-04-2020
ख.	**संपूरित अध्ययन**		
2	कंप्रेस्ड मड प्रोसेस का उपयोग करके रूफ टाइल्स, फ्लोर टाइल्स और पेवर ब्लॉक्स का डिजाइन और विकास	डॉ. रमेश शक्तिवेल	04-04-2018
ग.	**चल रहे अध्ययन**		
3	स्कूलों में लड़कियों के शौचालयों की स्थिति में सुधार के लिए निर्जल शौचालय प्रणाली का डिजाइन और विकास	डॉ. रमेश शक्तिवेल	04-01-2018
4	कौशल विकास के लिए गोबर और मूत्र के मूल्य संवर्धन के माध्यम से मॉडल डेयरी फार्म का मूल्यांकन	डॉ रमेश शक्तिवेल एस (एनआईआरडीपीआर) और बाहरी सदस्य: डॉ पी बाबू, डॉ जी श्यामसुंदर रेड्डी और डॉ वाई रमना रेड्डी (फॉर्च्यून डायरी)	01-05-2019
5	250 मॉडल जीपी क्लस्टर बनाने के लिए 100+ क्लस्टर विकास कार्यक्रम और परियोजना	डॉ. अंजन कुमार भंज, श्री दिलीप कुमार पाली	01-07-2019

परिशिष्ट - VI

वर्ष 2020-21 के दौरान प्रारंभ परामर्शी अध्ययन

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
1	एमएसई द्वारा वित्त की आसान उपलब्धता का मूल्यांकन: भारत में एक अनुभवजन्य अध्ययन	डॉ. एम. श्रीकांत डॉ. पी.पी. साहू	01-04-2020
2	बच्चों के अनुकूल स्थानीय शासन: भारत से अच्छे व्यवहार का दस्तावेजीकरण	डॉ एन वी माधुरी, सुश्री बिजिता देवशर्मा डॉ रुचिरा भट्टाचार्य	05-05-2020
3	"निरंतर प्रशिक्षण और ई-सक्षमता" द्वारा पंचायत राज संस्थानों को मजबूत करने से भारत का बदलता स्वरूप - टीआईएसपीआरआई: चरण II	डॉ. सी. कथिरेसन, डॉ. प्रत्यूसना पटनायक डॉ वानीश्री जोसेफ	19-05-2020
4	बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया: कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एक अध्ययन	डॉ. एन. वी. माधुरी सुश्री बिजिता देवशर्मा	05-06-2020
5	एपीएसएचसीएल - आंध्र प्रदेश में निर्माण केंद्रों के कामकाज पर अध्ययन	डॉ. रमेश शक्तिवेल एस., डॉ. पी.पी. साहू श्री मोह. खान, श्री बी.एन. मणि, सुश्री विष्णुप्रिया	03-08-2020
6	मनरेगा के तहत लाभार्थियों को व्यक्तिगत संपत्ति (पीएमएवाई को छोड़कर) प्रदान करने के बाद उनके द्वारा काम की मांग में बदलाव	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, डॉ. दिगंबर ए. चिमनकर, डॉ. यू. हेमंत कुमार डॉ. जी.वी. कृष्णा लोही दास, डॉ. पी. अनुराधा डॉ राजकुमार पम्मी	14-08-2020
7	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू - कश्मीर के पंचायती राज संस्थानों के लिए स्टाफिंग नीति	श्रीमती राधिका रस्तोगी, डॉ. प्रत्यूस्ना पटनायक डॉ. के. प्रभाकर, डॉ. एम. रविबाबू	15-09-2020
8	कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन (एआरआरएस) योजना का मूल्यांकन (पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित), 2020-21	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन	01-10-2020
9	भारत में एमजीएनआरईजीएस में समय और गति अध्ययन के लिए नई तकनीकों की शुरुआत करने वाले लेबर प्रोडक्टिविटी इन पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम पर रीडिंग यूनिवर्सिटी	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, डॉ. दिगंबर ए. चिमनकर, डॉ. पी.अनुराधा	18-12-2020
10	किसान सदस्यों की आर्थिक स्थितियों पर एफपीओ के प्रभाव पर एक अध्ययन	डॉ. सीएच. राधिका रानी और टीम	01-01-2021
11	बाल हितैषी पंचायत बनाना - चुनौतियाँ और आगे का मार्ग	डॉ. प्रत्यूसना पटनायक	01-01-2021
12	कोविड-19: स्थानीय शासन में नीतिगत प्रतिक्रियाएँ	डॉ वानीश्री जोसेफ	01-01-2021
13	भारतीय कृषि में समावेशी विकास: व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से टिकाऊ एफपीओ की आवश्यकता	डॉ. एम. श्रीकांत, डॉ. पी.पी. साहू	05-01-2021
14	कौशल विकास पर पंचायत की प्रभावी पहल	डॉ वानीश्री जोसेफ	01-03-2021
15	विकेंद्रीकृत सेवा वितरण: कर्नाटक के नंदगढ़ ग्राम पंचायत का मामला अध्ययन	डॉ. प्रत्यूसना पटनायक	01-03-2021

परिशिष्ट - VII

वर्ष 2020-21 के दौरान संपूरित परामर्शी अध्ययन

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
1	मडगास्कर में सीगार्ड प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना	डॉ. पी. केशव राव डॉ. एन. एस. आर. प्रसाद डॉ. एम. वी. रविबाबू ईआर. एच. के. सोलंकी	01-02-2018
2	समय और गति अध्ययन –एमजीएनआरईजीएस	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन डॉ. दिगंबर ए. चिमनकारी डॉ. यू. हेमंत कुमार डॉ. जी.वी. कृष्ण लोही दासी डॉ. पी. अनुराधा डॉ राजकुमार पम्मी	01-03-2018
3	करनूल, आंध्र प्रदेश में हाइपरस्पेक्ट्रल और मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर का उपयोग करके स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी सृजन और विभिन्न चावल फसलों की तुलना	डॉ. एम. वी. रविबाबू डॉ. के. सुरेश	01-04-2018
4	गुजरात, ओडिशा और उत्तराखंड राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-संसूचना विज्ञान का उपयोग	डॉ. एम. वी. रविबाबू डॉ. एन. एस. आर. प्रसाद	01-07-2018
5	हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-संसूचना विज्ञान का उपयोग	ईआर. एच. के. सोलंकी डॉ. पी. केशव राव	01-07-2018
6	अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-संसूचना विज्ञान का उपयोग	डॉ. ए. सिंहचलम डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद	01-07-2018
7	टेहरी गढ़वाल जिला, उत्तराखंड में कृषि-जलवायु योजना और सूचना बैंक (एपीआईबी)	डॉ पी केशव राव, डॉ एन एस आर प्रसाद, ईआर. एच. के. सोलंकी	17-07-2018
8	एमजीएनआरईजीएस परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन	डॉ. पी. केशव राव, डॉ एन एस आर प्रसाद, डॉ. एम. वी. रविबाबू	01-03-2019
9	एसएचजी व्यवहार परिवर्तन मार्ग	डॉ. एस. के. सत्यप्रभा	01-04-2019
10	मनरेगा के साथ आईडब्ल्यूएमपी का अभिसरण और इसके प्रभाव	डॉ. यू. हेमंत कुमार डॉ जी वी कृष्ण लोही दासी	01-04-2019
11	2015-16 और 2016-17 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ आरकेवीवाई परियोजनाओं का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन।	डॉ जी वी कृष्णलोही दासी डॉ. यू. हेमंत कुमार डॉ के कृष्णा रेड्डी	01-04-2019
12	महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य के पिछड़े जिलों में ग्रामीण परिवारों के बीच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रदर्शन पर एक मूल्यांकन अध्ययन	डॉ आकांक्षा शुक्ला	01-05-2019
13	उत्तर तटीय क्षेत्र के एफपीओ की संसाधन सहायक एजेंसी के रूप में एनआईआरडीपीआर पर नाबार्ड एपी परियोजना	डॉ. सी.एच. राधिका रानी डॉ सुरजीत विक्रमन डॉ. नित्या वी.जी.	01-06-2019
14	अंडमान - निकोबार द्वीप समूह की ग्रामीण सड़क परियोजना (पीएमजीएसवाई-II और एसएफए)	डॉ. पी. केशव राव डॉ. एम. वी. रविबाबू डॉ. एन.एस.आर प्रसाद ईआर. एच. के. सोलंकी	01-08-2019

परिशिष्ट - VIII

वर्ष 2020-21 के दौरान चल रहे परामर्शी शोध अध्ययन

क्र. सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
1	मडगास्कर में सी-गार्ड प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना	डॉ. पी. केशवराव, डॉ. एन.एस.आर प्रसाद डॉ. एम.वी. रविबाबू, ईआर. एच.के. सोलंकी	01-02-2018
2	समय और गति अध्ययन - एमजीएनआरईजीएस	डॉ. ज्योति सत्यपालन, डॉ. दिगंबर ए. चिमनकर डॉ. यू. हेमंत कुमार डॉ. जी.वी. कृष्ण लोही दास, डॉ. पी. अनुराधा डॉ. राजकुमार पम्मी	01-03-2018
3	करनूल, आंध्र प्रदेश में हाइपरस्पेक्ट्रल और मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर का उपयोग करके स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी का सृजन और विभिन्न चावल फसलों की तुलन	डॉ. एम. वी. रविबाबू डॉ. के. सुरेश	01-04-2018
4	गुजरात, ओडिशा और उत्तराखंड राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को भू-संसूचना विज्ञान का उपयोग	डॉ. एम. वी. रविबाबू डॉ. एन. एस. आर. प्रसाद	01-07-2018
5	हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-संसूचना विज्ञान का उपयोग	ईआर. एच. के. सोलंकी डॉ. पी. केशव राव	01-07-2018
6	अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-संसूचना विज्ञान का उपयोग	डॉ. ए. सिम्हाचलम डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद	01-07-2018
7	टेहरी गढ़वाल जिला, उत्तराखंड में कृषि-जलवायु योजना और सूचना बैंक (एपीआईबी)	डॉ. पी. केशव राव, डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद, डॉ. एम.वी. रविबाबू ईआर. एच. के. सोलंकी	17-07-2018
8	एमजीएनआरईजीएस परिसंपत्तियों की भू-टैगिंग का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन	डॉ. पी. केशव राव, डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद, डॉ. एम.वी. रविबाबू ईआर. एच. के. सोलंकी	01-03-2019
9	एसएचजी व्यवहार परिवर्तन दिशाएँ	डॉ. एस. के. सत्यप्रभा	01-04-2019
10	एमजीएनआरईजीएस के साथ आईडब्ल्यूएमपी का अभिसरण और इसके निहितार्थ	डॉ. यू. हेमंत कुमार डॉ जी वी कृष्ण लोही दास	01-04-2019
11	2015-16 और 2016-17 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ आरकेवीवाई परियोजनाओं का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन	डॉ. जी.वी. कृष्ण लोही दास डॉ. यू. हेमंत कुमार डॉ. के. कृष्णा रेड्डी	01-04-2019
12	महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों के पिछड़े जिलों में ग्रामीण परिवारों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रदर्शन पर एक मूल्यांकन अध्ययन	डॉ. आकांक्षा शुक्ला	01-05-2019
13	उत्तर तटीय क्षेत्र के एफपीओ के संसाधन सहायक एजेंसी के रूप में एनआईआरडीपीआर पर नाबार्ड एपी परियोजना	डॉ. सी.एच. राधिका रानी डॉ सुरजीत विक्रमन डॉ. नित्या वी.जी.	01-06-2019
14	अंडमान - निकोबार द्वीप समूह के ग्रामीण सड़क परियोजना (पीएमजीएसवाई-II एवं एसएफए)	डॉ. पी. केशव राव, डॉ. एम. वी. रविबाबू डॉ. एन.एस.आर प्रसाद, ईआर. एच. के. सोलंकी	01-08-2019

परिशिष्ट - IX

कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण विषय

क. प्रशिक्षण कार्यक्रम

पंचायती राज

- जीपीडीपी को संशोधित करने पर तमिलनाडु के पंचायत अध्यक्षों और अधिकारियों के लिए बातचीत सह अभिमुखीकरण प्रशिक्षण - कोविड -19 के बाद संकट और 15 वीं एफसी।
- कोविड संकट के दौरान ग्राम पंचायतों की भूमिका और राजस्व के अपने स्रोतों को जुटाने का महत्व।
- ग्राम पंचायतों के लिए संसाधन जुटाना/ स्वयं के स्रोत राजस्व के लिए रणनीतियां
- मॉडल जीपी समूहों के लिए परियोजना पर ऑनलाइन अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- मॉडल जीपी क्लस्टर के लिए परियोजना के तहत जीपीडीपी के लिए प्राथमिक डेटा के संग्रह पर ऑनलाइन पुनश्चर्या प्रशिक्षण।
- मास्टर स्त्रोत व्यक्तियों का टीओटी-सर्टिफिकेशन (अभिमुखीकरण सह मूल्यांकन)।
- ब्लॉक पंचायत विकास योजना तैयार करने पर एनआईआरडीपीआर द्वारा राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक टीमों का ऑनलाइन प्रशिक्षण।
- 'परिवर्तन के एजेंट और क्षेत्र को सक्रिय करने वाले' (विषयगत क्षेत्र: शिक्षा, महिला और बाल विकास) के रूप में वार्ड सदस्यों का अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण पर ऑनलाइन टीओटी कार्यक्रम।
- दादरा और नगर हवेली में जन योजना अभियान के तहत जीपीडीपी के प्रभावी निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण और संचालन।
- उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 'पंचायत शासन पर ईडब्ल्यूआर की क्षमताओं को बढ़ाना' पर ऑनलाइन टीओटी कार्यक्रम।
- जीपीडीपी के कार्यान्वयन में एसजीडी का एकीकरण।
- ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस ऑनबोर्डिंग के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला।

ग्रामीण रोजगार और आजीविका

- कोविड-19 महामारी के दौरान मानसिक कल्याण का प्रबंधन।
- मनरेगा के लिए समय और गति अध्ययन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (पद्धति संबंधी दिशानिर्देश)।
- एनआरएलएम और एमजीएनआरईजीएस के तहत कृषि और गैर-कृषि आजीविका विकास।
- एनआरएलएम और एमजीएनआरईजीएस के तहत कृषि और गैर-कृषि आजीविका विकास पर टीओटी।
- सतत ग्रामीण विकास (एलबी, एसडीजी और जीपीडीपी) के लिए एमजीएनआरईजीएस श्रम बजट और जीपीडीपी प्रक्रिया को एकीकृत करना।
- एमजीएनआरईजीएस योजना और कार्यान्वयन: अधिनियम, दिशानिर्देश, मास्टर परिपत्र और कार्यान्वयन प्रक्रिया (2 बैच) पर नौसिखियों के लिए प्रशिक्षण।
- जलवायु अनुकूलन के लिए मनरेगा योजना (जलवायु अनुकूलन के लिए संपत्ति निर्माण मिट्टी, पानी, पेड़)।
- अन्य विभागों के साथ अभिसरण में जलवायु अनुकूलन के लिए मनरेगा योजना (जलवायु अनुकूलन के लिए संपत्ति निर्माण, मिट्टी, पानी, पेड़)।
- एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित सतत ग्रामीण आजीविका/ संपत्ति के लिए मूल्य श्रृंखलाओं और विपणन रणनीतियों पर टीओटी।

ग्रामीण ऋण

- कोविड के बाद की अवधि में एक जेंडर लेंस से ग्रामीण श्रम बाजार की फिर से कल्पना करना।
- कृषि मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण।
- ग्रामीण समुदायों के लिए उद्यमिता और सतत आजीविका मॉडल।
- कौशल, आजीविका और वित्तीय समावेशन।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए कार्यशाला।
- मितव्ययी नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता: वित्तीय समावेशन में बिंदुओं को जोड़ना।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

- मिशन स्टाफ और लाइन विभागों के अधिकारियों के लिए सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन (एसएलएसीसी)।
- सतत आजीविका और जलवायु व्यवहार्य अनुकूलन पद्धतियों के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण।
- प्राकृतिक आपदाओं की प्रभावी तैयारी और प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायतों को तैयार करना।
- बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण।
- कोविड -19 महामारी के प्रबंधन में स्थानीय स्वशासन की भूमिका।

प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग

- वन संसाधन प्रबंधन के लिए ओपन-सोर्स जीआईएस टूल्स का परिचय।
- विभिन्न राज्यों के लिए जीपीडीपी हेतु स्थानिक योजना।
- लेखापरीक्षा के लिए दूर संवेदी डेटा और जीआईएस अनुप्रयोगों का उपयोग।
- वन संसाधन प्रबंधन के लिए क्यूजीआईएस अनुप्रयोग।
- मनरेगा के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) की योजना बनाने के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियां।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संचालन

- आरडी और पीआर पदाधिकारियों के लिए कोविड-19 जोखिम संचार प्रशिक्षण।
- ग्रामीण विकास में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सुशासन- सामुदायिक स्कोर कार्ड (सीएससी) दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली।
- उत्तरदायी प्रशासन - जमीनी स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी शासन का सुदृढ़ीकरण।
- 'सुशासन के लिए सामाजिक जवाबदेही उपकरण' पर ग्रामीण विकास पेशेवरों और एसआईआरडी मेघालय के संकाय के लिए प्रशिक्षकों (टीओटी) की ऑनलाइन कार्यशाला सह प्रशिक्षण।
- ग्राम पंचायत विकास के लिए पोषाहार शासन को सुदृढ़ बनाना।
- ग्रामीण स्वयंसेवीवाद में सहयोगात्मक शासन।

अन्य

- नाबार्ड के एफपीओ के लिए मूल्य श्रृंखला और व्यवसाय विकास योजना।
- अनुसूचित क्षेत्रों में विशेषकर कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए रणनीतियाँ।

- ग्राम स्तर की योजना और निगरानी में पोषण लक्ष्य।
- पशुधन क्षेत्र में उद्यमिता विकास।
- प्रमाणित आंतरिक लेखापरीक्षकों के लिए ऑनलाइन रिफ्रेशमेंट कार्यक्रम।
- पीआरआई डिवीजन, झारखंड के लिए प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर अभिविन्यास सह सीधा प्रदर्शन।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में निगरानी और मूल्यांकन पहल।
- ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल के प्रबंधन पर प्रशिक्षण।
- एनएसएपी और पीएमएवाईजी के सामाजिक लेखापरीक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- आरडी के लिए सीएसआर-ए उत्प्रेरक।
- गुणवत्ता प्रबंधन और आईईसी ब्रांडिंग पर प्रशिक्षण।
- डीडीयू-जीकेवाई हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और कोविड-19 पर जागरूकता सत्र।
- वित्त टीम के लिए जीएसटी पर आंतरिक प्रशिक्षण।
- सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों (सीआरपी) के लिए एईपी पर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के लिए एनआरपी को गृह-आधारित कार्य का आबंटन।
- एनआरईटीपी के तहत मूल्य श्रृंखला प्रस्तावों का मूल्यांकन।
- जेंडर अवधारणा और एकीकरण पर प्रशिक्षण।
- कोरोना योद्धाओं के रूप में स्वच्छता कार्मिक: उनके जीवन, आजीविका और सम्मान की सुरक्षा।
- कोविड समय में ग्रामीण व्यवहार्यता को समझना।
- ग्रामीण विकास के लिए जेंडर बजटिंग।
- बाल विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका।
- आरडी कार्यक्रमों में आंतरिक लेखापरीक्षा पर तीन सप्ताह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

ख) कार्यशालाएं और सेमिनार

- सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए कार्यशाला।
- 'जेंडर उत्तरदायी शासन के लिए सामाजिक जवाबदेही उपकरण' पर केआईएलए, केरल के ग्रामीण विकास पेशेवर और फैकल्टी के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) सह ऑनलाइन कार्यशाला।
- पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आदर्श ग्राम पंचायत/ गांव पर परामर्श और सहयोग प्रदान करना।
- प्रभावी ग्राम विकास योजना तैयार करने के लिए 'पूर्वोत्तर भारत के भाग IX क्षेत्रों के अलावा' में क्षमता निर्माण और हैंडहोल्डिंग।
- स्थिर आवास तकनोलॉजी।
- घरेलू जल उपचार प्रणाली।
- बैंक शाखा प्रबंधक अभिमुखीकरण कार्यक्रम चर्चा।
- एएपी (पूर्वोत्तर राज्यों) के अनुसार एसआरएलएम के साथ बुजुर्गों और पीडब्ल्यूडी के साथ काम पर चर्चा।
- सीजीएसआरएलएम कर्मचारियों के लिए एनआरएलएम के नवोन्मेषी निधि के तहत विशेष परियोजना का रोलआउट।
- चयनित जिलों में एफएनएचडब्ल्यू एकीकरण पर कार्यशाला और कर्नाटक के लिए राज्य-विशिष्ट परिचालन रणनीति (ओपीएस) का मसौदा तैयार करना।
- एनआरपी और एसआरएलएम के साथ जेंडर एकीकरण के अनुभव साझा करने पर कार्यशाला (एमपी-12, ओडिशा-18, आंध्र प्रदेश-11, छत्तीसगढ़-14, महाराष्ट्र-10, झारखंड-12)।

- सामाजिक समावेश और जेंडर पर एसआरएलएम के साथ दो दिवसीय समीक्षा कार्यशाला।
- एलएच-फार्म के अंतर्गत एकीकृत कृषि क्लस्टर को बढ़ावा देने पर कार्यशाला।
- तीन महीने के लिए आईबीसीबी, एसआईएसडी के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करना।
- नए पैनल में शामिल एनआरपी (एलएच- गैर-कृषि) के लिए अभिमुखीकरण कार्यशाला।
- कोविड-19 प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना।
- कोविड-19 एमआईएस डेटा संग्रह पर बैठक।
- मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन (एमसीएलएफ) के वित्तीय अनुमानों पर बैठक।
- पूर्वोत्तर एसआरएलएम के राज्य स्त्रोत व्यक्तियों (एसआरपी) और जिला संसाधन व्यक्तियों (डीआरपी) के लिए सामाजिक समावेश और सामाजिक विकास (एसआईएसडी) और वीआरपी प्रशिक्षण।
- उत्तराखंड के लिए वित्तीय प्रक्रियाओं पर सत्र।
- असम के लिए एनईआरसी-एनआईआरडीपीआर टीम के लिए ग्रामस्वराज पर उन्मुखीकरण।
- उत्तराखंड के लिए पीएफएमएस प्रश्नोत्तर सत्र।
- पंजाब के लिए डीडीयू-जीकेवाई में उचित परिश्रम और केंद्र निरीक्षण।
- डीडीयू-जीकेवाई स्थानन प्रक्रिया पर प्रशिक्षण।
- केरल डीडीयू-जीकेवाई पीआईए के लिए परामर्श पर आभासी प्रशिक्षण - पायलट।
- कौशल सलाह वर्चुअल ट्रेनिंग - डीडीयू-जीकेवाई।
- पंजाब के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए दिशानिर्देशों पर विषयगत कार्यशाला।
- डीडीयू-जीकेवाई एसओपी मॉड्यूल पर प्रशिक्षण - बिहार पीआईए के लिए संग्रहण।
- तेलंगाना के लिए डीडीयू-जीकेवाई के अनुसार प्रशिक्षण डिजाइन और योजना।
- जम्मू-कश्मीर, केरल के लिए डीडीयू-जीकेवाई केंद्र प्रबंधन पर विषयगत कार्यशाला।

ग) नेटवर्किंग कार्यक्रम

- 'गैर-कृषि क्षेत्र आधारित उत्पादक संगठन पर एफपीओ के लिए अग्रिम पाठ्यक्रम: कार्यक्षेत्र और क्षमता' पर प्रशिक्षण
- इको-रेसिलिएंट कृषि को बढ़ावा देने में एफपीओ के महत्व पर एफपीओ के लिए उन्नत पाठ्यक्रम।

परिशिष्ट - X

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के विषय

आईटीईसी

- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन।
- भारत में ई-शासन रणनीतियाँ और सर्वोत्तम पद्धतियां।

आर्डो

- ग्रामीण विकास में सहभागी दृष्टिकोणों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण।
- ग्रामीण विकास में सूचना संचार प्रौद्योगिकी और भू-संसूचना विज्ञान अनुप्रयोग।
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन।

अन्य

- मितव्ययी नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता: वित्तीय समावेशन में बिंदुओं को जोड़ना।
- ग्रामीण आजीविका के लिए बांस।
- ग्रामीण विकास परियोजना प्रबंधन।
- ग्रामीण विकास प्रशिक्षण में विज्ञान सीखना और उनकी भूमिका।

परिशिष्ट - XI

अप्रैल 2020 में सभी राज्यों को एनआईआरडीपीआर द्वारा जारी परामर्शी नोट

कोविड-19 महामारी: स्थानीय सरकार के रूप में ग्राम पंचायतें क्या कर सकती हैं?

भारत सहित दुनिया के सभी देश कोविड -19 महामारी की स्थिति के एक बड़े स्वास्थ्य संकट से गुजर रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने नेतृत्व किया है और 21 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाऊन की घोषणा करके कई निवारक उपाय शुरू किए हैं, ताकि समुदाय के माध्यम से वायरस के प्रसार को रोका जा सके। राज्य के नेतृत्व भी इस अवसर पर पहुंचे हैं और बीमारी को रोकने, ठीक करने की लड़ाई में सक्रिय भागीदार के रूप में काम किया है। इसके साथ ही कई आर्थिक पुनरुद्धार उपायों की भी घोषणा की गई है, जो अगले कुछ दिनों में अमल में आ जाएंगे।

भारत गांवों में बसता है, जो ग्रामीण भारत में रहने वाली लगभग 60 प्रतिशत आबादी के लिए जिम्मेदार है। भारतीय गाँव अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में शहरी केंद्रों से कुछ कदम पीछे हैं। इसके विपरीत, ग्रामीण प्रवासियों ने अपने गांवों में वापस जाना शुरू कर दिया है क्योंकि उनकी आजीविका शहरी केंद्रों में संकट में है क्योंकि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा निवारक उपाय किए गए हैं।

स्थानीय स्वशासन के रूप में, ग्राम पंचायतों को इस अवसर पर ऊपर उठना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र/ राज्य सरकारों के निर्देशों को लागू किया जाए और नागरिकों को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन करें। साथ ही, लंबे लॉकडाउन को देखते हुए, जो हमारे अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में ऐसे कई परिवार हो सकते हैं या प्रवासी परिवार जो शहरी केंद्रों से वापस आए हैं, जो गरीब होंगे या जिनके पास संसाधनों की कमी होगी चूंकि उनकी आजीविका दैनिक कमाई पर निर्भर हो सकती है।

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009' के प्रावधानों के अनुसार, ग्राम पंचायतों को आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए 'स्थानीय प्राधिकरण' होने के कारण, इस संकट की स्थिति से ऊपर उठने के लिए पंचायतों को लोगों की सहायता करने के लिए इस संकट की स्थिति का उपयोग करना चाहिए। ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य पदाधिकारियों के लिए यह सुनिश्चित करने का सही समय है कि सभी सुरक्षा उपाय जैसे कि नियमित रूप से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, समूहों में न घूमना आदि, जैसा कि संबंधित स्वास्थ्य विभागों द्वारा परिकल्पित किया गया है, लागू किया जाता है। उनके सामने एक और महत्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जहां ऐसे सभी जरूरतमंद परिवारों को उनके भरण-पोषण के लिए भोजन या राशन उपलब्ध कराया जाए।

इस संदर्भ में, सभी पंचायतों का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए:

"मेरी पंचायत में कोई भी व्यक्ति कोविड-19 वायरस से संक्रमित नहीं होगा, कोई भी दूसरों को संक्रमित नहीं करेगा, और कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के नहीं जाएगा"

संवैधानिक जनादेश के भाग के रूप में, पंचायतें ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी से परिचित हैं। जीपीडीपी में "कम लागत या बिना लागत" विकास पहल का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसने देश भर में कई पंचायतों को उत्तरोत्तर विकसित द्वीपों में बदल दिया है। कोविड-19 के वर्तमान संकट से ग्राम पंचायतों की कल्पना और जोशीले नेतृत्व द्वारा ऐसे उपायों से निपटा जा सकता है। कुछ सक्रिय ग्राम पंचायतों ने अपने लोगों की सहायता के लिए पहले ही ऐसे उपाय किए हैं। ऐसे कुछ नवोन्मेषी उपायों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अन्य बातों के साथ-साथ संपूर्ण नहीं भी हो सकते हैं -

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत ग्रामीण युवाओं, क्लबों, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों आदि के बीच 5 से 6 साहसी और समर्पित स्वयंसेवकों की पहचान किसी भी कारण से वार्ड सदस्य के अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा नामित वार्ड सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के नेतृत्व में प्रत्येक वार्ड में काम करने के लिए कर सकती है। ऐसे स्वयंसेवकों को निम्नलिखित उपाय करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है:

क. वार्डवार्ड क्षेत्र में जाने के लिए और सार्वजनिक घोषणाओं के माध्यम से प्रचार और अभियान के उपाय करने के लिए (क्या करें और क्या न करें पर मानक संदेशों के साथ जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुद्धता और एकरूपता के लिए तैयार किया जा सकता है) और घर-घर के दौरे के माध्यम से भी, जिसका लक्ष्य है कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकना;

ख. ऐसे सभी लोगों का रिकॉर्ड रखें, जिनका हाल ही में विदेश या शहरी क्षेत्रों से यात्रा का इतिहास है, उन्हें उचित सावधानियों के साथ होम क्वारंटाइन बनाए रखने के लिए संवेदनशील बनाएं;

ग. उन पर नज़र रखें ताकि कोरोना वायरस संक्रमण के पहले लक्षण, यदि कोई हों, की रिपोर्ट स्वास्थ्य अधिकारियों को दी जा सके और उन्हें मेडिकल आइसोलेशन और उपचार में स्थानांतरित किया जा सके।

घ. ऐसे क्वारंटाइन किए गए लोगों को ऐसे सभी लोगों का रिकॉर्ड रखने में सक्षम करें, जिनके संपर्क में वे आए थे, जो संक्रमण के लक्षण विकसित होने पर जोखिम में पड़ सकते हैं और ऐसे सभी लोगों को उचित देखभाल के लिए सूचित करें।

ङ. यह सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में समग्र निगरानी बनाए रखना कि नागरिक घर पर रहें और बाहर न निकलें, जब तक कि आवश्यक सेवाओं या आपातकालीन स्थितियों के लिए न हो;

च. बुखार, सर्दी और फ्लू के अन्य लक्षणों से पीड़ित व्यक्तियों को जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में जाने और चिकित्सा सलाह का पालन करने के लिए मार्गदर्शन करना।

2. प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्येक वार्ड में सबसे गरीब परिवारों की पहचान कर सकती है जिनके पास भोजन का भंडार और स्वस्थ जीवन जीने के लिए अन्य आवश्यक आवश्यकताएं नहीं हैं, और ऐसे परिवारों को स्वेच्छा से वहन करने योग्य परिवारों से जुटाकर या पीडीएस से व्यवस्था करवाने द्वारा उन्हें पका हुआ भोजन या निर्वाह के लिए राशन उपलब्ध कराने के लिए एक या एक से अधिक एसएचजी के साथ जोड़ सकते हैं।
3. ऐसे परिवारों के लिए, पंचायत किसी भी सभा को रोकने के लिए और सामाजिक दूरी के सिद्धांत को तोड़े बिना ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए तैयार भोजन उपलब्ध कराने के लिए "रसोई" खोल सकती है।
4. संबंधित बीडीओ/ मध्यवर्ती पंचायत के सहयोग से, प्रत्येक ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करे कि राशन की दुकानें और अन्य न्यूनतम सार्वजनिक सुविधाएं संकटग्रस्त नागरिकों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टॉक के साथ खुली और कार्यात्मक रहें। साथ ही, नागरिकों को अतिरिक्त राशन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, आदि जैसे विभिन्न मोर्चों पर केंद्र/ राज्य सरकारों द्वारा घोषित उनके अधिकारों के बारे में सूचित करें।
5. प्रत्येक ग्राम पंचायत संबंधित वार्ड सदस्यों और स्वयंसेवकों की टीमों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की दुकानों से खाद्यान्न की व्यवस्था करके अत्यधिक आपातकाल में जरूरतमंद परिवारों के दरवाजे पर खाद्यान्न पहुंचाकर वृद्धों जैसे जरूरतमंदों को सेवा प्रदान कर सकती है।
6. प्रत्येक ग्राम पंचायत नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नलकूप यांत्रिकी/ पंप ऑपरेटरों की एक टीम तैनात कर सकती है, जो नियमित रूप से हाथ धोने और अन्य जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है।
7. प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत को यह सुनिश्चित करना है कि ग्राम पंचायतें ईआर, वार्ड सदस्यों और स्वयंसेवकों को युद्ध स्तर पर काम करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों से लैस कर सकें।
8. यदि आवश्यक हो, तो ग्राम पंचायतें अपनी विवेकाधीन निधि का उपयोग उपर्युक्त आपातकालीन व्यवस्थाओं की लागत को पूरा करने के लिए कर सकती हैं। हालांकि, स्वैच्छिक आधार पर ऐसे संसाधनों को जुटाना पंचायतों के सदस्यों में सामंजस्य और एकजुटता की भावना पैदा करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा।

एनआईआरडीपीआर ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से आईईसी सामग्री की एक श्रृंखला जारी करके ग्राम पंचायतों को नागरिकों की देखभाल करने के लिए मार्गदर्शन करने में हाथ मिलाया। इसके लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल, 'gramswaraj.nirdpr.in' के माध्यम से एक जागरूकता निर्माण मॉड्यूल शुरू किया गया था। इसने गांधीजी के सपने को साकार करने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए स्थानीय सरकारों की क्षमता को मजबूत किया है।

परिशिष्ट - XII

महापरिषद् के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम व पता
1	श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001
2	साध्वी निरंजन ज्योति माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001
3	माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री, कमरा नंबर 322, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001
4	श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा, आईएएस सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001
5	अध्यक्ष कजरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, अमूल डेयरी, आनंद-388001, गुजरात
6	अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली - 110002
7	अध्यक्ष भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू), 16 कामरेड इंद्रजीत गुप्ता मार्ग, राष्ट्रीय बाल भवन के सामने, आई.टी.ओ., नई दिल्ली– 110002
8	सचिव (डीडब्ल्यूएस) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, सी विंग, चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003
9	सचिव भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
10	सचिव पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001
11	सचिव कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कमरा नंबर 115, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
12	सचिव उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 127-सी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
13	सचिव नीति आयोग, सी -8, टॉवर- I, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली- 110 021
14	सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 001
15	सचिव (एफएस) वित्तीय सेवा विभाग,वित्त मंत्रालय, 6ए, तीसरी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग,नई दिल्ली -110001
16	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001
17	अपर सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001
18	संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
19	संयुक्त सचिव जनजातीय मामला मंत्रालय, 218, द्वितीय तल, डीविंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001
20	संयुक्त सचिव (एसडी और मीडिया) सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, शास्त्री भवन, सी विंग, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली - 110 011
21	कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली -110 067
22	कुलपति, हैदराबाद विश्वविद्यालय, प्रोफेसर सीआर राव रोड, पी ओ, केंद्रीय विश्वविद्यालय, गच्चीबावली, हैदराबाद- 500046, तेलंगाना

क्र.सं.	नाम व पता
23	डॉ. जी. नरेन्द्र कुमार, आई ए एस महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), राजेंद्रनगर, हैदराबाद- 500030
24	सचिव (डीएआरई) एवं महानिदेशक, आईसीएआर ए -1, एनएएससी कॉम्प्लेक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली- 110 012
25	निदेशक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, नं.1210, प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, 80 फीट रोड, 560 104, चंद्रा लेआउट, बेंगलुरु- 560040 कर्नाटक
26	वरिष्ठ सलाहकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कमरा न. 322, बी-विंग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001
27	संयुक्त सचिव, आरएल एवं मिशन निदेशक (एनआरएलएम) 7 वीं मंजिल, एनडीसीसी- II, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जे सिंह रोड, नई दिल्ली- 110001
28	कार्यकारी निदेशक (प्रभारी) वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी), 10 वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, पी.बी.10014, मुंबई- 400 001
29	मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, 1-1-61, आरटीसी 'एक्स' रोड, पी बी नंबर 863, मुशीराबाद, हैदराबाद – तेलंगाना पिन : 500020
30	निदेशक ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, पोस्ट बॉक्स नंबर 60, आनंद- 388001 (गुजरात)
31	निदेशक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, वी.एन. पुरव मार्ग, दियोनार, मुंबई- 400088
32	निदेशक भारतीय प्रबंधन संस्थान, वस्त्रपुर, अहमदाबाद- 380 015, गुजरात
33	निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर- 721302, पश्चिम बंगाल

क्र.सं.	नाम व पता
34	निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय) वाराणसी- 221005. उत्तर प्रदेश
35	निदेशक भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), पोस्ट बॉक्स नंबर 357, नेहरू नगर, भोपाल- 462003
36	महानिदेशक मैनेज राजेंद्रनगर, हैदराबाद- 500030
37	निदेशक (प्रभारी) महिला विकास अध्ययन केंद्र (सीडब्युडीएस), 25, भाई वीर सिंह मार्ग (गोल मार्केट), नई दिल्ली - 110001
38	चेतना - सचिव रौरा सेक्टर, बिलासपुर- 174001, हिमाचल प्रदेश
39	प्रशासनिक प्रबंधक आरोग्यधाम दीन दयाल अनुसंधान संस्थान सियाराम कुटीर, चित्रकूट, सतना- 485331, मध्य प्रदेश
40	सचिव विकास भारती, ब्लॉक - बिष्णुपुर, पीएस - विष्णुपुर, जिला - गुमला, झारखंड
41	महानिदेशक रामभाऊ महलगी प्रबोधिनी, 17, चंचल स्मृति, जी.डी. अम्बेडकर मार्ग, वडाला, मुंबई- 400031
42	संपादक (ग्रामीण मामले) इंडियन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बिल्डिंग, बी -1 / बी, सेक्टर -10, नोएडा- 201301, उत्तरप्रदेश
43	निदेशक आर्थिक विकास संस्थान, यूनिवर्सिटी एन्क्लेव, दिल्ली विश्वविद्यालय (नॉर्थकैंपस), नई दिल्ली- 110 007
44	श्री पाशा पटेल विट्ठल हाउसिंग सोसाइटी, चर्च रोड, लातूर- 412512, महाराष्ट्र

क्र.सं.	नाम व पता
45	प्रमुख सचिव, पीआर एवं आरडी ग्रामीण विकास विभाग, कमरा नंबर 607, साची भवन, यूपी सचिवालय, लखनऊ - 266 001, उत्तरप्रदेश
46	प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, असम सरकार, जनता भवन, 'ई'- ब्लॉक, भूतल, डिसपुर, गुवाहाटी -781006, असम
47	प्रमुख सचिव ओडिशा सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, भुवनेश्वर, पिन - 751 001, ओडिशा
48	सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, वल्लभ भवन, भोपाल- 462004, मध्यप्रदेश
49	सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महाराष्ट्र सरकार, 7वीं मंजिल, बांधकाम भवन, 25-मरज़बन रोड, मुंबई- 400001, महाराष्ट्र
50	अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर- 302005, राजस्थान
51	अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज, मणिपुर सरकार, मणिपुर सचिवालय, कमरा नंबर 30, पहली मंजिल, नया सचिवालय, इंफाल- 795001

क्र.सं.	नाम व पता
52	उप-कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, बेनिटो जुआरेज़ रोड, दक्षिण मोती बाग, साउथ कैंपस, दिल्ली- 110021
53	डॉ. आर.एम. पंत निदेशक, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी-781022
54	डॉ. वाई. रमणा रेड्डी प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सीएचआरडी), एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद- 500030
55	डॉ. सी. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर (सीपीआर) एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद- 500030
56	श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद- 500030
57	महानिदेशक बिहार लोक प्रशासन और आरडी संस्थान, वाल्मीकि कैम्पस, फुलवारी शरीफ़, पटना - 801505, बिहार
58	उप आयुक्त, करनाल और निदेशक सह प्राचार्य हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, ईटीसी कॉम्प्लेक्स, जिला- करनाल, नीलोखेड़ी, 132117, हरियाणा
59	अध्यक्ष क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र, वन विभाग के पास, संजयनगर, धमतरी जिला, कुरूद- 493663, छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - XIII

कार्यकारी परिषद के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	सदस्यों के नाम
1	श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा, आईएएस सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली -110 001
2	डॉ. जी. नरेन्द्र कुमार, आईएएस महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030
3	सचिव, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली - 110001
4	सचिव (डीडब्ल्यूएस) सचिव का कार्यालय (डीडब्ल्यूएस), पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, सी विंग, चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
5	सचिव भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
6	अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
7	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
8	संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001
9	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडब्ल्यूई, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद
10	निदेशक, केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (केआईएलए), मुलमकुन्नत्तुकाऊ पी.ओ., त्रिचुर (केरल)
11	निदेशक, आईआईटी, हैदराबाद, कंडी, संगारेड्डी - 502285 (तेलंगाना)
12	निदेशक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन - भारत ग्रामभारती, अमरापुर, गांधीनगर-महुदी रोड, गांधीनगर - 382650 (गुजरात)
13	सचिव (एफएस) वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मत्रांलय, 6 ए, तीसरी मंजिल, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001

परिशिष्ट - XIV

शैक्षणिक परिषद के सदस्यों की सूची

क्र. सं.	सदस्यगण
1	ग्रामीण विकास के क्षेत्र में गहन ज्ञान और उच्च शैक्षणिक प्रमाणिकता वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति अकादमिक परिषद का अध्यक्ष (अंशकालिक) होंगे संस्थान के महानिदेशक सह - अध्यक्ष होंगे।
2	कार्मिक विभाग, मानव संसाधन विकास, कृषि, ग्रामीण विकास, ई एंड एफ, पंचायती राज, इत्यादि में प्रशिक्षण के प्रभारी संयुक्त सचिव
3	एनआईआरडीपीआर के उप महानिदेशक (कार्यक्रम समर्थन) - सदस्य सचिव
4	एनआईआरडीपीआर स्कूलों के डीन i) डॉ. आर. मुरुगेसन, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएसआर पीपीपी एवं पीए ii) डॉ. जी. वेंकट राजू, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीपीएमई iii) डॉ.ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडब्ल्यूई iv) डॉ. रवींद्र एस गवली, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएनआरएम v) डॉ. वाई. रमणा रेड्डी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएफएल
5	आईआरएमए, एलबीएसएनएए, एएससीआई, आईआईपीए, ईटीसी जैसे राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में से प्रत्येक नामांकित
6	कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष की मंजूरी से अध्यक्ष द्वारा नामित विशेष ज्ञान वाले चार व्यक्ति, लेकिन दो साल से अधिक नहीं।
7	राज्यों के पांच एसआईआईआरडी के प्रमुख जो सामान्य परिषद के सदस्य हैं (हर दो साल में चक्रावर्तन द्वारा) i. निदेशक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, आधारताल, जबलपुर(एमपी) ii. निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान गोपबंधु नगर, भुवनेश्वर (ओडिशा) iii. महानिदेशक, आईजीपीआरएस एवं ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) जयपुर (राजस्थान) iv. निदेशक, राज्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान इंफाल (मणिपुर) v. आयुक्त, करनाल और निदेशक सह प्राचार्य, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी, हरियाणा

परिशिष्ट - XV

2020-21 के दौरान शैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा उपस्थित संकाय विकास कार्यक्रम

राष्ट्रीय

क्र. सं.	संकाय सदस्य का नाम और पदनाम	राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम
1	डॉ वाणीश्री जोसेफ सहायक प्रोफेसर, सीपीआरडीपी एवं एसएसडी	अप्रैल-जून, 2020 के दौरान एसडीजी अकादमी से "एथिक्स इन एक्शन" पर तीन महीने का ऑनलाइन कार्यक्रम
2	डॉ. मुरुगेसन प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएचआरडी एवं निदेशक प्रभारी, एनईआरसी	1-6 मार्च, 2021 के दौरान तिरुवनंतपुरम सरकार में प्रबंधन संस्थान में प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण
3	डॉ.एस.एन राव एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रभारी, सीईएसडी	1-6 मार्च, 2021 के दौरान आईएमजी, तिरुवनंतपुरम में प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए)
4	डॉ. राजेश कुमार सिन्हा सहायक प्रोफेसर, सीएसए	22-26 मार्च, 2021 के दौरान एमसीआर-एचआरडी, हैदराबाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम का डिजाइन
5	डॉ. श्रीनिवास सज्जा सहायक प्रोफेसर, सीएसए	1-6 मार्च, 2021 के दौरान आईएमजी, तिरुवनंतपुरम में प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030, भारत

www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास

नीति प्रयोजन और समर्थन

प्रौद्योगिकी अंतरण

शैक्षणिक कार्यक्रम

अभिनव कौशल और आजीविका